अष्टम माला, खंड 45, अंक 22

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1988

23 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 45 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभावाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1988/23 अग्रहायण, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	8	"साराशं" के स्थान पर "वृत्तान्त" पढ़िये ।
32	12	"वी० जयपाल रेड्डी" के स्थान पर "एस०जयपाल रेड्डी" पढ़िये ।
89	1	"जनकी" के स्थान पर "जिनकी" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 45, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 22, बुधवार, 14 दिसम्बर, 1988/23 अग्रहायण, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	4—5
रेल अभिसमय समिति	5
12वां प्रतिवेदन	
रेल विधेयक	5
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना	
कार्य-मंत्रणा समिति	6
64वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	7—15
(एक) उड़ीसा के कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन एक सहायक कोयला कम्पनी की स्थापना किये जाने की मांग	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	7
(दो) कतिपय आयातित औषधियों, जिनका आयातित मूल्य बहुत कम है, के मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में जांच किए जाने की मांग	
श्री राज कुमार राय	8
(तीन) विभिन्न रेलगाड़ियों में नागपुर से शायिकाओं का आरक्षण कोटा पहले जितना किए जाने तथा दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली और वहां से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या पहले वाली की जाने की मांग	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	9
(चार) बजट में की गई घोषणा के अनुसार कम ब्याज दर का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना	
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	9

विषय	पृष्ठ
(पांच) किसानों को "नरमा कपास" का मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल दिलाया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग	
श्री बीरबल	10
(छह) राजस्थान के बांसवाड़ा-डूगर पुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किए जाने की मांग	
श्री प्रभु लाल रावत	10
(सात) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकासम जिलों के कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग	
श्री बी० एन० रेड्डी	13
(आठ) वक्फ अधिनियम, 1954 में और संशोधन किए जाने तथा इस दौरान 1983 के अधिनियम के सभी उपबंधों को तत्काल लागू किए जाने की मांग	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	15
संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक	15-153
तथा	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	15
श्री सी० माधव रेड्डी	22
श्री वी० एन० गाडगिल	31
श्री सोमनाथ चटर्जी	40
श्री वीरेन्द्र पाटिल	52
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	59
प्रो० मधु दण्डवते	68
श्री मुकुल वासनिक	84
श्री बालकवि बैरागी	88

विषय	पृष्ठ
श्री दिनेश गोस्वामी	93
श्री एच० के० एल० भगत	101
श्री शरद दिघे	111
चौधरी खुर्शीद अहमद	114
प्रो० पी० जे० कुरियन	117
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	120
प्रो० सैफुद्दीन सोज	124
श्री प्रताप भानु शर्मा	128
श्री सोमनाथ रथ	130
श्री जी० एम० बनातवाला	133
श्री जगन्नाथ चौधरी	136
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	138
डा० ए० के० पटेल	140
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि	142
कुमारी ममता बनर्जी	143
श्री एन० वी० एन० सोधू	147
डा० गौरी शंकर राजहंस	150

लोक सभा

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1988/23 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, निर्वाचन आयोग ने तीन राज्यों में विधानसभाओं के लिये चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं किन्तु···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मतलब नहीं। असंगत है। कार्यवाही सारांश में सम्मिलत नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप जानते हैं कि मैं निर्वाचन आयोग की कार्यवाहियों और निर्णयों पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वायत्तशासी निकाय है। न ही वे ऐसा कर सकते हैं। आपको संविधान बदलना होगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात। मैं नियम तोड़ नहीं सकता। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप हमें जो कुछ आपने कहा है उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। सरकार निर्वाचन आयोग की कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : न मैंने पहले कभी ऐसा किया और न मैं अब ऐसा करूंगा। जब तक आप संविधान को नहीं बदलते और निर्वाचन आयोग को अपने विचार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाते, हम उसकी कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार को स्पष्टीकरण देने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। सरकार को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो यही समझता हूं।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं निर्वाचित आयोग का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं·····के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह निर्वाचन आयोग पर आक्षेप है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा निश्चय अटल है। जब तक आप कानून में संशोधन नहीं करते, मैं किसी भी स्थिति में निर्वाचन आयोग के विरुद्ध इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गरीब आदमियों को

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लाठियों से पीटा गया है। वहां की गवर्नमैंट ने तीन दिन में तीन स्टेटमैंट चेंज किए हैं। धारा 354 का केस दर्ज किया लेकिन·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप मुझे नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्यों विवश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो यही जानता हूं कि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है और उसके निर्णयों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी बात सुनिये। महोदय, हम निर्वाचन आयोग का प्रश्न नहीं उठा रहे। हम सरकार का रुख और उसकी अनुक्रिया जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार क्यों भई? निर्वाचन आयोग ही···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : गरीब आदमियों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। लड़कियों की इज्जत वहां नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि सरकार की अथवा आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि जब तक आप कानून नहीं बदलेंगे, मैं निर्वाचन आयोग के निर्णय अथवा आदेशों पर चर्चा नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा। नहीं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल आप यही बात मेरे माथे मढ़ दोगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस बारे में पता नहीं । मैं क्यों पता लगाऊं । यह निर्वाचन आयोग है । सरकार का इससे कुछ लेना-देना नहीं है ।

(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : एक हरिजन कन्या का मामला है । सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए । गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग से पूछिये । आप गलत व्यक्ति से क्यों पूछते हैं ? निर्वाचन आयोग जाओ और उनसे पूछो न कि यहां मुझसे ।

(व्यवधान)*

11.06 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-7066/88]

संश्लिष्ट और रेयन वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : मैं श्री रफीक आलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) संश्लिष्ट और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(दो) संश्लिष्ट और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गये। देखिए संख्या एल०टी०-7067/88]

भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

श्री महावीर प्रसाद : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 3325, जो 5 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 1958 की अधिसूचना संख्या टी० सी० iii/3036/58/ अधिसूचना में और संशोधन किया गया है तथा जो क्लोक रूम से सामान गुम होने के लिए रेल विभाग के उत्तरदायित्व के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7068/88]

11.07 म० पू०

रेल अभिसमय समिति

12वां प्रतिवेदन

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं "चल रही रेल लाइन परियोजनाओं" के संबंध में रेल अभिसमय समिति के नौवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.07 1/2 म० पू०

रेल विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा रेलों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र 1989 के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेलों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 1989 के प्रथम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.08 म० पू०

कार्य मन्त्रणा समिति

64वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा 23 दिसम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों को लीजिए। श्री जीवल्लभ पाणिग्रही।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार, गृह मंत्रालय इस विषय में कार्यवाही कर सकती है बशर्ते वे ऐसा उचित समझे। मैं इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप मुझे नियम बताएं जिनके अधीन मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। कोई भी नियम बताइए।

[हिन्दी]

मैंने इनको बोल दिया, वैसा ही आपका है।

[अनुवाद]

आप मुझे कोई भी नियम बता सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए, किस नियम के अधीन ?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं किसी नियम को नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी गर्दन में कोई फंदा नहीं डालना चाहता। नहीं, मैं ऐसा नहीं, करूंगा। निर्वाचन आयोग से सम्पर्क कीजिए। इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग से सम्पर्क कीजिए। उन्हें लिखिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन महानुभाव को अनुमति नहीं है। जो कुछ भी वे सभा में बोलें, उसका एक शब्द भी मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग से सम्पर्क कीजिए। जोर से मत बोलिए; निर्वाचन आयोग के पास जाइए। मेरा समय नष्ट न करें।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : हरिजन लड़की के साथ रेप किया ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बता चुका हूं। मैंने उन्हें वही कहा है जो आपको कहा था। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा न उनके लिए न आपके लिए···बिल्कुल भी नहीं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

अब नियम 377 के अधीन मामले लीजिए। श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन दिए गए वक्तव्यों को ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के कोयला क्षेत्र में कोल इण्डिया लि० के अधीन एक सहायक कोयला कम्पनी की स्थापना किए जाने की मांग,

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा में कोयला क्षेत्रों के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के स्वामियों की समस्याओं पर अविलम्ब सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अधिकतम संभव दरों पर मुआवजा देने के साथ-साथ उन्हें समुचित पुनर्वास सुविधाएं तथा उनकी इच्छा की परियोजनाओं में उदारतापूर्वक नौकरियां दी जानी चाहिएं।

इसके अतिरिक्त, यह विडम्बना है कि उड़ीसा जो कि खनिज संसाधनों में काफी सम्पन्न है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यहां कोयले के भारी भण्डार हैं। परन्तु इन भण्डारों से कोयला निकालने के लिए अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में आज देश में कोयला पैदा करने वाला यही मुख्य राज्य है जहां सहायक कोयला कम्पनी कार्यरत नहीं हैं। उड़ीसा में तलचर और इब-वैली दोनों ही कोयला क्षेत्रों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि० द्वारा मध्यप्रदेश स्थित अपने बिलासपुर मुख्यालय से किया जाता है। दूर होने और संचार सम्बन्धी कारणों से बिलास-पुर से इन दोनों क्षेत्रों की सही देखभाल करना सम्भव नहीं है। कोल इंडिया लि० द्वारा तैयार उत्पादन-कार्यक्रम के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 मिलियन टन का वर्तमान उत्पादन स्तर बढ़ कर दोगुना हो जाएगा। यह आगामी वर्षों में लगभग 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बैठता है जोकि एक चुनौतिपूर्ण कार्य है तथा समुचित समन्वय एवं प्रभावशाली ढंग से निगरानी रखते हुए ईमानदारी से कार्य किये बिना इस चुनौती को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए रोजगार, व्यापार तथा क्षेत्र के समग्र विकास के मामले में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के साथ-साथ उड़ीसा की कोयला-पट्टी में कोल इंडिया लि० के अधीन एक सहायक कोयला कम्पनी अविलम्ब स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

(दो) कतिपय आयातित औषधियों जिनका आयातित मूल्य बहुत कम है के मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में जांच किए जाने की मांग

श्री राजकुमार राय (घोसी) : केलकर समिति ने सिफारिश की थी कि 50 लाख रु० से अधिक की बिक्री वाली दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिए बशर्ते वे सम्मिलत न किए जाने के लिए कोई अन्य मापदण्ड पूरा न करती हों। परन्तु कुछ दवाएं जिनकी स्वदेश पहुंचने पर आयात लागत 57 लाख से 214 लाख रु० के बीच होती है, एकाधिकार प्राप्त उत्पाद है और उनके मूल्यों में एक वर्ष में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अधीन न लाने के कारण ज्ञात नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि जनता के हित में इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों पर दिए गए वक्तव्यों को ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए।

(व्यवधान) *

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप निर्वाचन आयोग से सम्पर्क कर सकते हैं और यही एकमात्र उपाय है। मैं यहां इस मामले की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले से सम्बद्ध नहीं है। यह निर्वाचन आयोग का मामला है। मेरा निर्णय हमेशा नियमों के अनुसार होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छींटा-कशी मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो नियमों को बदल दीजिए। आप मालिक हैं।

(व्यवधान)

(तीन) विभिन्न रेलगाड़ियों में नागपुर से शायिकाओं का आरक्षण कोटा पहले जितना किए जाने तथा दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली और वहां से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या पहले वाली की जाने की मांग

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : मैं प्रमुख रेलगाड़ियों में नागपुर से सीटों के कोटे में की गई भारी कटौती की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली से तीन प्रमुख गाड़ियां नागपुर होते हुए दक्षिण की ओर जाती हैं और वहां से आती हैं। इन प्रमुख गाड़ियों में 23 बोगियां जुड़ा करती थीं। अब इनकी संख्या घटा कर 16 कर दी गई है, जिससे नागपुर के निवासियों को असुविधा हो रही है। दिल्ली से नागपुर होते हुए दक्षिण जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में नागपुर से दूसरी श्रेणी में 70 स्लीपर बर्थ का कोटा होता था। इस कोटे को कम करके 20 कर दिया गया है। इससे नागपुर के यात्रियों को कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार, बिना किसी सूचना और नोटिस के दो अन्य प्रमुख रेलगाड़ियों में भी कोटा कम कर दिया गया है। जिन आरक्षणों की पुष्टि कर दी गई है उनमें यकायक व्यवधान पड़ गया है।

मेरा रेल मंत्रालय से आग्रह है कि जनसाधारण की सुविधा के लिए दिल्ली से दक्षिण आने-जाने वाली रेलगाड़ियों में बोगियों की पूरी क्षमता बहाल की जाए और नागपुर रेलवे स्टेशन का कोटा बहाल किए जाने के लिए आदेश दिए जाएं।

(चार) बजट में की गई घोषणा के अनुसार कम ब्याज दर का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : वर्ष 1988-89 के बजट में, सरकार ने किसानों द्वारा लिए गए कर्जों पर बजट में घोषित मानदण्डों के अनुसार ब्याज की दर में कमी की थी। दुर्भाग्यवश, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां ब्याज की कम दर लागू

नहीं कर रही हैं। वे किसानों से वही ब्याज-दर वसूल कर रही हैं। उनका डर यह है कि ब्याज की दर कम करने से होने वाले घाटे को वहन कौन करेगा क्योंकि ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी समितियों को दिए कुल ऋण पर पूरा ब्याज इकठ्ठा लेते हैं। इसी प्रकार, राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर लेते हैं। वास्तव में, किसानों को ब्याज की घटी दर का लाभ नहीं मिलता क्योंकि कोई भी घाटा उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए, मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए और ग्रामीण सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव न पड़े तथा किसानों को बजट की घोषणा के अनुसार लाभ मिले।

(पांच) किसानों को "नरमा कपास" का मूल्य 1000/-रु० प्रति क्विंटल दिलाया जाना सुनिश्चित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष नरमा कपास का भाव 100.. रुपये प्रति क्विंटल था जो अब घटकर 650 रु० से 700 रु० रह गया है। किसान ने अच्छा बीज, मंहगी सफेदे की दवा व महंगी खाद लगा कर अथक परिश्रम से नरमा कपास की फसल पैदा की परन्तु उसे अपनी लागत एवं परिश्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है। बाजार में नरमा कपास की फसल मन्दे भाव बिक रही है। यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो किसान की आर्थिक स्थिति पर प्रहार होगा।

अतः मेरा कपड़ा मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि नरमा कपास के भाव प्रति क्विंटल कम से कम 1000 रु० निर्धारित किये जावें ताकि किसानों को अपनी फसल का लाभ मिल सके। और सी०सी०आई० को भी पाबंद करें कि जहां काटन का क्षेत्र है वहां की मंडियों में सुचारू से रूप से खरीद शुरू करने का आदेश देवें। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और उनको किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है।

(छः) राजस्थान के बांसवाडा-डूंगरपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किए जाने की मांग

श्री प्रभु लाल रावत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी बाहुल्य इलाकों हेतु अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। परन्तु उनका क्रियान्वयन बराबर नहीं हो रहा है।

बांसवाडा-डूंगरपुर व उसके आस-पास के जिलों में बहुत बेरोजगारी है। उपरोक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति बहुत मंद है और उद्योगपति रेलवे के अभाव में अपना उद्योग लगाना

नहीं चाहते। डूंगरपुर-उदयपुर आदि जिलों मे मीटर गेज रेलवे लाइनें हैं। उपरोक्त आदिवासी बाहुल्य इलाके में जो उद्योगपति उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, उन्हें विशेष सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है तथा सरकार द्वारा भी उद्योग आरम्भ करने चाहिए। माही बजाज सागर बांध बहुत बड़ा और अच्छा बनाया परन्तु नहरों के विस्तार और लिफ्ट सिंचाई हेतु बजट का अभाव है।

माही बजाज सागर परियोजना से डूंगरपुर-बांसवाड़ उदयपुर चित्तौड़ा तक की प्यासी धरती को पानी मिल सकता है और आम आदमी की माली हालत सुधर सकती है। उदयपुर डिवीजन में सिंचाई परियोजनाओं हेतु बजट सिंचाई के मध्यम से उत्पादन बढ़ाने हेतु आवंटित किया जाता है, उसका 20 प्रतिशत भी उपयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वेतन व अन्य मदों में खर्च हो जाता है। अतः उपरोक्त परियोजनाओं पर बजट की बढ़ोत्तरी कर आम व्यक्ति लाभान्वित किया जावे। लम्बे समय से जो परियोजनायें चल रही हैं उन्हें पूर्ण किया जावे। बांसवाड़ा-डूंगरपुर में दूर-संचार व्यवस्था बराबर नहीं है। उन जिलों में एस०टी०डी० सेवायें शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

वायुदूत को बांसवाड़ा-डूंगरपुर से जोड़ा जावे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगा, आपने अभी मुझे दिया है। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे प्रस्ताव पर आपकी क्या व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह व्यावहारिक हुआ तो मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने नियम 194 के अन्तर्गत यह मांग करते हुए कि लोक सभा के सम्बित पुनर्निर्वाचनों के बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह पुनः चुनाव आयोग का मामला है।

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : मैं चुनाव आयोग के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरा प्रश्न इससे बिल्कुल भिन्न है, नाबार्ड के निर्णय से किसानों को भारी धक्का लगा है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक नोटिस दें।

श्री एस०एम० गुरड्डी : मैंने पहले ही दे दिया है, आप इधर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं : आप केवल अगली बेंचों की ओर देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का बहिष्कार कर सकते हैं।

श्री एस० एम० गुरुडी : क्या ? इससे किसान समुदाय प्रभावित होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस०एम० गुरुडी : मैंने पहले ही नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास 2,10,000 नोटिस आते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा से जा सकते हैं।

श्री एस० एम० गुरुडी: मैं क्यों जाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि मैं आपसे कह रहा हूं, आप अध्यक्ष पीठ की आज्ञा नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप अपनी सीट पर बैठें।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने क्या व्यवस्था दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त-शासी निकाय है वह इसे करे या न करे वह जो भी निर्णय करेगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० गुरुडी, कृपया बैठ जाइए। अन्यथा मुझे आपको सदन से बाहर भेजने के लिए कहना पड़ेगा। संयत रहिए। अब बहुत हो गया मैंने बहुत सह लिया।

चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जो भी है, आप उसके बारे में चुनाव आयोग से पूछ सकते हैं। आप कानून बदल सकते हैं और उसे अपने नियंत्रणाधीन रख सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। यह सीधी और सच्ची बात है। और यदि चुनाव आयोग को सरकार से कोई शिकायत हो तो वह उसकी अवहेलना भी कर सकता है, वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं। यदि उन्हें तीन राज्यों में उप-चुनाव कराने का अधिकार है तो वे उप-चुनाव की भी घोषणा कर सकते थे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकार की जो भी सिफारिशें हों, चुनाव आयोग जो चाहे, उसके अनुसार उसे कार्य करने का अधिकर शक्ति और न्याययुक्त रास्ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। यह पर्याप्त है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे नामंजूर कर दिया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आपने इसे किस नियम के अन्तर्गत नामंजूर कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा स्व-विवक है, यह मेरा निर्णय है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपसे शिक्षा लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यहां पर नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जबावदेह नहीं हूं, मैंने जो व्यवस्था दी है वही रहेगी वह सीधी और सच्ची है, मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, इतना ही पर्याप्त है, श्री वी० एन० रेड्डी, केवल श्री वी० एन० रेड्डी का वक्तव्य ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा ।

(व्यवधान)*

(सात) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकासम जिलों के कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग

श्री वी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : कपास की फसल के खराब हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश के गुटूंर और प्रकाशम जिलों में पुनः बड़ी खराब स्थिति पैदा हो गई है । लगातार दूसरे वर्ष पीली मक्खी ने फसल को पूर्णतया समाप्त कर दिया है । यहां तक कि आयातित कीटनाशक भी कपास उत्पादकों की मदद नहीं कर पाये । उत्पादन 8 या 9 क्विंटल के स्थान पर मुश्किल से 2 या 3 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ है । फसल खराब हो जाने के कारण लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है और गुन्टूर तथा प्रकाशम जिलों में उन्होंने आत्म हत्याएं की हैं ।

इसलिए मैं सरकार से सीमान्त कपास उत्पादकों को फसल ऋण माफ करके और दीर्घकालीन ऋणों का पुनः तत्समय आगे तक बढ़ाए जाने का अनुरोध करता हूं । कपास उत्पादकों को अपने खेती के कार्यों को करने के लिए राज सहायता भी दी जानी चाहिए । मृतकों के परिवारों को पुनर्वासित करने और ऐसे मामलों में फसल ऋणों को माफ किए जाने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, वक्फ अधिनियम, 1954···(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी बात समझा दी है, चुनाव आयोग के पास जाइए और उनसे कहिए, यहां पर नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस, अनुमति नहीं है, वे जो भी चिल्लाएं, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो रहा है किसी और का नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी बात समझा दी है और मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं कुछ नहीं, मैंने आपका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम । चुनाव आयोग से कहें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्राधिकृत अधिकारी से कहें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इससे कुछ लेना-देना नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग से कहें, मुझसे नहीं ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(आठ) वक्फ अधिनियम, 1954 में और संशोधन किए जाने तथा इस दौरान 1983 के अधिनियम के सभी उपबंधों को तत्काल लागू किए जाने की मांग

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, वक्फ अधिनियम, 1954 पिछली बार 1983 में संशोधित किया गया था परन्तु संशोधित अधिनियम अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिम्मेदार मुस्लिम प्रतिष्ठानों और नेताओं ने अधिनियम के कुछ उपबंधों का विरोध किया था और कुछ अन्य संशोधन सुझाए थे। यह अपेक्षा थी कि ये संशोधन शीघ्र ही लागू कर दिए जाएंगे। परन्तु आज पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है यद्यपि प्रस्तावित संशोधनों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच-पड़ताल और अन्तिम स्वरूप दिया गया था। इसी समय 1983 के अधिनियम के अनेक लाभकारी उपबंधों को वक्फ सम्पत्ति की आय क्षति होने के कारण लागू नहीं किया गया है।

वक्फ का एक संस्थान के रूप में और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक तंत्र के रूप में महत्व घटाया नहीं जा सकता है। केन्द्र और राज्यों दोनों की सरकारों को वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और समुदाय के कल्याण और देश की प्रगति के लिए उसका उपयोग करने की जरूरत के बारे में अच्छी तरह पता है।

अतः अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र संशोधन विधेयक लाया जाये। साथ ही 1985 के अधिनियम के उन उपबंधों को जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, तत्काल लागू किया जाए।

11.29 म० व०

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक

तथा

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : आज हम मद संख्या 7 और 8 दोनों पर एक साथ चर्चा करेंगे। श्री बी० शंकरानन्द।

विधि और न्याय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि संसद और संसद के बाहर 'चुनाव सुधारों' के विषय में बड़ी उत्सुकता से चर्चा हुई है। हमारे चुनाव कानूनों को सांविधिक नियमों, और चुनावों की तैयारी और सम्पन्न कराने के सभी पहलुओं संबंधी आदेशों द्वारा समर्थन मिलता है। हम स्वतंत्रता के बाद से सफलतापूर्वक चुनाव करा रहे हैं। इन सभी चुनावों की समीक्षा करने से पता चलता है कि चुनाव प्रक्रिया और प्रणाली में कुछ दबाव है और यदि इन दबावों को दूर नहीं किया गया तो यह उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वयं इस प्रणाली की अवहेलना होगी।

भारतवर्ष में संसार का सबसे बड़ा स्थायी लोकतंत्र है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भारी भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यद्यपि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हैं। वे समझदार तथा परिपक्व हैं। जब मताधिकार प्रयोग करने का प्रश्न आता है तो भारतीय मतदाता चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी, परिपक्व और राजनैतिक तौर पर जानकार होता है। वह अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होता है और यह भी जानता है कि यह एक कीमती अधिकार है। इसलिए हमारे देश में जिस ढंग से प्रजातंत्र कार्य कर रहा है उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है।

तथापि, जैसाकि मैंने कहा हमारे पिछले अनुभवों की पुनरीक्षा से निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को बल मिलता है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी सुधार के कई प्रस्ताव बनाये हैं। इस प्रयोजन के लिए नए विनियम बनाकर सरकार ने सुधार करने में आवश्यक कदम उठाये हैं। इस संबंध में सदस्यों को याद होगा कि राजनीतिक दल बदल से निपटने के लिए श्री राजीव गांधी के बहुमुखी नेतृत्व में सरकार ने 1985 में बावनवें (संशोधन) अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन का दृढ़ कदम उठाया है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम निगमित क्षेत्रों से राजनीतिक दलों को निधि देने को वैध बनाने का था। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 में कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देना मंजूर किया गया है जो कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। मुक्त तथा न्यायपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और अन्ततः हमारे देश में संसदीय जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्वाचन संबंधी कानूनों को संशोधित करने वाला विधेयक जैसे अन्य कदम है।

तथापि, कुछ दूरगामी अतिरिक्त उपाय आवश्यक समझे गए। निर्वाचन सुधारों सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों पर प्रेस तथा अन्य मंचों में काफी वाद-विवाद हुआ। कई राजनीतिक दलों ने समय-समय पर संसद तथा बाहर अपने विचार व्यक्त किए तथा सुझाव दिए। सरकार ने इन सभी विचारों को ध्यान में रखा है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया। कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में सरकार की गंभीर चिन्ता के बारे में संसद को बताया यदि मामले में समय लग रहा था, तो इसका यही कारण था कि विषय उलझा हुआ था और जो भी

निर्णय लिया गया था, उसकी जांच सम्यक रूप से की जानी थी ताकि यह प्रभावी सिद्ध हो सके और एक मूक प्रावधान बनकर न रह जाए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब हम निर्वाचन प्रक्रिया में और अधिक सुधार करने के कई प्रस्ताव बना सके हैं। संविधान (संशोधन) विधेयक मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करने के लिए है। जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व 1951 में यथा अन्तर्विष्ट निर्वाचन नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा सुधार करने के लिए कई प्रावधान हैं।

मैं इन दो विधेयकों में अन्तःस्थापित प्रावधानों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं पहले संविधान (संशोधन) विधेयक पर बोलूंगा।

संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 326 में अन्तःस्थापित किया है कि लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार में आधार पर होने चाहिए। अनुच्छेद में उन्होंने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि वयस्क मताधिकार की अवधारणा में सभी भारतीय नागरिक आ जायेंगे जो 21 वर्ष से कम नहीं हैं। मतदान का अधिकार 18 से 21 वर्ष के आयु समूह तक कर देने की मांग अब से नहीं बल्कि कई वर्ष पहले से की जाती रही है। वास्तव में, इन्दिरा जी के कार्यकाल में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने 1972 में निर्वाचन संबंधी कानूनों पर विचार किया था और अनुरोध किया था कि संसदीय प्रजातंत्र में अपेक्षाकृत युवा पीढ़ी को भाग लेने देने का अवसर देने के लिए 18 से 21 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाना चाहिए। समिति ने निष्कर्ष दिया था कि जब विधि के सभी प्रयोजनों के लिए 18 से 21 वर्ष के आयु समूह के लोगों को वयस्क माना जाता है और उनके अपने मामले निपटने में उन्हें सक्षम माना जाता है तो उन्हें मताधिकार न देने का कोई वैध कारण नहीं दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी का युवा वर्ग अगस्त 1984 में तिरुपति में हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन और नागपुर में हुए एन०एस०यू०एस० के राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें इन्दिरा जी और महासचिव की हैसियत से श्री राजीव गांधी उपस्थित हुए थे, से मतदान की आयु घटाने के लिए आंदोलन कर रहा है।

एक भारतीय नागरिक पश्चिमी नागरिकों की तरह अधिक शिक्षित न हो, तो भी राजनैतिक चेतना और सांसदों और विधायकों के चुनाव में कुशाग्रता के हिसाब से वह किसी के पीछे नहीं है। औसत भारतीय मतदाता ने अब तक हुए चुनावों में राजनैतिक परिपक्वता सहित अपनी गंभीर व्यवहार कुशल बुद्धि का परिचय दिया है। तथापि, 18 से 21 वर्ष के आयु समूह के युवा राजनीतिक दृष्टि से सजग हैं और राष्ट्रीय और विश्व के मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। इसलिए क्या हम वास्तविकता से इन्कार कर सकते हैं? क्या यह उचित तथा न्यायसंगत नहीं है कि इस देश के युवाओं जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला, को उनके मताधिकार का प्रयोग करने देकर संसदीय जनतंत्र के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाये।

इसलिए सरकार ने मतदान की आयु में अति आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय किया है। देश का भविष्य देश के युवाओं पर निर्भर करता है। देश के राजनीतिक मामलों में युवा वर्ग पहले ही गहरी रुचि ले रहा है। प्रस्तावित उपाय केवल इसे औपचारिक रूप देंगे।

निर्वाचन आयोग का अनुमान है कि यदि मतदान की आयु घटा दी जाती है तो 47 मिलियन और लोग मतदान के अधिकारी हो जाएंगे। उन्हें घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर गिना जाएगा। एक बार संसद की दोनों सभाओं द्वारा विधेयक को अनुमोदित कर दिए जाने पर निर्वाचन आयोग इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेगा।

जनगणना की प्रक्रिया और वास्तव मे चुनाव में अधिक मतदाता शामिल होने से निश्चय ही कुछ अतिरिक्त व्यय होगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया में देश के युवाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत करने के लाभ की तुलना में यह एक तुच्छ कीमत होगी।

विधेयक को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद, अनुच्छेद 368(2) के आवश्यकतानुसार आधे से अनन्य राज्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 को संशोधित करना पड़ेगा क्योंकि उस धारा में भी मतदान की आयु 21 विनिर्दिष्ट की गई है। 1950 के अधिनियम में एक परिवर्तन और करना आवश्यक होगा। यह परिवर्तन मतदाताओं की गिनती के लिए निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में है। इस समय, 1950 के अधिनियम के अनुसार, निर्धारित तिथि वर्ष की एक जनवरी है जब चुनाव सूचियां तैयार संशोधित या सही की जाती हैं। जनप्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 इस सभा के समक्ष बाद में सही समय पर लाया जाएगा।

महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के उपबंधों की बात करूंगा।

कई वर्षों से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने की प्रवृत्ति बढ़ती रही हैं। निर्वाचन आयोग ने निराशा से यह नोट किया है कि चुनावों के समय और चुनाव के दिन कदाचार की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर इस तथ्य के कारण यह समस्या थी कि चुनाव न केवल गंभीर राजनीतिकों को अपितु अपराधी रिकार्ड वाले व्यक्तियों सहित सभी को आकर्षित करते हैं। फिर अपने स्वार्थ साधने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनभीष्ट सम्पर्क स्थापित करके स्थानीय निहित स्वार्थ साधने वाले भी समस्याएं पैदा करते हैं। कई अवसरों पर यह अनभीष्ट संयोजन अनभीष्ट नियन्त्रण में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन असहाय हो जाता है। ऐसे तत्वों के अनभीष्ट नियन्त्रण से वे मतदाताओं को डराने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, पुलिस अधिकारियों को डराने और शरारत बाजी जैसे गैर-कानूनी कार्य करने लगते हैं।

इसलिए, ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपायों पर हमें सोचना है। निर्वाचन आयोग एक संवेदनशील कार्य में लगा हुआ है। हमें निर्वाचन आयोग को भी सुदृढ़ बनाने में साथ देना होगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि विभिन्न सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हम निर्वाचन प्रणाली को और अधिक सुधारने के कई प्रस्तावों तक पहुंच सके।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, निर्वाचन आयोग निर्वाचन सूची, के बनाने, उसमें संशोधन एवं सही करने के कार्य,जोकि एक वार्षिक प्रक्रिया है और वास्तव में चुनाव करवाने से संबंधित कार्य दोनों ही मामलों में संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है। चुनाव कार्य में संलग्न कर्मचारी निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण में कार्य करता है। अब यह आवश्यक पाया गया है कि उनके कार्य के लिए वे भी निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं कि जब कर्मचारी चुनाव कार्य पर लगाये जाते हैं तो वह चुनाव आयोग के अनुशासनाधीन होगा।

भारत दल प्रणाली पर आधारित एक संसदीय गणतंत्र है। चूंकि जनतांत्रिक और चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक दलों की गतिविधियों से पुष्ट तथा चालित होती है, राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले किसी कुस्वास्थ्य से देश के राजनैतिक स्वरूप पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि देश में कई भाषायें, संस्कृतियां और परम्पराएं फलफूल रही हैं, हम सब एक राष्ट्र के रूप में हैं। जैसाकि विधि द्वारा संस्थापित है, हम सब भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखते हैं और भारत की प्रभुसत्ता और एकता को बनाये रखेंगे। इस समय राजनीतिक दल की कोई सांविधिक परिभाषा नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित करके इस कमी को दूर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें निर्वाचन आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए विद्यमान तथा भावी, सभी दलों द्वारा अनुकरणीय पद्धति निर्धारित की जायेगी। अधिनियम की धारा 8 में कतिपय अपराधों की दोष सिद्धि के आधार पर पहले ही अनर्हता पर विचार किया गया है। आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों और चुनाव गतिविधियों के बीच सम्बन्ध पर नियन्त्रण रखने तथा इस धारा के अन्तर्गत और अपराध लाए जाने के लिए इस विधेयक में उपयुक्त प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है। यह कहा जा सकता है कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु धारा 8 का पुनः प्रारूपण किया गया है। इस विषय में मैं उल्लेख कर दूं कि हमने अनर्हता के लिए कतिपय आर्थिक एवं सामाजिक अपराधों की दोषसिद्धि को भी समाविष्ट किया है।

निर्णय लेने में, अद्यतन प्राद्योगिकी पर आधारित, आधुनिक साधनों का दिनोंदिन सहारा लिया जा रहा है। मौजूदा मत-पत्र प्रणाली के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन के दूसरे फायदे भी बताए गए हैं। यह कम खर्च वाली, आसानी से संचालित किए जा सकने वाली मशीन है तथा

मतदान गड़बड़ी पर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण और मतदान पत्रों की अस्वीकृतियों पर रोक लगा सकेगी। जनता अभ्यावेदन के बाद से, अधिनियम में मतदान पत्र प्रणाली द्वारा मतदान करने का विशेष उल्लेख है, कुछ समय पहले एक चुनाव मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कानूनों मे विधिवत प्रावधान किए बिना, इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन प्रयुक्त किया जाना कानूनी रूप से अनुज्ञेय नहीं होगा।

मैं मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने की बुराई का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्यगण मुझसे सहमत होंगे कि इस बुराई को सख्ती से दूर किया जाना चाहिए। यदि इस बुराई को चलता रहने दिया जाएगा तो कानून के पूर्ण रूप से अभाव होने के साथ-साथ इससे गम्भीर विकृतियां पैदा हो जाएगी। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जे को एक अपराध और कदाचार बना दिया जाए। हमने यह प्रस्ताव भी किया है कि चुनाव आयोग व्यापक स्तर पर मतदान केन्द्रों पर कब्जे के मामलों में उन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान करवाने के आदेश देने के साथ-साथ पूरे निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का प्रत्यादेश देगा।

अनेक अवसरों पर, निहित स्वार्थों द्वारा चुनाव सभाओं में गड़बड़ी फैला दी जाती है। मौजूदा कानून में इसके लिए मात्र 250 रु० के दण्ड का प्रावधान किया गया है। अब यह प्रस्ताव है कि इस प्रावधान में संशोधन करके इसमें कारावास की सजा और 1000 रु० का बढ़ा हुआ दण्ड कर दिया जाना चाहिए।

मैं इस सभा में माननीय सदस्यों के समक्ष चुनाव सुधार संबंधी उन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा जोकि इस विधेयक में शामिल नहीं किए गए हैं। एक प्रस्ताव था कि निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन किया जा सकता है तथा लोक सभा और राज्य विधान सभा में कुल सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर आरक्षित सीटों का क्रमावर्तन होता रहे। इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन तथा एक अलग अधिनियमन करके एक सीमांकन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता है। चूंकि अगले आम चुनाव दिसम्बर, 1989 में होने हैं, अतः नए सीमांकन आयोग द्वारा उस समय तक अपना कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सीमांकन कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उचित रूप से संशोधित सीमाओं से परिचित होने में कुछ समय लगेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला दूं कि इस विचार का त्याग नहीं किया गया है।

इसी तरह, चुनाव आयोग के बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करते रहने तथा मतदाताओं को फोटो-युक्त पहचान-पत्र जिसे कि एकाधिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है दिए जाने की शुरूआत करने के लिए जोरदार समर्थन मिला था। जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं कि संविधान

अनुच्छेद 324 के उप-खण्ड (2) और (3) में प्रावधान है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। इसी तरह, जहां तक मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान-पत्र का संबंध है, निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में पहले ही चुनाव आयोग द्वारा ऐसे पत्रों की शुरूआत किए जाने का प्रावधान है।

दूसरा प्रस्ताव, जिसका सभी वर्गों ने आग्रह किया है, वह है उन सदस्यों को निकाल दिया जाए जो चुनाव में गम्भीर नहीं है। सरकार ने इस प्रश्न की सावधानी पूर्वक जांच की थी। इस संबंध में, मुख्य रूप से तीन सुझाव विचारार्थ आए थे।

पहला सुझाव था कि जमानत राशि उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि वास्तविक रूप से डाले गए मतों के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम होने पर गत संख्या के सन्दर्भ में संविधान ने श्रेणीकृत शास्ति का प्रावधान करना। आशय यह था कि जमानत राशि के जब्त करने के साथ-साथ शास्ति का प्रावधान हो।

तीसरा सुझाव था कि मतपत्रों में स्वतन्त्र उम्मीदारों का नाम राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के नामों के बाद होना चाहिए।

इन सभी सुझावों को सावधानी पूर्वक जांच के पश्चात, सरकार ने महसूस किया कि ये सुझाव वांछित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते।

इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में उम्मीदवार के चुनाव व्यय की नकद अथवा वस्तु रूप में प्रति पूर्ति की जानी चाहिए, यह प्रश्न कि चुनाव व्यय की वर्तमान अधिकतम सीमा अयथार्थ है, का भी उल्लेख किया गया था। जहां तक अधिकतम सीमा का प्रश्न है, वर्तमान प्रावधान चुनाव नियम संहिता में अन्तर्विष्ट किए गए हैं तथा कानून का संशोधन किए बगैर भी उन्हें संशोधित किया जा सकता है। जहां तक चुनाव व्यय का राज्य द्वारा निर्वहन किए जाने का प्रश्न है, मामले का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, चूंकि यह निश्चित नहीं है कि राज्य द्वारा चुनाव व्यय दिए जाने से, जोकि काफी खर्चीला है, धनशक्ति का प्रभाव कम करने का समाधान निकल आएगा।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव सुधार संबंधी प्रक्रिया एक बार में पूर्ण नहीं की जा सकती। मुख्य-मुख्य कमियों और दोषों को दूर कर दिए जाने के बाद हम देख सकते हैं कि प्रणाली किस तरह कार्य कर रही है। यदि आवश्यक हो तो आगे के सुधार पर बाद में विचार किया जा सकता है।

वर्तमान विधेयकों में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर कि व्यापक चर्चा होती रही है और एक सर्वसम्मति बनी है। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि इन दोनों विधेयकों को इस सभा का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा।

मैं इन विधेयकों को इस सभा के विचारार्थ अभिशंसित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब श्री सी० माधव रड्डी बोलेंगे ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधारों संबंधी बहुप्रतीक्षित और प्रचारित विधेयक हमारे सामने हैं । इन दो विधेयकों पर कोई टिप्पणी करने से पूर्व मैं शून्य काल में उठाए गए प्रश्न पर कुछ कहना चाहूंगा तथा रिकार्ड को सीधे सीधे रखना चाहूंगा । विपक्ष उस अवसर पर जो कुछ कहना चाहता था वह यह है कि संसद और राज्य विधान-सभाओं के उप चुनाव के संबंध में समान नीति होनी चाहिए । लेकिन अभी तक सरकार कोई समान नीति नहीं अपना रही है । यह कि चुनाव किए जाने चाहिए अथवा नहीं, चुनाव किस समय कराए जाने चाहिए, इस संबंध में उप-चुनावों का विनियमन करने वाला कोई कानून नहीं है । चुनाव आयोग किसी भी नियम और कानून के अभाव में कतिपय उदाहरणों पर आश्रित होता जोकि कई बार भंग किए गए । महोदय, मुझे एक बात याद आती है जब पीठासीन अधिकारी होनहार श्री मावलंकर जी चल बसे थे तथा उप-चुनाव आ गए थे, आम चुनावों में मुश्किल से चार महीने रह गए थे । कारण कुछ भी रहे हों, उसके बावजूद भी उप-चुनाव हुआ । हमने इस बात का स्वागत किया । इसी तरह, अन्य अवसरों पर भी, जबकि आम चुनावों में एक वर्ष से भी कम समय रहता था, उप-चुनाव कराए गए । यह स्थिति होने पर, ऐसा कहना कि उप-चुनाव नहीं कराए जा सकते क्योंकि आम चुनाव एक वर्ष के अन्दर ही होने जा रहे हैं, बड़ी अटपटी बात है । वस्तुतः इनमें से कतिपय सीटें तो एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली चल रही हैं तथा इनके चुनाव विगत में कराए जा सकते थे । यह तर्क कि आम चुनाव होने वाले हैं, अतः उप-चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ठोस बात नहीं है । विपक्ष इस मामले पर प्रकाश डालना चाहता था । मुझे विश्वास है कि वे लोग सभा में इन दो विधेयकों पर बोलते समय इस बात को कहने से नहीं चूकना चाहते । वास्तव में, यह अति प्रासंगिक है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप देखते हैं न कि नियम कैसे आपके लिए भी सहायक हैं ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं इस बात पर बाद में आऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : जब चुनाव कराए जाने हैं तो विधान सभा और संसद में कोई भेद नहीं होना चाहिए । एक अफवाह थी । समाचार-पत्रों की कोई खबर थी कि विधान सभा चुनाव होने हैं तथा संसदीय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं जिससे कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य डर गए कि संसद के चुनाव तत्काल करवाए जाएंगे और इसी कारण से उप-चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं । वस्तुतः यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है । लेकिन वह अफवाह फैल गई । और उसी कारण विपक्षी नेता यह जानने को उत्सुक थे कि सरकार की नीति क्या है ।

महोदय, आपकी यह टिप्पणी कि सरकार से इस बात का कोई लेना-देना नहीं है किसी हद तक ठीक है । लेकिन प्रधान मंत्री को इस सभा का नेता होने के नाते इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देना होता है कि क्या सरकार की उप-चुनाव कराने के संबंध में कोई समान नीति भी है । यह बात इस विधेयक में होनी चाहिए थी लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया है ।

महोदय, इन दो विधेयकों पर आते हुए मैं संविधान के 326वें अनुच्छेद में संशोधन का स्वागत करता हूं । मैं उन 47 मिलियन युवा मतदाताओं को बधाई देना चाहूंगा जिनका चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नाम दर्ज किया जाना है । लेकिन यहां पर मैं, यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों हेतु इस मानदण्ड को पहले ही अपना लिया है । आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को 18 वर्ष की मतदान आयु के आधार पर करा रहे हैं । इसमें कुछ नया नहीं है । इसके लिए हम काफी लम्बे समय से इन्तजार कर रहे थे । यह सभी दलों की एकमत राय है कि युवाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें ।

चुनाव सुधारों जैसाकि कि अब परिकल्पित किया जा रहा है पर काफी पहले विचार किया गया था और इस पर कई समितियां विचार कर चुकी हैं और कई सिफारिशें की जा चुकी हैं, यहां, मुझे न्यायधीश बांचू से लेकर श्री शकधर और अन्य लोगों द्वारा समय-समय पर की गई विभिन्न सिफारिशों का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है । श्री गाडगिल द्वारा अपने दल के लिए तैयार की गई हाल ही की रिपोर्ट में इन सभी बातों का भलीभांति समावेश किया गया है । मुझे केवल यह आपत्ति है कि चुनावों के लिए राज्य से धन दिए जाने के लिए सभी रिपोर्टों का हवाला दिए जाने के बाद और सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के बाद भी, अन्ततः यह सिफारिश हमारी आशाओं से काफी कम रही है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने वाला यह विधेयक हमारी आशाओं से अत्यधिक कम है । वर्तमान रूप में इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं । मेरा विरोध इसमें लाये गये संशोधन से नहीं है । मेरा विरोध इस बात के लिए है कि सरकार ने

कतिपय ऐसे संशोधनों को चुना है जो सत्तासीन पार्टी के पक्ष में अधिक हैं। यह एक व्यापक विधेयक के रूप में नहीं टुकड़ों में लाया गया विधेयक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री सी० माधव रेड्डी : सबसे बड़ा मजाक यह विधेयक लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक है। यह पक्षपात पूर्ण कैसे है इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं आपको इसमें उदाहरण-दूंगा कि कैसे कतिपय सिफारिशों को सदर्भ से हटा कर इस विधेयक में उनको सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए, राजनैतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। इस देश में पहली बार, इस विधेयक में राजनैतिक दलों की परिभाषा की गई है और इस विधेयक विशेष के अन्तर्गत राजनैतिक दलों का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है। लेकिन किस उद्देश्य के लिए ? पंजीकरण का कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आप इस दल का क्या करेंगे ? यदि राज्य से वित्तीय सहायता देनी है, तो अवश्य ही पंजीकरण का मामला है। अवश्य ही विनियमन का मामला है, अवश्य ही लेखा परीक्षित लेखों, आदि, आदि का मामला है। लेकिन बिना कुछ दिए इस देश के राजनैतिक दलों का विनियमन करना औचित्यपूर्ण नहीं है। सरकार क्या दे रही है ? वास्तव में···(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या आपको निश्चय है कि इसको लाने से धार्मिक कट्टरता को रोक लेंगे ? (व्यवधान)

मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है।

अध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : राजनैतिक दलों के पंजीकरण, जैसा कि यह है, का हम विरोध करते हैं। हम इसका स्वागत करते, बशर्ते कि राज्य से वित्तीय सहायता का प्रावधान हो, बशर्ते कि राजनैतिक दलों को, उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो। तब आपका यह कहने का अधिकार होगा कि राजनैतिक दलों को कतिपय विनियमित शर्तों के अन्तर्गत काम करना चाहिए।

इसी तरह, कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित उपबन्ध, राज्य सरकारों के चुनाव तन्त्र को चुनाव आयोग के नियंत्रण के अधीन रखने का प्रश्न हैं। यह केवल तभी न्यायोचित है जबकि चुनाव आयोग वास्तव में एक स्वतन्त्र आयोग, एक स्वतन्त्र निकाय हो। आज आयोग क्या है ? जैसा कि माननीय मन्त्री ने इंगित किया है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनाव आयोग में कई सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने वह किया है ? क्या आपने कई सदस्यों

वाले आयोग का गठन किया है ? क्या कोई संविधि है ? अनुच्छेद में दिया गया है कि चुनाव आयोग संबंधी नियुक्तियों, सेवा-शर्तों आदि के विनियमन के लिए संसद कानून पास कर सकती है। वह भी नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कतिपय कानूनों के अन्तर्गत की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त नहीं है, उन्हें भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक का दर्जा प्राप्त नहीं है। यदि चुनाव आयोग वास्तव में स्वतन्त्र है, तो यदि ये अधिकारी उसमें नियंत्रणाधीन आये तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पहले ही राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव के उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग के परिवीक्षा के अधीन काम कर रहे हैं। पहले ही वे ऐसा कर रहे हैं। आप और अतिरिक्त यह कर रहे हैं कि आप उनको आयोग के नियंत्रणाधीन कर रहे हैं। इसका अर्थ है, यदि आयोग आवश्यक समझे तो वह गलत कार्य करने वाले अधिकारियों को निलम्बित कर सकेगा। लेकिन उसके लिए, आयोग पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिए—केवल आयोग के सदस्य ही नहीं बल्कि आयोग के कर्मचारी भी। जैसा कि गाडगिल जी ने अपनी पुस्तक में ठीक ही इंगित किया है, आयोग के कर्मचारी स्वतन्त्र नहीं हैं। उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है कोई कार्य पालक तन्त्र नहीं है। इसे गृह मन्त्रालय और अन्य दूसरे मंत्रालयों से किया जाना पड़ता है। वे उसके नियंत्रणाधीन नहीं है। आप कैसे आशा करते हैं कि आयोग निष्पक्ष होगा ? मुद्दा यह है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आपने एक चीज को हटा दिया है, दूसरे को ले आए हैं और आपने चीजों को उनके संदर्भ से 12.00 मध्याह्न अलग किया है और आप इस विधेयक का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं।

हमें खेद है, कि इस संशोधन विधेयक में रखे गए कई खण्डों का विपक्ष समर्थन नहीं कर सकता। इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी –हां, मुझे पता है कि कोई विधेयक नहीं था, केवल एक प्रस्ताव और एक विचार था – विधि मन्त्री विपक्षी पार्टियों से समझौता वार्ताएं और विचार-विमर्श कर रहे थे। उस समय, हमने विधि मन्त्री को सुझाव दिया था कि सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए, केवल राजनैतिक दलों के एक पक्ष की ही नहीं। ऐसा विचार कभी नहीं था। विचार यह था कि सरकार को विपक्षी दलों से विचार-विमर्श करना चाहिए और विपक्षी दलों से विचार-विमर्श नहीं किया गया। आपने विपक्षी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से अपने कमरे में बुलाकर और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया है। उस समय, जब हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमने कहा था सभी विपक्षी दलों की बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में निर्णय किए जा सकते हैं।

यह ऐसा विधेयक नहीं है जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सके। आखिर आप उस तरफ हैं और कल आप इस तरफ हो सकते हैं और हम उस तरफ···(व्यवधान)···इस विधेयक में पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी चुनाव संबंधी सुधार को देश में सभी राजनैतिक दलों की सहमति पर आधारित होना होता है। विपक्ष के सहयोग के बिना आप कोई भी चुनाव संबंधी सुधार नहीं ला सकते। आखिरकार, यह एक ऐसा कदम है जिसमें हर दल को

शामिल होना होगा। यहां मैं देखता हूं कि विपक्ष की सहमति और सहयोग नहीं लिया गया था।

एक खण्ड मतदान की आयु 21 से 18 करने को छोड़कर, अन्य कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसमें विपक्ष सरकार से सहमत हो। यह एक बहुत बुरी स्थिति है। यदि आप वास्तविकताओं से अपनी आंखें बन्द करते हो, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और भविष्य मे आप यह महसूस करेंगे कि यह एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है।

अब उन विभिन्न खण्डों, जिनमें संशोधन चाहा गया है, के प्रश्न पर आते हुए, चर्चा के लिए प्रस्ताव करते हुए माननीय मन्त्री ने अपने पुरःस्थापन भाषण में कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य यह देखना है कि देश में राजनीति स्वच्छ हो। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण, धन शक्ति के कारण, विभिन्न प्रकार के कदाचारों के कारण, प्रशासन के पक्षपात पूर्ण होने और कई अन्य कमियों के कारण चुनाव दूषित है। क्या किया गया है? अन्त में, उन्होंने एक वाक्य कहा कि राज्य से वित्तीय सहायता वांछनीय नहीं है।

गाडगिल जी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला था कि राज्य से वित्तीय सहायता अनावश्यक है क्योंकि उसने महसूस किया कि चुनावों में धन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है; यही वजह है कि वह किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं कर रहा है किसी राज्य से वित्तीय सहायता की, आदि। रिपोर्ट में उसने यही कहा था। हमारे पास वे सब रिपोर्टें हैं जो आपने प्रकाशित की थीं।

आज वास्तविकता क्या है? 1955 तक जब हमारे महान प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जिन्दा थे तो उन्होंने चुनावों के सम्बन्ध में क्या कहा था? छठे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में मुख्य मन्त्रियों को लिखे गए अपने एक परिक्षक पत्र में पंडित जी ने लिखा था—वे सभी मुख्य मन्त्रियों को, चाहे वे किसी भी दल के हों परिक्षक पत्र लिखा करते थे, वह प्रथा हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री ने छोड़ दी है,—

> "मैं यह स्वीकार करता हूं कि चुनाव कार्य अत्यधिक निराशा जनक है। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इस विशेष प्रकार के प्रजातन्त्र में ऐसा प्रचार नहीं किया जा सकता जिससे मनुष्य के स्वभाव में ऐसी अवांछनीय प्रवृत्तियां न आयें, जैसे कि सत्ता और रुतबे के लिए उसकी इच्छा, धन संचय करने और आत्म उत्सर्ग के लिए लालसा, यहां तक की दूसरों को नुकसान पहुंचा कर भी, उसका विशाल दृष्टिकोण को छोड़ना और प्रत्येक चीज को तुच्छ व्यक्तिगत जीत से मापना।"

यह उन्होंने 1955 में कहा था। उसके बाद हम काफी आगे आ चुके हैं। आज भ्रष्टाचार

कितना है ? उस समय यह आज के मुकाबले दसवां हिस्सा भी नहीं था। 1951 में जब मैंने अपने चुनाव पर 10,000 रुपये खर्च किये थे। आज मैं आपको यह नहीं बता सकता कि दल कितना खर्च करता है क्योंकि उस समय दल को खर्च करने की अनुमति नहीं थी। दल, स्वयं, मित्रों और अन्य संघो द्वारा किया गया कुल खर्च केवल 10,000 रुपए था और मेरे जैसा गरीब व्यक्ति चुनाव जीत गया था। लेकिन आज यहां तक की 1 लाख रुपये खर्च करके भी कोई आदमी क्या चुनाव जीतने की सोच सकता है ?

कुछ माननीय सदस्य : आपने कितना खर्च किया था ?

श्री सी० माधव रेड्डी : 1974 के संशोधन की मेहरबानी से मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया था। सारा खर्चा पार्टी ने किया था। (व्यवधान)

महोदय, चुनाव सुधारों की सारी धारणा केवल इस पर आधारित थी। ठीक प्रारम्भ से जब प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया था जब राष्ट्रपति ज्ञानी जी ने अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा था।

12.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुख्य समस्या यह थी कि धनशक्ति पर अंकुश लगाया जाए और यही चीज विधेयक में अनुपस्थित है। प्रधानमन्त्री ने बम्बई में कांग्रेस के अन्तिम सत्र को सम्बोधित करते हुए जो कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा :

> "देश को गरीबों की सेवा करने वाली राजनीति की आवश्यकता है। देश को आदर्शों और कार्यक्रमों पर आधृत राजनीति की आवश्यकता है। इसके लिए, हमें राजनैतिक दलों और निहित स्वार्थों की सांठ-गांठ को तोड़ना होगा। स्वच्छ चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए हम चुनावी कानूनों में फेर बदल करेंगे। हम राजनैतिक दलों को उनको प्राप्त होने वाले कार्यों के लिए जवाबदेह बनाएंगे।"

मुख्य बल स्वच्छ राजनीति पर था। उनके प्रस्तुत किए गए सतही परिवर्तनों में रुचि, सारी बात यह थी कि चुनाव स्वच्छ होने चाहिए और उसके लिए राज्य द्वारा धन देना प्रारम्भ करना होगा। ऐसा नहीं किया गया।

1985 में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ज्ञानी जी ने कहा था :

> "सरकार स्वस्थ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्ध है। वह राजनैतिक दलों से चुनाव सुधारों पर व्यापक आधार पर विचार विमर्श प्रारम्भ करना चाहती है।"

अस्तु, ये अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किए गए वायदे ही नहीं हैं अपितु जन आकांक्षाएं भी हैं। उन्हें आशा थी कि धन शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये गये विशेषकर जब कि कुछ राज्यों में पहले ही ऐसी शुरूआत की जा चुकी है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जहां एक ओर छोटे पर्वतीय राज्य स्थानीय निकायों के चुनाव में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय ले रहे हैं वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार वस्तुओं के रूप में भी—ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। अनेकों समितियों ने सिफारिश की थी कि यदि आप नकद सहायता नहीं कर सकते तो वस्तुएं अर्थात् यथा पोस्टर दीजिए और पोस्टर युद्ध पर अंकुश लगाने और पोस्टरों को सीमित कीजिए। आप मुद्रण, अन्य अनेक बातों के लिए धनराशि दीजिए और चुनावों के दौरान सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या भी सीमित कीजिए। अब यह सब नहीं किया जा रहा है।

एक मुद्दे पर श्री गाडगिल ने कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो यह अतिरिक्त सुविधा होगी। वे अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा कर रहे होंगे। यदि राज्य भी धन राशि दे तो वह भी चुनावों पर व्यय किया जाएगा। यह बात गलत है जब हम राज्य द्वारा चुनाव व्यय वहन की बात कहते हैं तो मुख्य बात यह है कि राज्य को चुनावों के वित्तपोषण का अनन्य अधिकार होना चाहिए। वैसी दशा में निजी वित्तपोषण कतई नहीं होना चाहिए। उस पर नियन्त्रण लगाना होगा। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि दल द्वारा चुनावों में दोहरा वित्तपोषण होगा अर्थात् दल द्वारा व्यक्तिगत रूप से और साथ ही साथ सरकार द्वारा। ऐसा विचार कभी नहीं था।

अब मैं भारत सरकार के लिए प्रतिनियुक्ति पर माने जाने वाले अधिकारियों के प्रश्न पर आता हूं। जब मैंने वित्तीय ज्ञापन देखा तो उसमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। इस विशेष धारा से इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने से होने वाली सम्पूर्ण सम्भावित व्यय के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाता है या प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है तब सरकार को प्रतिनियुक्ति भत्ता देना होता है। क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या आप भुगतान करने जा रहे हैं? यदि आप यह कहते हैं कि आप भुगतान नहीं कर सकते तो वह न्यायालय में चला जाएगा और निदेश प्राप्त कर लेगा। तब आपको नाक रगड़ कर भुगतान करना होगा। आपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर मानने के वित्तीय परिणामों पर विचार क्यों नहीं किया है? इसकी विधि मन्त्रालय द्वारा समुचित जांच नहीं की गई है।

अभी-अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि ऐसे प्रत्याशियों को जो गम्भीर न हो हटाना होगा। यही प्रत्येक समिति की भी सिफारिश है। लेकिन अगम्भीर प्रत्याशियों को हटाने के लिए आपने क्या किया है? बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी खड़े होते हैं। जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था तब वहां कुल 65 प्रत्याशी थे। मतपत्र 6 फीट लम्बा था। मतदाताओं

के लिए मतपत्र को पूरी तरह देखकर श्री सिंह के चिन्ह को पहचान पाना कठिन था। उसके बावजूद वे विजयी रहे। यह व्यक्ति की महानता का द्योतक है। लेकिन मुद्दा यह है कि फर्जी प्रत्याशियों अथवा गैरजिम्मेदार प्रत्याशियों, अधिकांश निर्दलीय, को कैसे दूर रखा जाए। यह ठीक है कि जब हम गैरजिम्मेदार प्रत्याशी कहते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि वे सभी निर्दलीय हैं। यह कहा गया है कि हम निर्दलीय और दलीय प्रत्याशियों के मध्य विभेद नहीं कर सकते हैं। यह गलत है। हम पंजाब के चुनावों से पहले ही इस प्रकार का विभेद कर चुके हैं। पंजाब में चुनावों के समय हमने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव समाप्त होने के पूर्व मरता है तो उस आधार पर चुनाव रद्द नहीं होगा। दूसरे शब्दों में सामान्य कानून इन निर्दलीय प्रत्याशी पर लागू नहीं होंगे। वे केवल दलीय प्रत्याशी पर ही लागू होंगे। एक तरीके से यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इससे हमारा उद्देश्य पूरा होता है? यह मामला न्यायालय में भी गया था जहां न्यायालय ने कहा कि ऐसा हो सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही कुछ उपाय इस विधेयक में शामिल किए जाने थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गैर-जिम्मेदार प्रत्याशियों को हटाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया। इसमें हम राज्य सभा और विधान परिषदों के प्रत्याशियों से सम्बन्धित केवल एक प्रावधान पाते हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि विधान परिषद् की क्या समस्या है। वहां यदि एक पद के लिए दस प्रत्याशी भी हों तो कोई समस्या नहीं खड़ी होगी क्योंकि अन्तवोगत्वा इसमें सीमित मताधिकार ही होता है। वास्तविक समस्या तो विधान सभाओं और संसदीय चुनावों की है न कि परिषदीय या स्थानीय निकायों के चुनावों की। उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस विशेष पक्ष पर कुछ अधिक गम्भीर दृष्टिकोण कर गैर-जिम्मेदार प्रत्याशियों को दूर रखना चाहिए था। इसके लिए आप जमानत की राशि बढ़ा सकते हैं। हमने जब सुझाव दिया था कि जमानत की राशि 10000 रु० या 25000 रु० तक बढ़ाई जा सकती है तब इसका यह कहकर विरोध किया गया था कि ऐसा होने पर निर्धन व्यक्ति नामांकन पत्र भरने से वंचित हो जायेंगे। निर्धन व्यक्ति को ऋण दिया जा सकता है और यदि वह वांछित संख्या में मत प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत की राशि वापस कर दी जाए और उससे वह ऋण चुकता कर सकता है। ऐसा कोई तरीका सम्भव है। आन्ध्र प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों में पहले ही इसे आजमा चुकी है। विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इनमें से कुछ धाराओं को विधेयक में समायोजित करने के लिए उसे प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है, हालांकि अभी समायोजन नहीं हुआ है।

अब मैं फोटो पहचान पत्र के सवाल पर आता हूं। मन्त्री महोदय ने अभी-अभी कहा था कि फोटो पहचान पत्र जारी करने का काम बिना इसे विधेयक में शामिल किए भी हो सकता है क्योंकि इस बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप नियम बनाएंगे और उस कार्य में कुछ व्यय होगा तो आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? यदि उस सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन में कोई उल्लेख होता

तो मैं समझता हूं कि आप इस मसले पर गम्भीर हैं।' क्या इस बारे में आप गम्भीर हैं? लेकिन यदि आप वस्तुतः गम्भीर होते तो आपने इसका उल्लेख वित्तीय ज्ञापन में अवश्य किया होता क्योंकि इस पर 2 करोड़ अथवा 5 करोड़ रु० या कुछ भी धनराशि अवश्य व्यय करनी होगी। आपने ऐसा नहीं किया है। विचार यह नहीं है कि मतदाता स्वयम् इसका खर्च बर्दाश्त करेंगे। मतदाता को भुगतान करना होगा लेकिन उस पर पचास प्रतिशत छूट भी होनी चाहिए। लेकिन होने वाले खर्च का उल्लेख आपको वित्तीय ज्ञापन में करना चाहिए था परन्तु आपने ऐसा नहीं किया है। इससे यही प्रकट होता है कि सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जब यह संविधान संशोधन विधेयक पचास प्रतिशत विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत हो जाएगा तब जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पेश होने वाला है। मैं मन्त्री महोदय से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में भी परिवर्तन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उपाय इस अधिनियम में उपबन्धित हो सके इस अवसर का लाभ उठाने का निवेदन करूंगा।

यद्यपि हम कुछ उपायों का स्वागत करते हैं यथा मतदान केन्द्र पर कब्जे को अब दण्डनीय अधिकार बना दिया गया है। लेकिन तब मेरा मुद्दा है कि कितने मामलों में पिछले अड़तीस वर्षों में सजा दी गई है। बहुत से चुनाव हो चुके हैं लेकिन कितने लोगों को सजा दी गई है। यदि किसी को सजा होती है तो आप उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। लेकिन सजा होती कब है? कृपया मुझे आंकड़े दिखायें कि अब तक वस्तुतः कितने लोगों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट क्रिया कलापों के लिए सजा दी गई है। यदि सजा नहीं दी जाती है तो किसी को अयोग्य भी नहीं ठहराया जा सकता है। यह विधि पुस्तक में एक निरर्थक नियम ही बना रहेगा, इसका क्रियान्वयन कभी नहीं होगा।

अन्त में यह कि इसमें प्रचार माध्यमों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन बातों का इसमें उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें नियमों में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसा वायदा कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हमारे चुनावों के दौरान चुनावी झगड़े नहीं होते हैं? अब तक दस बार चुनाव लड़ने के कारण—कभी मैं पराजित हुआ हूं तो कभी जीता हूं—मैं जानता हूं कि चुनाव क्षेत्रों में जब छोटे झगड़े बड़ा रूप लेते हैं तो क्या होता है। प्रत्याशियों के मध्य मामले सुलझाने के लिए कोई न कोई व्यक्ति वहां मौजूद होना चाहिए यदि वे उसकी बात नहीं सुनते तो उसे रिकार्ड कर साक्ष्य के रूप में रखिए ताकि यदि कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है तो वह साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। वहां किसी रेफरी की कोई उपस्थिति नहीं है। हालांकि वहां पर्यवेक्षक होते हैं लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं होते हैं। वे पर्यवेक्षण करके चले जाते हैं और अपनी रिपोर्ट चुनाव आयुक्त को देते हैं। यह कोई बात नहीं हुई। आवश्यकता इस बात की है कि चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में रेफरी नियुक्त होने चाहिए ताकि वे सभी पक्षों को शांत कर सकें, वह यह देखेगा कि सभी पक्ष आपस

में ही मामला सुलझा लें और यदि वे आपस में मामला नहीं सुलझाते तो वह एक नोट तैयार करेगा जो न्यायालय के समक्ष एक साक्ष्य माना जायेगा ताकि दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सके।

यही मेरी कुछ टिप्पणियां हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय, मैं अपना भाषण भारतीय मतदाता की प्रशंसा से प्रारम्भ करता हूं। वह अशिक्षित हो सकता है लेकिन व्यवस्था को सफलतापूर्वक गतिमान बनाये रखने में उसने जिस बुद्धिमता का परिचय दिया है उसके लिए मैं उसकी दूरदर्शिता, उसकी राजनैतिक समझ और उसकी परिपक्वता का अभिवादन करता हूं। यदि भारत में संसदीय प्रजातन्त्र सफल हुआ है तो वह मुख्यतः, यदि चर्चिल के शब्दों में कहूं, उस छोटे आदमी के कारण है जो एक छोटे से कमरे में एक छोटे से कागज के टुकड़े पर एक छोटा-सा चिन्ह लगता है। वह आदमी ही वह व्यक्ति है जिसे श्रेय मिलना चाहिए।

महोदय, यह सर्वविदित है कि चुनाव किन्हीं मुद्दों पर लोगों की राजनैतिक प्रतिक्रिया आंकने या मापने का एक तरीका है। यदि ऐसा है तो यह स्वाभाविक है कि मापने का तरीका तटस्थ और सटीक होना चाहिए। कुल मिलाकर हमारी व्यवस्था ने ठीक से काम किया है हालांकि इसमें कुछ दोष प्रवेश कर गए हैं जो हमेशा बने रहेंगे लेकिन समय पर कार्यवाही करना हमारा कर्तव्य है।

ब्रितानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने इस अवस्था में पहुंचने में लगभग सौ वर्ष का समय लिया। सभी प्रकार के प्रभाव यथा धन, पैसे और सुरा एवं सब प्रकार के दुष्प्रभाव वहां मौजूद थे। एक ऐसा वक्त था जब प्रत्याशी मतदाताओं के लिए बियर के भण्डार खोल देते थे और प्रत्येक व्यक्ति मदिरापान करने, आनन्द उठाने और अन्तत्वोगत्वा मत देने का अभ्यस्त था। कैसे-कैसे प्रभावों का प्रयोग होता था उस पर एक कहानी है।

कहानी यह है कि एक वेस्टमिस्टर चुनाव क्षेत्र में डोवेनशायर की एक रूपसी डचेस ने उसके उम्मीदवार को मत देने वाले प्रत्येक मतदाता को चुम्बन देने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे हालात थे। निर्वाचन पद न केवल विज्ञापित होते थे वरन बेचे जाते थे जिनकी औसत मूल्य दर समाचार पत्र में उल्लिखित होती थी। एक समय एक चुनाव क्षेत्र खरीदने की औसत मूल्य दर 8000 पौंड थी।

अमरीका में एक प्रसिद्ध तम्मेनी हाल है जहां सभी प्रकार के प्रभावों का उपयोग किया जाता है। एक मुख्य अधिकारी, फ्लूनबिट्ट ने वर्ष 1905 में लिखा था "मेरा एक युवा चचेरा भाई था जिसे राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी। मैं उसके पास गया और कहा, जॉन मैं राजनीतिज्ञ बन रहा हूं और मैं सहयोग चाहता हूं। क्या मैं तुमसे आशा रखूं। उसने कहा, अवश्य जार्ज। और इस

प्रकार मैंने अपना कारोबार आरम्भ किया था। मेरे पास विक्रय योग्य वस्तु अर्थात् वोट था।" अमरीका में ऐसा होता है। अभी भी वहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था सही नहीं है।

एक कवि, जिसे आप सभी जानते हैं, ने कहा है :

"वोट लेने के लिए हर प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाता है।"

महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40 वर्ष पूर्व भी सभी प्रकार के प्रभाव अर्थात् शराब, पैसे आदि का उपयोग किया जाता था। वहां एक अवैध शराब बनाने वाला था। वह एक नोट और एक पैग दिया करता था। मराठी में पैग को वोट कहा जाता है। इसलिए उसका नारा था वोट, नोट और वोट। वहां ऐसी व्यवस्था चल रही थी। इसलिए सभी प्रकार के प्रभाव भी चल रहे थे।

भारतीय सामाजिक जीवन में एक और बुराई है और वह है जाति की। मुझे हैरानी हुई जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमारा एकत्व अजगर है, आदि, आदि (व्यवधान)

श्री वी० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। वह जबरदस्ती यह बात विपक्षियों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं भी उसी सूत्र अर्थात् समाचार-पत्र के हवाले से बोल रहा हूं जिसके अनुसार आप कहते हैं। समाचार-पत्र में ऐसी खबर छपी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसका खण्डन किया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह विपक्ष से संबंधित है, क्या हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है। मैं वही उद्धृत कर रहा हूं जो मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है। महोदय, हमारा नारा है वोट दीजिए और उसका नारा है जाति को वोट दीजिए। केवल यहीं भिन्नता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इसी कारण वे तमिलनाडु में वानियारों से बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वी०एन० गाडगिल : इस विधेयक के तीन विशिष्ट पहलू हैं। श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले वर्ष ही दल-बदल विरोधी विधेयक पुरःस्थापित किया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : और श्री शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल पांचवें वर्ष में वह यह विधेयक लाए। यह विधेयक कांग्रेस पार्टी में प्रचलित आंतरिक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ सबूत भी है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह वर्ष का सबसे बड़ा मजाक है।

श्री वी० एन० गाडगिल : चुनाव सुधारों के विषय पर सभी कांग्रेस समितियों—प्रदेश कांग्रेस समितियों, मुख्य मंत्रियों की बैठकों और प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्यकारी समिति और सब जगह चर्चा की गई थी।

प्रस्तुत विधेयक का पहला प्रावधान आयु कम करने का है। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। जैसाकि बताया गया है कि कांग्रेस दल ने पहल की थी। यह प्रयास न केवल युवा कांग्रेस और एन०एस०यू०आई० द्वारा किए गए बल्कि कांग्रेस दल ने स्वयं जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि जैसे विभिन्न चरणों पर मतदान की आयु 18 वर्ष करने का प्रयास किया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह कौन से कांग्रेसी राज्य हैं जिनमें इसे लागू किया गया है?

श्री वी० एन० गाडगिल : इसे पढ़िए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कांग्रेस के व्यक्तियों की बाइबिल है। हमारी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ठीक है महोदय, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : अब गोपनीय बात का पता चल गया है। वह बोल नहीं रहे हैं बल्कि व्यवधान डाल रहे हैं।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई 18 वर्ष का व्यक्ति सेना में भर्ती होने के लिए, किसी कम्पनी का निदेशक बनने के लिए व्यस्क है तो राज्य विधान सभाओं और लोक सभा चुनावों में वोट देने का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है। अतः मेरे अनुसार सरकार द्वारा उठाया जा रहा यह कदम एक ऐतिहासिक कदम है।

श्री माधव रेड्डी ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न किया है और पूछा है कि यह सभी प्रावधान क्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है इसलिए इसे शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। मुझे इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने ही चुनावों के दौरान

दूरदर्शन चुनाव आयोग को सौंपने की बात कही थी। उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है और इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र नहीं है।

श्री अडवाणी और अन्यों ने सुझाव दिया था कि जब चुनावों की घोषणा की जाए तो चुनावों से दो या तीन माह पहले राज्य सरकारों को विघटित कर राज्य तंत्र मुख्य सचिव या राज्यपाल अथवा और किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाए। ये सभी व्यक्ति स्वतन्त्र हैं और सारा कार्य उन्हें सौंपा जा सकता है। लेकिन वह चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है और यह उनके लिए अलाभकारी है। इसीलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं।

अब मैं अर्हता के पहलू के बारे में कुछ कहूंगा। अनेक अर्हताओं का प्रावधान किया गया है और यह सरकार की सामाजिक नीतियों को दर्शाता है।

महोदय, अनेक अधिनियमों का उल्लेख किया गया है—जिनके अन्तर्गत हम एक व्यक्ति को छः चुनावों में लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं। यह अच्छा और स्वागत योग्य प्रावधान है।

दलों के पंजीकरण के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। आपने यह सब बातें क्यों शामिल की हैं? चुनाव चिन्ह संबंधी आदेशों में यह बातें पहले से ही हैं। अब मुझे उनकी कठिनाई समझ आई है। उनके समक्ष कुछ कठिनाई है। मैं अन्य बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सबसे पहले संघ का नाम है। इसमें वे वास्तव में कठिनाई में हैं। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। क्योंकि चाहे यह जनता दल हो या कोई और हो, तो उन्हें नाम देने की समस्या है। इसलिए मैं उनकी समस्या समझता हूं। (व्यवधान)

नाम बदल जाते हैं। कार्यकर्त्ता बदल जाते हैं इसलिए उनके लिए कठिनाई है। मैं इसे समझता हूं। यदि कोई अचानक ही त्यागपत्र दे देता है तो कोई दूसरा कह देता है कि 'नहीं उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। यह त्यागपत्र नहीं है।" हर समय यह कठिनाइयां उनके समक्ष रहती हैं। इसलिए स्वभावतः ही वे इसका विरोध करेंगे। मैं उन्हें केवल यह कहानी सुनाऊंगा। श्री रेड्डी आप इस कहानी को पसंद करेंगे इसलिए मैं यह कहानी सुना रहा हूं— जब कर्जन लायड जार्ज के मंत्रीमंडल में विदेश मंत्री थे तो एक कनिष्ठ मंत्री लायड जार्ज के साथ बैठे हुए थे। अचानक ही एक संदेश आया कि विदेश मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और कनिष्ठ मंत्री उत्तेजित हो गए कि...दल में संकट उत्पन्न हो गया है, सरकार में संकट उत्पन्न हो गया है, अब क्या होगा? उन्होंने लायड जार्ज की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे शांत थे। उसने कहा, "महोदय, विदेश मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है।" लायड जार्ज ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने दुबारा कहा। तब उन्होंने कहा, "चिंता नहीं करो।" लार्ड कर्जन ने दो संदेशवाहक, जिन्हें हम चपरासी कहते हैं, रखे हुए हैं

जिनमें से एक लंगड़ा है और दूसरा ओलंपिक धावक है। उन्होंने अपना त्यागपत्र लंगड़े व्यक्ति के हाथ भेजा होगा और त्यागपत्र वापिस लेने का संदेश ओलंपिक धावक के हाथ भेजा होगा।' और शायद जार्ज ने कहा "त्यागपत्र वापिस लेने का संदेश मुझे पहले मिलेगा।" इसलिए आप चिंता नहीं करें। अतः मेरी उनसे यह सलाह है कि वे त्यागपत्र के बारे में क्यों ध्यान देते हैं। आप तो चपरासी रख लीजिए आपका काम हो जाएगा। अतः दलों के पंजीकरण, नामों, कार्यकर्ताओं, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों आदि से संबंधित विभिन्न उपबंधों के बारे में उनके समक्ष कठिनाइयां हैं। उनके समक्ष कठिनाइयां हैं इस बात को हमें समझना चाहिए। (व्यवधान)

(व्यवधान)

राज्य द्वारा धन दिए जाने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमेशा ही उस समिति जिसका की रिपोर्ट का हवाला दिया गया मैं सभापति था, कभी संदर्भ से हटकर और कभी संदर्भ के भीतर। कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे राज्य द्वारा धन दिए जाने और चुनावों की प्रणाली के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक विशिष्ट दार्शनिक श्री जे० एफ० एस० रॉस जिन्हें आप सब जानते हैं द्वारा दी गई चेतावनी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने "हाऊ डेमोक्रेसिज वोट" नामक एक पुस्तक लिखी है। मैं इसमें से एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। मैं उद्धृत कर रहा हूं "यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि विश्वविद्यालयों डॉनस् और संसद सदस्यों सहित अनेक व्यक्ति वैकल्पिक मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि के बारे में इतनी सहजता से बोल देते हैं और लिख देते हैं जबकि उनके अपने शब्दों में प्रक्रिया की मूल जानकारी का अभाव झलकता है जिसके बारे में उन्होंने इतनी आसानी से वक्तव्य दे दिया।' मैं भी ऐसी ही बात का शिकार हूं। मुझे संस्वीकृत बयान देने दें। उन्होंने जो कहा मुझे उससे बहुत आघात लगा। एक समय था जब मैं राज्य द्वारा धन दिए जाने के विषय पर काफी उत्सुक था। लेकिन जब मैंने गहराई से इसका अध्ययन किया तो मैंने देखा कि उपचार बीमारी से भी अधिक बुरा है। यह दूसरे देशों का अनुभव है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो हमारा अनुभव भी ऐसा ही होगा। पहली बात है कि लागत क्या है? मैं किसी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता को उद्धृत नहीं कर रहा हूं बल्कि चुनाव आयोग के सेवा-निवृत्त सचिव को उद्धृत कर रहा हूं। वे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा प्रत्येक लोक सभा चुनाव के लिए पोस्टरों पर विधि-सम्मत व्यय छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 दिनों हेतु एक जीप आदि के लिए 1986 की कीमतों के अनुसार 5,80,000 रु० का व्यय आयेगा। 'हम यह मान लें कि कम से कम तीन उम्मीदवार हैं जो मुख्य दलों के ही हैं। अतः 544 निर्वाचन क्षेत्रों को तीन से गुणा करें और 5 लाख रु० से गुणा करें तो 98 करोड़ रु० बनते हैं। तो आप स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए कैसे मना कर सकते हैं? यदि स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी आप धन दें तो अनगिनत व्यय होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप स्वतंत्र उम्मीदवारों को धन दें तो इससे वे उम्मीदवार भी चुनाव में भाग लेंगे जो इस बारे में गंभीर नहीं हैं और जिन्हें आप रोकना चाहते हैं। अब इसमें व्यय कितना आयेगा? इस ज्ञापन में इलेक्ट्रोनिक्स मशीनों के बारे में बताया

गया है कि यह 200 करोड़ रु० की है। यदि आप पहचान पत्र की प्रणाली शुरू करते हैं तो 40 करोड़ मतदाता हैं। यदि आयु कम कर दी जाती है तो 45 करोड़ मतदाता होंगे। यदि आप प्रति पहचान पत्र के 10 रु० लेते हैं तो 450 करोड़ रु० होंगे। अतः राज्य द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों को छोड़कर शेष उम्मीदवारों को धन देने के लिए 100 करोड़ रु० जमा 190 करोड़ रु० जमा 450 करोड़ रु० का खर्च आएगा। स्वतंत्र उम्मीदवारों को शामिल करने से यह व्यय फिर अनगिनत हो जायेगा। अतः पहला प्रश्न यह है कि क्या आप इस खर्च को सहन कर सकते हैं।

राज्यों द्वारा धन देने के बारे में मेरा दूसरा निवेदन है कि क्या राज्य द्वारा धन देने की प्रणाली शुरू करने से उद्योगपतियों, व्यवसायियों, व्यापारियों से धन लेने की जो प्रणाली है उसे समाप्त करने का कोई आश्वासन दिया गया है? मैं एक अति उच्च जानकार और विशिष्ट नेता जो विपक्ष के हैं को उद्धृत करूंगा। श्री बहुगुणा कहते हैं कि इन स्रोतों से धन लेने से लोगों को रोक नहीं पायेंगे। जब तक आपको इसका पूर्ण विश्वास न हो धन देने की प्रणाली शुरू नहीं करनी चाहिए। होगा यह कि वे सरकार से धन लेंगे और उद्योगपतियों से भी धन लेंगे। इससे चुनाव प्रक्रिया में पैसे की शक्ति बढ़ जाएगी। यह दूसरा पहलू है।

तीसरा पहलू यह है। आप पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, किसी भी देश को लें। उनका क्या अनुभव है? राज्य द्वारा धन दिए जाने से भी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों ने अन्य स्रोतों से धन लेना बंद नहीं किया। यदि अधिुनिकतम और विकसित कहे जाने वाले लोकतंत्र का यह अनुभव है तो मैं नहीं समझता कि अन्य स्रोतों से धन लेने से लोगों को रोकने के लिए हम बेहतर स्थिति में हैं। बल्कि इसके विपरीत राज्य द्वारा धन दिए जाने से बुराई रुकने के बजाय बढ़ेगी।

अब मैं मूल मुद्दे के बारे में कुछ कहूंगा। मैं एक कारण से इस पर विश्वास नहीं करता। मैंने लोक सभा के चार चुनाव लड़े हैं। बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरा घर राजनीतिज्ञों का घर है। मैंने चुनावों के अलावा कुछ नहीं देखा है। उसी अनुभव से मुझे लगता है कि आप पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते। वह मतदाताओं की बुद्धिमत्ता के प्रति असम्मान है। श्री टाटा और श्री बिरला जो दो बड़े उद्योगपति हैं ने चुनाव लड़ा और उसमें वे बुरी तरह से हार गए। भारतीय मतदाता अत्यंत विवेकशील है। इसलिए राज्य द्वारा धन दिए जाने से समस्या नहीं सुलझेगी। समस्या दूसरे प्रकार से सुलझ सकती है। न कि राज्य द्वारा धन देने से।

एक और पहलू भी है जिसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन यह विपक्ष की मांगों में से एक है। यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सूची प्रणाली है। मैंने इसका गहन अध्ययन किया है। चूंकि मैंने कालेज छोड़ने के बाद से कोई अन्य विषय नहीं पढ़ा है इसलिए यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ बताता हूं। एक माह से प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक मैंने इसके सिवाय और किसी का अध्ययन नहीं किया है। मैंने सूची प्रणाली में यह पाया कि तीन या चार देश

जिन्होंने इसे अपनाया है अब इसे छोड़ रहे हैं। क्योंकि उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। दल में उच्च अधिकारियों की शक्ति बढ़ जाएगी। विपक्ष सभी तर्कों को जानता है। इसलिए मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कौन सा दल।

श्री बी० एन० पाटसिल : कोई भी दल। मुझे व्यक्तिगत बातें बोलने के लिए न कहें। सभी दल हैं। प्रभुत्व वाली बात सभी दलों में है। आप अपने दल का साहित्य रूस में पढ़ते हैं और आपको अपना दल भारत में गत 20 वर्षों से इसे पढ़ रहा है। सभी किस्मों की प्रभुत्व वाली बात।

(व्यवधान)

मैं उम्मीदवारों के बारे में सोच रहा हूं। दूसरा इससे संसद सदस्य या विधायकों और मतदाताओं के बीच का संबंध पूरी तरह टूट जाता है। एक विकासशील देश में हम इतना खर्च बर्दास्त नहीं कर सकते। यदि हम सूची प्रणाली जारी करते हैं तो आपको कोई रुचि नहीं होगी। पूना के लोगों के लिए कोई कार्य मैं क्यों करूंगा? मैं महसूस करूंगा कि यदि मैं केवल अपने नेताओं को खुश करूंगा तो मुझे टिकट मिल जायेगा। और बस। संबंध टूट जाएगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सूची प्रणाली में क्या होगा? यदि आप प्रतिशतता के हिसाब से चलें—प्रो० दण्डवते एक गणितज्ञ हैं, यदि मैं गलत हुआ तो वे मुझे सुधारेंगे। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि वर्तमान प्रणाली में होना यह है कि विपक्ष के 60 प्रतिशत पर 40 प्रतिशत राज्य कर रहा है। इत्यादि, यह एक रटा रटाया तर्क है जो पिछले 40-50 वर्षों से दिया जा रहा है। यदि कांग्रेस इसलिए राज्य नहीं कर सकती कि 60 प्रतिशत इसके विरुद्ध हैं तो निश्चय ही सी० पी० एम० सी० पी० आई०, या बी० जे० पी० भी राज्य नहीं कर सकते क्योंकि 97 या 99 प्रतिशत लोग उनके विरुद्ध हैं। यह कोई तर्क नहीं है। आंकड़ों के अनुसार मैं आपको दिखा सकता हूं। एक दल लीजिए, मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझसे नाराज नहीं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है। वह 544 सीटों के लिए चुनाव लड़ती है। हमारा वर्तमान कानून क्या है? अपनी जमानत बचाने के लिए आपको 1/6 मत मिलने चाहिए। मान लीजिए आप 1952 से आज तक के आंकड़े लीजिए, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के वोट लेते हैं और इसका औसत निकालते हैं और पाते हैं कि अगले चुनावों में वे 544 सीटों के लिए लड़ते हैं और सब में वे 1/7 वोट प्राप्त करते हैं या हर जगह वे जमानत नहीं बचा पाते हैं तो 544 जमानतें देनी पड़ जाएंगी। किन्तु होगा क्या? क्योंकि इसके पास 1/7 वोट हैं। वे लोक सभा की 77 सीटें प्राप्त करेंगे। इसलिए एक पार्टी जिसे भारत में समूचे मतदाताओं ने तिरस्कार के साथ अस्वीकृत कर दिया है सभी 544 चुनाव क्षेत्रों में अपनी जमानत खोकर वे यह 77 सीटें प्राप्त करेंगी। क्या यही लोकतंत्र है? यदि 40 प्रतिशत मत पाने वाली पार्टी यहां शासन नहीं कर सकती है, तो फिर निश्चय ही एक दल जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जमानत हार जाता है, 77 सीटें प्राप्त नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

इसलिए, जैसाकि मैंने कहा है प्रत्येक प्रणाली में दोष है। इस प्रणाली में भी दोष है। सभी प्रणालियों में दोष हैं आपको देखना है कि सबसे अच्छी कौन सी प्रणाली है। और मैं कहूंगा कि वर्तमान प्रणाली की सबसे बड़ी अच्छाई इसकी सरलता है जिससे भारतीय मतदाता उपयोगी ढंग से काम कर सकता है। इसलिए परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक में एक और प्रावधान है जिसके प्रति अधिक गंभीर आपत्तियां नहीं उठायी गयी हैं परन्तु जो मुझे बहुत स्वागतय दिखायी देता है। एक मतदान केन्द्र स्थानान्तरित करने के बारे में है। जिस राज्य से मैं आया हूं वहां ऐसा नहीं हुआ है। किन्तु देश के अन्य भागों में इसके प्रचालन में मैंने इसके दुष्प्रभाव देखे हैं। मतदान केन्द्र स्थानान्तरित करने के प्रावधान का दलविचार के बिना सभी स्वागत करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मतदान केन्द्र पर कब्जा करना।

श्री बी० एन० गाडगिल : जी हां, मतदान केन्द्र पर कब्जा करना।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कह सकते थे मतदान केन्द्र उठाया जाना।

(व्यवधान)

श्री बी० एन० गाडगिल : यही समस्या है। वे शब्दों से खेलना चाहते हैं। आप पर्चे लिखते रहिए कि कैसे कांग्रेस राज्य नहीं कर सकती इसने इतिहास कैसे विकृत किया आदि-आदि। चूंकि वह एक इच्छुक पाठक हैं या श्री रेड्डी उनके लिए मेरे मन में एक विशेष कमजोरी हैं मैं कहूंगा यह उनके लिए है। ब्रिटेन के चुनावों की हर प्रकार की समीक्षा आती है और हर प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किन्तु वहां लेखकों, बटलर और स्टोक्स, की टीम है। वे समीक्षा करते रहते हैं और इस किस्म के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कुछ लोग निष्कर्ष निकालते हैं, जो वास्तव में कांग्रेस के हक में नहीं होते। यदि कांग्रेस जीतती है तो यह सत्ता के कारण है। यदि कांग्रेस जीतती है तो यह सरकारी तंत्र के कारण है या कांग्रेस सरकारी तंत्र का उपयोग करके जीतती है। और यदि श्री वी० पी० सिंह जीतते हैं तो यह उनके उच्च नैतिक मूल्यों के कारण है। (व्यवधान) इसलिए, ब्रिटेन के चुनावों के संबंध में बटलर और स्टोक्स द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में एक पुनरीक्षक ने जो लिखा है उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। पुनरीक्षक ने उन विद्वतापूर्ण पुनरीक्षाओं के बारे में लिखा है—

> "उनमें से किसने परिहास किया, क्या ये बटलर थे या स्टोक्स ? अब परिहास प्रखर हो जायें तो वे क्या ये स्टोक्स हैं या बटलर ?

इस तरह आप हर किस्म के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं।

मैंने आरंभ में कहा था कि औसत भारतीय मतदाता, उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता, उसकी परिपक्वता उसकी कुशाग्रता में मुझे पूरा विश्वास है। वे जानते हैं।

महोदय जिन मतदाताओं ने हमें 1967 में 6 या 7 राज्यों में रह कर दिया था वे दो वर्षों के अन्दर हमें वापिस ले आये। 1971 में उसी मतदाता ने हमें एक बहुमत दिया और 1977 में उन्होंने हमें बाहर कर दिया। वही मतदाता जिसने 1984 में हमें व्यापक बहुमत दिया पांच महीनों के अन्दर उसने हमें चार या पांच राज्यों में अस्वीकृत कर दिया था। उनके प्रति मेरे मन में उच्च स्थान है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भारतीय मतदाता को सलाम करता हूं। हम यहां जो कुछ भी कहें वह इस बात को ध्यान में रखेगा।

यदि आप मुझसे इस विधेयक सार के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूंगा, जैसाकि एक महान लोकतंत्री ने कहा है लोकतंत्र का सार है मताधिकार। यदि लोकतत्र का सार मताधिकार है तो मैं कहूंगा कि हमारी पीढ़ी को मताधिकार डा० अम्बेडकर ने दिया था और मैं कहूंगा ऐतिहासिक तौर पर यह बहुत उपयुक्त है। मैं कहता हूं ऐतिहासिक तौर पर यह बहुत उपयुक्त है। बहुत उपयुक्त संयोग है बिल्कुल संयोग कि अगली पीढ़ी मताधिकार श्री शंकरानंद से प्राप्त करेगी। यह ऐतिहासिक भाग है···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री शकरानंद अब डा० अम्बेडकर की प्रतिबिंबित ख्याति में चमकने की आशा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : अंत में, महोदय यदि आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि एक किताब में मेरे पिताजी ने मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष करने की वकालत की थी। आज जब मैं इस विधेयक पर मतदान कर रहा हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं एक महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा कर रहा हूं।

महोदय, अब आप इस सम्माननीय सभा में प्रवेश करते हैं तो आप पायेंगे।

[हिन्दी]

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा।
वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मं॥

[अनुवाद]

मैं इसमें संशोधन करने की धृष्टता करूंगा और कहूंगा :

[हिन्दी]

न सा सभा यत्र न सन्ति युवा।
वृद्धा न ते ये न वदन्ति सत्यम्॥

[अनुवाद]

इसलिए इस सम्माननीय सभा की शक्तियों को··· (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कृपया श्री गाडगिल से इसका अनुवाद करने के लिए कहें।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा।

वह सभा नहीं है जहां युवा नहीं है।
वह युवा नहीं है जो सच नहीं बोलेंगे ॥

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित कीजिए और इस सम्माननीय सभा के द्वार उस युवा पीढ़ी के लिए खोल दीजिए जो बाहर प्रतीक्षारत है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी कृपया कर संक्षेप में बोलिए। आपके दल को केवल 18 मिनट का समय दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है··· (व्यवधान)।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा विचार है कि श्री सोमनाथ जी भी अपने पिताजी का, जो संसद सदस्य थे के उद्धरण का हवाला देंगे···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, वे आपका उद्धरण देंगे। चिन्ता मत कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय अन्तर यह है कि वह अपने पिताजी का अनुसरण करते हैं परन्तु वह नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विडम्बना है कि यह सभा आज चुनाव संबंधी सुधारों पर चर्चा कर रही है जबकि हमें इस बात पर खेद प्रकट करना चाहिए कि इस सदन के उप चुनाव जो अब तक हो जाने चाहिए थे और इन्हें आसानी से कराया जा सकता था न करा कर संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गई है। सत्तारूढ़ दल की साजिश के कारण ये चुनाव नहीं कराए जा सके क्योंकि सत्तारूढ़ दल घबराया हुआ और भयभीत है और मतदाताओं का सामने करने की उनमें हिम्मत नहीं है···(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है। परन्तु वह चुनाव आयोग के निर्णय पर आक्षेप कर रहे हैं··· (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें गलतफहमी हो गई है। उन्होंने चुनाव आयोग की भीरुता के बारे में नहीं कहा है बल्कि उन्होंने सरकार की भीरुता के बारे में कहा है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, भारतीय मतदाताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने से क्या फायदा है। जब आप उन्हें मतदान का उपयोग करने का अवसर नहीं दे रहे हैं ? श्री गाडगिल ने भारतीय मतदाताओं की प्रशंसा करते हुए अपना भाषण शुरू किया और एक उदाहरण देते हुए अपना भाषण समाप्त किया जो अधिक उपयुक्त नहीं है।

महोदय, मुझे आशा थी कि इस समय जो सत्तारूढ़ दल है वह ईमानदार और निष्पक्ष होता और उन बुराईयों को दूर करने के लिए, जिसने पहले ही इस देश की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को अपनी लपेट में ले लिया है, निर्वाचन संबंधी सुधार करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता। पैसे की ताकत, बाहुबल का प्रयोग, सरकारी माध्यमों का दुरुपयोग और चुनावों को सरकारी संरक्षण देने से ठीक पहले जो वायदे किये गये थे—उस बारे में इस विधेयक में एक भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह विधेयक बहुत ही दिखावे के साथ प्रस्तुत किया गया है। यदि आप इन उपबन्धों को पढ़ें, यह केवल जुबानी बातें हैं जोकि सत्तारूढ़ दल द्वारा निर्वाचन संबंधी सुधारों के प्रश्न पर कही गई हैं। जो अपर्याप्त उपबन्ध किए गए हैं उनसे उन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता जो भारतीय चुनाव प्रणाली में नासूर की भांति हैं। यही कारण है कि हम महसूस करते हैं कि चुनाव प्रणाली की विकृतियों और कमजोरियों को स्थायी बनाए रखने में इस सरकार का अपना भी हित है क्योंकि इससे उन्हें लाभ होता है। इसलिए यह बात नहीं है कि सत्तारूढ़ दल आज इसका श्रेय ले सकता है। महोदय, विभिन्न राज्यों में क्या हुआ है ? 1976 में जब पश्चिम बंगाल में नगर-निगम के चुनाव हुए थे तो मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कुछ राज्यों ने भी ऐसा किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का अनुसरण किया है। कर्नाटक सरकार ने यही किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि सत्तारूढ़ दल के आडम्बर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष करने को चुनौती दी गई थी महोदय, मैं रिट याचिका का उद्धरण दे रहा हूं। उसमें कहा गया है कि :

> "मतदाता सूचियों में 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में शामिल करने का उपबंध अवैध और प्रभावहीन है।"
>
> "नगर निगम के चुनावों में 18 वर्ष और 20 वर्ष के व्यक्तियों को मतदान देने के योग्य माना जाता है लेकिन यह विचार कि उन्हीं व्यक्तियों को संसद और विधान सभा के चुनावों में मतदान करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए तर्कसम्मत नहीं है। उपर्युक्त उपबंध भारतीय संविधान की आत्मा और उद्देश्य के विपरीत है तथा असंवैधानिक और अमान्य है।"

यह किसने कहा ? अजीत पांजा ने यह कहा है। महोदय, पश्चिम बंगाल कांग्रेस (आई) पार्टी के अध्यक्ष पद की हैसियत से उन्होंने एक रिट याचिका दायर की है। कलकत्ता में उन्होंने उच्च

न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष यह याचिका दायर की। इसे रोकने की कोशिश करते हुए उन्होंने खंड पीठ में इसे दायर किया। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और अन्त में उन्हें इसे वापिस लेना पड़ा क्योंकि मामले में विशेष बात नहीं थी। यह सत्तारूढ़ दल का वायदा है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य इस सभा के एक सदस्य का हवाला दे रहे हैं। रिट याचिका दायर करने के संबंध में वह श्री अजीत पांजा के नाम का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। जब वह सदन में उपस्थित नहीं हैं तो वह कैसे उनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस सदन के सदस्य हैं। यह आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक आप सभा को नियंत्रित नहीं करते मैं कैसे बोल सकता हूं? महोदय, यह याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में 1980 में दायर की गई थी और मैं इस प्रति को प्रमाणित करके सभा पटल पर रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप जारी रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसलिए यह सरकार अधिक श्रेय नहीं ले सकती (व्यवधान) कई महत्वपूर्ण सुधारों में से यह सुधार आवश्यक है। सरकार ने मतदान की आयु कम करने पर विचार किया है जिसका हम स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। परन्तु जहां तक सत्तारूढ़ दल का संबंध है, उनके द्वारा दी गई तथाकथित रियायत और कुछ नहीं है केवल इस देश के नौजवानों पर कृपा करने का हताशा में किया गया एक प्रयास है, देश के ऐसे नौजवानों जिन्हें इस सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण अनेक कुरीतियां झेलनी पड़ रही हैं तथा जिनकी संख्या आज इस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या में सबसे अधिक है। आज वे सरकार की आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों के कारण त्रस्त हैं। और इसलिए अधिक से अधिक व्यक्ति बेरोजगार होते जा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं? (व्यवधान)

1.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, 1972 में संसदीय समिति की सर्वसम्मति से की गई सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं थीं और अब सत्तारूढ़ दल आमतौर पर इस देश के जनसामान्य से अधिकाधिक कटता जा रहा है। अब वे ऐसा सोच रहे हैं कि मानो वे युवा वर्ग को इस आशा से कोई छूट दे रहे हैं कि आगामी चुनावों में युवावर्ग उनको वोट देगा। लेकिन दूसरी ओर के बन्धुओं को मैं विश्वास

दिलाता हूं कि वे पूरी तरह गलतफहमी में हैं। युवा लोग उनको कभी भी वोट नहीं देंगे। यह देश का युवावर्ग है जिसने इसकी मांग की थी और जिसने इस अधिकार को हासिल किया है न कि आपकी सरकार ने। यह सत्तारूढ़ दल का उपहार नहीं है। अठारह वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार देश के युवा वर्ग द्वारा स्वयं हासिल किया गया है इस सरकार को इस देश के युवावर्ग के लिए बहुत कुछ करना है। जहां तक देश के युवावर्ग का संबंध है सरकार को संविधान के आधारभूत तत्वों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। जहां तक इस देश के युवावर्ग का सम्बन्ध है उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनबद्धता का पालन करना चाहिए। लेकिन अब यह सरकार युवावर्ग के प्रति अपने किसी दायित्व को पूरा नहीं कर रही है। युवा पूरी तरह से निराशा में जी रहे हैं। उनको काम नहीं दिया जाता है। इस देश में उनका भविष्य अनिश्चित है। युवा आज भटक रहे हैं और सरकार यह समझ रही है कि वह इस देश की चुनाव पद्धति में ऐसा परिवर्तन ला रही है कि लोग उसके पीछे भागेंगे। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उनके हाथ निराशा लगेगी।

हमारी चुनाव पद्धति को प्रभावित करने वाली समस्याओं की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं है। श्री गाडगिल ने अत्यन्त प्रयत्न पर्वक यह स्पष्ट किया है कि आखिर क्यों सूची व्यवस्था नहीं अपनाई जानी चाहिए। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि कांग्रेस दल इस देश में कभी भी बहुमत के मतों से सत्ता में नहीं आया। 1952 के चुनावों से संसद में प्रति सीट कांग्रेस के वोटों की संख्या 1969 में 40 प्रतिशत से 1984 में 48.1 प्रतिशत जब हमें बताया गया था कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है—तक आगे पीछे होती रही है। उसने अधिकांश सीटें न्यूनतम मतों से जीती और यहां तक कि उसने कुल सीटों का दो तिहाई बहुमत पचास प्रतिशत से भी कम वोट पाकर हासिल कर लिया क्या यह व्यवस्था की विकृति नहीं है ?···(व्यवधान) ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। अतएव, हम जानते हैं कि वे सूची व्यवस्था की सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्यों नहीं चाहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाए जाने से वे सत्ता में आने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि श्री गाडगिल आज ; पर्याप्त अध्ययन के बाद, यह अच्छा है कि उन्होंने कम से कम अध्ययन तो किया जैसा किवे कहते हैं, मैं उनके कथन को स्वीकार करता हूं ; वह यह समझ पाने में सफल रहे कि सत्ता में बने रहने के लिए उनका दल सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाने का खतरा नहीं उठा सकता है। स्वाभाविक है कि वे इस पद्धति का विरोध करेंगे।

अब, राज्य द्वारा वित्तपोषण के बारे में वे क्या कह रहे हैं ? यही वही सत्तारूढ़ कांग्रेस दल है जिसने चुनाव कानून बदल दिया था। उन्होंने 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल को कम्पनियों द्वारा असीमित सहायता राशि देने की छूट दे दी थी··· (व्यवधान) जैसाकि आप जानते हैं 1974 में चुनावी खर्चों के सम्बद्ध में सम्पूर्ण चुनाव कानून में फेर बदल कर दिया गया था। इस देश में एक व्यक्ति का चुनाव बचाने के लिए चुनाव कानून बदलने के लिए जल्दी में अध्यादेश जारी किए गए थे। चुनाव कानून में परिवर्तन के लिए

अधिनियम में संशोधन केवल एक व्यक्ति के चुनाव के लिए किया गया था। यहां पांचवीं लोकसभा में श्री अमरनाथ चावला हमारे साथी थे। वे उस समिति के सदस्य थे। उनका चुनाव इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि उनके स्वयं के चुनावी खर्चे में पार्टी द्वारा किया गया खर्च भी जोड़ दिया गया था और यह माना गया था कि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक राशि व्यय हुई है और वे चुनाव हार गए थे। उनका चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी का चुनाव चुनावी खर्चे अधिक हो जाने के कारण निरस्त नहीं हो गया कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया लेकिन उसके बाद रातोंरात जल्दी में अध्यादेश लाया गया था। फिर भी श्री अमरनाथ चावला को छूट नहीं मिली थी क्योंकि कानून में उपबंधित था कि एक बार निरस्त चुनाव बहाल नहीं होगा। इस देश में एक व्यक्ति के लिए पिछली तिथि से कानून बदल दिया गया था? किसने इसकी आज्ञा दी थी? इसी सत्तारूढ़ दल ने चुनाव के लिए असीमित खर्च की छूट दी थी। महोदय, इस समय दान राशियों का लाभ कौन उठा रहा है? कौन-सा दल दानराशियों का लाभ उठा रहा है?...(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल): मुझे मालूम है कि केरल के त्रिवेन्द्रम मार्क्सवादी दल की तेरहवीं पार्टी कांग्रेस आयोजित होने जा रही है जिसमें आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम स्रोत भी जानते हैं। कोई भी केरल आकर देख सकता है कि वहां करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: आप मान रहे हैं, यही समस्या है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी. मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से पीठ से सहयोग करने और सदस्य को बोलने देने का निवेदन करता हूं। उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कीजिए।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर: यह बहुत ही बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान) आप करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं। यह सब कहां से आ रहा है? मुझे मालूम है और केरल के लोगों को भी मालूम है। आप वहां सत्ता में हैं और वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह मत भूलिए। हमें मालूम है कि आप पैसा कैसे बना रहे हैं और हमें यह भी मालूम है कि यह पैसा आप कहां से हासिल कर रहे हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। आप लोग किस बात के लिए चुनौती दे रहे हैं? यह सब क्या है ?

एक माननीय सदस्य : उन्हें आगे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग करेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय कृपया उन पर नियंत्रण रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन पर नियन्त्रण तो रख रहा हूं लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। मुझे सभा स्थगित करनी होगी, बस। यदि आप लोग शोर मचाते रहेंगे तो मैं बैठक स्थगित कर दूंगा। कृपया मुझे सुनें। मैं आप सभी से मुझे सुनने का निवेदन करता हूं। यदि आप शोर मचाते हैं तो उस स्थिति में मैं आपकी तरह चिल्ला तो सकता नहीं मैं केवल बैठक स्थगित कर सकता हूं। बस मैं यही कर सकता हूं। और जब मैं आदेश देता हूं तब आपको मुझे सुनना होगा। यदि आप चिल्लाते ही रहें तो मैं क्या कर सकता हूं ? आखिर यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं ? मुझे सुनिए। यह कोई तरीका नहीं है। यदि आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं यहां नियन्त्रण करने के लिए हूं। आप कौन होते हैं यह कहने के लिए ? कृपया मुझे सुनें।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : आप अपने हाथ की ओर देखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसे ही बाधा उपस्थित करते रहेंगे तो मैं सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार कह रहा हूं लेकिन वह सुन ही नहीं रहे हैं। आखिर इसकी भी सीमा चाहिए। श्री चटर्जी आप जारी रहें।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप अपनी बात क्यों नहीं रखते ? जब श्री रेड्डी बोल रहे थे तब कोई बीच में नहीं बोल रहा था। आपको उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी और कांग्रेस दल के नेताओं के साथ अध्यक्ष महोदय की एक बैठक हुई थी। उसमें हममें परस्पर यह सहमति हुई थी कि जब वाद-विवाद चल रहा

हो तो किसी को वाद-विवाद में उत्तर देने की अनुमति तो मिले लेकिन भाषण देने की नहीं। हम इस पर राजी थे। (व्यवधान) वह केवल बोल रहे थे। आप बाद में उत्तर दें।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उन्हें अनावश्यक रूप से क्यों भड़का रहे हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : कौन भड़का रहा है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, यद्यपि चुनाव पद्धति की मूल बुराइयां और विकृतियां सर्वविदित हैं, मेरा आरोप है कि कुछ सतही परिवर्तनों के अतिरिक्त इस विधेयक में इस पद्धति में पहले से ही घर कर गई न्यूनताओं और विकृतियों को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यही कारण है कि यह विधेयक हमारी चुनाव पद्धति में कोई गुणात्मक सुधार नहीं लायेगा। हम चुनाव सुधारों को लोगों के प्रजातान्त्रिक अधिकारों को मजबूत करने की दृष्टि से देखते हैं जिससे कि देश में न केवल संसदीय प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हो सकें वरन लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आवाज मिले और चुनाव परिणामों से लोगों के दृष्टिकोण और पसन्द को यथार्थ अभिव्यक्ति मिल सके। मैं यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था कि जब तक हम मतदान सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति नहीं अपनाते, जनभावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं मिल सकेगी।

महोदय, भारतीय चुनाव पद्धति का आधार क्या है? सरकारी प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग का ही मामला लीजिए। हम दूरदर्शन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा तमिलनाडु चुनावों के लिए दूरदर्शन का दुरुपयोग हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : क्या हम दूरदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह प्रधानमंत्री हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : वह कांग्रेस दल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप प्रसार माध्यमों का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनायें रखिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी भी चुनाव से पहले विभिन्न सार्वजनिक कल्याण योजनाएं अपनाने के लिए अत्यधिक वायदे किए जाते हैं। ठीक चुनावों से पहले आधारशिलाएं रखी जाती हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक कल्याणकारी योजना है; आप आपत्ति क्यों करते हैं? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सरकार की आलोचना करना हमारा अधिकार नहीं है ? जिस क्षण वे सरकार की आलोचना करते हैं, वे उठ खड़े होते हैं। आप उन्हें क्यों नहीं बताते (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा तो आप कह सकते हैं। आप अब क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : बाहुबल पर यहां नियन्त्रण करने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता है। हम 'मतदान केन्द्र पर कब्जे' को एक निर्वाचन संबंधी अपराध में शामिल करने का स्वागत करते हैं। परन्तु जैसाकि माधव रेड्डी जी ने कहा है, इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं क्योंकि आप यह करते रहे हैं। जहां ये लोग सत्ता में हैं, वहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा होता रहता है, और, इसलिए उस पर नियंत्रण करने के लिए उनकी कोई राजनैतिक इच्छा नहीं है। यह सब केवल दिखावे के लिए है। चुनाव प्रक्रिया का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, यह हमने पिछले चुनाव में त्रिपुरा में देखा था ; कैसे सेना का उपयोग किया गया, हमने देखा है कि केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कैसे देश की सेना का दुरुपयोग किया गया। हमने देखा है कि त्रिपुरा में वोटों की गिनती में कैसे हस्तक्षेप किया गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहें समय आने पर कहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मजलिसपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सी०पी०एम० का उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया गया था। वहां चुनाव आयोग की अनुमति के बिना ही वोटों की दोबारा गिनती की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे निर्देशों के बिना पुनर्मतागणना की गई है और एक कांग्रेसी को निर्वाचित घोषित किया गया। इस देश में इस तरह से सारी प्रणाली को दूषित किया गया है।

हमने देखा है कि कैसे हत्याएं हुई हैं त्रिपुरा में सेना की उपस्थिति में। वाम पक्ष मोर्चे के मेरे दल के विरुद्ध मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से इन हत्याओं का प्रयोग किया गया था। इस तरह से इस देश में चुनाव प्रणाली को सत्ताधारी पार्टी ने दूषित किया है। पश्चिम बंगाल में श्री बनी खान चौधरी क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान) आनन्द बाजार पत्रिका हमारा समाचार पत्र नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह किसका समाचार-पत्र है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा कि यह हमारा समाचारपत्र है। जो कुछ कहा जा रहा है वह यह है कि उसने लोगों से तोपें, तलवारें और स्टैनगनें उठाने का आह्वान किया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अपने सदस्यों का मार्गदर्शन करने का आपका आश्वासन कहां है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समाचारपत्र आनन्द बाजार पत्रिका से पढ़ रहा हूं। आप इसे पढ़ते हैं। वह कहता है कि कांग्रेस को लोगों को डराने-धमकाने का रास्ता अपनाना है। यह सब श्री गनी खां चौधरी ने कहा है। यह है संसदीय प्रजातन्त्र के प्रति उनकी वचनबद्धता। वे यहां हमें भाषण देते हैं और हम उनके भाषण सुनते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि सभी आलोचना असंसदीय हैं, तो आप इसे ऐसा सदा के लिए एक बार घोषित कर दें।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : हमें भूख लगी है। कृपया दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित कर दीजिए।

श्री टी० बशीर : आप सत्ता के भूखे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने देखा है कि कैसे मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है और समस्त निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है और चुनावों से पहले प्रदर्शन मेले का आयोजन इसे सिद्ध करता है। ऐसा कभी सुना नहीं गया। वे मतदाताओं को रिश्वत देने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री प्रान्तों में जाते हैं और लोगों को अनुदान का वचन देते हैं, जैसाकि पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपये देने का वचन दिया था। प्रधानमंत्री धन के इस तरह के प्रस्ताव से लोगों को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सत्ताधारी पार्टी इस तरह से व्यवहार करती रही है—और वे इस देश में चुनाव सुधारों की बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप इसी तरह करते रहें, तो यह हथियार दोनों तरफ जा सकता है। हमें यहां स्वीकार करना चाहिए कि दोनों पक्षों से सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें उत्तर देने दिए जाना चाहिए। क्या हमसे सरकार की प्रशंसा करने की आशा की जाती है। क्या हम विपक्ष में नहीं हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : आप लोगों को क्यों भड़काने में लगे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम सब विपक्ष में सरकार की प्रशंसा करने के लिए नहीं हैं। सरकार की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चुनाव सुधार व्यापक रूप में लाये जाने चाहिए छोटे रूप में नहीं, जैसाकि अब लाये गए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतदान के लिए आयु कम करना, चुनाव के लिए राज्य द्वारा खर्च किया जाना, वित्तीय शक्ति और बाहुबल शक्ति को खत्म करना, सरकारी तन्त्र, विशेषकर, संचार माध्यमों के दुरुपयोग न करना आदि सुधार के उद्देश्य होने चाहिए और जब तक

प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तो हमारा आरोप है कि निर्वाचन प्रणाली में दोष रहेंगे और कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन सुधारों में से केवल एक चुना है, देश में जनमत के दबाव के कारण मतदान के लिए आयु को कम करना।

जहां तक दूसरे संशोधनों का सम्बन्ध है, जो लाये गए हैं, जो नहीं किया गया है, वह यह है कि चुनाव में पार्टियों द्वारा खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है महोदय, कम्पनी चन्दा पूर्णतया अनियंत्रित रहता है। एक बहुत रुचिकर चीज है। आप पाएंगे कि कम्पनियां चन्दा देती हैं लेकिन तुलन-पत्र में इसका संदर्भ नहीं दिया जाता। फिर वे कहां से आ रहे हैं—मेरा आशय बिना लेखा-जोखा के धन से है। (व्यवधान) एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी व्यवस्था की गई और जिसका हमने विरोध किया है वह राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पुलिसजनों का चुनाव आयोग को प्रतिनियुक्ति पर देना ; उनको चुनाव आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण में रखना। श्री माधव रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि हम उन्हें किसे दे रहे हैं ? क्या हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि चुनाव आयोग तन्त्र और इसका कार्यपालक अभिकरण केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र है ?···(व्यवधान) यद्यपि पहले यह सिफारिश की जा चुकी है कि यह बहु-सदस्यीय निकाय होना चाहिए, यद्यपि हमारे माननीय मंत्री कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत, यह बिना कोई कानून लाये भी आसानी से किया जा सकता है, तब ऐसा क्यों नही किया जाता ? क्या कोई स्पष्टीकरण दिया गया है ? एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

महोदय, जहां तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रश्न है, यह पूर्णतया केन्द्रीय कार्यपालिका पर छोड़ दी गयी है। हमने मांग की है कि देश में चुनाव आयुक्त की चयन एक चयन समिति, जिसमें भारत का प्रमुख न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और एक विपक्षी नेता हो, के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन कैसे वे इस देश में चुनाव प्रणाली को दूषित करनेका प्रयास कर रहे हैं ? हमने यह देखा है। जिस दिन एक सेवानिवृत चुनाव आयुक्त को गुजरात के राज्यपाल का पद दिया गया था, वह दिन भारत के लिए एक दुःखद दिन था। यह चुनाव आयुक्तों को प्रलोभन देने के सिवाय कुछ नहीं जिनको पूर्णतया स्वतन्त्र माना गया है। जब चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात् नौकरियों की चाह में रहेंगे, और वे भी ऐसी जो केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी की दया पर आश्रित होगी, तो आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि लोगों का चुनाव आयुक्तों में विश्वास रहेगा ? तभी तो हमने कहा है कि हम वित्त के शामिल होने के प्रश्न के अतिरिक्त हम इससे सहमत नहीं हो सकते। ऐसा आरोप कहा है कि चुनावों के दौरान किसी राज्य सरकार ने चुनाव कर्मचारियों के काम में हस्तक्षेप किया है ? किसी को स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ; जिनको चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है उनमें से किसी को निलंबित नहीं किया जा सकता ? बिना मान्य कारणों के आप चाहते हैं कि वे केन्द्र में चुनाव आयोग के पूर्णतया मार्गनिर्देशन और नियंत्रण में रहें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी चुनाव आयोग के निर्णयो का पालन करना पड़ता है।

एक अन्य उदाहरण भी है। 1982 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने विधान सभा के चुनावों को रोकना चाहा था। वे न्यायालय गये और अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया रोक दी गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को पूरी तरह सुना। वे आरोप श्री सिद्धार्थ शंकर ने, श्री अजीत कुमार पांजा, श्री भोला नाथ सेन ने लगाए थे और कई अन्य विद्वान वकीलों ने दलीलें दीं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाये थे, कि वे राज्य मे सत्ताधारी दल से प्रभावित थे। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतया उसे अस्वीकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था :

> "यह उल्लेखनीय है कि वादियों में से किसी को भी न तो मतदाता सूची में स्थान से वंचित किया गया है न ही उनमें से किसी के द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को अस्वीकार किया गया है। जैसाकि हमने पहले उल्लेख किया है, उन चार व्यक्तियों, जिन्होंने बहुप्रयोजनी शिकायतें अग्रेसित की थी, में से किसी ने भी इन शिकायतों की पुष्टि में कोई शपथ-पत्र नहीं भरा।"

जबकि न्यायायल को इनके नाम मतदाता सूचियों में मिले थे। अब, मैं जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा, उसे उद्धृत करना चाहता हूं।

मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमें इस आरोप में कोई वास्तविकता नहीं प्रतीत होती कि किसी विशेष राजनैतिक दल से संबंधित परिगणकों की सहायता से निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता सूचियों को तैयार करने में गड़बड़ की है। परिगणनक अधिकतर अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों में से लिए जाते हैं और यह कल्पना करना कठिन है कि आजादी के 35 वर्ष बाद भी वे निष्पक्ष नहीं हैं। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वे एक जैसे ही हैं। रक्षोपय उच्च अधिकारियों की दक्षता और निष्पक्षता में है जिनको मतदान सूचियों के संबंध में लगाये गए आरोपों का निर्णय करना होता है। वह रक्षोपय वर्तमान मामले में असफल हुआ नहीं दिखाया गया है।"

और उन्होंने निर्णय दिया है—समय की बचत के लिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं—कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया है और उन सभी आपत्तियों को जिनकी वजह से इस आधार पर कि मतदान सूची सही तैयार नहीं की गई थीं सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका कोई आधार और उनमें कोई गुण नहीं हैं। अब यह क्या है ? एक तरह से ऐसी धारणा बनाने का प्रयत्न किया गया है मानो राज्य सरकार ने निर्वाचन कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि इसे केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी के नियंत्रणाधीन लाया जाये क्योंकि चुनाव आयोग के कर्मचारी

केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी के नियंत्रणाधीन है। यही कारण हैं कि, उनके माध्यम से वे अब अनुशासनात्मक प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें उस पर कड़ी आपत्ति है। जहां तक मतदान मशीनों का संबंध है। हम इन पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। परन्तु हमें अभी आश्वस्त होना है कि मतदान के समय इन मशीनों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

मतदान मशीन के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य और कारणों के कथन तथा वित्तीय ज्ञापन में यह बताया गया है कि यह मशीन कुछ संवेदनशील क्षेत्रों—लगभग 150 संवेदनशील क्षेत्रों—में प्रयुक्त की जानी है यह क्या बात है? संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए क्या आधार है? संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए चुनाव आयोग के पास क्या दिशानिर्देश हैं? किनके लिए संवेदनशील किस दृष्टि से संवेदनशील? इसीलिए हम यह कह रहे हैं तथा हमने इसके लिए संशोधन दिया है तथा यदि मशीनों द्वारा अवलंबन लिया जाता है तो एक चुनाव में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मशीनें ही प्रयुक्त की जानी चाहिए। यह कार्य टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं हो सकता। यदि लोक सभा चुनावों के लिए ये मशीनें प्रयुक्त की जानी है तब समूचे देश में इन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिए तथा यह मतदान मशीन से शुरू किए जाने के उद्देश्य से किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक उन दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिन्हें पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है, का संबंध है, तो मैं यह दोषारोपण कर रहा हूं कि यह सरकार कमजोरियों और रुग्णताओं को स्थायी बनाने में रुचि रखती है ताकि वह उससे फायदा उठा सके।

जहां तक बाहुबल की बात है, कौन नहीं जानता कि कुछ राज्यों में चुनाव कैसे कराये जाते हैं वहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया जाता है तथा चुनाव के दौरान राजनैतिक और आर्थिक आधार पर विचार किए जाने के बजाय जाति, धर्म, सम्प्रदाय पर विचार किया जाता है। इस कानून में क्या किया जा रहा है? इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देश में यह त्रासदी है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता जो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, शपथ लेते हैं चुनावों से पूर्व धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और फिर उसका प्रचार करते हैं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही वे धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करते हैं। यह प्रावधान कानून में नहीं किया गया है। सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। चुनावों के दौरान धर्म का प्रयोग रोकने से लिए कुछ भी नहीं किया गया है। चुनावों के दौरान जातिगत आधार पर काम करने को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। चुनाव के दौरान बाहुबल प्रयोग को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। और न ही ऐसा कुछ किया गया है जिससे चुनावों के परिणाम में लोगों की इच्छा झलकती हो यह केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व व सूची प्रणाली शुरू करने से ही किया जा सकता है। अतः ये परिवर्तन मात्र सतही हैं और देश के युवा लोगों को प्रभावित करने के प्रयोजन से किए जा रहे हैं, इसके सिवा ये परिवर्तन कुछ नहीं हैं।

जहां तक राजनैतिक दलों के पंजीकरण का संबंध है, यह अचरज की बात है कि जिस बात का कोई प्रयोजन नहीं बताया गया है उसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है। राजनैतिक दलों का पंजीकरण किया जाएगा। लेकिन पंजीकरण का क्या असर होगा यह कहीं नहीं बताया गया है। पंजीकरण न किए जाने का क्या असर होता है, इसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है। अतः हमें नहीं पता कि यदि दलपंजीकृत नहीं होंगे तो क्या परिणाम होंगे? मैंने एक साधारण से संशोधन का सुझाव दिया है जिसे सरकार को तत्परता सेस्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल को तब तक पंजीकृत होने का हक नहीं होगा जब तक वह अपने पदधारियों का हर तीसरे वर्ष चुनाव नहीं करवाता।

हमें कांग्रेस में आन्तरिक दलीय लोकतन्त्र के बारे में बताया गया था। गाडविल महोदय की आन्तरिक दलीय लोकतन्त्र की धारणा है तदर्थवाद, तदर्थ अध्यक्ष, तदर्थ उपाध्यक्ष, तदर्थ समिति तदर्थ मुख्यमन्त्री, तदर्थ मन्त्री प्रत्येक चीज तदर्थ। यह है तदर्थ आन्तरिक लोक तन्त्र।

मैंने किसी भी क्रांतिकारी चीज का प्रस्ताव नहीं किया है। उन सभी राजनैतिक दलों को, जो लोकतन्त्र की बात करते हैं, लोकतन्त्र के लिए मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, कम से कम आन्तरिक दलीय लोक तन्त्र के मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए अब इनका इसमें विश्वास नहीं है। अतः उन्हें मेरे संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। फिर मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पंजीकरण का क्या प्रयोजन है। कृपया वह हमें यह भी बताएं कि पंजीकरण न किए जाने का क्या असर होगा।

कुछ प्रावधान कर दिए जाने मात्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी। चिन्हों के दिए जाने के सम्बन्ध में पंजीकरण का पहले से ही प्रावधान है। वह तो पहले से ही है। चिन्हों के दिए जाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्यता का एक सिद्धांत है।

एक अथवा दो स्वागतयोग्य परिवर्तन किए जा रहे हैं। हमने स्वयं ही उनके लिए कहा था। उदाहरण के लिए मतदान की आयु को घटाना। इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है। हम इसका समर्थन करते हैं।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, वे मात्र सतही हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। इससे उस व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा जिसे कि सत्तारूढ़ दल ने अपने संकीर्ण दलीय राजनैतिक हितों को साधने के लिए प्रदूषित कर दिया है।

अ :: इन विधेयकों के संबंध में हम अपनी शंकाएं व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते।

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी ही एक वरिष्ठ सांसद श्री सोमनाथ जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुना है।

चुनाव सम्बन्धी सुधारों पर विभिन्न स्तरों पर बड़ी सक्रियता पूर्वक चर्चा हो रही है। दोनों

पक्षों के सदस्यों से मेरी एकमात्र अपील यही है कि विचाराधीन विधेयकों पर निरपेक्ष रूप से विचार किया जाए न की किसी राजनैतिक दृष्टिकोण को अपना कर ।

मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि अभी तक एक या दो सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार इस तरह के हैं कि उन्होंने विधेयकों पर पूर्ण रूप से अपने दल के दृष्टिकोण से विचार किया है हम आज जो कानून बना रहे हैं हमारा विचार वर्तमान पीढ़ी के लिए चुनाव सुधारों में आमूलचूल परिवर्तन लाने का नहीं है—वह भावी पीढ़ी के लिए है ।

अतः जो सुधार विचाराधीन हैं वे अति महत्वपूर्ण हैं तथा उन पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । इस संसद में पहले अधिक नहीं, बल्कि कुछ बेहद विद्वान और संसद विद हुआ करते थे । उदाहरण के लिए मैं आचार्य कृपलानी, श्री मावलंकर का नाम ले सकता हूं । मैं निश्चित नहीं हूं कि श्री एच० एन० कुंजरू इस सदन में थे अथवा दूसरे सदन में थे । वे महा पुरुष अब नहीं है । मैं यही जानना चाहता हूं कि—क्योंकि हम चुनाव सम्बन्धी सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं क्या इस सभा में उन महापुरुषों के लिए कोई जगह है । मुझे आचार्य जी और अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ था । यद्यपि उन्होंने सरकार को बड़ी बेदर्दी से आड़े हाथों लिया परन्तु उन्हें सुनने में बड़ा मजा आता था । मैं नहीं कहता कि सारे विख्यात संसद विद आज नहीं रहे हैं । आज भी कुछ हैं, केवल गिने-चुने संसद विद ही है । मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, इससे अनावश्यक विवाद ही बढ़ेगा । मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा में ऐसे प्रसिद्ध और विद्वान महापुरुषों के प्रवेश के लिए एक वातावरण बनाया जाना क्या सम्भव है । मुझे भरोसा है कि कानून मात्र से यह सम्भव नहीं है । यह सभी सम्बद्ध दलों की पूर्ण समझदारी तथा उनके मध्य मेल जोल से ही सम्भव हो सकता है । अतः मैंने सोचा है कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए क्योंकि यह सभा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसकी जनसंख्या आज 80 करोड़ है, की सर्वोच्च संस्था है । कोई भी यह नहीं कह सकता कि इस देश में महापुरुषों, विद्वानों एवं लब्धप्रतिष्ठित संसद विदों की कमी है लेकिन मेरे विचार से आज की पीढ़ी और इस सभा का यह कर्तव्य है वे ऐसे महापुरुषों के इस सदन में प्रवेश के लिए गुंजाइश पैदा करें । मैं दूसरे सदन की बात नहीं कर रहा हूं ।

अब मैं दूसरी बात अर्थात् राजनैतिक दलों की अनेकता के बारे में बोलूंगा । इस सभा में भी कुछ राजनैतिक दल राजनैतिक दलों की अनेकता का स्वागत करते हों लेकिन मेरी विनीत राय यही है कि अनेक राजनैतिक दल किसी लोकतन्त्र और इसके विकास के लिए नुकसानप्रद हैं । मेरे विचार से हमारे देश—बल्कि हमारा देश ही क्यों, अन्य देश जहां पर लोकतन्त्र कई शताब्दियों पुराना है, के लिए हम अधिक से अधिक से अधिक दो-तीन दल देखते हैं । अपने देश के हालातों को देखते हुए, मेरे विचार से हमारे देश में तीन दलों-तीन से अधिक दल नहीं—के लिए ही जगह है । एक हो दक्षिणपंथी

दल, दूसरा हो वामपंथी तथा तीसरा दल हो केन्द्रपंथी। आप इसे केन्द्र का वाम अथवा कुछ भी कह सकते हैं। केवल तीन दल ही होने चाहिएं। अतः जब केवल तीन दलों के लिए ही जगह है तो हमारे देश में बहुत से दल क्यों हैं? जब आवश्यक ही नहीं है तब हम इतने दलों से क्यों निबाहें?

महोदय, मुझे अपने राजनैतिक दलों के नेताओं की प्रवृत्तियों के बारे में कहते हुए खेद होता है। मान लीजिए एक राजनैतिक नेता है। दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से वह किसी जाति विशेष अथवा समुदाय विशेष से सम्बद्ध है और मान लीजिए कि उसके किसी विचार धारा, किसी कार्यक्रम पर अथवा किसी धारणा पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मतभेद हो जाएं तो क्या होगा? दल में वो लोग विभाजन कर देंगे। और वह महाशय जो दल छोड़ता है, अपना स्वयं का दल बना लेता है जैसे अपनी निजी कम्पनी पंजीकृत करा रहा हो। यही कुछ हो रहा है। अतः अनेकों दल हैं। कई बार वे एक जुट होते हैं। कई बार समझ के अभाव में पुनः विभक्त हो जाते हैं तथा परिणाम होता है कि हमारे देश में बहुत से दल हैं। यह हम पर है कि हम आज जो दल है उन्हें खत्म करने अथवा कम से कम करने के लिए गम्भीरता-पूर्वक विचार करें।

मेरे अनुसार, इन्हें समाप्त करने का एक ही मार्ग है—यह दूसरे देशों में भी प्रयोग किया गया है; मैं पहली बार इसका सुझाव नहीं दे रहा हूं—ये राजनैतिक दल, जो अनावश्यक हैं, जो फिजूल हैं, जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बनाए गए हैं इस प्रकार के दलों का लोकतन्त्र में, हमारे सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अतः इन्हें समाप्त करने के लिए मेरा केवल यही सुझाव है कि इस प्रकार के राजनीतिक दलों, जो चुनाव लड़ते हैं तथा डाले गये मतों में से केवल पांच प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त करते हैं, की मान्यता तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिए अथवा पंजीकरण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार के राजनीतिक दलों को उभरने के लिए पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे लिए यह सुनिश्चित करना सम्भव हो सकेगा कि ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या ही कम हो जाए। अंत में हम यह देखने की स्थिति में होंगे कि हमारे देश में केवल दो या अधिक से अधिक तीन ऐसे दल होंगे जो लोकतन्त्र के विकास के लिए बहुत ही अच्छे तथा स्वस्थ होंगे।

जहां तक मतदान की आयु कम किए जाने का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मेरे दल ने पहले ही इसका निर्णय ले लिया है। इसका सभी पक्षों की ओर से स्वागत किया गया है। किन्तु वहां कुछ आशंकाएं हैं। यदि मैं इन आशंकाओं के सम्बन्ध में नहीं बताता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं उन मतदाताओं के संबंध में कहना चाहता हूं जो कुछ समय के बाद मतदाता बनने वाले हैं। मेरे विचार से, वे लगभग 45 मिलियन होंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि हम केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के लिए भी कानून बना रहे हैं जो संविधि का स्थायी कानून बनने जा रहा है। हो सकता है आज ये मतदाता 47 मिलियन हों। मैं नहीं

आनता पांच अथवा दस वर्षों के बाद वे कितने होंगे। मैं बिना किसी विरोध के भय से कह सकता हूं कि आप इन मतदाताओं में से 80-90 प्रतिशत मतदाताओं को स्कूलों तथा कालेजों में पायेंगे। साक्षरता हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है। यह एक अलग मामला है। किन्तु वर्तमान स्थिति यह है। भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है। अतः आप 18 वर्ष के किसी लड़के अथवा लड़के को या तो स्कूल में अथवा कालेज में पायेंगे। अतः इस समय जब वे मतदाता हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक मतदाता से, चाहे वह जहां भी हो सम्पर्क करे। मैं एक उदाहरण दूंगा वर्ष 1960 के दौरान न्यायमूर्ति छागला शिक्षा के इन्चार्ज थे। वे कर्नाटक में आए तथा एक विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय सभा मंच से दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं से शैक्षिक परिसरों से दूर रहने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था : "कृपया आप अपनी सभी गतिविधियां शैक्षिक परिसरों से बाहर रखिए। आप इन शैक्षिक परिसरों में न आइए तथा इन संस्थाओं के वातावरण को दूषित मत करिए जो कि हमारे देश की भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रही हैं।"

अब हमें हाई स्कूल तथा कालेजों में जाना होगा तथा हमें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी तथा हमें इन युवा लड़कों तथा लड़कियों को आकर्षित करना होगा तथा देखना होगा कि वे हमारी पार्टी को वोट दें। अतः राजनीतिक नेता इन शिक्षा संस्थाओं में जायेंगे ही, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जिसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन में व्यवधान पड़ेगा। हाई स्कूल, कालेज तथा अन्य संस्थाएं राजनीति का अखाड़ा बन जाएंगी। यह आशंका है जो मेरे दिमाग में घूम रही है तथा यदि मैं इसे व्यक्त नहीं करता तो मैं अपने कर्त्तव्य में असफल रहूंगा। हमें देखना होगा कि इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, यह केवल उस पार्टी के लिए विचार करने का प्रश्न नहीं है जो सत्ता में है अपितु यह उन पार्टियों के लिए भी विचार करने का प्रश्न है जो या तो इस ओर बैठे हैं अथवा उस पक्ष की ओर बैठे हैं। शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को दूषित होने से बचाना हमारा कर्त्तव्य है।

अब मैं कुछ ओछे तथा अनिच्छुक उम्मीदवारों के बारे में कहूंगा। मेरे विचार से इस प्रकार के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा पार्टी उम्मीदवारों को आज तथा भविष्य में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वे सुविधाएं निर्दलीय उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि चुनाव के समय निर्दलीय उम्मीदवार यह महसूस करते हैं कि यह पैसा कमाने का अच्छा अवसर है। 250 अथवा 500 रु० देकर वे विभिन्न स्थानों में नामांकन भर देते हैं अतः अन्य गम्भीर उम्मीदवार इस सम्बन्ध में चिंतित हो उठते हैं। यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी एक विशेष सम्प्रदाय से संबंध रखता है तथा एक गंभीर उम्मीदवार उसे इससे अलग रखना चाहता है तो भाव-ताव शुरू हो जाता है। मैं ऐसे कई मामले जानता हूं जहां ऐसे उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापिस लेने के लिए पांच दस, पन्द्रह तथा यहां तक की पच्चीस हजार रुपए की भी मांग की थी।

वे इस प्रकार बिना कुछ किए बहुत सा धन कमा लेते हैं तथा वे कहते हैं कि यह धन जो उन्होंने चुनाव के समय कमाया है अगले चुनाव होने तक पर्याप्त है। इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं ब्यौरों में नहीं जाना चाहता ; मेरे पास कुछ सुझाव हैं तथा मैं वे सुझाव देना चाहता हूं।

जैसा कि श्री माधव रेड्डी ने कहा, तथा मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं, यदि एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है, और यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो वे चुनाव भंग नहीं होने चाहिएं। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं ; 1984 में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था तथा नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख के बाद मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा उम्मीदवार था जो अस्पताल में था तथा उसकी हालत बहुत गंभीर थी। मैं प्रतिदिन सुबह चुनाव प्रचार के लिए जाया करता था तथा रात को सोने से पहले डाक्टर प्रभारी से सपर्क करता था तथा यह पता लगाता था कि वह उम्मीदवार बचेगा अथवा नहीं। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो चुनाव भंग हो जायेंगे तथा मुझे बहुत सा धन व्यय करना पड़ेगा, मुझे चार या पांच गुना अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। वह मेरी क्षमता के बाहर होगा। इसलिए पंजाब में एक अध्यादेश जारी किया गया था। मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे मामले की जांच करें। वह अध्यादेश व्ययगत हो गया तथा आज इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि क्या वर्तमान अधिनियम में ही ऐसा कोई उपबन्ध बनाना सम्भव है कि यदि चुनाव के दौरान किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव भंग नहीं किए जाने चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका यह अर्थ हुआ कि यदि किसी पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे उनके चुनाव भंग किए जाने में आपत्ति नहीं हैं किन्तु निर्दलीय उम्मीदवार के संबंध में क्या स्थिति है ? महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता किन्तु माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि यहां तक कि कुछ कैंसर के रोगी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं। चुनाव के समय सबको यह मालूम होता है कि उनके जीवन के अब कम दिन रह गये हैं किन्तु वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। राजनीतिक दल तथा अन्य लोग जो अपने भविष्य के प्रति रुचि रखते हैं वे ही ये सब कार्य करते हैं।

अब जहां तक मत पत्र का सम्बन्ध है, दो वर्ग होने चाहिए। एक वर्ग में राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम से तथा दूसरे वर्ग में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम से होने चाहिए तथा इन्हें पहले वर्ग के बाद लगाना चाहिए इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् इन निर्दलीय उम्मीदवारों को दो से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे केवल अधिक से अधिक दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। आज यह प्रावधान है कि वे 30, 40 तथा 50 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक जमानत जमा कराए जाने का प्रश्न है चूंकि आजकल चुनाव प्रक्रिया काफी मंहगी हो गई है, एक गरीब आदमी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसे जनता का प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त न हो। लोग स्वयं आगे आते हैं, धन देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रबन्ध करते हैं और पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं। किन्तु ऐसे मामले बहुत कम हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीज को हतोत्साहित करने के लिए संसद के चुनावों में यह जमा राशि 20,000 रु० तथा विधान सभा के चुनावों में 10,000 रु० होनी चाहिए तथा यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और उस विशेष चुनाव क्षेत्र से हुए चुनाव में 5 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करता है तो उसे आगामी छः वर्षों के लिए चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि वह अन्य चुनाव भी नहीं लड़ सकता। यह उसके लिए बहुत ही अच्छा दंड होगा तथा इसका हमारी राजनीतिक प्रणाली पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक आयोग गठित किए जाने का प्रश्न है क्या यह एक व्यक्ति आयोग होना चाहिए अथवा बहु संख्यक सदस्य आयोग, इसके लिए पहले ही प्रावधान है। इसका निर्णय लेना सरकार का कार्य है। यदि सरकार यह मानती है कि बहुसंख्यक सदस्य आयोग अधिक सहायक होगा तो वह इस पर विचार कर सकती है। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह जिसे मैं अधिक महत्व देता हूं वह यह है कि चुनाव आयोग के निर्णय, उसके निष्कर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिएं। उनके निर्णय निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रहरहित होने चाहिएं। अतः यह किस प्रकार किया जाना चाहिए, मेरे विचार से यह विस्तार से विचार करने का मामला है।

जहां तक चुनावों में राज्य द्वारा धन दिए जाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार इसके पक्ष में नहीं हैं क्योंकि बहुत सी कठिनाईयां हैं। यह व्यवहार्य नहीं है। मैं राज्य द्वारा चुनावों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की वकालत नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं राजनीतिक दलों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए कुछ सुविधाएं चाहता हूं जैसे मतदाता सूची कम से कम एक दर्जन निःशुल्क दी जानी चाहिएं। इसी प्रकार राजनीतिक दलों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को पोस्टर तथा पैम्फलेट निःशुल्क दिए जाने चाहिएं। डाक सेवा की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। यदि वे अपना साहित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं अथवा वे मतदाताओं से कोई अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें डाक सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अमुक उम्मीदवारों के नाम, चुनाव कब होने जा रहे हैं, उनके उम्मीदवार कौन हैं, चुनाव चिन्ह क्या होगा आदि का विज्ञापन

सरकार के खर्चे पर किया जाना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार को विज्ञापन का खर्चा उठाना चाहिए।

मैं एक दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि प्रचार की अवधि 21 दिन से घटा कर 14 दिन कर दी जानी चाहिए। चुनावों का हमें काफी अनुभव है। मैं यह सब नहीं कहना चाहता किन्तु कुछ उम्मीदवारों के मामले में एक दिन और का मतलब है एक या दो लाख या और राशि का अतिरिक्त व्यय। इसीलिए नाम वापिस लेने के दिन से प्रचार के लिए 14 दिन से अधिक नहीं होने चाहिएं। आज यह 21 दिन है और कभी-कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम वास्तव में इन सबसे हट जाना चाहते हैं क्योंकि सभी हमारी जेबों की ओर देखते हैं पता चले कि हमारे पास कितना धन है। वस्तुतः, उस समय बैग ले जाना ही एक पाप है। इसलिए यह बेहतर है यदि चुनाव यथाशीघ्र समाप्त हों। जब राजनीतिक संगठन चुनाव लड़ते हैं तो यह सम्भव होता है क्योंकि ये संगठन सामान्य लोगों, कार्यकर्त्ताओं आदि की सेवाओं का लाभ उठा कर सभी व्यवस्था कर लेते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक अच्छा सुझाव है। हमें चुनावों से यथाशीघ्र निपट जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अन्त में, मैं पहचानपत्र जारी करने की बात पर आता हूं। अभी-अभी मैंने गाडगिल जी की बात सुनी है और मैं कहूंगा कि मुझे बड़ी निराशा हुई है।

1.55 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उन्होंने विस्तृत हिसाब लगाने की कोशिश की और लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि बनी है। जब मैंने इसे सुना तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं दोबारा कुछ सोचा जा रहा है। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ आज हो रहा है उसके लिए वह पहचान-पत्र आवश्यक है। यदि पहचान पत्र न हो तो हम निर्वाचन में प्रतिरूपण, बोगस मतदान और गड़बड़ी जैसी बुराइयों से लड़ाई नहीं कर सकते। पहचान-पत्र के अभाव में एकमात्र लाभान्वित होने वाले वे दल हैं जो संवर्ग पर आधारित हैं। मैं यह सब आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जब तक हमारे मतदाता मतदान केन्द्र पर पहुंचते हैं मतदान अधिकारी कहते हैं कि इन नामों के व्यक्तियों ने पहले ही मतदान कर दिया है। संवर्ग दल सब व्यवस्था कर लेते हैं। वे मतदाताओं के पास जाकर उन्हें लाते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान एकआध घंटे में, समाप्त हो जाए। अन्ततः, हमारे पास बहुत कम लोग रह जाते हैं, जो शतप्रतिशत हमारे साथ हैं। इस सबका कुल परिणाम यह रहता है कि जिनके संवर्ग नहीं हैं—पहचानपत्र व्यवस्था के अभाव में उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

पाकिस्तान में भी हाल ही में हुए चुनावों में सचित्र पहचानपत्रों पर जोर दिया गया था और ऐसा लगता है कि केवल पहचानपत्र रखने वाले लोगों को ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, जो भी लागत हो सचित्र पहचानपत्र अवश्य होने चाहिएं। यदि हम केवल चुनाव प्रयोजन के लिए पहचानपत्र के बारे में सोच रहे हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि हमें बहुप्रयोजनार्थ पहचानपत्रों के बारे में सोचना चाहिए—जैसे राशनिंग और विभिन्न अन्य प्रयोजन। केवल उन पहचानपत्रधारी मतदाताओं को ही मताधिकार के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे काफी सीमा तक प्रतिरूपण —चुनावों में शराबबाजी आदि समाप्त हो जाएगी। लागत कुछ भी हो, इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। यदि इस सुझाव को मान लिया जाता है तो कभी मतदान पर्ची खो जाने पर हमें पर्ची देने के लिए मतदाताओं के घर बार-बार जाने की जरूरत नहीं है।

इसलिए, ये मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं समझता हूं कि मुक्त तथा न्यायपूर्ण चुनावों के लिए हमें ये प्रावधान करने चाहिएं। कुछ माननीय सदस्यों की इस बात से मैं सहमत हूं कि विधेयक अपर्याप्त है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह विधेयक लोगों और राजनीतिक दलों की शतप्रतिशत आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। किन्तु हम हमेशा एक साथ बैठकर चर्चा करके हल निकाल सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है, मैं नहीं समझता कि केवल इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता सरकार के मन्तव्यों पर सन्देह करें। इसलिए, आरम्भ में मैंने अपील की थी और मैं इस बात को दोहराता हूं कि इस विधेयक पर दल के तरीकों से नहीं अपितु बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए क्योंकि भावी पीढ़ियों का हित बहुत कुछ निर्वाचन संबंधी सुधारों पर निर्भर करता है।

2.00 म० प०

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं, हमारे विधि मंत्री श्री शंकरानन्द जी द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक तथा निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन का समर्थन करता हूं।

भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए नहीं कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी अपितु निश्चय ही इसलिए कुछ ऐसी बातों के लिए जिनके लिए इस देश की निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए पिछले कई वर्षों से विपक्ष तथा शासक दोनों ही दल विचार करते रहे हैं।

सुबह वाद-विवाद चल रहा था और मैं श्री माधव रेड्डी और विपक्ष के विद्वान सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषणों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनता रहा कि इस विधेयक को लाने का श्रेय किसको मिलना चाहिए। मैं समझता हूं यह बहुत छोटी बात होगी कि आप इस ढंग से यह चर्चा करें कि श्रेय

किसे मिलेगा। हमें देश के बारे में, युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में और देश के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना चाहिए। और एक उत्तरदायी सरकार के रूप में सरकार इसके प्रति उत्तरदायी है।

श्रीमान्, अब हम पं० जवाहरलाल नेहरू की जन्मशताब्दी मना रहे हैं। हम आचार्य कृपलानी, शरद बोस—प्रसिद्ध सांसद और अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने भारत की जनता की आकांक्षाओं से स्वयं को एकाकार कर लिया था और जो राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के आरम्भ में युवाओं की आकांक्षाओं के प्रतीक थे, की जन्मशती मना रहे हैं यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान की आयु कम की जा रही है। यदि मैं इसे दोहरा दूं तो यह बंगाल के शहीद—खुदीराम बोस, जो 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़े और श्री प्रफुल्ल चाकी—की भी शताब्दी है। यह एक प्रकार से युवा शक्ति और छात्र शक्ति को सलामी देना है जिसने ब्रिटिश दासता से देश की आजादी के लिए लड़ाई की। आजादी के बाद उन्होंने नया भारत बनाने के लिए भी संघर्ष किया।

श्रीमान, यह प्रश्न उठाया गया है कि यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया? मैंने कम से कम एक सप्ताह संविधान सभा का वाद-विवाद पढ़ा। उस समय संविधान सभा के सदस्यों का क्या विचार था? उस समय अनुच्छेद 289(ख) में एक उपबंध किया गया जिसके लिए शायद ही कोई वाद-विवाद हुआ हो। वह आयु के सम्बन्ध में था कि इसे 21 वर्ष तक क्यों रखा गया 18 वर्ष क्यों नहीं किया गया? सम्भवतः इसलिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का यह विचार था। उन्होंने सोचा कि देश की आजादी के बाद वे भारत को इसका संविधान देंगे और उसके बाद परिपक्व मतदाता। उन्होंने युवकों को एक नई दिशा देनी चाही क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले वे ब्रिटिश लोगों से लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने चाहा कि इस देश के सपने पूरे हों। सम्भवतः उस समय, आयु सीमा घटाने को उतना महत्व नहीं दिया गया। किन्तु निश्चय ही पंडित नेहरू ने भारतीय छात्रों को महत्व दिया था। उस समय सक्रिय छात्र संघों की गतिविधियों को वैध घोषित किया गया और छात्र अधिनियम कई भागों में पास किया गया था और संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में छात्रों का वास्तविक प्रशिक्षण विद्यार्थी जीवन में ही आरम्भ हो जाता था। हमें छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला। हमें कई कार्यक्रमों में काम करने तथा उन्हें चलाने का अवसर मिला तथा इसका अवसर भी मिला कि कैसे देश का संसदीय जनतंत्र चलाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से छात्र और युवा शक्ति को चुनावों की पूरी प्रक्रिया में, किसी उम्मीदवार या दल के लिए काम करने या दल या किसी उम्मीदवार के बचाव के लिए कार्य करने के अलावा उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला? किन्तु अब, परसों के बाद जब यह विधेयक पारित हो जाएगा भारत के उस आयु वर्ग के युवा लोगों को मतदान का ही नहीं बल्कि अपने सपनों का भारत बनाने का भी अधिकार मिलेगा। यह कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। यह एक बड़ी बात है, इस सभा में यह एक नया बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि पंडित नेहरू के शताब्दी समारोह के दौरान भारतीय युवाओं पर विश्वास किया जा रहा है और वह भी जब एक युवा व्यक्ति प्रधानमंत्री है।

प्रश्न यह नहीं है कि कांग्रेस के पैर मजबूत हो रहे हैं या विपक्ष के पैर पक्के हो रहे हैं। हमें इस मामले पर—उस संदर्भ में सोचना होगा जिसके बारे में मैंने यह बात की है। प्रश्न यह है कि ऐसा विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया ? विपक्ष के मित्र बैठे हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो, 1977 में जब जनता सरकार सत्ता में आयी, उनके सत्ता में आने के पीछे था जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व – जिनका तत्कालीन कांग्रेस सरकार से लड़ने का मुख्य साधन थी छात्र शक्ति, छात्र संघर्ष समिति की शक्ति और युवा संघर्ष समिति या गुजरात मे नव निर्माण आन्दोलन। यह गुजरात की छात्र शक्ति है जो चिमनभाई पटेल, जो अब दुर्भाग्य या सौभाग्य से उस राज्य की जनता पार्टी के नेता हैं, की सरकार को गिरा सकी। और बिहार की यह छात्र शक्ति है और युवा शक्ति है जिसने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दोलन आरम्भ करने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण का सपना क्या था ? उनका सपना था अन्ततः पूर्ण क्रांति लाना और उन्होंने लोकतन्त्र में सुधार लाना, दलबदल को रोकना और संविधान में काम के अधिकार, युवाओं के लिए मतदान के अधिकार आदि जैसे और अधिकारों का प्रावधान करना चाहा।

मैं विपक्ष के नेताओं से पूछता हूं : जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो आपकी समझ कहां थी ? जयप्रकाश अपने अन्तिम दिन व्यतीत कर रहे थे और वे बड़े दुःख के साथ मृत्युगत हुए कि जिस दल को वे सत्ता में लाए उसने उन्हें धोखा दिया। आपने उस महान् छात्र शक्ति, जिसने मोरार जी की सरकार का समर्थन किया का प्रतिदान कैसे किया? मैं आपको एक घटना का संदर्भ दे रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी संसदीय लोकतन्त्र कार्य कर रहा है भारत हमेशा पूरे विश्व के लोगों के साथ रहा, जहां यह नहीं है हमने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि यह ऐसा नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री के रूप में मोरार जी इस तरफ बैठे थे और हम उस तरफ। उस समय पाकिस्तान के लोगों के नेता कानूनी तौर से निर्वाचित जुल्फीकार अली भुट्टो थे। जब उन्हें फांसी दी गई इस मंच से सरकार ने उस घटना के प्रति कोई चिन्ता भी व्यक्त नहीं की कि पाकिस्तान में संसदीय लोकतन्त्र समाप्त किया जा रहा था और कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक जीवन समाप्त हो गया था और यह कि वहां पर सेना सड़कों पर आ गयी थी। उन्होंने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की।

जयप्रकाश नारायण हमारे देश के युवाओं को सहायता देने का प्रयास कर रहे थे। किन्तु जनता पार्टी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक जीवन को सुधारने के लिए कोई दलबदलाव विरोधी विधेयक नहीं लायी।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी ही दलबदल विरोधी विधेयक लाये थे उस समय आपने क्या किया ? आप कहां थे ? आप आसानी से यह संशोधन ला सकते थे। जनता आपका समर्थन करती, जनता जनता सरकार का स्वागत करती यदि वह बल बदल विरोधी विधेयक लाती। आप भी कह सकते थे "हम युवाओं को 18 वर्ष की आयु में चुनावों में भाग लेने योग्य बनाने के लिये उन्हें अधिकार दे रहे हैं।"

किन्तु आज लोग यही देखने में व्यस्त थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथ मिलेगी याकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा। आप इसी बात को लेकर हैरत अंगेज थे कि क्या श्री राज नारायण हिन्दी पर दृढ़ रहेंगे अथवा हिन्दी विरोधी हो जायेंगे। आप सभी इस प्रकार से व्यस्त थे। आपने देश को युवाओं के हितों के विरुद्ध ले जाने की कोशिश की। आपने युवाओं का छात्र संघर्ष समिति के नाम से शोषण किया। आपने बिहार में उन्हें नवनिर्माण आन्दोलन के नाम से शोषित किया। आपने उन्हें वचन दिया, किन्तु सत्ता में आने पर उनसे दगाबाजी की। इसीलिये आपने युवाओं की बात कहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। किन्तु आप युवाओं का शोषण करने के अधिकार का तो प्रयोग करते हैं। आप कई अवसरों पर युवाओं का हित साधन कर सकते थे। तो अब इन सब बातों के कहने के मायने ही क्या हैं। यदि आप इन बातों पर सोचें तो आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने युवावर्ग से विश्वासघात किया है। यदि जय प्रकाश जी आज जीवित होते, तो संभवतः वह कांग्रेस के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों से सहमत न होते, किन्तु एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के तौर पर वे कहते मेरे स्वप्न की आंशिक पूर्ति राजीव गांधी की सरकार ने कर दी है मेरे उन दोस्तों ने नहीं, जिन्हें मैं सत्ता में लाया था। यह इतिहास है (व्यवधान)

वर्तमान निर्णय किसी समूह अथवा गुट का निर्णय नहीं है। किन्तु आप आसानी से यह संशोधन कर सकते थे। मैं इस विषय पर गैर-सरकारी विधेयक लाने के लिये श्री सत्यगोपाल मिश्र का धन्यवाद करता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसका उल्लेख किया था। मैं श्री मिश्र का धन्यवाद करता हूं मैं उन्हें बधाई देता हूं, किन्तु संसदीय व्यवस्था में हम व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि अनेक सदस्य विधेयक और प्रस्ताव पुरःस्थापित करते हैं और नोटिस देते हैं। किन्तु एक बात ऐसी है जिसे संसदीय भाग्य, अर्थात मत पत्र का भाग्य कहते हैं जो भी विधेयक मतविभाजन से गुजरता है, उसे देने वाले का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिनके विधेयक मतपत्रों के माध्यम से नहीं आये हैं, वे इस सिद्धांत के विरुद्ध हैं, संक्षेप में यही प्रथा है।

फिर भी मैं इसे लाने के लिये सत्यगोपाल मिश्र का अभिनन्दन करता हूं। मैं भारतीय छात्र संघ युवा कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इण्डिया, जो कई वर्षों से इस प्रावधान को संविधान में शामिल करने के लिये संघर्ष करते रहे हैं, को बधाई देता हूं। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं स्टूडेन्ट्स फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल गलियों में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ की बात कर रहा हूं जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सम्बोधित किया था। आज भी वे राष्ट्रवाद की परिकल्पना की बातें करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपने आम तरीके से हमारे सम्पूर्ण चुनाव-सुधारों का मजाक उड़ाया है कि ये इस प्रकार किये गये हैं कि इनसे एक राजनीतिक दल विशेष के ही हित साधन होंगे और इसी प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं मैं समझता हूं कि श्री सोमनाथ जी ने इन सभी मामलों के बारे में बहुत उत्साह, साहस और आत्म विश्वासपूर्वक कहा, उन्होंने चुनावों की पवित्रता और इन सभी बातों

पर कहा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को उद्धृत किया, मेरे राज्य बंगाल में क्या हुआ वह बताया। और मैं उनसे केवल यही अपील करूंगा यदि मैं गलती पर हूं, तो निस्सन्देह मुझे रोक सकते हैं। यदि कांग्रेस दोबारोपण करती है, तो आप निस्सन्देह उसमें दोष ढूंढ सकते हैं। यह सच नहीं है कि राज्य में आपकी अपनी सरकार में, फारवार्ड ब्लाक और आर०एस०पी० के दो जिम्मेदार मंत्रियों ने पंचायत चुनावों के अवसर पर यह सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि आपके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, पुलिस और पार्टी की सांठ-गांठ से राज्य में चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकते ? क्या मैंगलत कह रहा हूं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने चुनाव के बाद क्या कहा था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : ऐसा मत कहो। उन्होंने चुनाव के बाद कुछ नहीं कहा था। बताइये उन्होंने चुनाव से पहले क्या कहा था। मैं यह प्रश्न कर रहा हूं, फारवार्ड ब्लाक के मंत्री श्री कमल गुहा और आर०एस०पी० के मंत्री श्री देवव्रत बसु ने ही जनता से अपील की थी—श्री अमर रायप्रधान सभा में बैठे हैं। यदि उन्होंने नहीं कहा है, तो वे मुझसे पूछें और बतायें कि कूच बिहार में जब फारवार्ड ब्लाक था, तो क्या हुआ था वहां—वे कहते थे कि कोई चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से नहीं कराये जा सकते।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या आपने श्री नारायण चौबे का जिक्र किया ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं कई नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। चुनाव कैसे कराया गया ? मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, मैं साधिकार करता हूं मैं अपनी सीट और सरकार से एक साथ इस्तीफा दे दूंगा। केवल छः महीने पहले यह हुआ

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : एक बार आपने यह कहा था और श्री उन्निकृष्णन मुसीबत में पड़ गये थे

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे पहले ही विशेषाधिकार के मामले में त्यागपत्र देने वाले हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : श्री जयपाल रेड्डी, मैं विशेषाधिकार के और भी कई मामले स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं नहीं डरता। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस हिस्से में व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जब चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, नामों का पुनरीक्षण हुआ, तो किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया गया। कुछ नहीं होता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उच्चतम न्यायालय का निर्णय उद्धृत किया था ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हां, आपने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उद्धृत किया था । यह निर्णय संभवत: सात अथवा आठ याचिकाओं पर दिया था । छ: महीने पहले पुनरीक्षण चल रहा था, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, जबकि पुनरीक्षण किया जा रहा था, एस०डी०ओ० को तार से आदेश जारी कर स्थानान्तरण कर दिया गया और कार्य करने के लिये एक नये एस०डी०ओ० को लाया गया । मैंने बार-बार उस चुनाव अधिकारी को बताया । उसने मुझे बताया "मुझे खेद है, मैं नहीं कर सकता ।" ऐसा कभी नहीं हुआ । यह बार-बार हुआ और जबाव निर्वाचन आयोग के पास है । मैं निर्वाचन आयोग को दोष नहीं दे सकता । वे क्या कर सकते हैं । उसे सरकारी अधिकारियों की मांग पर निर्भर करना पड़ता है । संतिष्त बात यह है कि आज वहां स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं । यह किसी पार्टी, कांग्रेस अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रश्न नहीं है । हो सकता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अन्य राज्यों में अभी भी वैसी ही हो । चुनाव के दिन पुलिस अधीक्षक राज्य गृह मंत्री के निर्देशों का पालन करेगा अथवा निर्वाचन आयोग का, प्रश्न यही है । यह सटीक प्रश्न है । यदि पुलिस अधीक्षण को यह लगता है कि मतदान में गड़बड़ी हो रही है और मुख्यमंत्री, कांग्रेस का हो अथवा गैर कांग्रेसी सरकार का, अथवा गृह मंत्री अथवा मुख्य सचिव उसे निर्देश देता है और कहता है, "जल्दी मत करो" वह जल्दी नहीं करेगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह जल्दी क्यों नहीं करेगा ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वह नहीं करता । सूलतान सिंह के मामले में क्या हुआ ? मैं मख्यमंत्री ज्योति बसु का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद चुनाव के बाद ओ०सी० का स्थानान्तरण कर दिया । उन्होंने सीधे ही कहा था "हम सहायता नहीं कर सकते ।"

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं कांग्रेस के लोगों से अपील नहीं करूंगा । मैं विपक्ष के सदस्य प्रो० मधु दण्डवते से ही अपील करूंगा । वे जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा । उन्हें बंगाल के चार जिलों का दौरा करने दीजिए और जनता से पूछ ने दीजिए कि पिछले तीन वर्षों में चुनाव कैसे कराये गये ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह करूंगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : शियोल में हुए ओलिम्पिक खेलों में यह प्रावधान था कि ओलिम्पिक परिषद किसी खिलाडी के नशे में पाये जाने पर उसकी जांच कर सकती है यदि वह उत्तेजक पदार्थ लेने का अभ्यस्त है, तो उसके पदक उतारे जा सकते है और बेन जानसन को पदक विहीन कर दिया गया ; पदक जीतने के दूसरे ही दिन उसका पदक उतार दिया गया ।

यदि ऐसा कोई कमीशन होता जो यह समझता कि ये बातें कैसे हुईं, तो पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार इसी बात पर कि चुनाव कैसे कराये गये, सत्ता से हटा दी गई होती। मेरा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है—मैं मधु दण्डवते जी की बात को स्वीकार करूंगा···

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे पश्चिम बंगाल में धारा 356 लागने की मांग कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं पूछूंगा क्या संविधान के प्रावधान लोकतन्त्र विरोधी, या जन विरोधी हैं ? क्या अनुच्छेद 356 संविधान से बाहर है ? (व्यवधान) इसी सभा में माननीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने पंजाब सरकार को भंग किये जाने की घोषणा करते हुये यह वक्तव्य दिया था कि पंजाब सरकार का एक मंत्री विशेष अथवा कोई और सशस्त्र आतंकवादियों से साठगांठ कर रहा है और सरकार भंग करने का एक कारण यह भी है। इसी प्रकार मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं कि यदि कोई विधि सम्मत सरकार पुलिस बैरकों से सैल्फ लोडिंग राइफले, एस०एल०आर० और पुलिस की स्टेनगनें पार्टी के कार्यकर्ताओं को शक्ति का मुकाबला करने के लिये खुले आम देती है···

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इसे साधिकार कह रहा हूं। दार्जलिंग में ऐसा हुआ। मैं कहता हूं कि यदि यह गलत-गलत पाया जाए तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से हथियार बरामद किये गये थे ···(व्यवधान) और मन्त्री ने उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा था कि हां उन्होंने बरामद किया था। इसलिए इस मसले पर बात न ही करें। हमें अपने आप को इसी तक सीमित रखना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : आपके अध्यक्ष गनी खां चौधरी खुले आम क्या कह रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं जानता हूं कि आपको उनसे क्यों चिढ़ है।

श्री वसुदेव आचार्य : गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को किसने हथियार दिये थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया विधेयक पर ही बोलिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का महत्वपूर्ण उपबन्ध राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्रित्व-काल में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद की अवधारणा सन्निहित की गई थी तब लगभग पूरे विपक्ष ने उसे स्वीकार किया था। हमें स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए। इस उपबन्ध से किसे परेशानी होगी ? इस उपबन्ध में कहा गया है कि साम्प्रदायिक तत्व, भ्रष्ट तत्व और ऐसे ही दूसरे लोग चुनाव में

भाग न ले सके। मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं है। मैं चुनावों में शायद ही बंगाल के बाहर गया होऊंगा। लेकिन मैं इलाहाबाद के चुनावों में मौजूद था। 1977 में जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव लड़ा गया था। यदि हम ईमानदारी और निष्पक्षता से मूल्यांकन करें, यहां तक कि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी भी मेरे मूल्यांकन से सहमत होगी, तो मौलाना बुखारी ने 1977 में चुनाव प्रचार में भाग लिया था। हाजी मस्तान ने इलाहाबाद में चुनाव प्रचार किया था। ऐसे सभी चुनाव प्रचारों को कांग्रेस द्वारा नहीं अपितु विपक्ष द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : अरूण गोविल के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अरूण गोविल एक सिने अभिनेता था। राजबब्बर भी एक सिने अभिनेता था। अन्तर केवल यह है कि एक ऐसा अभिनय करता है जो लोगों द्वारा पसन्द किया जाता है तो दूसरा एक ऐसी महान अभिनेत्री का पति है जिसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई और जिसकी जांच होनी शेष है।

राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की अवधारणा और कुछ नहीं संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के प्रति पूर्ण वचनबद्धता की अभिव्यक्ति है। इस समय हम कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शरत बोस की शताब्दियों की बात करते हैं। विपक्ष अथवा सत्तारूढ़ दल से कोई भी इन महान नेताओं की समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के प्रति वचनबद्धता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगायेगा। यदि ऐसा है तो इस महान अवसर पर जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जब सभी राजनैतिक दल संविधान की प्रस्तावना की समग्र अवधारणा अर्थात् धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति वचनबद्ध हैं तब यदि श्री माधव रेड्डी कहते हैं कि वे इसका विरोध करते हैं तो इसका सीधा-सा अर्थ यह होगा कि वे उस समग्र अवधारणा का ही विरोध करते हैं। यह श्री माधव रेड्डी नहीं हैं जो ऐसा कहते हैं क्योंकि वे तो पुरानी कांग्रेसी संस्कृति के नेता हैं। वस्तुतः वे ऐसा कहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि तेलगू देशम, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो तेलगू देशम के लोग भला ऐसा कैसे कर सकते हैं ? हमें मालूम है कि समाजवाद की अवधारणा से बहुतों को चोट पहुंचेगी। हमें मालूम है कि उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। जो इस अवधारणा में विश्वास करते हैं उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन नहीं होगा। वामपंथी दल इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वे इस अवधारणा को पसन्द करते हैं उसमें विश्वास करते हैं। हालांकि वे व्यवहार में इसका पालन करते हैं या नहीं वह अलग चीज है। लेकिन वे इस पर विश्वास जताते हैं। वे विधेयक का समर्थन करेंगे और अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करायेंगे। केवल वे कुछ दक्षिणपंथी दल जो हर्शमैन और खसोगी के विचारों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसाकि भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, उनके लिए इसको स्वीकार कर पाना कठिन होगा।

अतएव इस विधेयक से इस देश के निर्धन लोगों को उस पार्टी को जानने का मौका मिलेगा,

जिसको वे वोट देंगे और जिसकी बात सुनेंगे, जो भारत के संविधान में निहित देश के प्रति मूल कर्तव्यों के लिए अपने निष्पक्ष घोषणापत्र और ज्ञापन के प्रति वचनबद्ध होंगी। अतः रजिस्ट्रेशन की यह अवधारणा सभी राजनैतिक दलों को एक समान उद्देश्य के लिए सूत्रबद्ध करने हेतु एक क्रांतिकारी कदम है। यद्यपि मैं विपक्ष की समस्या जानता हूं क्योंकि इससे इस अर्थ में विपक्ष की एकता में बाधा पहुंचेगी कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता दे रखी है जिससे आराफात की स्थिति सशक्त हुई, लेकिन इससे विपक्ष में बहुतों को चोट पहुंची जिन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार की एक काली रात में मोशे दयान को गुप्त रूप से दिल्ली लाने का प्रयास किया था। अतः वे सोचते हैं कि यदि किसी प्रकार वे सत्ता में आ गये तो, उनका क्या होगा? हम जानते हैं कि किसने योजना—अवधारणा की हत्या करने का प्रयास किया और कौन रोलिंग-प्लान लाया। हम यह सब जानते हैं। यही कारण है कि तथाकथित एकता की अवधारणा नहीं उत्पन्न हो रही है। प्रत्येक दिन कभी यह विचार और कभी वह विचार उभरता है क्योंकि संविधान के मूल विषय और भावना अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के बारे में अभी भी उनके विचार भिन्न हैं।

मैं दो अन्य बातें कह कर समाप्त करूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल ही बड़े व्यापारिक घरानों आदि से दान, अनुदान पाने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। श्री सोमनाथ चटर्जी को याद होगा कि जिस समय श्री ज्योतिमय बसु उनके नेता थे मैंने स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को श्री बी० एम० बिरला और श्री बी० के० बिरला से प्राप्त धन-राशि की रसीदें पटल पर रखी थीं। उस समय मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पार्टी कोष के लिए बिरला घराने से इकट्ठा किए गए धन के सम्बन्ध में रसीदें प्रस्तुत की थीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको रसीदें किसने दी थीं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हां, मैंने रसीदें प्रस्तुत की थी। वह अत्यन्त मजेदार रसीद थी। रसीद में धनराशि के बारे में नहीं बताया गया था। मैंने रसीद की व्याख्या की थी—बी०एम०बी० और एक बड़ा अन्तराल और फिर प्रश्नसूचक चिह्न। अधपन्ना पार्टी द्वारा रख लिया गया था। मैं विपक्ष में था। मार्क्सवादी पार्टी की विशेषता यह है कि वह निजी अलग-अलग कम्पनियों से छोटी धनराशि स्वीकार नहीं करती है। उनका विश्वास है कि कलकत्ता, अलीपुर में खजाने को लूट जाने दो लेकिन कोई जांच न हो। ब्रिटिश जनों और भारतीय एकाधिकार की ट्राम कम्पनी को सरकारी खजाने द्वारा निर्धारित समानुपातिक राशि पाने दो। गैस टरबाइन विदेश से बिना निविदा के मंगाये जाते हैं और इस तरीके से धन एकत्र किया जाता है। वे समझते हैं कि अलग-अलग लोगों अथवा कम्पनियों से धन एकत्र करने की अपेक्षा यह तरीका कहीं अधिक आसान है। मैं कहता हूं कि उनकी व्यवस्था में यह तरीका एक नई पद्धति है—धनएकत्रण की आधुनिक पद्धति। यह उच्च-तकनीकी धन वसूली है। अतएव, मैं प्रधानमंत्री की इस अवधारणा, उत्साह और प्रज्ञा को नमन करते हुए दोनों संविधान संशोधन विधेयकों का समर्थन करता हूं, जो प्रतीक हैं··· (व्यवधान) जी हां, वे प्रतीक हैं···

कृपया आप सुनें। आपने 1950 तक स्वतन्त्रता आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, आपने 1952 तक संसदीय पद्धति का समर्थन नहीं किया था, आपने 1971 तक भारत-सोवियत संधि का समर्थन नहीं किया था और आपने 1962 के भारतीय संकट में भी समर्थन नहीं दिया था।

अत: कांग्रेस आज जो कहती है मार्क्सवादी उसे कल कहेंगे। इस देश में उनकी यही प्रथा है···(व्यवधान)। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह अच्छी बात है कि आप संसद में हैं। अध्यक्ष महोदय यह वही पार्टी है जिसने यह घोषणा पत्र अपनाया था कि संविधान के उलटने के लिए हमें प्रजातंत्र में ही रहना होगा। यह उनकी अवधारणा थी न कि लोगों की और वे अब भी उस अवधारणा से जुड़े हैं। वस्तु मार्क्सवादी, जिनकी सी० पी० आई० (एम०) कही जाने वाली पार्टी 1963 अथवा 1964 में जन्मी थी, से हमें यह नहीं सीखना है कि संसदीय प्रजातंत्र क्या है, हमें उनसे यह नहीं सीखना है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना क्या होता है, अपितु हमें उनसे यह सीखना चाहिए कि जाली मतदान क्या है, उच्च तकनीक धन वसूली क्या है···। (व्यवधान)। आप अपने रिकार्ड पर दृष्टि डालिए···(व्यवधान) सभापति महोदय, श्रीमान् भ्रष्टाचार या किसी बात के लिए मैंने मार्क्सवादी पार्टी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं, वे सब भूतपूर्व आर० एस० पी० मंत्री द्वारा लगाए गए हैं कि वे कितने भ्रष्ट हैं, कितने बुरे हैं, राज्य में वे किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूरे मामले पर दुबारा विचार करने और पूरे मन से संविधान के संशोधनों और निर्वाचन सुधार अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने और उसे मानने का अनुरोध करूंगा ताकि इस देश के युवा लोग महसूस करें कि वे मिथ्याचारी नहीं हैं वे लोचक नहीं हैं जो बाहर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और सभा में कुछ कह रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : सभापति महोदय, श्रीमान् अब मैं विधेयक पर चर्चा करूंगा। पिछले 16: वर्षों से इस सभा में निर्वाचन सुधार संबंधी बहस में भाग लेने के अलावा मैंने कम से कम पांच-छ बार निर्वाचन सुधार संबंधी चर्चा आरम्भ की। बहस आरम्भ करने वाला व्यक्ति वही था केवल उत्तर देने वाला व्यक्ति बदलता रहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उत्तर देने के दौरान भी उसे बदला जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : हर बार मुझे संबंधित मंत्री से बहुत अच्छा उत्तर मिला कि मामला विचाराधीन है। मामला सक्रिय विचाराधीन है और अन्ततः प्रधानमंत्री ने मुझे उत्तर दिया कि मामला एक मंत्री मंडलीय उपसमिति पर छोड़ दिया गया है।

सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जहां तक 18 वर्ष की सीमा का प्रश्न है मैं नहीं समझता किसी तरह का कोई विवाद होगा किन्तु जहां तक दूसरे विधेयक का संबंध है, वस्तुत: विधेयक की व्यापकता ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम चुनावों में आधारभूत सुधारों की मांग कर रहे हैं।

सब कुछ व्यक्ति विधि तथा व्यवस्था से प्रभावित होकर सरकार के पास जाकर मांग करता है कि डकैती और लूटपाट को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए और यदि सरकार केवल जेबकतरों को रोकने के तरीके सामने लाती है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, किन्तु कहा जा सकता है कि हम लूटपाट और निर्दोहबाजी को रोकने की मांग कर रहे है और आप केवल जेबकतरी को रोकने के उपायों के द्वारा समस्या का काम चला रहे हैं। इसलिए वह एक मूलभूत समस्या है, उन्होंने सतही मामले उठाये हैं। यहां, मैं नए विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि पिछले कई वर्षों से इतना साहित्य उपलब्ध है, विपक्ष और आपकी सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा आपको इतना साहित्य दिया गया है कि महत्वपूर्ण सामग्री के आधार पर हमने ऐसे किसी विधेयक की आशा नहीं की कि जो केवल लीपापोती हो, किन्तु ऐसे विधेयक की आशा की थी जो चुनाव संबंधी सुधारों की समस्या के मूल से संबंध रखता हो। महोदय, दल परिवर्तन संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष श्री वाई० बी० चव्हाण थे और हैरानी की बात है कि बाद में उन्होंने स्वयं दलबदल की रिपोर्ट से लेकर चुनाव संबंधी कानून के प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित रिपोर्टों, स्व० श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा संस्थापित चुनाव संबंधी सुधारों पर तारकुण्डे समिति की रिपोर्ट, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शकधर द्वारा दिए गए सुझावों और उनके अपने अनुरोध पर विपक्षी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए सुझाव और चुनाव संबंधी सुधारों के विशेषज्ञों, श्री शकरानंद को दिए गए सुझाव और विपक्षी दलों द्वारा दिए गए सुझावों से यह आशा की गई थी कि आप कई मामलों जिनके बारे में कांग्रेस तथा विपक्ष भी सहमत है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी स्वीकार कर लिया है और हमने आशा की थी कि ऐसे भारी भरकम सामग्री के आधार पर आप एक अधिक व्यापक विधेयक लाएंगे। आरम्भ में मैं केवल एक अनुरोध करूंगा और अनुरोध यह है कि इस विधेयक को स्वीकार करने के बाद चुनावों संबंधी सुधारों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक बाद में लाने के प्रयासों को न छोड़ें जिसके प्रति आपको इस सभा में भारी सहमति मिलेगी और जब तक आप मूलभूत समस्याओं को नहीं छू पाते और आप केवल सतही समस्याओं को न देखें आप सही परिणाम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

जहां तक 18 वर्ष की आयु का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं सभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। विभिन्न युवा संगठन, जो कांग्रेस और विपक्ष से संबंध रखते हैं सभी कह रहे थे कि इस देश के युवाओं पर थोड़ा और अधिक विश्वास किया जाना चाहिए और इसलिए इस देश में 10 राज्य— पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और अन्य राज्य और निश्चय ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने पहले ही स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान की 18 वर्ष की सीमा शुरू कर दी है। उन्हें विधान सभा तथा लोक सभा के चुनावों के मामले में अधिकार नहीं था। ऐसे पहले ही हो गया था और यहां एक शोरशराबा हुआ था।

मैं प्रसन्न हूं कि अन्ततः काफी समय के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है और इसके प्रति

कोई विवाद नहीं है । इसलिए मैं नहीं समझता कि यह सभा इस मामले में विभक्त मत वाली होगी । वयोवृद्ध लोग भी स्वीकार करेंगे कि युवाओं को वोट मिलना चाहिए और इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है । यद्यपि हम युवा नहीं हैं, कम से कम हम भूतपूर्व युवा है और उनके लिए हमारे मन में सम्मान है और जहां तक 18 वर्ष के युवाओं के लिए मतदान का प्रश्न है, कोई मतभेद नहीं होगा ।

अब मैं आरम्भ में ही यह कहना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उसे नोट करेंगे । वह भी डा अम्बेडकर से जुड़ी थी डा० अम्बेडकर से जुड़ी जिन शैक्षिक संस्थाओं से हम सम्बद्ध थे । उनसे सम्बद्ध होने के कारण वे हमारे एक पुराने मित्र हैं । श्री गाडगिल ने बताया कि डा० अम्बेडकर ने मतदान का अधिकार दिया और शंकरानंद युवाओं को मतदान का अधिकार दे रहे हैं श्री शंकरानंद, मैं आपको उलझन में डाल रहा हूं । मैं कहूंगा कि यहीं मत झुक जाइए । डा० अम्बेडकर ने जो कुछ संविधान सभा में कहा उसको एक बार फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए और आप देखें कि संविधान सभा में उन्होंने कई चेतावनियां और संकेत दिए हैं, जिसको आज आपने नोट नहीं किया । किन्तु मुझे विश्वास है कि कम से कम श्री शंकरानंद अब इसे नोट करेंगे । श्रीमान् हमने इस विधेयक, जो एक सारहीन विधेयक है, में कई मामले मिलते हैं जिन्हें पहले ही निकाल लिया गया है जिनके बारे में हमने ठोस सुझाव दिए हैं । चुनावों के लिए राज्य द्वारा निधि देने के सम्बन्ध में मैं बाद में बात करूंगा । प्राप्त वोटों और जीती गई सीटों के बीच में भारी विषमता को दूर करने के लिए चुनाव सम्बन्धी सुधारों में परिवर्तन के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि कभी-कभी कांग्रेस को नुकसान हुआ है जब हमने सत्ता प्राप्त की और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है और देश को तब नुकसान हुआ तो सब कुछ हुआ । इसलिए उसके परिणाम स्वरूप यह भी नहीं बदला है । उसके बाद, दूरदर्शन और रेडियो का एकाधिकार को समाप्त करने की बात है । आजकल हम जब कभी रेडियो और दूरदर्शन चालू करते हैं तब देखते हैं कि वहां पक्षपातपूर्ण कार्यक्रम दिए जाते हैं ।

2.35 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपका स्वागत करता हूं । इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है ।

महोदय, मेरा कहना है कि जहां तक दूरदर्शन और रेडियो के एकाधिकार की बात है, उसे बदलना होगा ।

सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहमति के बगैर अर्द्धसैनिक बलों के तैनात किए जाने की प्रवृत्ति रोकिए। पहले ही गढ़वाल में एक समस्या खड़ी हो गई थी, प्रशंसा करनी होगी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त की, उन्होंने एक पर्यवेक्षक भेजा और जब पर्यवेक्षक ने पड़ोसी राज्य से तार भेजा कि गढ़वाल में बहुत बड़ी संख्या में अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है तथा वे मतदाताओं को आतंकित कर सकते हैं, तो उन्होंने चुनाव रद्द कर दिए तथा स्थगित कर दिए। अतः यह मामला वहीं है इसे सुलझाया नहीं गया है।

नियुक्ति पद्धति सहित चुनाव आयोग तंत्र स्वतंत्र हों। मैं नहीं चाहूंगा कि नियुक्ति का एकाधिकार सरकार के हाथ में हो तथा मेरा सुझाव है कि एक तीन-व्यक्तियों की समिति हो, जिसमें देश का प्रधानमंत्री, चाहे वह कोई हो—अभी श्री राजीव गांधी हैं, 1990 में कोई और हो सकता है, लेकिन कोई भी हो वह प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा व्यक्ति विपक्ष द्वारा निर्वाचित अथवा मनोनीत एक प्रतिनिधि हो। यदि विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता है तो वह उसमें होगा, अन्यथा समूचे विपक्ष द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि होगा तथा उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्य चुनाव तंत्र जोकि एक बहु-संसदीय तंत्र होगा, जिसके लिए संविधान में पहले से ही प्रावधान है के मनोनयन की सिफारिश करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे विचार से वे भलीभांति उचित सिद्ध कर सकते हैं कि किसी संवैधानिक प्रावधान के किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही वहां प्रावधान है, जरूरत बस इतनी है कि जहां तक बहु-सदस्यीय तंत्र का सम्बन्ध है उस बारे में एक कार्यपालिका का एक आदेश हो। लेकिन जहां तक अन्य तन्त्रों का सम्बन्ध है, उसके लिए आपको सांविधिक प्रावधान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के एक प्रतिनिधि को सिफारिश करनी चाहिए कि बहु-सदस्यीय तंत्र का ढांचा कैसा हो व सदस्यता कितनी होनी चाहिए।

फिर आता है धार्मिक पूजा-स्थलों का दुरुपयोग, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैं जिस संशोधन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं महोदय, उस पर विशेष रूप से आपको प्रसन्नता होगी तथा यदि आपको मतदान करना पड़े तो मेरा संशोधन पारित हो जाएगा। लेकिन चूंकि पूरी सभा को मतदान करना है, मुझे आशंका होती है कि इस संशोधन का क्या होगा।

फिर बात आती है बहु-उद्देश्यीय परिचय-पत्रों की। महोदय, मैं इस चरण पर आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं जो बिहार में हुई थी। मैं श्री वीरेन्द्र पाटिल, जोकि यहां पर उपस्थित नहीं हैं, से पूरी तरह सहमत हूं। यदि परिचय-पत्र नहीं है, तब क्या होगा? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वह उनका नाम लेंगे, लेकिन बिहार के एक निर्वाचन अधिकारी ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने एक बार 6-7 बार, मतदान किया। वह व्यक्ति अब सेवानिवृत्त हो गया है। वह अपनी स्याही साफ कर देता तथा दोबारा आता। उसने सात बार मत डाले।

अध्यक्ष महोदय : मैंने टिपोनिल की जीवनी पढ़ी है तथा उन्होंने लिखा है कि 'मेरे राज्य में ऐसा ही हुआ करता था। लोग मतदान कर देते, एक बार फिर या दोबारा या 10 अथवा 12 बार मतदान कर जाते। यह बात हुआ करती ··

प्रो० मधु दण्डवते : हम उस बात का अनुसरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हमें यह समाप्त करनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक बात है। इस प्रकार जब वह मतदान करने के लिए जब आया···

श्री विनंश गोस्वामी (गुवाहाटी) : क्या आप दण्डवते महोदय और इस सभा को यह बताने के लिए ही पीठासीन हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता। मैं ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। जब वह युवा व्यक्ति आठवीं बार मतदान करने के लिए आया तब उस अधिकारी ने उसे 'भाग जावे' के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, "श्रीमान जी मैंने सात बार मतदान किया है और अब आप मुझे क्यों रोकते हैं ? उसने कहा, "सुनिए, क्या आपको पता है कि आप किसके लिए मतदान कर रहे हैं ? आप बिहार के मुख्य न्यायाधीश के लिए मतदान कर रहे हैं और फिर उसे भगा दिया गया।

एक अन्य अवसर पर जब एक व्यक्ति ने पांच बार मतदान कर लिया तथा जब वह छटी बार आया तो उस लड़के ने शिकायत की "आप मुझे क्यों रोक रहे हैं ? मैं पांच बार मतदान कर चुका हूं। उसने कहा 'कि क्या आपको पता है कि अब आप किसके मतदान पत्र के साथ आए हैं ? आप मेरे नाम से मतदान कर रहे हैं।' इस तरह वहां जाली नामों से मतदान किया जा रहा है और इसलिए बहु-उद्देश्यीय परिचय-पत्र का होना नितान्त आवश्यक है।

महोदय, जहां तक सीटों और मतों में असमानता का संबंध है, भरोसा रखिए, यह, न केवल कांग्रेस अथवा गैर-कांग्रेस का सवाल नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्य हैं जहां पर गैर-कांग्रेस की सरकार है। वर्ष 1977 में हम केन्द्र में सत्तारूढ़ थे और उस समय आपको इस असमानता से नुकसान उठाना पड़ा। अगली बार यदि हम सत्ता में आ गए तो आपको इस असमानता से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंत: आप देखेंगे कि इस असमानता से प्रत्येक संसद सदस्य और प्रत्येक विधायक को नुकसान होगा। मैं पूरी तालिका नहीं दूंगा। लेकिन मैं वर्ष 1952 से 1971 की तालिका दूंगा क्योंकि 1971 में एकीकरण था और मामला भिन्न था। वर्ष 1952 में कांग्रेस को 45% मत मिले तथा 75% सीटें प्राप्त कीं। विपक्ष को 55% मत प्राप्त किए तथा उसने 25% सीटें हासिल कीं। वर्ष 1971 में, कांग्रेस को 43% मत मिले तथा 57% सीटें

प्राप्त की। विपक्ष को 56% मत मिले तथा 32% सीटें प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप कोई उपचार ढूंढा जाना चाहिए।

मैंने चुनाव संबंधी सुधारों पर आज के विशेषज्ञ श्री गाडगिल को ध्यान पूर्वक सुना।

अध्यक्ष महोदय : वर्ष 1977 में क्या हुआ था ?

प्रो० मधु दण्डवते : 1977 मे भी स्थिति वही थी मैं इसका उल्लेख कर रहा था कि चाहें हम सत्ता में हों अथवा आप हों, सभी को यह भुगतना है। इसीलिए मैं इसका आग्रह कर रहा हूं।

मैं श्री गाडगिल को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने एक तर्क दिया था कि यदि हमारी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पूर्ण रूप से सूचीन प्रणाली हो तो उस स्थिति में दल के कर्ता-धर्ता ही सूची का चयन करेंगे था उस हद तक लोकतन्त्र विखंडित हो जाएगा। इसलिए उनसे रचनात्मक सुझाव के संकेत लेते हुए मैं इन दोनों ध्रुवों के मध्य संतुलन बनाना चाहूंगा। वर्तमान व्यवस्था में जिन लोगों को 51% मत मिल जाते हैं वे सत्ता हथिया लेते हैं और किसी व्यक्ति को 49% मत मिले हैं तो उसके 49% मत किसी काम के नहीं होते। मैं किसी तरह का सन्तुलन चाहता हूं। इस बारे में मुझे स्पष्ट रूप से यह बताने दें कि मतदान की वर्तमान व्यवस्था के आधार पर संसद की सदस्यता कैसे मिलनी चाहिए। एक बात पर मैं श्री गाडगिल और श्री वीरेन्द्र पाटिल के साथ पूर्णरूप से सहमत हूं। यदि आप सभी चुनावों पर निगाह डालें —गलतियों और उस सब को भूल जाइये—तो जहां तक इस देश के आम मतदाता का संबंध है उसने अपने को आम बुद्धि वाला नहीं बल्कि प्रखर बुद्धि वाला आम आदमी सिद्ध किया है। वर्ष 1977 में आपातकाल को लागू करने के विरोध में अपना विरोध दर्शाते हुए उसने कांग्रेस को उखाड़ फेंका तथा हमें सत्ता में ले आया। जब उसने देखा कि हम दो वर्ष तक लड़ते रहे उसी मतदाता ने हमें ठीक रास्ता बता दिया उसने कहा हमने आपको 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया है लेकिन आपने कुशासन किया इसलिए सत्ता से बाहर हो जाईए। उन्हीं मतदाताओं ने हमें यह बात कही। मुझे आम आदमी की आम बुद्धि और तीव्र बुद्धि में पूर्ण विश्वास है। वर्तमान व्यवस्था द्वारा भरी गई आधी संसदीय सीटें हमें लेने दो। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होना चाहिए। यदि निर्वाचन क्षेत्र से व्यक्तिगत लगाव नहीं है और केवल सूची प्रणाली ही है तब मधु दण्डवते को निर्वाचन क्षेत्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं है वह निर्वाचन क्षेत्र की सेवा बिल्कुल नहीं करेगा। लोग अपनी समस्याओं के निवारणार्थ आते हैं तथा वह उन पर ध्यान नहीं देता तथा वह सामने नहीं आता क्योंकि वह व्यक्ति सूची के माध्यम से आया हुआ होता है न कि व्यक्तिगत चुनाव के माध्यम से। इसलिए, व्यक्तिगत तत्व भी बनाए रखा जाना आवश्यक है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों की संसद सदस्यों द्वारा सेवा होती रहे। आधे निर्वाचन क्षेत्र इस तरह से भरे

जाएं आधी सीटें सभी दलों द्वारा प्राप्त किए गए मत प्रतिशत के आधार पर भरी जाएं। कुछ सांविधिक प्रावधान करने होंगे कि एक प्रतिशत मत से 2 अतिरिक्त सीटों के पात्र हो जाएंगे अथवा एक प्रतिशत मत से आप एक अतिरिक्त सीट के पात्र हो जाएंगे। अतः मैं 50 सीटें सीधे प्राप्त कर सकता हूं और प्रतिशत के आधार पर, 30 या 40 सीटें प्राप्त कर सकता हूं। अतः मेरी संख्या 50 से 90 सीटें हो जाती हैं। अतः वोटों और सीटों के बीच का असन्तुलन दूर किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि इस पहलू के बारे में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। एक अन्य फायदा भी होगा। देश में बहुत से विशेषज्ञ हैं। जब मैं विशेषज्ञों की बात कर रहा हूं तो मेरा आशय केवल विशिष्ट वर्ग से नहीं है। आप को किसानों की समस्याओं में आधारभूत रुचि है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास अर्थशास्त्र या कृषि में डॉक्टरेट की उपाधियां तो नहीं, लेकिन सामान्य बुद्धि और कृषि से निरन्तर जुड़े रहने के कारण कृषि की समस्याओं को समझते हैं। जो लोग सहकारिताओं में काम कर रहे हैं, वे सहकारिता के विशेषज्ञ हैं। मजदूर संघों में काम करने वाले मजदूर संघों के विशेषज्ञ हैं। शिक्षा विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, न्यायशास्त्र के विशेषज्ञ, संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ऐसे लोग चुनावों नहीं लड़ना चाहते। परन्तु यदि संसद के एक भाग का चुनाव सूची प्रणाली के माध्यम से किया जाए, तो उस स्थिति में, ऐसे व्यक्तियों को सूची में शामिल किया जा सकता है। यदि वे सत्ता धारी पार्टी में चुने जाते हैं, तो सत्ता धारी पार्टी के प्रशासनीय कौशल में वृद्धि होगी। यह प्रणाली का योग है। अतः उस विशेष मामलें में, आप पायेंगे कि यदि वे विपक्ष में चुने हैं, तो विपक्ष के कौशल में सुधार होगा, और इस तरह इससे समस्त संसदीय जीवन में फायदा होगा। पश्चिमी जर्मनी में इन दोनों प्रणालियों का समावेश है। इसमें सभी विशिष्ट वर्ग से नहीं हैं और, इस तरह, प्रतिभावान व्यक्तियों को भी शामिल करने का कोई सन्दर्भ नहीं है।

जहां तक दूरदर्शन और रेडियो का संबंध है। अधिक से अधिक लोगों का यह विश्वास है कि जब तक दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए स्वायत्त निगम नहीं होंगे। यह किसी अन्य की वाणी होगी। और दूरदर्शन एक व्यक्ति का दूरदर्शन होगा। यदि यह आपके हाथों में है, तो यह अपने आप में प्रधान मंत्री का दर्शन हो सकता है जिसको देश ने चुना है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की व्यक्ति-पूजा को बढ़ावा दिया जायें और यह तभी हो सकता है जब दूरदर्शन और रेडियो के लिए स्वायत्त निगम हो। एक बार मैं इंगलैंड में था। एक लंबे समय से, एक सम्मेलन में मैं एक भाषण सुन रहा था। मैंने पूछा "क्या यह सत्ताधारी पार्टी की कांफ्रेंस है" उन्होंने उत्तर दिया "नहीं। यह एक विपक्षी दल की कांफ्रेंस है।" ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि स्वायत्त निगम का नियंत्रण है, और चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, यदि लोगों की जानकारी में रुचि है, और तथ्यों को जानने में रुचि है, तो स्वायत्त निगम को दोनों दलों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब गढ़वाल में काफी संख्या में अर्ध सैनिक बलों को लगाया गया, तो तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था

क इसे शारिर हटाना पड़ेगा, और इसलिए मेरी यह मांग है और श्री शंकरानन्द जी आप इसे नोट करें कि अधिक व्यापक विधेयक लाये वास्तव में, मैंने पहले ही एक संशोधन दिया है परन्तु साधारणतया: विपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं —और, अपने संशोधन के रद्द होने का पूर्वानुमान लगाते हुए —मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि उस व्यापक विधान में, जो आप लाने जा रहे है, उसमें कम से कम यह उपबन्ध होना चाहिए कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक निर्वाचन क्षेत्र में अर्ध-सैनिक बलों को लगाना चाहे तो वैसा सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति से होना चाहिए । और मुझे विश्वास है कि आप इसकी वकालत करेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य में अनुभव के आधार पर लोग सलाह देंगे। उदाहरण के लिए श्री एस० बी० चव्हाण के यहां आने से हमें फायदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि गढ़वाल चुनाव नहीं हुआ था।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे स्थगित कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : उसे रद्द किया गया था। वह चुनाव आयोग के सुझाव पर किया गया था। लेकिन यदि आप फिर यह कहते है कि राज्यों की स्वीकृति के बिना अर्ध-सैनिक बल नहीं भेजे जा सकते, क्या इससे आयोग के सत्ता में प्राधिकार में कमी नहीं होगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : उसके लिए मानदण्ड निर्धारित करने होंगे। यदि ऐसा किया गया तो यह एक अच्छी बात होगी।

जहां तक चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता का संबंध है, मेरे पास ठोस सुझाव हैं। वर्तमान विधेयक खण्ड दो में चुनाव कार्य के अधीक्षण और संचालन के लिए प्रतिनियुक्ति पर तन्त्र लेने का प्रावधान है। यहां मेरा ठोस सुझाव यह है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव तन्त्र को राज्यों के चुनाव तन्त्र और अन्य तन्त्र पर नियंत्रण रखना चाहिए बशर्ते कि चुनाव आयोग वास्तव में स्वतन्त्र हो क्योंकि यदि चुनाव आयोग —मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, अतः यह न समझें, —मैं यह कह रहा हूं कि यदि चुनाव आयोग को विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा और साथ ही, चुनाव तन्त्र ऐसा बनाया जाये कि यह केन्द्र सरकार के हाथों का खिलौना बन जायें तो उस स्थिति में, चुनाव आयोग को एक हाथ से शक्ति प्रदान करेंगे और दूसरे हाथ से इसे चुनाव आयोग से सरकार को हस्तान्तरित कर दी जायेगी । इसका अर्थ केन्द्र सरकार के हाथों चुनाव आयोग का राष्ट्रीयकरण मात्र होगा। मै ऐसा नहीं होने देना चाहता और, इसलिए मैं चुनाव आयोग के तन्त्र की स्वतन्त्रता बनाए रखना चाहता हूं। आपने लोक सभा में एक प्रतिमान स्थापित किया है। थोड़े ही दिन पहले, जब हमने लोक सभा सचिवालय को बधाई दी थी, तो कांग्रेस और विपक्ष के प्रत्येक सदस्य ने कहा था कि श्री विठ्ठल भाई पटेल से लेकर बहुत अच्छी परंपराएं, स्थापित की गई हैं, यह कि लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारी नहीं हैं जो कि संसद भवन के

सामने है। यदि वे यह पाते हैं कि यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी चर्चा करते हैं ; उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि जब कुछ प्रश्न सामग्री मंत्री को देनी हैं और बाहर से कोई कर्मचारी इसमें हस्तक्षेप करना चाहता है, तो आज ये उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। अतः लोक सभा सचिवालय में स्वतंत्रता बनाए रखी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि लोक सभा सचिवालय की परम्परा को चुनाव आयोग के तन्त्र में भी पालन किया जाए, ताकि चुनाव आयोग सरकार का खिलौना न बने।

महोदय, सुबह हममें से कोई भी चुनाव आयोग पर आक्षेप नहीं कर रहा था। हम जो कुछ कह रहे थे वह यह था कि जब कभी उनको सुविधा होती है तो वे उप चुनावों को टालते हैं; और जब कभी उन्हें सुविधा होती है तो वे उपचुनावों को थोपते है। यदि वैसा कुछ होता है और यदि सरकार को वह स्वतन्त्रता दी जाती है, तो वे सिफारिश करते हैं। वे कतिपय कानून और व्यवस्था की कठिनाईयों की ओर इशारा करते हैं, वे चाल-बाजी से परिणाम निकालते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप, दिये आंकड़ों और की गई सिफारिशों के आधार पर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, लेकिन दुर्भाग्य से व्यावहारिक···

अध्यक्ष महोदय : अब मैं देख रहा हूं कि आप उसी बात को व्यवस्थित तरीके से तथा नियमों के मुताबिक कह रहे हैं और मैं उसकी अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सवेरे भी मैंने व्यवस्थित तरीके से ही कहा था।

वास्तव में मैंने नियम 184 के तहत एक नोटिस दिया है कि···

अध्यक्ष महोदय : क्या यह नियमों के अंतर्गत आता है। बस यही देखना होता है। विचारों में अन्तर नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : बाद में, आपने स्वीकार किया था कि मैंने एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केवल आपको ही अधिकार है कि आप उस प्रस्ताव को नामंजूर करें आपने केवल वही किया

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नियम दिये हुए हैं। यह इन नियमों के अन्तर्गत नहीं होता तो मै नामंजूर कर देता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा विवाद इस बात पर था कि मेरा प्रस्ताव सही था और आपका निर्णय सही नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय भी सही था ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मधु भैया जब आपसे खुश रहते हैं तो मधु रहते हैं लेकिन जब नाराज हो जाते हैं तो मधुमक्खी हो जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मधुमक्खी का काटना भी तो मीठा होता है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक पंजीकरण का संबंध है, जिस प्रकार से पंजीकरण खंड बनाया गया था मैं नहीं जानता कि क्या श्री शंकरानंद ने श्री शिव शंकर से और अपने साथियों से परामर्श किया था, और प्रारूप नियमों के बारे में वे सभी बैधंताओं और परम्पराओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं ।

इस संबंध में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा आपने स्वयं प्रबोधन पाठ्यक्रम के दौरान कई बार कहा है कि प्रारूपण की विशेषताओं में से एक विशेषता है—सरलता । यह निरर्थक हो सकती है । परन्तु प्रारूपण में सरलता होनी चाहिए । सरलता प्रारूपण का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत है । मैंने इस विधेयक विशेष जो उन्होंने तैयार किया है, में यह बात देखी है ।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : महोदय, वहां कुछ हो रहा है वहां संगोष्ठीकक्ष प्रचार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप सदन में संगोष्ठीकक्ष प्रचार की अनुमति दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वहां कुछ हो रहा है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे बहुत व्यस्त हैं । आपने उनकी ओर इशारा किया उन्होंने यह नहीं देखा । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : भूतपूर्व विदेश मंत्री होने के नाते उनके सभी कार्य वैदेशिक होने चाहिए न कि अन्दरुनी । जब वह शीला जी से बात कर रहे हों तो मुझे यह टिप्पणी करनी है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उन डाक्टरों की तरह है जिसमें से कुछ अंदरुनी इलाज करते हैं और कुछ बाह्य इलाज करते हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कई बार विभागों में परिवर्तन किया गया था। कुछ गलतियां अवश्य हुई (व्यवधान) अब मैं विषय पर चर्चा करता हूं। उदाहरण के लिए इस विधेयक का पृष्ठ 5 लीजिए, मैंने अलग से एक संशोधन दिया। मैं परिणाम जानता हूं। इसलिए मैं शुरू में ही कह रहा हूं पृष्ठ 5 पर मूल खंड 29 ए उप खण्ड 5 के लिए मुझे इस बात का खेद है कि मैं यहां चर्चा के दौरान विधेयक की जो बात कर रहा हूं उसमें कहा गया है :—

> "उपधारा (4) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो ज्ञापन या नियमों और विनियमों की एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों या विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा यथास्थापित संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्रक के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।"

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मैं इस सदन में निर्वाचित होकर आया और मैंने आपके समक्ष शपथ ली—मुझे क्षमा कीजिए शपथ बाबूजी के समक्ष ली गई थी वह तत्सामायिक अध्यक्ष थे। जब मैंने शपथ ली मैं आप पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। ऐसा करना पड़ा था ; आप उस समय निर्वाचित नहीं हुए थे।

मैंने सभी मामलों पर विस्तार से नहीं कहा था कि मैं संविधान और उसमें दिए गए नीति-निदेशक सिद्धान्तों, सामाजिक आर्थिक समानता की संकल्पना और प्रतिपारित योजनाओं तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग-तीन का संरक्षण और समर्थन करूंगा। यदि मैंने उनकी तरह शपथ ली होती तो आपने कहा होता : "अच्छा होता कि आप शपथ न लें और संसद से बाहर चले जाए।" कभी भी ऐसी लम्बी शपथ न लें क्योंकि शपथ आसान होनी चाहिए। इसलिए, हमने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त की है और इसलिए बाद का भाग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शपथ ली है कि मैं भारत की सम्प्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। किसी बात को अन्यथा लेते हुए मैं संविधित मंत्री को सुझाव दूंगा कि वह संविधान में निरुपित बातों के विस्तार पर जोर न दें।

श्री तरुण चामस : यह प्रचार है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह आरोप नहीं लगाता। वह प्रचारक नहीं है। सिर्फ वही भाग लीजिए जिसमें यह कहा गया है कि एक संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। जब आप यह कहते हैं कि प्रस्तावना की सारी बातें इसमें आ गई हैं, मूलभूत अधिकार आ गए हैं, यहां तक कि भविष्य में जिन संशोधनों के किये जाने की संभावना है वह भी इसमें आ गए हैं। अत: मेरा कहना यह है कि आप धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के सिद्धान्तों को परिभाषित न करें क्योंकि जब आप समाजवाद के सिद्धान्तों की बात करते हैं तो वे लोग

जिन्होंने 1917 में सोवियत रूस में क्रांति की थी यहां तक कि आज श्री गोर्बाचोव भी पेरेइस्त्रोयका और ग्लासनोस्त की बात करते हैं। 1988 में जो सोच है वह 1977 से भिन्न है मुझे खुशी है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि समाजवाद के सिद्धान्तों के संबंध में विचारों में अन्तर हो सकता है, अभिव्यक्तियों में अन्तर हो सकता है। इसलिए, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना है।

मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। हमने वास्तव में इसको इस सदन में स्वीकार कर लिया है—जो विधेयक अधिनियम बना हैं वह है धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम। इसे इस सदन ने पहले ही पारित कर दिया है। चाहे एक हिन्दू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल (पवित्र स्थान) का दुरुपयोग करे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का घृणित कार्य मन्दिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे से किया जाए ···

अध्यक्ष महोदय : या बाहर से भी।

प्रो० मधु दण्डवते : या बाहर से।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी धार्मिक मंच से।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संसद का भी प्रतिरक्षण नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : हां।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए, प्रत्येक मन्दिर जिसमें संसद जैसा प्रजातंत्र का मन्दिर भी शामिल है, जिसकी आप अध्यक्षता कर रहें हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपको ऐसा करने का अवसर नही देंगे। इसलिए मैंने भी एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां तक धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग पर रोक) अधिनियम 1988 की धारा के उल्लंघन का संबंध है, उसे भी अनर्हता का एक आधार माना जाना चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि मैं जनता पार्टी से संबंध रखता हूं किन्तु मैं मंदिर गलत कार्यों के लिए प्रयोग करता हूं मैं चर्च गुरुद्वारे मस्जिद को विध्वसक कार्यों के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो उस मामले में मुझे 6 वर्षों के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि छः वर्षों के बाद मैं इसे जारी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद, मंत्रोदय। उन्होंने इसका समर्थन किया है, मेरा संशोधन स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : यह पहलू है जिसे मैं लाना चाहता था । एक और बात जिस पर सदन में दो मत नहीं होंगे क्योंकि यह पार्टियों से संबंधित नहीं है वह यह है कि हम बहुत ही कम बार अपने रिटर्नस जमा कराते हैं । इसके लिए कोई सांविधिक उपबंध नहीं है कि जब हम अपने नामाकन पत्र जमा करायें, उस समय परिसंम्पतिया तथा देन दारियों का विवरण भी दिया जाना चाहिए। 1977 में महाराष्ट्र में हमने अपने उम्मीदवारों के लिए यह बात अनिवार्य कर दी थी कि यद्यपि इसके लिए कोई सांविधिक उपबंध नहीं है तो भी आपको अपने रिटर्नस जमा करने होंगे तथा आपको तब तक चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा जब तक कि आप अपनी सम्पत्ती तथा परिसम्पतियों का विवरण, नहीं देते । हम उन्हें प्रकाशित करते हैं । मान लीजिए हमारे पास इसे बाद में जमा कराने का उपबंध है तथा जब हम इसे जमा कराते हैं और न्यायालय यह कहता है कि यह झूठ है—न केवल गलत है अपितु झूठा है मेरे विचार से इसे छः वर्षों के लिए अयोग्य माना जाता चाहिए । मेरे विचार से यह सुझाव मेरा मौलिक नहीं है ; यह मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी का है । आप केवल इसलिए इसे रद्द मत करिए क्योंकि यह उनका सुझाव है ।

3.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने पहले इसका सुझाव दिया होता तब ?

प्रो० मधु दण्डवते । तब बहुत ही अच्छा होता । तब उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ता ।

श्री पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : वे दूसरों से जानकारी नहीं ले सकते ।

प्रो० मधु दण्डवते : सदन के अंदर मुझे इसकी अनुमति है । मैं घर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता किन्तु सदन से कर सकता हूं ।

जहां तक परिचय पत्र का संबंध है, मैं आपको बिहार का अनुभव बताता हूं, बहु-प्रयोजनीय परिचय पत्र जारी किये जाने चाहिए ।

जहां तक अधिनियम का संबंध है, यह बहुत सीमित है । किन्तु कुछ उपबन्धों को निकाल दिया गया है, यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या परिणाम होगा । उदाहरण के लिए चुनावों के लिए राज्यों द्वारा दिए जाने वाले धन को लीजिए । श्री गाडगिल ने वित्त मन्त्री न होते हुए भी वित्त सम्बन्धी बात की है । वास्तव में श्री एस० बी० चव्हाण को जो कहना चाहिए था वह दुर्भाग्यवश श्री गाडगिल ने कहा है—कि कितने धन का भुगतान करना होगा । श्री गाडगिल आपको इसका भुगतान नहीं करना है ; श्री एस०बी० चव्हाण को इसका भुगतान करना

है। जब वे इस मामले पर चुप हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी चुप रहिए। यदि राज्य चुनावों के लिए आर्थिक सहायता देते हैं तो इसके दो लाभ हैं।

पश्चिम जर्मनी के मामले में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि श्री गाडगिल ने जो कुछ कहा है वह गलत है। यदि उम्मीदवार को केन्द्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता अथवा अनुदान दिया जाता है, कुछ लोगों ने यह बात मान ली है कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय तथा पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इसलिए काफी खर्च आएगा। इसीलिए श्री शंकरानन्द को मेरा ठोस तथा रचनात्मक सुझाव है कि उन्हें आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं करने चाहिएं। इस मामले पर विपक्ष के नेताओं तथा सदन के अध्यक्ष को विचार करने दें, एक सांविधिक उपबन्ध बनाया जाये, जिसमें यह पता चले कि कौन-कौन से उम्मीदवारों को केन्द्र से सहायता मिलेगी तथा केवल वे ही उम्मीदवार जिन्होंने पिछले चुनाव में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए हैं—मेरा मतलब है उनकी पार्टियों ने—पार्टियां जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए हैं, केवल वे ही इस सहायता को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे उससे अधिक व्यय करें तब क्या होगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। मैंने उस मुद्दे का पहले ही अनुमान लगा लिया था, महोदय।

यदि ऐसा किया जाता है तो इसका क्या लाभ होगा ? कुछ छोटे-छोटे दल हैं। उन्होंने स्वयं अपना स्थान निश्चित कर लिया है—चाहे वे कांग्रेस से संबंधित हैं अथवा विपक्ष से, वहां भी यही समस्या है। कांग्रेस में भी कांग्रेस (ओ), कांग्रेस (आई), कांग्रेस (जे), कांग्रेस (यू), तथा यदि अर्स चले जाते हैं और शरद आ जाते हैं तो यह कांग्रेस (एस) हो जाती है—इसी प्रकार जनता पार्टी में भी नाम चाहे जो भी हो उपनाम जनता ही है।

यदि यह स्थिति उत्पन्न होती है तथा छोटे-छोटे दल बन रहे हैं, एक बार यदि आप कह देते हैं कि पिछले चुनावों में पार्टियों द्वारा प्राप्त किये गए मतों की प्रतिशतता के आधार पर आप सहायता देंगे, छोटी-छोटी पार्टियों की यही परम्परा रहेगी, छोटी पार्टी चलाने की बजाय यह अच्छा होगा कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की मुख्य धारा में मिला दिया जाए जो मेरे विचार से सैद्धांतिक रूप से ठीक होगा तथा इस पर अलग-अलग नेता के नाम का झंडा नहीं होगा।

पश्चिम जर्मनी में ऐसा ही हुआ है। वहां बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां थीं। किन्तु जिस क्षण संघीय सरकार ने उन पार्टियों को जिन्होंने न्यूनतम प्रतिशतता से अधिक मत प्राप्त किए थे, उन्हें अनुदान देना आरंभ किया छोटी-छोटी पार्टियों ने यह कहना आरम्भ कि हमारे पूरे जीवन के समय में भी तथा यहां तक कि दूसरा जन्म लेने

के बाद भी हमें यह प्रतिशतता प्राप्त नहीं हो सकती अतः इसलिए हम एस० पी० डी०, ईसाई गणतंत्र संघ, तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ एक हो जाते हैं और इस प्रकार वे पार्टियां दूसरी पार्टियों के साथ मिल गईं । आजकल पश्चिम जर्मनी में मूलभूत रूप से केवल तीन मुख्य पार्टियां हैं ।

यहां श्री शंकरानन्द, आपके अपने सहयोगी श्री वीरेन्द्र पाटिल ने सुझाव दिया है कि कुछ रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिए, शायद उनके पास पार्टियों का परिवार नियोजन जैसा कुछ करने का प्रस्ताव है । जनसंख्या स्वयमेव बाद में इसका ध्यान रखेगी । आवश्यकता इस बात की है कि हम इन राजनीतिक पार्टियों की संख्या कम करने के लिए परिवार नियोजन जैसी कोई योजना लाएं तथा इसे दबाव के द्वारा नहीं और न ही कानून के द्वारा लागू करें अपितु यदि हम केवल उन्हीं पार्टियों को अनुदान देते हैं जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम प्रतिशतता से अधिक मत प्राप्त किए हैं तो छोटी-पार्टियां दूसरी बड़ी पार्टियों में मिल जायेंगी, तब पार्टियों की संख्या कम हो जायेगी तथा इससे मतों तथा सीटों की बीच की असमानता को कम करने में भी सहायता मिलेगी क्योंकि विपक्षी दल विभिन्न प्रकार से छोटी-छोटी पार्टियों में बंटे हुए हैं । इसलिए 60 प्रतिशत मत अलग-अलग मत पेटियों में बंट जाते हैं । उससे भी बचा जा सकता है ।

3.04 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं ।]

एक माननीय सदस्य : निर्दलीयों के संबंध में क्या स्थिति है ?

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, नहीं कोई निर्दलीय उम्मीदवार दावा नहीं कर सकता । कुछ लाभ ऐसे हैं जो केवल संगठित राजनीतिक पार्टियों को ही मिल सकते हैं । संगठित राजनीतिक दलों के पास एक चिन्ह रिजर्व है ; आप भी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए विभिन्न चिन्ह रिजर्व कर दें हम इसे नहीं कर सकते । यदि आपके पास अपनी निर्दलीय उम्मीदवारी है तो आपको रिजर्व चिन्ह का लाभ नहीं मिल सकता । यदि आप एक राजनीतिक पार्टी संगठित करते हैं, आपको रिजर्व चिह्न मिल जाता है । इसी प्रकार, यदि आप एक राजनीतिक पार्टी संगठित करते हैं तथा निर्धारित प्रतिशतता से अधिक मत प्राप्त करते हैं । उस मामले में भी आप आर्थिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

मैडम, अंत में मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा जो श्री गाडगिल द्वारा उठाया गया तथा जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष की ओर से भी प्रश्न आया था । जब अध्यक्ष प्रश्न करते हैं तो चाहे समय ऊपर भी हो जाए, मैं अवश्य ही उसका उत्तर दूंगा इसीलिए मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करूंगा । अध्यक्ष साहब ने यह प्रश्न उठाया था कि उस राशि का क्या होगा जो उन्हें राज्य द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त भी प्रदान की गई है । सबसे बढ़िया स्थिति तो यह होगी कि यदि राज्य से चुनाव के लिए आर्थिक

सहमता मिलती है, तो ऐसे मामले में केवल एक स्थान से ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। अन्य सभी को अवैध माना जाएगा। यदि इसका पता नहीं लगाया जाता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अनेक लोग कमीशन लेते हैं पर उनका पता नहीं चलता। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यदि इसका पता चल जाता है और यह साबित हो जाता है– कभी-कभी अति विशिष्ट व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कमीशन लिया है लेकिन अच्छे काम के लिए लिया है यदि प्रमाण उपलब्ध है तो उस मामले में इसे अवैध माना जाना चाहिए और अग्रेतर आर्थिक सहायता को रोका जाना चाहिए। बाद में काफी मात्रा में धन दिया जाएगा तब ही वह उम्मीदवार महसूस करेगा। मैंने नाहक ही अतिरिक्त धन लिया जबकि सरकारी धन का अपव्यय हुआ। इसलिए एक ही चैनल होगा। लेकिन यदि इसमें समय लगता है तो प्रश्न है कि हमारे जैसे व्यक्ति, जिनके पास अल्प साधन हैं, चुनाव लड़ते हैं।

मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं वहां से हम सात बार लगातार जीतते आये हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मतदाता सोच-समझकर मत देता है। हमने कम से कम खर्च करके सात बार चुनाव जीता है लेकिन खर्च बढ़ रहा है। हमारे जैसे व्यक्तियों को चाहे राज्य सरकार द्वारा धन दिए जाने के अलावा टाटा बिरला कांग्रेस को पैसा देते हैं तो इससे कोई फर्क नही पड़ता कम से कम खर्च करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यदि केवल उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए तो हम बने रह सकते हैं। चाहे दूसरे आलीशान मकानों में रहें और अपनी जेब से लाखों रुपया खर्च करें। यदि हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ हैं तो हम चुनाव जीतने में भी सफल होंगे। अतः यही मुद्दा है। इसलिए यदि अंतिम प्रयोग के रूप में दो बार धन प्राप्त करने की नीति आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ न कुछ तो हमारे पास होगा। टाटा और बिरला के पास लाखों रुपए अवश्य होंगे लेकिन मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कि श्री वीरेन्द्र पाटिल या श्री गाडगिल ठीक कह रहे थे। बम्बई में टाटा ने चुनाव लड़ा था। वे हार गये। बिरला ने चुनाव लड़ा था वह भी हार गये। पटौदी भी चुनाव में हार गया। अनेक उद्योगकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और अधिकांश चुनाव हार गये। यदि उन्हें किसी राजनीतिक दल का संरक्षण मिला होता तो अलग बात थी। लेकिन जब वे स्वतंत्र रूप से खड़े हुए तो वे हार गए। इस देश का आम मतदाता उद्योग-कर्त्ताओं को पसंद नहीं करता है। वह महाराजाओं को पसंद नहीं करता है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस देश के मतदाता को डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त नहीं है। वह एम० ए० बी० ए० भी नहीं हो सकता है। वह अशिक्षित भी हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी देखे हैं जो राजनीतिक तौर से जानकार नहीं हैं और ऐसे अशिक्षित व्यक्ति भी देखे हैं जो राजनीतिक तौर से जानकारी रखने वाले हैं। गांधी की इस भूमि में जहां अनेक संघर्ष उन्होंने किए थे, नई लहर आई है। जिन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया था और राजनीतिक कार्य में अपना ध्यान लगाया था तथा बाद में दल के पूर्णकालिक कार्यकर्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था उनकी राजनीतिक सचेतना उन व्यक्तियों से कहीं बेहतर है जिन्होंने विश्वविद्यालयों से

डाक्टरेट और बी० एस० सी० की डिग्री ली है और राजनीतिक समझ-बूझ और जानकारी रखने का दावा करते हैं। हमने ऐसा विभाजन देखा है। इसलिए माननीय मन्त्री से मैं उन सुझावों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं जो मैंने दिए हैं। यदि हम कुछ यहां कहते हैं और रचनात्मक सुझाव देते हैं तो वह सब बेकार में नहीं बोलते हैं। 12 बजे हम काफी बोल लेते हैं। हमने समस्या का अध्ययन किया है। हमने समूची प्रणाली का अध्ययन किया है। हमने चुनाव सुधारों का सुझाव दिया है। तारकुंडे समिति चव्हाण समिति और आपकी अपनी समिति ने भी कुछ सुझाव दिए हैं; गाडगिल जी ने भी ग्रीन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः आप सब पर ध्यान दीजिए। महोदया हमारी समस्या यह है कि हम जो अनेक विषय उठाते हैं यह जेंटलमैन, मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें जेंटलमैन कह दिया, मेरा मतलब है कि मन्त्री महोदय ने केवल कुछ खण्ड मूल अधिनियम से किए हैं। हमारी स्वतन्त्रता प्रतिबंधित है। यदि किन्हीं उपायों या सुधारों का सुझाव दिया जाता है तो वह केवल उन्हीं खण्डों के मानदण्डों तथा ढांचे के अन्तर्गत होने चाहिएं जो उन्होंने लिया है और उन्होंने जानबूझकर उन खण्डों को नहीं लिया है जिन पर हम संशोधन चाहते हैं। इसलिए जो हमारी कठिनाई है वह हमने सब कुछ अपने वक्तव्यों में कह दिया है और जो भी संशोधन अनुज्ञेय हैं वह हमने प्रस्तुत कर दिए हैं।

मैं शंकरानन्द जी से यह कहना चाहता हूं कि चुनाव सुधार के विषय के प्रश्न पर इस सभा में किसी संशोधन पर रोक नहीं लगाइये। जो स्वीकार्य है उसे स्वीकार करें। यहां तक की सीमित उपायों को मजबूत करने के लिए हमने जिन संशोधनों के सुझाव दिए हैं और आपने जो सुझाव दिए हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। केवल उन्हें इसलिए अस्वीकार न करें कि सोमनाथ जी या दंडवते जी या माधव रेड्डी या जयपाल रेड्डी ने उन्हें प्रस्तुत किया है। उनमें से जो कुछ स्वीकार करने योग्य होती हैं उन्हें आप तब स्वीकार करते हैं जब अध्यक्ष महोदय इसकी सिफारिश करते है। आप भगवान के लिए या हमारे लिए अब तक कुछ नहीं कर सके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन भगवान के लिए नहीं बल्कि आप हमारे लिए बाद में एक अधिक व्यापक विधान लाएं ताकि पुराने अनुभवी व्यक्तियों ने पिछले 20 वर्षों में जो सुझाव दिए वे व्यर्थ न जाएं और वह स्वर्ग में बैठकर यह न कहें कि संसद में दिए गए हमारे सभी सुझाव व्यर्थ हो गए हैं तथा किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप उनकी ओर ध्यान दें तथा मैं यह कहूंगा कि आप यहां से जाने से पहले कार्य पूरा कर लें तो उसकी प्रशंसा होगी।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : सभापति महोदया मैं अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधि अधिनियम के लिए प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करता हूं। इस अधिनियम की बहुत समय से प्रतीक्षा थी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस संसद में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी पर अति महत्वपूर्ण दायित्व डालने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदया जब से प्रधान मन्त्री देश के राजनीतिक क्षेत्र में उभर कर आए हैं तब से राष्ट्र विशेषरूप से युवा पीढ़ी की आशा भी बढ़ी है। राजनीतिक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के दिलो-दिमाग में यह आशा थी और आज यह आशा—मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करने की आशा पूरी हो रही है। पूरे देश में युवा कांग्रेस और एन० यू० एस० आई० की यह मांग पिछले एक दशक से आज भी अधिक समय से थी। आज युवा कांग्रेस और एन० यू० एस० आई० की यह मांग प्रस्तुत संशोधन में झलकती है।

इस संशोधन में एक और महत्वपूर्ण बात भी झलकती है। इसमें युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल करने और उसे मजबूत करने की प्रधानमन्त्री की दृढ़ इच्छा भी झलकती है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि प्रधानमन्त्री यह चाहते हैं कि देश का भविष्य निर्माण करने में युवा पीढ़ी अधिक दायित्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इससे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री का युवा पीढ़ी में अत्यधिक विश्वास तथा निष्ठा है।

आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत से लोगों ने, बहुत-सी राजनीतिक पार्टियों ने, तथा विपक्ष के बहुत से नेताओं ने एक आवाज में यह बात कही है कि यह उनकी अपनी मांग थी तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी यह मांग स्वीकार की जा रही है, उनकी मांग भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार की जा रही है।

मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम आज वे यह बात कह रहे हैं। किन्तु 1977 में क्या हुआ था, जब उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश के युवकों से यह बात कही थी कि यदि वे सत्ता में आएंगे तो वे मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर देंगे। उस समय देश की युवा पीढ़ी का जनता पार्टी में विश्वास था और उन्होंने उसकी इस बात पर विश्वास कर लिया था। किन्तु क्या हुआ था? कुछ समय के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है तथा उनकी आशाएं असत्य सिद्ध हो गई हैं क्योंकि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दिया गया वचन पूरा नहीं किया गया था। इसलिए 1980 के बाद पूरे देश की युवा पीढ़ी ने कभी भी जनता पार्टी अथवा नये जनता दल, जो भी नाम हों—नई बोतल में पुरानी शराब पर कभी विश्वास नहीं किया।

महोदया, मैं वास्तव में उन सभी युवा लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो 18 से 21 वर्ष की आयु-वर्ग के बीच हैं जो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज चुनाव सुधारों के एक भाग के रूप में विचार-विमर्श के लिए सामने आई हैं। हमारे अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि चुनाव प्रणाली काफी अधिक प्रभावकारी रूप से कार्य कर रही है तथा हमारे अनुभव ने यह भी प्रदर्शित किया है कि चुनाव आयोग जोकि अब एक व्यक्ति आयोग है चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावकारी रूप से कार्य करने के लिए उसमें और अधिक सुधार लाना होगा। चुनाव सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभी सामने लाया गया है वह यह देखता है कि मत केन्द्रों पर कब्जा कर लेने की परम्परा को समाप्त करना। इसमें यह प्रावधान भी है कि बूथ पर अधिकार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये तथा जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं उन्हें उम्मीदवार के पद के अयोग्य ठहराया जाये तथा वे अधिकारी जो इसमें शामिल हैं उन्हें उचित दण्ड दिया जाये।

यहां मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही में फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

में उप-चुनाव हुए थे। जिस समय चुनाव हो रहे थे, बहादुरगढ़ में लोक दल के लोगों ने जो अपने उम्मीदवार के लिए मत केन्द्रों पर कब्जा कर रहे थे एक महिला एस० डी० एम० पर निर्दयतापूर्वक हमला किया। यह एक ऐसा अशोभनीय दृश्य था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन से मत केन्द्रों पर अधिकार करने वाली घटनाएं समाप्त हो जाएंगी तथा इस प्रकार की अशोभनीय घटनाएं पुनः घटित नहीं होंगी।

एक माननीय सदस्य : उधमपुर के संबंध में क्या कहना है ?

श्री मुकुल वासनिक : आप भली-भांति जानते हैं कि उधमपुर में क्या हुआ था। किन्तु यदि आप जानते हैं कि उसके पड़ोसी क्षेत्र में क्या हुआ था तो आपको अवश्य ही दुख का अनुभव होगा।

अब मैं राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण के मामले पर आता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक दल इस बात पर क्यों नहीं अड़े हुए हैं कि इस उपबंध को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक दलों की भारत के संविधान, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अवश्य ही निष्ठा होनी चाहिए। वे क्यों इस उपबंध को शामिल करने के प्रति संकोच का अनुभव कर रहे हैं ? वे इसके लिए भयभीत क्यों हैं। इस प्रकार का संशोधन अवश्य ही अपेक्षित है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने यह देखा है कि साम्प्रदायिक संगठनों तथा अलगाववादी संगठनों की वृद्धि हो रही है तथा ये संगठन कुछ स्थानों पर किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं तथा इस देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए यह बहुत ही अनिवार्य है कि इस प्रकार के कदम उठाये जाएं कि इस भांति के संगठन जो धर्म तथा जाति पर आधारित हैं उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाये। अतः मैं इस उपबंध का समर्थन करता हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों की ओर से बहु-प्रयोजनीय परिचय-पत्रों के संबंध में सुझाव दिये गये हैं। मैं भी बहु-प्रयोजनीय परिचय-पत्रों को लाने की आवश्यकता महसूस करता हूं क्योंकि यह मत केन्द्रों पर कब्जा करने वालों को रोकने के लिए एक कदम होगा तथा इन बहु-प्रयोजनीय परिचय-पत्रों से बाद में कुछ अन्य समस्याओं से भी निपटा जा सकता है।

किन्तु जैसाकि श्री गाडगिल के वक्तव्य में ध्यान दिलाया गया है कि इस प्रयोजन के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, हमें अभी इसके ब्यौरों में जाना होगा। किन्तु साथ ही साथ यदि इन बहु-प्रयोजनीय परिचय-पत्रों को बनाने का खर्चा बहुत अधिक भी होता है तथा यदि हम अभी इस कार्य को नहीं भी कर सकते हैं तो भी मैं महसूस करता हूं कि हमें इस विचार को पूरी तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए। यहां तक कि बाद में भी इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा सकती है तथा हमें इससे जितने भी लाभ की आशा है वह हमें इससे प्राप्त हो सकता है।

चुनावों में राज्य द्वारा दिये जाने वाले धन के संबंध में, विपक्ष के प्रत्येक सदस्य ने जिन्होंने अभी-अभी बोला है उन्होंने मांग की है कि चुनाव में राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को धन दिया जाना चाहिए। हम भी महसूस करते हैं कि यदि सम्भव है तो राज्य को चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को धन देना चाहिए किन्तु राज्य द्वारा धन दिए जाने के संबंध में, बहुसंख्यक पार्टियों की वर्तमान पद्धति जहां न केवल राजनीतिक पार्टियां अपितु छोटे-छोटे संगठन तथा अकेले व्यक्ति भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हों तो चुनावों के लिए राज्यों द्वारा उन्हें धन दिया जाना सम्भव नहीं होगा। इससे वे परिणाम नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं अथवा जिनकी हम आशा करते हैं। धन की भूमिका कम करने के लिए राज्यों द्वारा राजनैतिक दलों को धन दिए जाने की बात कही जाती है। यदि ऐसा करने से धन की भूमिका कम नहीं होती तो सरकार द्वारा चुनावों के लिए धन देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह बुराई फिर भी बनी रहेगी तथा इस बुराई को जारी रखने के लिए एक अंश अथवा भाग सरकार के कोषागार से आएगा।

अतः मैं इसका समर्थन नहीं करता। प्रो० दंडवते उल्लेख कर रहे थे कि जब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका, जब परिवार नियोजन प्रभावकारी रूप से नहीं किया जा सका तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों की संख्या पर तो नियंत्रण रखा जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं। हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं, ऐसा विपक्ष जो राष्ट्र का सबसे मजबूत विपक्षी दल हो, जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो तथा उसका राष्ट्र के विभिन्न मामलों के प्रति एक व्यापक नजरिया हो। लेकिन हमने क्या देखा है? हमने विपक्ष को किसी राष्ट्रीय उद्देश्य या राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं वरन सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय मोर्चे में एक जुट होते देखा है। यदि ऐसा ही दृष्टिकोण रहा तो देश में द्वि-दलीय व्यवस्था कभी भी नहीं होगी क्योंकि सत्तारूढ़ दल से दृढ़तापूर्वक अपनी बात कह सकने वाला सशक्त और राष्ट्रीय विपक्ष कभी भी उभर नहीं पायेगा।

यदि देश में द्विदलीय व्यवस्था होनी है, चुनावों में राज्य द्वारा वित्तपोषण होना है तो उसके लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय समझ और देश से लगाव रखने वाला विपक्ष का होना अनिवार्य है। आज विपक्ष में देश के लिए चिन्ता का अभाव है। आज, वे प्रत्येक मसले से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने मतदान की आयु कम कर दी है। इससे युवा पीढ़ी पर प्रधानमंत्री का विश्वास प्रतिबिम्बित होता है। लेकिन अब विपक्ष के नेता श्री वी० पी० सिंह, जिन्होंने देश के युवाओं के बारे में कभी भी नहीं सोचा, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया है। क्यों? वे नई पीढ़ी से वोट चाहते हैं। यदि विपक्ष यह विश्वास करके चल रहा है कि ऐसा करने से वे नई पीढ़ी की युवाओं के वोट पा जाएंगे तो वे भूल कर रहे हैं। आज नई पीढ़ी इन सारी बातों को अच्छी तरह जानती है। वह न केवल देश की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों से भिज्ञ हैं वरन् देश के भविष्य को भी समझती है।

श्री शंकरानंद ने उल्लेख किया था कि वर्तमान पीढ़ी ही देश का भविष्य है। मैं इसका कड़ा

विरोध करता हूं। आज की युवा पीढ़ी राष्ट्र का भविष्य नहीं है, वरन वह देश के भविष्य की नियामक है। आज हमें नई पीढ़ी को इसी दृष्टि से देखना चाहिए।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने उन पर ऐसा विश्वास प्रकट किया है और युवा पीढ़ी को अपने साथ लिया है। मुझे आशा है कि युवा पीढ़ी से देश-निर्माण, देश को सशक्त करने तथा एक बेहतर भारतवर्ष के निर्माण हेतु जो आशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी को प्रदत्त इस मताधिकार का उनके द्वारा प्रभावपूर्ण और बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग किया जायेगा यद्यपि वे युवाजन हैं। मैं प्रसन्न हूं कि युवा कांग्रेस और एन० यू० एस० आई० की एक मांग मान ली गई है। मैं प्रसन्न हूं कि दल-बदल विरोधी विधेयक मंजूर होने के साथ जो घटना-क्रम प्रारम्भ हुआ था वह आज भी चल रहा है। यह देश और देश के भविष्य के हित में देश में प्रजातन्त्र को मजबूत करता रहेगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय सभापति महोदया, आपको बहुत धन्यवाद है आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री राजीव जी और हमारे कानून मंत्री शंकरानंद जी, भारद्वाज जी और इस बिल के पीछे जिनका भी मस्तिष्क है, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारी पीढ़ियों के लिए एक ठीक काम उन्होंने यहां पर इस सत्र में कर दिया है। इस बिल को विवादास्पद बनाने की कोशिश हमारे कई मित्रों ने की। बार-बार लगता था कि यह बिल लाया जाएगा या नहीं, फिर यह इल्जाम था कि शायद टाल दिया जाएगा, लेकिन अन्त में बिल आया और हम सब इस बिल में भागीदार हैं, यह हमारा सौभाग्य है।

आज सबेरे से अभी तक जो भी हमारे मित्रों के भाषण यहां हो रहे हैं, मैंने उन सबको गहराई से सुना है, समझने की कोशिश की है। इस सदन में आते ही सन् 1985 में पहला बिल यह सरकार लाई दल-बदल विरोधी कानून का और वह उस समय पास हुआ। उस समय हमने देखा यहां सब दूर दिवाली जैसा माहौल था, लेकिन धीरे-धीरे हमारे प्रतिपक्ष ने यह इल्जाम लगाया कि यह बिल केवल इसलिए लाया गया है कि कांग्रेस अपनी सरकार को बचा सके। लेकिन इस बार तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि प्रतिपक्ष ने शुरू से ही यह कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव में जो संशोधन हो रहा है, इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मुझे खुशी है कि यह बिल आया और हम इसमें हिस्सेदारी भी कर रहे हैं और 18 वर्ष के बच्चों को, 18 वर्ष की पीढ़ी को इस देश में पहली बार प्रेरित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तब हमारे मित्र इस बात पर अंगुली उठाते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट देखें, जो लोग चुनाव लड़कर आए हैं, जाकर देखें, और स्क्रूटिनी करें, तो उसमें एक, दो, तीन प्रतिशत ऐसे वोटर्स मिल जाएंगे

जनकी उम्र आज भी 18 साल से कम है, उनके नाम आज भी लिखे हुए हैं। 18 साल और 21 साल के बीच में हैं, उनके नाम लिखे हैं। कई जगह तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे आलरेडी वोट डालने जा रहे हैं। उन वोटर लिस्टों पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जीते हैं या चुनाव लड़े हैं और हारे हैं। यह इस देश में हो रहा है।

यदि आज हमने और सरकार ने इस बात को समझकर के और चुनाव सुधार का यह काम शुरू किया है और इस सदन में हम इस बिल को पास कर रहे हैं, तो यश और बधाई उसी को होनी चाहिए, लेकिन इस बारे मे मुझे एक बात विपक्ष की सुनाई पड़ रही है, उसकी समस्या यह है कि यह बिल पास हो रहा है पास होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि इसका क्रेडिट किस को जा रहा है। अपोजीशन की प्राब्लम यह है कि इसका यश किसको जा रहा है। इसके लिए अपोजीशन में छीना-झपटी मची हुई है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे जितना यश लूट लीजिएगा इतिहास में जब भी यह बिल लिखा जाएगा, राजीव गांधी के खाते में लिखा जाएगा। आज आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अखबार और इतिहास दोनों में फर्क होता है। मेरा निवेदन यह है कि आज आप अखबार में चाहे कुछ भी लिख लीजिए, समाचार चाहे जो भी बना लीजिए, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह बिल राजीव गांधी के खाते में लिखा जाएगा। जिस तरह से राजीव गांधी के खाते में एंटी डिफेक्शन बिल लिखा गया, उसी तरह से यह बिल भी राजीव गांधी के खाते में लिखा जाएगा। (व्यवधान)

हमने अपोजीशन से हर वक्त हर भाषा में बात की है और कांग्रेस 103 साल से इस बात को जानती है कि प्रतिपक्ष से किस भाषा में बात करनी है। आप से हम भाषा नहीं सीखेंगे और न प्रतिपक्ष से सीखेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस देश का अपोजीशन आज से नहीं, बल्कि पहले से दया का पात्र है उसको दया का पात्र बने रहने दीजिए। ये लोग हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगर ईश्वर कहीं सुनता हो, प्रार्थना मेरी चलती हो तो इस सदन में प्रजातंत्र के मंदिर मे प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इस देश के प्रति-पक्ष को ऐसे ही बुद्धि देते रहना ताकि हम राज्य करते रहें हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। आपकी बुद्धि जिस दिन ठीक हो जाएगी, उस दिन पता नहीं आप कहां होंगे ? आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे।

आपने रजिस्ट्रेशन और पार्टियों का विरोध किया है। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। गाडगिल साहब ने सच कहा है कि ये किस कम्पनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ? इनके नाम के पार्टनर रोज बदलते हैं, इनके पटिये रोज बदलते हैं, नाम रोज बदलते हैं, किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाएं ?

एक माननीय सदस्य : बेनामी दल।

श्री बालकवि बैरागी : और कुल मिलाकर, यदि कोई ब्लैंक रजिस्ट्रेशन होता हो, कोरी चिट मिलती हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सब करवा लेंगे, लेकिन जब आप यहां पर निज़म लाते हैं, कानून

लाते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन की बात बाद में करते हैं, पहले विरोध करते हैं। मुझे अफसोस और आश्चर्य होता है कि सब जिम्मेवार लोग, इन बैंचों पर बैठने वाले रिस्पौंसिबिल लोग, जिनको हम देश में रोज जिम्मेवार मानते हैं, और जिम्मेवार मानकर उनकी बात को सुनते हैं तो वह कहते हैं कि अपोजिशन के लोगों से तो सलाह ली गई, लेकिन अपोजीशन पार्टी से सलाह नहीं ली गई। यह एक अजीब थीसिस है कि अपोजीशन के लोग अलग हैं और अपोजीशन पार्टी अलग हैं? इनके यहां संख्या इकाई से नहीं बनती है, प्रतिपक्ष में संख्या सैकड़े से एक साथ पैदा हो जाती है। इस तरह कैसे काम चलेगा? जब हमारे विरोधी भाई विरोध करते हैं तो मुझे समझ में आता है और आज अगर विरोध करे तो क्या करें? मुझे अफसोस और आश्चर्य नहीं होगा अगर इस बिल के पास होने के वक्त ये वाक-आउट भी कर जाएं। मैं एन्टीसिपेट करता हूं कि कहीं न कहीं ये गुस्सा होंगे और कल जब वोट होगा तो वे हमारे कुछ लोग कह देंगे कि हम इससे असहमत हैं और बाहर चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि हाउस में अगर अपोजीशन भागीदारी नहीं करेगा और केवल घटनाओं में भागीदारी करेगा तो वह ऐतिहासिक अपोजिशन नहीं होगा, वह घटना-प्रधान अपोजिशन होगा।

खर्च की भी बहुत बात कही गई है। मैं इस देश का आदमी हूं, मैं निजी जीवन के बारे में कहना पसन्द नहीं करता, मुझे कहने का अधिकार है लेकिन नहीं कहूंगा। मैं 4 चुनाव लड़ा हूं अपनी वह गरीब जिन्दगी में, और सच मानिए अपने पैसे से नहीं लड़ा। मेरी जेब से एक पाई खर्च नहीं हुई और मैं चुनाव जीत भी गया। एक चुनाव हार भी गया लेकिन एक भी पाई अपनी जेब से खर्च नहीं की, मैं सत्य कहता हूं कि मुझे आज तक यह पता नहीं कि मेरे डिपाजिट का पैसा चारों चुनाव में किसने जमा किया, लेकिन एक गरीब आदमी इस देश में चुनाव लड़कर पालियामैंट तक पहुंच जाए और उसको यह पता न चले कि यह कैसे हुआ तो मैं समझता हूं कि यह सिस्टम का पुण्य है, मेरा नहीं है। हम तो प्रजातंत्र को पुण्यशाली कहना चाहते हैं,···

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़): यह तरीका सबको बता दो।

श्री बालकवि बैरागी: हमारे राव साहब कह रहे हैं कि यह तरीका सबको बता दो। (व्यवधान) इस सिस्टम का तरीका मैं अपने अपोजिशन के श्री बी० बी० पाटिल और हमारे राव साहब को बता देना चाहता हूं। यह आसान-सा तरीका है कि आप सब बैरागी हो जाइए, आप सब जीत जाएंगे। आपको बैरागी होना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा, खेती मजदूर और किसान से बात करनी पड़ेगी, उनसे जुड़ना होगा।

एक माननीय सदस्य: कवि भी बनना पड़ेगा।

श्री बालकवि बैरागी: कवि तो ईश्वर बनाता है लेकिन इस देश में जब आप बैरागी हो जाएंगे तो वह देश आपका हो जाएगा। जब आप देश के होंगे तो देश आपका होगा लेकिन जब आप विदेश के हो जाएंगे, तो···

श्री जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : बैरागी भी बाल-बच्चों वाला ।

श्री बालकवि बैरागी : एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, यह ठीक है कि चुनाव के बारे में हमारे हंसराज जी नोट कर रहे हैं, मैं उससे कहूंगा कि वह लिखें, यहां जब हमने माधव भाई से पुकार कर पूछा कि आप बता दें कि चुनाव कितने में लड़ा तो वह उस सवाल को टाल गए । आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या हम सही रिटर्न भरते हैं ?

यहां तो दूल्हे और उसके बाप का कम खर्च होता है, बारात वाले ज्यादा पैसा खर्च करते हैं । यह हालत होती है कि जब जलूस जाता है जीते हुए उम्मीदवार का तो दूल्हे का बाप कहता है कि मुझे दहेज भी नहीं मिला ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : सब बैरागी हो गए तो काम कैसे चलेगा ?

श्री बालकवि बैरागी : ढिल्लों साहब, मैं थोड़ी सी बात आपसे लाबी में कर लूंगा । (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, राव साहब ने निजी बातें करनी शुरू कर दी हैं मैं उनमें नहीं जाऊंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पैसे को देश की जनता अच्छी नजर से नहीं देखती है। जो लोग सरकार के पैसे से चुनाव लड़ेंगे जनता उन्हें अच्छा नहीं कहेगी । इसलिए उस पैसे से चुनाव लड़ा जाये जिसे जनता अच्छा पैसा समझती है । मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि वह पैसा सरकार का नहीं होकर बाहर का होता है । जनता का होता है। इसके साथ ही आप ग्राम पंचायतों को कह दीजिए कि वह पोस्टर लगाने का कोई स्थान तय कर दे और हर गांव में पोस्टरों की संख्या तय कर दें । दीवारों पर अक्सर पोस्टर लगे रहते हैं और वे भी फटी हुई हालत में होते हैं । कई बार यह भी पता नहीं लग पाता है कि वह पोस्टर किसने लाकर किसका चिपटा दिया है । इन पोस्टरों और झंडों को लगाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है । झंडों के बारे में भी एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं । यह तो सब जानते हैं कि हमारा झंडा तीन रंग का होता है, लेकिन जिनका झंडा एक या दो रंग का होता है उनको बड़ी तकलीफ होती है । उनके कार्यकर्त्ता कहते हैं कि झंडा एक मीटर से कम नहीं होना चाहिए । ऐसा वह इसलिए कहते हैं ताकि चुनाव के बाद वह ब्लाऊज बनाने के काम आ सके । आप इन झंडों पर कोई रोक लगाइए । चुनावों तक तो वह झंडे बिल्डिंगों पर लगे नजर आते हैं । लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह किसी न किसी जिस्म पर पहने नजर आते हैं । अक्सर उनमें नील लगा रहता है और वह धूल तक नहीं पाते हैं । पीछे यह कहते सुनने को मिलता है कि देखिए, हमारी बहन जी चली जा रही हैं और इनके पीछे चुनाव चिन्ह लगा हुआ है । मैं अपनी इस बात को बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं आप देहात में जाकर देखेंगे तो आपको यह सब देखने को मिल जायेगा । पोस्टर और झंडों के बारे में कोई रास्ता निकालिए ताकि अनावश्यक खर्चे से बचा जा सके । चुनाव क्षेत्रों में की जाने वाली आम सभाओं की सीमित संख्या का निर्धारण कीजिए । बहुत ज्यादा आम सभायें करनी पड़ती हैं । समय शक्ति साधन और पैसे की बर्बादी होती है ।

स्वतंत्र उम्मीदवारों के बारे में हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने आलोचना की है। माधव भाई मेरे बड़े भाई हैं। वह भी चुनाव जीतकर आये हैं। बोलने के बाद माधव भाई का पता चला कि स्वतंत्र उम्मीदवारों के बारे में जोर से नहीं कहना चाहिए क्योंकि वी० पी० सिंह नाम के सज्जन आदमी भी यहां इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं। हमारे साथी तो जानते ही हैं कि वह इनके लीडर भी हैं। मेरे भाई को यह बात बाद में समझ आई। (व्यवधान) माधव भाई को मैं बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र अलग होता है और परम स्वतंत्र अलग होता है। स्वतंत्र उम्मीदवारों के बारे में कोई फैसला आप जरूर करिए। आप चाहे डिपाजिट 25 हजार कर दीजिए लेकिन इस देश में प्रजातंत्र को उखाड़ने वाली ताकतें आप 50 हजार भी डिपाजिट कर देंगे तो वे पैसा कहीं से भी ले आयेंगी। वह किसी न किसी प्रकार से इन्हें लड़ाती रहेंगी। कुछ ताकतें इस देश में ऐसी हैं जो कि किसी न किसी तरीके से लोकतांत्रिक गवर्नमैंट को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। साजिशें अवसर चलाती रहती हैं। आप कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि इसको रोका जा सके।

इसके साथ ही चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती है। बैलेट में इनका पता नहीं चल पाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप हमारे बच्चों पर विश्वास कर रहे है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वह समझदारों के बच्चे हैं। आप इसके द्वारा 18 वर्ष की उम्र वालों को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। यह अधिकार मिलने के बाद वह समझदारी से काम करेंगे। हमें और हमारे नेता तथा हमारी संस्था को भरोसा है। पक्का।

मधु साहब ने कई बातें बहुत सुझबूझ की कहीं। अब उन्हें डर है कि पता नहीं उनके अमेंडमेंटस का क्या होगा। यह झंझट वाली कोई बात नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। बीतने के बाद हम अच्छा सब कुछ लाना चाहते हैं।

आप बिजली की मशीनें लगायेंगे यह भी एक अच्छा कदम है। हमारे दिल्ली के पड़ोसी प्रदेश को थोड़ी तकलीफ जरूर होगी क्योंकि अगर बिजली की मशीन लगायेंगे तो गड़बड़ नहीं हो पायेगी जो कि वह पहले कर चुके हैं। (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि आप बिजली की मशीन लगाइये। (व्यवधान) मुझे अफसोस तब होता है जबकि सरकार ही बूथ कैप्चरिंग में शामिल हो जाती है। अब हम शिकायत किससे करें? अगर प्रदेश की सरकारें बूथ कैप्चरिंग में शामिल हो जायें, वही इस घोंसले को उजाड़ने में लग जायें तो जनता आखिर शिकायत किससे करेगी। आपने इसमें यह जो रास्ता निकाला है, सजा का दण्ड के कठोर प्रावधान का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभाऐं नष्ट करने पर आपने इसमें एक अच्छी व्यवस्था कर दी है, वरना मित्र लोगों ने सभाऐं नष्ट करने के कई रास्ते निकाल रखे थे, अब वह पकड़ में आयेंगे, इसके लिए मैं शंकरानन्द जी को और आपको बहुत-बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इस बिल को पास कर।

मांना कि इसमें कुछ कमियां और कमजोरियां रह जायेंगी, साल भर बाद चुनाव आ रहे हैं और उन चुनावों में सारी की सारी कमजोरियों का हमको स्पष्टीकरण हो जाएगा, हम उन्हें समझ जायेंगे कि इसमें और क्या करना है, हमें मालूम पड़ जायेगा। हमारे बाद जो लोग यहां बैठेंगे, वे उन कमजोरियों पर मिल बैठकर और विचार कर लेंगे लेकिन इस कारण काम्प्रीहेंसिव बिल, समग्र कानून के नाम पर इस बिल को रोक दिया जाय, यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी।

मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि देश में दीवाली है, इस बिल का देश और पीढ़ियां इन्तजार कर रही हैं, आप इसे पास कीजिए और पास करके देश को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों प्राप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : सभापति महोदया, हमारे समक्ष दो विधेयक हैं—एक है संविधान संशोधन विधेयक जिसके द्वारा मतदान की आयु कम करके अठारह वर्ष की जा रही है और दूसरे विधेयक द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन प्रस्तावित है। जहां तक मतदान आयु को कम करके 18 वर्ष करने वाले विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसे बिना शर्त पूर्ण समर्थन देता हूं। मेरे प्रसन्न होने के अधिक कारण हैं क्योंकि मैं यहां ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जो मुख्यतः युवा पीढ़ी से बना है। यदि एक अठारह वर्ष का युवा विधान के अधीन सभी मामलों में भागीदारी कर सकता है और उत्तरदायित्व ले सकता है तो उनको मताधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है, और मैं समझता हूं कि आज इस गलती को सुधार लिया गया है। लेकिन मुझे एक ही बात कहनी है और उस पर मैं श्री भारद्वाज का स्पष्टीकरण चाहूंगा। विधि मंत्री ने कहा है कि विधेयक को विधान मंडलों से सम्पुष्टि प्रकरण मिलना आवश्यक है। मेरा अपना विचार यह है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत इस विधेयक को विधान मंडलों से सपुष्टि मिलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 241 के संशोधन हेतु ही विधान मंडलों से संपुष्टि प्राप्त करना अनिवार्य है। श्री भारद्वाज द्वारा केवल एक ही प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है वह यह कि यदि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन हो तो संपुष्टि प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन इस विधेयक से संसद में प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है क्योंकि यदि मेरे मित्र महोदय यह कहते हैं कि इससे संसद में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन होता है, तो प्रत्येक सीमा निर्धारण से संसद में प्रतिनिधित्व से परिवर्तन होता है अतएव मैं श्री भारद्वाज अथवा श्री शकरानंद से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या वस्तुतः इस विधेयक के लिए संपुष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे विचार में इस विधेयक के लिए संपुष्टि की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किसी भी संपुष्टि खंड के अन्तर्गत नहीं आता है।

जहां तक दूसरे विधेयक का सम्बन्ध है, मैं उस पर अपनी निराशा अवश्य व्यक्त करूंगा। मैंने इस दूसरे विधेयक का अनुशीलन विपक्ष की दृष्टि से नहीं वरन् निष्पक्ष रूप से करते हुए इसके

प्रावधानों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, और मेरी निराशा इस तथ्य से होती है कि हमारी चुनाव पद्धति में जो अनेक खामियां हैं तथा जिनको दूर करना आवश्यक है, उन्हें इस विधेयक में बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है यह कहते हुए कि हमारी चुनाव पद्धति में अनेकों खामियां हैं मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे भारतीय मतदाता से कोई शिकायत नहीं है। मैं सतत चुनावों में विश्वास करता हूं। भारतीय मतदाता ने, जिसमें से अनेक इस दृष्टि से अशिक्षित होने के बावजूद कि उन्होंने कालेज अथवा स्कूल की शिक्षा कभी नहीं ली, उत्तरदायित्व और गरिमा के साथ मतदान किया है। अन्यथा सरकार में इतने अधिक परिवर्तन नहीं होते। मतदाता जाति और साम्प्रदायिक भावनाओं के ऊपर उठ चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूं जिनका विचार है कि वस्तुतः महत्वपूर्ण समय में धन उनको प्रभावित करने में सफल नहीं हुआ है अन्यथा इस तथ्य के बावजूद 1971 में श्रीमती गांधी के विरुद्ध जबरदस्त ताकतें काम कर रही थीं, वे सत्ता में नहीं आ पातीं और 1977 में सौ वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी की जगह कूड़ादान न बन जाता। इसी प्रकार अ० ग० प० जैसी पार्टी असम में सत्तारूढ़ न हो पाती। आन्ध्र प्रदेश में 1977 में भी जब उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकी गई थी कांग्रेस 42 में 41 सीटें पा सकी थी, लेकिन वही जब आन्ध्र प्रदेश के लोगों के सम्मान को धक्का पहुंचा उन्होंने उसी पार्टी को सत्ताच्युत करने का फैसला किया। अतएव, जनता ने उत्तरदायित्व के साथ मतदान किया है और मैं अनुभव करता हूं कि बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के यदि किसी ने इस देश में निराश किया है तो वह राजनैतिक दल और राजनीतिज्ञ हैं न कि जनता। जनता अपनी बात पर दृढ़ता से जमी रही है और यदि हम संसद में प्रतिनिधित्व को संतुलित करने में सफल नहीं रहे हैं, सत्ता नहीं प्राप्त कर पाते तो इसमें मैं दोष अपने को दूंगा न कि किसी और को। कुछ मित्रों ने शिकायत की है कि विपक्ष की केवल सत्ता हथियाने की आकांक्षा है और मेरी समझ में यह नैसर्गिक आकांक्षा है। प्रजातंत्र में विपक्ष सदैव सत्ता हासिल करने का प्रयत्न करेगा और सत्तारूढ़ दल हमेशा सत्ता में बने रहने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि चुनाव पद्धति में ऐसी कोई खामियां नहीं है जिन्हें दूर करने की जरूरत नहीं हैं। हमने भी 1983 में असम में चुनाव प्रक्रिया में खामी तब देखी जब सांविधानिक बाध्यताओं के बहाने से वहां चुनाव कराये गये और जहां चुनाव क्षेत्रों के 90,000 मतदाताओं में से 89990 ने कहा कि, "हम मतदान नहीं कर रहे हैं" और जब 90 या इतने ही मतों से व्यक्ति चुन लिए गये और मन्त्री बनाये गये। चुनाव प्रक्रिया में खामियां हैं, और यह बात नहीं है कि हमने इन खामियों के संबंध में शिकायत नहीं की है, शिकायतें दूसरी तरफ से भी आई हैं। जब कभी भी विपक्ष जीता है तो सत्तारूढ़ दल ने शिकायत की है कि चुनाव प्रक्रिया में खामियां रही हैं, अतः यह आवश्यक है कि हमें चुनाव प्रक्रिया का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए।

महोदय, तीन ताकतें अथवा शक्तियां हैं जिनसे निपटा जाना है। पहली शक्ति है धन का दुरुपयोग, दूसरी है राज्य सत्ता का दुरुपयोग और तीसरी शक्ति है बाहुबल का दुरुपयोग। मेरा विचार यह है कि धन स्वयं तो चुनाव परिणामों पर प्रभाव नहीं डालता। अन्यथा टाटा और बिरला चुनावों

को जीत लेते। लेकिन जिस समस्या का मुझे सामना करना पड़ता है वह कि हमें चुनाव करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यह तो बैरागी महोदय ही हो सकते हैं जो बिना धन के भी चुनाव जीत लें। वह सभी को अपना जैसा होने के लिए कहते हैं। इस अवस्था में मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो सभी महिलाएं मुझ पर धावा बोल देंगी।

एक माननीय सदस्य : बैरागी जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा है।

श्री विनेश गोस्वामी : मुझे यह जानकर खुशी है। मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले आम चुनावों में, मुझे आशा है कि हमारे विपक्षी इस बात की पुष्टि करेंगे कि असमगण परिषद के हमारे उम्मीदवार 5000 रु० से कम खर्च करके चुनाव जीते थे। यह इसलिए कि लोगों ने चुनाव को एक चुनौती माना था। यह काफी हद तक जनमत-संग्रह जैसा था। लेकिन एक अपवाद था। आज यदि आप एक चुनाव तन्त्र चलाना चाहें—तो धन चाहे आपकी जेब से आए अथवा दल से मिले और अथवा यह आपके दोस्तों से प्राप्त हो या अन्य स्रोतों से, मेरे विचार से एक संसदीय चुनाव 5 लाख रु० से कम करना असम्भव है। वास्तव में चुनाव आयोग के सचिव श्री गणेशन ने कुछ समय पूर्व एक सर्वेक्षण किया था और उनका विचार था कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में असरदारपूर्वक चुनाव लड़ने के लिए 5.85 लाख रु० आवश्यक होंगे। मैंने कुछ हिसाब लगाया। मान लीजिए कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है, तो मेरा कितना खर्च होगा ? मैंने देखा कि मुझे 22 गाड़ियां—चाहे वह किन्हीं स्रोतों से प्राप्त हों—चाहनी होंगी मेरे क्षेत्र में दस विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र हैं और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 8 दिन के लिए 2 गाड़ियों के हिसाब से 22 गाड़ियों का प्रबंध करना होगा और आजकल कम से कम इतनी संख्या तो चाहिए ही। अतः एक व्यक्ति को लगभग 3.50 लाख रु० चाहिए तथा चुनाव वाले दिनों औसतन उसे 70,000 रु० की आवश्यकता होगी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों के लिए उसे लगभग 50,000 रु० की आवश्यकता होगी। अतः आप 4.5 लाख रु० से कम में चुनाव कराने की नहीं सोच सकते। अब, यह धन कहां से आएगा ? यह 5 लाख रु० या तो मैं अपने दोस्तों से लूंगा अन्यथा अन्य स्रोतों से प्राप्त करूंगा। मुझे चुनाव प्रयोजन से धन देने वाले कितने दोस्त होंगे ? मैं सोचता हूं कि दल या व्यक्तियों को उद्योगपतियों अथवा मिल मालिकों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या वे बदले में कुछ लिए बिना धन दे देंगे। या तो आपको विदेशी दलाली से धन मिलेगा अथवा भारतीय उद्योगपतियों से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसे अत्यधिक कैडर आधारित पार्टी के मामले में खर्चा कुछ कम हो सकता है, लेकिन उन्हें भी सत्ता में आने के बाद धन की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से खर्चा उनका भी बढ़ रहा है। इसलिए हम जब धन शक्ति से निपटने की बात कहते हैं तो यह भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं है चूंकि वो धन से कुछ न कुछ तो प्रभावित किए जाते ही हैं, बल्कि इसलिए कि यह उल्लेख किया जाए कि यदि हमें चुनाव वायदों को यथार्थ रूप देना है तो एक तरफ हम नहीं कह सकते कि हम समाजवादी समाज बनाएंगे अथवा हम गरीबों के लिए कार्य करेंगे। हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसों के लिए धनी लोगों

की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे हालात में, हमारे प्रयास अथवा प्रतिबद्धता कुछ भी हो वे कमजोर हो जाते हैं और इसीलिए, यह आवश्यक हो गया है कि यदि हम अपने वायदों को यथार्थ स्वरूप देना चाहते हैं तो हमें खर्चों को कम करना होगा तथा यहीं पर राज्य द्वारा धन दिए जाने का प्रश्न उभरता है।

मुझे पता है कि भारत जैसे देश में सभी लोगों को सरकार द्वारा धन दिया जाना संभव नहीं है—प्रत्येक उम्मीदवार को 5 लाख रु० देना सम्भव नहीं है और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि स्वतंत्र उम्मीदवार अथवा अ-मान्यताप्राप्त दलों को राज्य की तरफ से धन दिया जाए। लेकिन हमारे कुछ मानदंड हैं, चुनाव आयोग कुछ दलों को - जिन्हें विधान सभा चुनावों अथवा संसदीय चुनावों में कुछ प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं—कतिपय चिन्ह प्रदान करता है। हम कुछ मापदण्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं तथा धन देने की बजाय हम न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने से शुरूआत कर सकते हैं। क्या हम उस उम्मीदवार को, जोकि मान्यताप्राप्त दल जिसे चुनाव चिन्ह आदेश के अन्तर्गत मान्यता दी गई है, से संबंधित है, मतदाताओं को अपील अथवा पहचान-पत्र भेजे जाने के लिए निःशुल्क डाक टिकट की सुविधा नहीं दे सकते ? क्यों न हम झन्डों, पोस्टरों आदि पर कुछ सीमाएं नहीं लगा सकते है ? बैरागी महोदय तक ने इसका सुझाव दिया है। हम मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को सीमित संख्या में गाड़ियां तथा ईंधन सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते ? इससे राज्य को अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इससे एक निर्धन दल को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा और समान रूप से ही पैसे वाले दल भी समाज के सम्पन्न वर्ग पर कम आश्रित होंगे क्योंकि आप चाहे जो कहें, तथ्य तो यह है ही कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया दूषित कर दी गई यह इस कारण से नहीं कि लोगों ने गलत ढंग से मत डाले हैं बल्कि इस कारण से कि हम वायदे करते हैं तथा उन्हें पूरा करने में नाकामयाब रहते हैं दल चाहे कोई भी हो, चाहे वह कांग्रेस हो अथवा विपक्षी दल, क्योंकि धन से चुनाव लड़ने की बाध्यता है तथा फिर उन लोगों से लड़ना तो राज्य द्वारा धन दिए जाने की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। यह बात नहीं है कि विपक्ष ने यह सुझाव दिया है, राज्य द्वारा धन दिए जाने के प्रश्न पर सम्पूर्ण रूप से चर्चा की गई, वास्तव में 1980 के चुनाव आयोग ने सरकार को यह सुझाव दिया था। दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री आर० के० त्रिवेदी और श्री श्यामलाल शकधर इस सुझाव को दे चुके हैं एक गोष्ठी थी जिसमें स्वयं अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, श्री एल० पी० सिंह, श्री तारकुन्डे तथा तत्कालीन विधि मंत्री श्री सेन उपस्थित थे, सभी इस बात पर एकमत थे कि राज्य द्वारा सीमित मात्रा में धन दिया जाना आवश्यक है। किन मदों पर पैसा दिया जा सकता है अथवा किस तरह की सहायता हो—मैं नकद पैसे के लिए नहीं कहता—क्या सामान दिया जा सकता है, हां उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन सिद्धान्ततः मेरा विश्वास है कि राज्य द्वारा धन दिए जाने की बात स्वीकार कर ली जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बात पर इस विधेयक में विचार ही नहीं किया गया है।

दूसरा प्रश्न है राज्य सत्ता का दुरुपयोग। कोई कितना भी कहे, आज दूरदर्शन और रेडियो ने अपनी विश्वसनीयता गंवा दी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, जी नहीं।

श्री दिनेश गोस्वामी : सत्तारूढ़ दल के मेरे मित्र असहमत हो सकते हैं लेकिन लोग दूरदर्शन और रेडियो पर विश्वास नहीं करते।

प्रो० एन० जी० रंगा : लोग से आपका क्या अभिप्राय है? (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : आपको मैं गलत लग सकता हूं। (व्यवधान) मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप आम व्यक्ति से पूछें, उनका यह मत है आप जान जाएंगे कि दूरदर्शन और रेडियो ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। (व्यवधान) दूसरे, चाहे जो सत्ता में हो, कोई व्यक्ति इस बात से मना नहीं कर सकता कि जैसे ही एक बार चुनाव निकट हो तो शिलान्यास का कार्य शुरू हो जाता है। प्रत्यक्षतः कतिपय संहिताएं हैं, लेकिन ये संहिताएं चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के बाद ही लागू होती हैं। लेकिन हम सबको मालूम है कि आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू होने जा रही है, जब कानून के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी। लेकिन सभी जानते हैं और वह भी पांच महीने पहले से जानते हैं कि जनवरी में चुनाव होंगे। और इन महीनों के दौरान किसी भी संहिता का उल्लंघन किए बगैर सभी तरह के वादे किए गए हैं।

मैं केवल कांग्रेस पार्टी को ही दोष नहीं दे रहा हूं। प्रत्येक सत्तारूढ़ दल की यही प्रवृत्ति होती है। जो भी सत्ता में होता है, मतदाताओं को खुश करने की कोशिश करता है। सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग होता है। क्या हमें इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। सरकारी वाहनों, सरकारी हैलीकाप्टरों का मुक्त रूप से दुरुपयोग होता है, क्या सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगानी चाहिए और क्या सरकारी शक्ति के दुरुपयोग को नहीं रोका जाना चाहिए?

निर्वाचन आयोग के बारे में एक बात कही गई है। श्री शंकरानंद ने कहा कि संविधान में भी लिखा है कि निर्वाचन आयोग में कई सदस्य होने चाहिए। परन्तु अनुच्छेद 324(2) के अनुसार :

> "निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलाकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।"

अब तक संसद ने अनुच्छेद 324(2) के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेताल करते हुए कोई कानून नहीं बनाया है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि उसे निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कानून बनाना

चाहिए । मेरी इस सरकार से मांग है कि यदि सरकार ईमानदार है, वह एक ऐसा कानून लाए जिसके अधीन निर्वाचन आयोग में कई सदस्य हों । हमारा यह सुझाव है कि इसका गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति जोकि राज्यसभा के सभापति हैं के परामर्श से किया जाए क्योंकि राज्यसभा भी इस प्रक्रिया से सम्बद्ध है । कानून बनाया जाना चाहिए । दूसरी बात यह है कि निर्वाचन आयोग का स्टाफ संघ सरकार का स्टाफ है । निर्वाचन आयोग का कोई स्वतन्त्र सचिवालय नहीं है । संविधान सभा के समय भी इस मुद्दे पर बहस हुई थी । डा० अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि इससे अतिरिक्त खर्च होगा या कार्य की पुनरावर्ती होगी । उन्होंने इस बात का पक्ष नहीं लिया । परन्तु यदि आप निर्वाचन कार्य में लगे सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र को, मतदाता सूची तैयार करने की तारीख से ही, प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्वाचन आयोग में रखना चाहते हो तो क्या आप सोचते हैं कि खर्च कई गुना नहीं बढ़ जाएगा ? मैं पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग को एक स्वतन्त्र निकाय बनाने के पक्ष में हूं । इसलिए, पहले तो निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र बनाना चाहिए । आप निर्वाचन आयोग पर अपना नियंत्रण समाप्त नहीं करना चाहते । निर्वाचन आयोग ने भी सुझाव दिया था कि निर्वाचन विभाग बनाया जाना चाहिए परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया । मेरा सुझाव है कि निर्वाचन आयोग का स्वतन्त्र सचिवालय बनाया जाना चाहिए और यदि लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय की तरह एक स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग बना दिया जाता है तो मुझे इस उपबन्ध का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकारों में चुनाव का कोई भी कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त किया जा सके । परन्तु ऐसा नहीं होगा । जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, आप यह फैसला कर लीजिए कि पृथक सचिवालय न बनाया जाए परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को आयोग के अधीन लाने का प्रयास कीजिए । मैं महसूस करता हूं कि आपकी कार्यवाही निष्कपट नहीं है और इसीलिए, मेरा इस सरकार से आग्रह है कि एक स्वतन्त्र सचिवालय स्थापित किया जाना चाहिए । मैंने इसीलिए धारा 13 ग ग और धारा 28 क में संशोधन पेश किया है ।

मेरा संशोधन है :

> "परन्तु कि इस धारा का उपबंध संसद द्वारा विधि के अधीन स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग सचिवालय की स्थापना और संघ सरकार के नियंत्रण बिना आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन कर्मचारियों का सम्पूर्ण प्राधिकार आयोग को दिए जाने के बाद प्रवृत्त होगा ।"

यदि सरकार में मेरे संशोधन को स्वीकार करने का साहस और विश्वास है तो मैं सरकार को पूरा श्रेय दूंगा ।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उप-चुनाव कराए जाने के बारे में एक सांविधिक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । अनेक निर्वाचन क्षेत्रों के संसद में प्रतिनिधि नहीं हैं । तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं । इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है जिसके कारण

तमिलनाडु में संसदीय चुनाव न कराए जा सकें। क्या कारण है कि संसदीय उप चुनावों की घोषणा नहीं की गई है। संसद सदस्य के रूप में, मुझे यह पूछने का हक है कि तमिलनाडु में एक निर्वाचन क्षेत्र विशेष का संसद में प्रतिनिधि क्यों नहीं है। इसलिए एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें चुनाव अवश्य ही कराए जाएं और यदि आप महसूस करें कि विशेष कारण हैं तो हम उसे अपवाद स्वरूप स्थगित कर सकते हैं। अन्यथा, मैंने देखा है कि उप चुनाव तभी होते हैं जबकि स्थिति सत्तारूढ़ दल के अनुकूल हो।

4.00 म० प०

तीसरी बात बाहुबल के इस्तेमाल से सम्बन्धित है। मैं मतदान केन्द्रों पर कब्जे और हेराफेरी से सम्बन्धित उपबन्धों का स्वागत करता हूं परन्तु सभी ने पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया है। हमने निर्वाचन नियमों के पंजीकरण में पहचान पत्र के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद, इसे केवल कागजों में ही न रहने दिया जाए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपको निर्वाचन नियमों के पंजीकरण की धारा 28 को लागू करना चाहिए। यदि आप इसे लागू करना चाहते हैं तो शायद पूरे भारत में एक साथ इसे लागू करना सम्भव न हो। परन्तु कम से कम इस दिशा में शुरुआत कर दी जानी चाहिए। जैसा श्री० माधव रेड्डी ने कहा है, मुझे वित्तीय ज्ञापन में इस सिद्धांत को लागू करने या निर्वाचन क्षेत्रों में पहचान पत्र जारी करने के विषय में कोई उपबन्ध नजर नहीं आया। श्री वीरेन्द्र पाटिल जैसे अनुभवी विधायक ने भी कहा है कि किस प्रकार जाली वोट डाले गए हैं। अतः हमने नियमों के अनुसार, जो बहुउद्देशीय पहचान-पत्रों की संकल्पना स्वीकार की है उसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मशीनों का सम्बन्ध है, मैं पूर्णतया उनके पक्ष में हूं। परन्तु इस बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है कि निर्वाचन आयोग ये इलेक्ट्रानिक मशीन कहां लगाएगा। केवल यही वाक्य है कि "यदि निर्वाचन आयोग ऐसा निर्णय करे।" आपके वित्तीय ज्ञापन में, आपने कहा है "संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में।" अधिनियम में लिखा है "निर्वाचन आयोग परिस्थिति को देखते हुए, जहां भी निर्णय करें।" इसलिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिएं क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र, हो सकता है, सत्तारूढ़ दल के लिए संवेदनशील हो। चुनाव परिणाम की दृष्टि से जो निर्वाचन क्षेत्र सत्तारूढ़ दल के लिए संवेदनशील हैं, उन्हें संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र समझा जाएगा। इसलिए मैंने एक संशोधन दिया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों और राज्य तथा संघ सरकार के परामर्श से करेगा जहां इलेक्ट्रानिक मशीनें इस्तेमाल की जानी हैं।

जहां तक पंजीकरण का सम्बन्ध है, मैं पंजीकरण के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि पंजीकरण का क्या प्रयोजन है। इस पंजीकरण से राजनीतिक दलों को कोई लाभ नहीं होगा और न ही वे कोई जिम्मेदारी लेंगे। केवल खण्ड 5 के अधीन एक घोषणा की जानी है। अधिकांश राजनीतिक दलों के नियमों और विनियमों में यह घोषणा है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा

दल समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के लिए वचनबद्ध है। परन्तु मैं विधि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात पर कानूनी महत्व की दृष्टि से विचार करें। जहां तक इस देश की एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता और संविधान में आस्था का सम्बन्ध है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परन्तु क्या अनुच्छेद 19 समाजवाद को भी सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के अधीन केवल यह निर्बन्धन है;

> "इस उपखण्ड की कोई बात भारत की प्रभुता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोकव्यवस्था, अथवा शिष्टाचार या सदाचार के हित में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।"

परन्तु आप यह कहकर निर्बन्धन लगा सकते हैं कि "मैं ऐसे संघ को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दूंगा जो संघ या दल समाजवाद में आस्था रखने की घोषणा नहीं करता है। कोई दल कह सकता है कि उसकी समाजवाद में आस्था नहीं है और वह संवैधानिक प्रक्रिया से देश में एक भिन्न व्यवस्था लाने का प्रयास करेगा।" अनुभवी सांसद, प्रो० एन० जी० रंगा एक समय स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य थे। स्वतंत्र पार्टी की समाजवाद में आस्था नहीं थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम भी समाजवाद में विश्वास रखते है। हमने कृषि समाजवाद में विश्वास किया।

श्री दिनेश गोस्वामी : उन्होंने एक भिन्न किस्म के समाजवाद में विश्वास किया। श्री राजगोपालचारी का विचार था कि देश में अपनाया गया समाजवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम खतरनाक दृष्टांत कायम कर रहे हैं। कई वामपंथी कम्युनिस्ट दल हैं कई अतिवामपंथी दल हैं; जिनके भिन्न सैद्धांतिक दर्शन हैं। उदाहरणार्थ, कभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती थी—। कुछ अतिवामपंथी दल हैं जो आज इस प्रणाली पर यथास्थिति विश्वास नहीं करेंगे किंतु यदि भविष्य में वे कहना चाहें कि—वे संसदीय-लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और वे संसदीय लोकतंत्र या एक ऐसी पार्टी के अंतर्गत आना चाहते हैं जो समाजवाद में विश्वास न करती हों और कहें कि वह मतदाताओं के पास जाना चाहते हैं, इन मामलों में क्या हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम उन्हें अवसर नहीं देंगे? मैं विश्वास करता हूं कि यह हमारे संविधान के दर्शन और आधार के ही विपरीत होगा। मुझे विश्वास है कि लोग ऐसी पार्टी को अस्वीकृत कर देंगे किंतु लोगों को उन पार्टियों को अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। मुझे विश्वास है कि हमारे संविधान का अंतर्भूत दर्शन स्वतंत्र संस्था बनाने का अधिकार दिया जाना है। कुछ लोग कुछ बातों में विश्वास नहीं करते होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि

खण्ड (5) की अपेक्षाओं से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है ; हमने पहले ही उद्घोषित किया है कि हम खण्ड 5 के अंतर्गत यदि आवश्यक हो तो घोषणा करने के लिए तैयार हैं किंतु मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय विचार करें कि क्या प्रतिबंध लगाकर हम पूरे खण्ड को समाप्त तो नहीं कर देंगे, जो, जैसा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार किया गया है एक उचित प्रतिबंध नहीं है। संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आत्मा मतदाताओं द्वारा विचारों की अन्योन्य क्रिया की जांच की अनुमति देती है। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में, मैं चाहूंगा माननीय विधि मंत्री विचार करें। मैं श्री बैरागी को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने विधेयक के विरुद्ध वोट न देने का निर्णय लिया है हमारा अपना विचार है कि यह अपर्याप्त है। हमने कई संशोधनों का सुझाव दिया है। किंतु हम, यद्यपि यह विधेयक अपर्याप्त है फिर भी कुछ खण्डों के सम्बंध में अपने विचारों को सीमित रखते हुए हम इसका समर्थन करेंगे। किंतु मैं प्रो० दण्डवते से सहमत हूं और हमारी यह मांग है कि इस विधेयक को स्वीकार करने के बाद समय-समय पर दिए गए विभिन्न सुझावों को समावेश करते हुए एक और अधिक व्यापक-विधेयक लाया जाना चाहिए। इस विधेयक के पारित कर दिए जाने के बाद सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ताकि धनशक्ति, भुजबल और राज्य शक्ति को न केवल सब के लिए अपितु इससे अधिक देश की लोकतंत्र प्रणाली के लाभ के लिए रोका जा सके।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सभापति महोदया, विपक्ष और हमारी ओर के अनेक प्रतिष्ठित और बहुत योग्य सांसदों ने पहले ही वाद-विवाद में भाग लिया है माननीय विधि मंत्री उत्तर देंगे जो इस विधेयक का संचालन कर रहे हैं। मैं विचारार्थ तथा कुछ प्रश्नाधीन टिप्पणियों के लिए कुछ सुझाव दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति ने भारत के लोगों में विश्वास व्यक्त किया है और इस भारतीय लोकतंत्र को एक स्थायी लोकतंत्र बनाने के लिए उन्हें मुबारक बाद दी है।

4.08 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मैं इससे भी कुछ आगे कहना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है और आज के संशोधनों से भी सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं ऐसा दावा नहीं करता। निश्चय ही सुधार की गुंजाइश है और यही सरकार ने अनुभव किया। यही विपक्षी दलों ने महसूस किया है। इसीलिए यह विधेयक संसद के समक्ष लाया गया। निश्चय ही कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वे कुछ बातों से निराश हुए हैं। वे केवल एक या दो बातों से खुश थे। मेरे अच्छे मित्र श्री माधव रेड्डी बोले। मैंने उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि केवल एक चीज अच्छी है और वह मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष करने की है और उन्होंने कहा कि बाकी सब बेकार है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन लाये गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे दूरगामी परिणामों वाले हैं। भारत उसके प्रति ठीक ही गर्व कर सकता है क्योंकि इस देश को नई दिशा दी जा रही है। मैं उसकी बात बाद में करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के लोग मास्टर हैं। वे निश्चय ही भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। मैं कहता हूं कि कमियों के बावजूद इसने ठीक कार्य किया। जो बात हमें बुरी लगती है वह है देश के कुछ भागों में कभी-कभी मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना और मतदान के समय गड़बड़ी करना कभी। (क) (ख) को दोषी ठहराता है और कभी (ख) (ग) को। इस बात को छोड़ते हुए मैं यह कहूंगा कि भारत की चुनाव प्रणाली समय की परीक्षा में सदा सफल रही है। इस सभा के बाहर और इस सभा के अन्दर कई भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के बावजूद भारत में लोकतंत्र के कदम दृढ़ हो चुके हैं। हम जब से आजाद हुए मैं तब से जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र कई कारणों से चल नहीं सकेगा। उन्होंने कई तर्क रखे। इन सभी निराश भविष्य वाणियों के बावजूद भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत जमी हैं। उन तर्कों और कथनों के बावजूद जो कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली दृढ़ रही हैं और यह विखंडित हो रही है आदि-आदि ; मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत में बहुत मजबूत जड़े पकड़ ली हैं और हमें उसके लिए गर्व है। उससे कुछ कमियों के बावजूद भारत की जनता का लोकतंत्र में और हमारी प्रणाली में विश्वास दिखाई देता है।

अब एक बात जिसकी मैं श्री माधव रेड्डी जी से आशा नहीं करता किन्तु जिसकी उन्होंने कोशिश की थी वह यह है। उन्होंने कहा था कि "विपक्ष से परामर्श नहीं लिया गया और एक ग्रुप के रूप में हमसे परामर्श लिया गया है। मैं नहीं जानता कि उससे वे क्या कहना चाहते थे। मैं कहता हूं विपक्ष का प्रत्येक ग्रुप चाहे वह एक सदस्यीय ग्रुप हो या तीन सदस्यों वाला या 25 सदस्यों वाला या 30 सदस्यों वाला ग्रुप हो। प्रत्येक ग्रुप से परामर्श किया गया था और उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था और उन्होंने अपने-अपने मत दिए अब तथ्यों के बावजद संसद के नियमानुसार हम उनको मानकर नही चल रहे एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो सम्यक् ढंग से मान्यता प्राप्त विपक्षी दल हो, प्रत्येक से परामर्श लिया गया था और उसे अवसर दिया गया था और उन्होंने अपने-अपने विचार निःसंकोच दिए जिन्हें विधि मंत्री जी और विधि मंत्रालय के अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने नोट किया अब वे कहते हैं हमसे परामर्श नहीं लेते।" मान लो हमें केवल एक या दो को बुलाना होता तो विपक्ष कहां है—एक संयुक्त विपक्ष ? क्या यह विद्यमान है ? आप आज विभिन्न ग्रुपों के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने आपको नजर अंदाज कर दिया होता और एक या दो लोगों को बुलाया होता तो आपको कैसा लगता ? हमने विपक्ष से बहुत सही और वस्तु पर किस ढंग से परामर्श लिया और उन्हें अवसर दिया। हमें उससे लाभ हुआ है। हम आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपके आभारी है। हम आपके लिए शुभ कामना करते हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि विपक्ष बढ़े, विकसित हो। किन्तु हमें खेद है कि भारत को आजाद हुये

40 वर्ष हो गए किन्तु विपक्षी दलों का कोई भी समूह राष्ट्रीय अस्तित्व के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, दृष्टिकोण के साथ विकसित नहीं हुआ है और नतीजतन वे भला नहीं कर पा रहे। कभी वे भाग्यवश नकारात्मक मतदान से जीत गये। अन्यथा वे हर जगह हारें। (व्यवधान) किसी अन्य से अधिक प्रो० मधु दण्डवते जानते हैं कि 1977 में क्या हुआ। उस समय वे मन्त्री थे। उनके पास श्री जयप्रकाश नारायण जैसा नेता था। वे कितने निराश थे मृत्यु के समय। किससे ? नाटक के वर्तमान निर्देशकों से—हमसे या आप लोगों से नहीं। यह सच है। इतिहास और जीवन का सत्य। अब आज आप क्या सुझाव दे रहे हैं ? माननीय सदस्यों ने उप चुनावों पर अधिक जोर दिया है। मैंने विधि मंत्री से पूछा था। किसी ने भी मध्यावधिक चुनाव पर जोर नहीं दिया। दो या तीन महीने तक वे बाहर मध्यावधिक चुनाव के बारे में पूछ रहे थे। अब वे उपचुनाव के लिए कह रहे हैं। वे कहते है उपचुनाव नहीं हुये।" वे इसके लिए केन्द्रीय सरकार ठहरा रहे हैं। एक ओर आप कहते हैं "निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाओ, दूसरी ओर आप चुनाव कराने अथवा न कराने के लिये सरकार को दोष देते हैं। यह परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। ऐसा एक-साथ ठीक से नहीं चलता। मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। जहां तक चुनाव कराने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। जहां तक सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल का सम्बन्ध है, हमें किसी उपचुनाव अथवा चुनाव का डर नहीं है। हमने हमेशा उपचुनाव और चुनाव लड़े हैं। आपको केवल वे उपचुनाव याद हैं जो आपने जीते हैं। माधव रेड्डी जी उसी चुनाव को भूल जाते हैं जो उन्होंने संसद के लिये अपने ही राज्य से लड़ा था। जिसमें वे हार गए थे। हम आपके राज्य में जीते हैं। आप उन रुखों को भूल जाते हैं जो सभी विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। आन्ध्र में ही क्या रुख है ? कर्नाटक में ही क्या रुख है ? केरल में क्या स्थिति है ? विपक्षी सरकार वाले राज्यों में क्या रुख हैं। मैं कहता हूं कि आज मेरे या आपके इस दावे का कोई फायदा नहीं कि "आप उपचुनावों से डरते हैं।" मैं कहता हूं 'तुम चुनाव से डरते हो।" तुम सोचते हो कि तुम जीतोगे। किन्तु मुझे बहुत विश्वास है क्योंकि कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में जिसको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नेतृत्व में नीतियां और कार्यक्रम हैं। उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु यही पार्टी दल विगत समय में चुनाव जीता है। जब यह हारा भी था तो फिर वह वापस आ गया। हमें आशा है कि हम उन राज्यों में भी चुनाव जीतेंगे जिनमें हम चुनाव हारे हैं। तालियां बजाने के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें ताली बजानी ही पड़ेगी। अतः उप चुनावों से भय का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। श्री गोस्वामी भी जानते हैं कि वे आज किस स्थिति मे गुजर रहे हैं, मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता। हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप विकसित हों, एक हों, किन्तु आप हो ही नहीं सकते। यदि इन 40 वर्षों में यदि विपक्ष तैयार नहीं हो सका, तो ऐसा इसलिए कि कोई दल विकसित नहीं हुआ। जब तक उसकी वैचारिक स्पष्टता न हो, जब तक उनका कोई दृष्टिकोण न हो, जब तक उसका राष्ट्रीय अस्तित्व न हो, जब तक वह लम्बे समय तक इत्मिनान

से काम करने को तैयार न हो, आप विकास नहीं कर सकते। मुश्किल तो यह है कि आप जैसे-तैसे सत्ता पा लेना चाहते हो।

कभी जब भाग्यवश आप हमारी गलती के कारण सत्ता में आ भी गये, तो सफल नहीं हुए। अब आप मिले-जुले और बहु-सदस्यीय समूहों और विभिन्न स्थानों पर संयोजनों की स्थापना का लक्ष्य रखे हुए हैं। केन्द्र में इसका प्रयास किया जा चुका है किन्तु वह भी असफल रहा है। विभिन्न राज्यों में इसका प्रयास किया गया किन्तु सफलता वहां भी नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि मैं माधव रेड्डी से कहूंगा कि वे अपने मुख्यमंत्री से पूछें कि क्या वे आन्ध्र प्रदेश में मिली-जुली सरकार चाहते हैं। मिली-जुली सरकार का क्या होगा? स्वर्गीय श्री चरणसिंह ने, जब उनका संयुक्त विधायक दल की सांझा सरकार उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, कहा था कि एस० बी० डी० कैंसर है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न मिली-जुली सरकारों का क्या हश्र हुआ···(व्यवधान)·· यह बहुत संगत है। प्रो० मधु दण्डवते जी, मैं आपको ज्ञान का भण्डार समझता हूं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कहता हूं कि आप एक आदर्श विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आप के लिए सफलता की कामना करता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : बहुत धन्यवाद। मैं आपकी भावनाओं का सदैव आदर करता हूं।

कुछ मित्रों ने कहा कि वे समानुपातिक प्रतिनिधित्व और अंशतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना चाहेंगे। ऐसा कहना बहुत सरल है। किन्तु परिणाम क्या होंगे? परिणाम यह है कि आज भारतीय परिस्थितियों में जहां कहीं स्थिरता है, वह भी खत्म हो जायेगी? क्या तब आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करेंगे? क्या कोई राज्य इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है? यह बात नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण ही विपक्ष सत्ता में नहीं आ सका। आपमें से अनेक सत्ता में आये -आप सत्तारूढ़ तो नहीं, किन्तु संसद में हैं। अन्य राज्यों में आप सत्ता में हैं। यह प्रणाली आपको मत-भिन्नता को व्यक्त करने की व्यवस्था प्रदान करती है। केवल एक बात यही है कि विपक्ष देश में राष्ट्रीय विपक्ष नहीं बन सका, वह इस अर्थ में कि—प्रो० मधु दण्डवते मुझे यह कहने के लिए माफ करें—वे अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को छोड़ रहे हैं और वे क्षेत्रीय कुओं में मधु ढूंढने के लिए गठजोड़ बनाने की कोशिश में हैं। आपमें से कुछ का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। आप लहरों, तूफानों आदि के बावजूद जीते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया बताइये केरल में आपके साथी कौन हैं?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह सब स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस अथवा सरकार आपका सामना करने से नहीं डरती। हमें आपसे कभी डर नहीं रहा और हमें पूरा विश्वास है कि हम श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे।

मैं माननीय सदय श्री दिनेश गोस्वामी की बात पर आ रहा हूं। वे कहते हैं कि रेडियो और दूरदर्शन की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। उनके अनुसार, उनकी भाषा में यदि वे किसी व्यक्ति से बात करें, तो कहेंगे कि दूरदर्शन का विश्वास नहीं रहा। आपको इसका क्या डर है? यदि टी० वी० की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, तो यह हमारे विरुद्ध होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? इससे आपको सहायता मिलनी चाहिए। नहीं, आप जानते हैं कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता समाप्त नहीं हुई है। यह गलत है।

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक चित्रहार का सम्बन्ध है, इसकी विश्वसनीयता समाप्त नहीं हुई है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बहुत अन्तर्विरोधी बात है। आप कहते हैं कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कोई उन पर भरोसा नहीं करता। यह हमारे विरुद्ध होना चाहिए। यदि इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो मैं नहीं समझता कि क्यों विपक्षी शासन वाले राज्य, संसद सदस्य, विधायक और अन्य लोग अपने राज्यों और अपने चुनाव क्षेत्रों में अधिक दूरदर्शन ट्रांसमीटर क्यों लगाना चाहते हैं। यदि आप चाहें, तो उदाहरण दे सकता हूं। मुझे आप सबसे अनेक पत्र मिले हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : वे दूरदर्शन पर चित्रहार और फिल्में देखना चाहते हैं, न कि आपके कार्यक्रम।

श्री एच० के० एल० भगत : ठीक है, यदि आप यह कहना चाहते हैं कि इसकी विश्वसनीयता खत्म नहीं हुई है, तो यह ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह हमारे चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के लोगों के फायदे के लिए है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बहुत हास्यास्पद है कि दूरदर्शन और रेडियो की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और अधिक टी० वी० और रेडियो चाहते हैं।

मैं यहां दूरदर्शन और रेडियो पर चर्चा का उत्तर देने के लिए नहीं हूं। एक बात कही गई थी, इसलिए मैं यह सब कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ अवधियों का पता लगाया और आज दूरदर्शन और रेडियो में मेरे मित्र श्री सोमनाथ के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और श्री नयनार को सबसे अधिक कवर किया जा रहा है। वे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दूरदर्शन और रेडियो पर सर्वाधिक कवर किया जाता है। मैंने कुछ समय तक इस बात का पता किया था।

मैं आन्ध्र प्रदेश गया था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता कराया। उसके पश्चात् उन्होंने मुझे चुपके से एक 'प्रेम पत्र' दिया जिसमें यह शिकायत की गई कि उनको तथा उनकी सरकार

के प्रचार माध्यमों में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। मैंने उन दो महीनों की जांच की। मैंने पाया कि इनको बहुत अधिक स्थान मिल रहा है। मैंने प्रेस को बताया। कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि तथ्य और आंकड़े तैयार नहीं थे।

इसके अलावा आपको एक फायदा है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा प्रधानमंत्री को छोड़कर यदि आप दूसरी ओर देखें तो मैंने इस पर कुछ कार्य-अध्ययन किया है। आप भाग्यशाली हैं कि विपक्षी दलों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिये, जहां तक कांग्रेस का संबंध है, यदि बराबर नहीं तो थोड़ा ज्यादा प्रचार आपको जरूर मिलता है। दूरदर्शन और रेडियो की न केवल आप लोगों से बल्कि कांग्रेस से भी आलोचना की जाती है। दोनों ओर से मेरी आलोचना होती है। कांग्रेस कहती है कि मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूं और आप कहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा समय दे रहा हूं। यह हो रहा है।

जहां तक वर्तमान व्यवस्था का सम्बन्ध है—मधु जी, आपने भी इस एकाधिकारी प्रचार माध्यम को उठाया था—जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि वर्तमान व्यवस्था से चुनाव के समय सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलते हैं। अब चूंकि यह व्यवस्था चल चुकी है तो इसे अच्छी तरह चलना चाहिए। इसमें कुछ दिशानिर्देश हैं। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों की अवहेलना होती है। तब उनको चुनाव के पश्चात् देखा जा सकता है। दिशा-निर्देशों की अवहेलना के कितने मामले हैं? इन सभी मामलों को उठाया जा सकता है और आप उठा भी चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आकाशवाणी के विषय में और दूरदर्शन के विषय में बात करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पैगम्बर हैं तथा इनके बारे में शिकायत करने को कुछ नहीं है। यदि मुझे यह करना हो कि मधु दंडवते को कितना स्थान दिया गया है :—वह कार्य करते हैं, वह यहां बोलते हैं—विभिन्न विपक्षी नेताओं तथा 'करेंट अफेयर्स' पर बोलने वालों को दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कितना स्थान दिया गया है, मैं आपको एक सूची दे सकता हूं। मैं संसद समाचार तो देता नहीं हूं। यह तो संवाददाता और पत्रकार करते हैं। यदि मैं उन लोगों की सूची आपको दिखाऊं जिन्होंने पिछले एक या दो वर्ष के दौरान 'करेंट अफेयर्स' में भाग लिया है, तो उस सूची में कांग्रेसजनों की संख्या बहुत कम होगी। अतः, यह सब खेल का एक अंग है, दूरदर्शन और रेडियो को बदनाम करते जाइए तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में और अधिक दूरदर्शन तथा रेडियो स्टेशनों की मांग करते जाइए।

श्री माधव रेड्डी और अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि इस विधेयक में कुछ नहीं है। मुझे इस विषय में बताया गया है। प्रो० दण्डवते को सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला परन्तु विधि मंत्री ने मुझे बताया कि उनके भाषण से, यद्यपि सभी तर्कों से नहीं, वह प्रभावित हुए हैं। (व्यवधान) खैर, उन्होंने यह कहा था। मुझे सदैव आपका भाषण प्रभावित करता है। अब आप कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस पर तो सभी सहमत हैं कि एक बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। युवकों के

प्रति विश्वास दिखाया गया है। उस पर, हम सभी सहमत हैं। अब श्री माधव रेड्डी कहते हैं कि केवल यही एक बात है। यदि केवल इसे ही माना जाये, तो क्या यह कम है ? मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पहल पर आज इस सभा में लिया जा रहा यह निर्णय भारतीय लोकतन्त्र के सबसे अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि संसद युवा पीढ़ी के प्रति विश्वास प्रदर्शित करने जा रही है जोकि हमसे कम देश भक्त नहीं हैं, हमसे कम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं, हमसे कम परिश्रमी नहीं हैं। भारत की देखभाल वे हमसे अधिक अच्छी तरह करते हैं। यह सही है कि इस विधेयक में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ?

मैं निरर्हरता का खंड देखना चाहता हूं। प्रथम बार दहेज अपराध तथा विभिन्न सामाजिक अपराधों के अधीन सजायाफ्ता व्यक्ति 'अपराधों' के खंड के अधीन आ गया है। महिलाओं के प्रति अपराध, जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा विभिन्न अन्य बातों के लिए लोगों को निरर्ह कर दिया है। क्या यह छोटी बात है ? यदि आप चुनावों को सामाजिक प्रतिबल देने के दृष्टिकोण से देखें, तो यह एक बार फिर महत्वपूर्ण दिन है कि इन उपबंधों को बनाया गया हैं। ये लोग लड़ सकते हैं। अब, यदि उन पर दोष सिद्ध हो जाता है तथा किसी प्रकार के जेल की सजा हो जाती तो वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे।

श्री माधव रेड्डी तथा कुछ अन्य लोगों ने निर्वाचन आयोग के अधीन काम करने वाले अधिकारियों के विषय में भी कहा है। वे पहले ही उनके पर्यवेक्षण के अधीन है। आप उनको उसके अनुशासन के अधीन क्यों कर रहे हैं ? एक तरफ आप हर समय कहते हैं कि निर्वाचन आयोग को पूरी शक्तियां दे दो, उनको सभी शक्तियां दे दो। 10, 15 या 20 दिन के लिए आप अपने अधिकारियों को उसके पर्यवेक्षण और उसके अनुशासन के अधीन रखने को तैयार नहीं हैं। इस तर्क से आप निर्वाचन आयुक्त के हाथ मजबूत कर रहे हैं या कमजोर ? यदि उसके पास शक्ति नहीं रहती है तो वह क्या करेगा ? क्या उसे मुख्यमंत्री के पास जाकर के यह कहना चाहिए कि गलती हुई है और वह कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आप मुझे एक मिनट की अनुमति देंगे ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों को आप इस अनुशासन के अधीन क्यों नहीं लाते हैं ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारियों को आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुशासन में नहीं ला रहे हैं। वे विधि मंत्रालय के अधीन हैं।

श्री एच० के० एस० भगत : वह व्यवस्था पहले ही है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : श्री गोस्वामी, आप जानते हैं कि जब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां कार्य कर रहे किसी अधिकारी का विधि मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है। यहां तक कि अभी भी वे पूर्णतया उसके नियंत्रण में हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : अब; मैं चुनावों का खर्च राज्य द्वारा वहन किए जाने के बारे में कहूंगा जिसके विषय में बहुत आंधिक जोर दिया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनावों पर बहुत अधिक पैसा खर्च होता है तथा वे बहुत मंहगे है। चुनावों पर बहुत अधिक धन खर्च होता है तथा इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। चुनाव बहुत मंहगे हैं, इससे भी कोई नहीं नकार सकता है। यह बात नहीं है कि केवल हम लोग ही पैसा खर्च करते हैं और आप सभी लोग बिना पैसा खर्च किये आ गये हो। नहीं। क्या ऐसा है? अब प्रश्न यह है कि क्या राज्य द्वारा चुनाव खर्च वहन करना व्यावहारिक है। और क्या यह चुनाव में पैसे के प्रयोग को समाप्त कर देगा। आपका यह अनुभव होगा कि पैसे का प्रयोग करके आप चुनाव जीत सकते हैं। मैं अपने पूरे जीवन चुनाव लड़ता रहा हूं और मेरा विश्वास है कि पैसा चाहे जितना भी हो, उससे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। पैसों से चुनाव न कभी जीते जाते है और न हारे जाते हैं, यह सही है कि हम प्रचार आदि पर धन खर्च करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कितना मददगार होता है। अनेक विधिक और संवैधानिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना आसान नहीं है। हम लोग संसद् सदस्य हैं तथा पार्टी चुनाव-चिन्हों पर हम लोग यहां आये हैं। सदस्यों को धन नहीं दिया चाहिए बल्कि दलों को धनदिया जाना चाहिए। यह एक दृष्टिकोण है। मैं नहीं कहता कि नए दृष्टिकोणों को नहीं बताया जाना चाहिए। परन्तु इनको अस्वीकार न किया जाए। इससे निपटने के लिए उपाय ढूंढना आसान नहीं है। दूसरे क्या इसका अर्थ यह है कि इससे कम पैसा खर्च होगा? नहीं।

मैं समझता हूं कि अब तक आप सभी समझ गये होंगे—परन्तु आप स्वीकार नहीं करेंगे कि विपक्ष के एक भाग द्वारा शुरू की गयी मूल्यों पर आधारित राजनीति हवा में विलीन हो गई है। यह इसलिए गायब हो गई है क्योंकि यह थी ही नहीं। यह अप्राकृतिक थी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए, यह गायब हो गई। उन राजनीतिज्ञों, जो दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हैं और जिन पर गम्भीर आरोप लगे हुए हैं, द्वारा मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करना, बहुत बड़ा मजाक है, मुझे विश्वास है कि मेरे ऐसा कहने को आप अन्यथा नहीं लेंगे। मैं उन्हें नाराज करने के लिए उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। विपक्ष का कौन-सा वरिष्ठ नेता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। श्री दंडवते जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। आपके वरिष्ठ साथियों, तथाकथित वास्तुकारों में ऐसे कौन-से नेता हैं जिनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं है? कुछों के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कुछों के सम्बन्ध में न्यायालय की टिप्पणियां हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि "डाक्टर अपनी ही सेहत बनाते हैं।" जो लोग कांच के घरों में रहते हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आप बहुत भुरभुरे कागज से नाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यह नहीं बना सकते। यह चलेगी नहीं। अब तक आपको यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मधु जी शायद इसे स्वीकार नहीं करें। वह स्वयं एक चिन्ताग्रस्त व्यक्ति हैं। उन्हें कागज की नाव बनाने के लिए काफी 'लेपापोती" करनी पड़ती है। उनका वोट नहीं मिल रहा है और यह नहीं मिलेगा। मैं उनकी चिंता जानता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल आपके भाषण के बारे में चिंतित हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : पहली बार यह निर्णय किया गया है और इस विधेयक में यह उपबंध है कि दल का पंजीकरण होना चाहिए। इस समय दल चुनाव-चिन्हों के आवंटन के प्रयोजनार्थ है । एक बात जो महत्वपूर्ण है और जिस दिशा में कम से कम शुरूआत तो करनी होगी और एक बहुत महत्वपूर्ण शुरूआत की भी गई है, वह यह है कि प्रत्येक दल को संविधान में उल्लिखित सिद्धान्तों के प्रति अपनी वफादारी घोषित करनी होगी । क्या यह कोई मामूली बात है ? मधु जी ने कहा है कि हमें धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग के बारे में कुछ करना चाहिए । मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी भावनाओं से सहमत हूं । मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए । सरकार भी सोच रही रही है कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए । हमें धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए । स्वयं में यह उपबंध की कोई कम उपलब्धि नहीं है कि कोई भी दल तब तक अपना पंजीकरण नहीं करा सकेगा जब तक कि वह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा संविधान में उल्लिखित सभी सिद्धांतों के प्रति वफादारी की शपथ नहीं लेता । आज यह कागज का एक मामूली टुकड़ा लग सकता है परन्तु यह एक बहुत अच्छी चीज है ।

अब मैं मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की बात पर आता हूं । मतदान केन्द्रों पर कब्जे को अब परिभाषित किया गया है और कतिपय उदाहरण दिए गए हैं । क्या यह कोई छोटा कदम है ?

श्री माधव रेड्डी समान नीति के बारे में बोले थे । क्या आप चाहते हैं कि सरकार चुनाव कराये ? जी नहीं । आप चाहते हैं कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराएं जाएं । 'समरूपता' क्या हो सकती है ? क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न समयों पर हालात और परिस्थितियां समान होती हैं ? वे सदा समान नहीं होतीं । या तो वे समान हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं । इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है । सैद्धांतिक रूप से मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए । शुरू में मैं भी आपकी तरह सोचता था और मेरा भी यह मत था कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए । मैं भी ऐसा सोचा करता था कि ऐसा करना बेहतर हो सकता है और मैंने सोचा था कि आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं । परन्तु फिर मैंने इस मामले पर सावधानी पूर्वक और शांतचित्त से विचार से किया । इसे बहु-सदस्यीय आयोग बनाकर क्या आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्राधिकार को कम करेंगे या आप उसे अधिक प्राधिकार देंगे ? विपक्ष के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए क्या आप एक और उसका ध्यान रखना चाहिए । स्वतंत्र आयोग चाहते हैं या एक ऐसा आयोग चाहते हैं जिस पर हर तरफ से दबाव और खींच-तान बनी रहे ? इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि बहु-सदस्यीय आयोग से आपका क्या तात्पर्य है ?

प्रो० मधु दण्डवते : स्वयं संविधान में इसके लिए उपबंध है ।

श्री एच० के० एल० भगत : शुरू में मैं भी आपकी तरह ही सोचता था । परन्तु जब मैंने थोड़ा और सोचा तो यह पाया कि ऐसा करने से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति कमजोर होगी । किन्हीं भी परिस्थितियों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, कमजोर नहीं ।

मैं इस बात से प्रभावित हुआ जब श्री गोस्वामी ने पूछा कि विभिन्न दलों को कुछ पोस्टर और कुछ वाहन क्यों नहीं दिए जा सकते हैं। क्या ऐसा करने से आपके चुनाव हो जाएंगे ? नहीं । अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या सिद्धांत रूप से सरकार को चुनाव के लिए धन देना चाहिए । इस बात के व्यवहारिक होने या नहीं होने के अलावा क्या सरकार द्वारा धन दिए जाने भर से हमारे देश में चुनावों की उस समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसका अपना आकार, दिशा और क्षेत्र हैं ? मैं वास्तव में नहीं जानता । मैंने विभिन्न राज्यों में चुनावों संबंधी आयोजन किए हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जहां तक भारत के लोगों का सम्बन्ध है, वे धन के लिए वोट नहीं देते और वे धनशक्ति से डरते भी नहीं हैं । उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है । यदि कोई यह सोचता है कि इस देश के लोगों को खरीदा जा सकता है तो यह बिल्कुल गलत है ।

उनका अभिप्राय शायद यह हो कि छोटे दल भी सरकारी धन की सहायता से चुनाव लड़ सकते हैं । यदि मैं उनकी बात ठीक समझता हूं तो शायद उनका यह सोचना है कि बड़े दल और छोटे दल के बीच लड़ाई असमान है । परन्तु क्या आप किसी राष्ट्रीय स्तर के दल का स्तर कम कर सकते हैं और उसकी तुलना किसी क्षेत्रीय दल से कर सकते हैं । इसलिए कुछ पोस्टरों और दो या तीन वाहनों से आपकी कोई सहायता नहीं होगी । दूसरे, पोस्टरों के डिजाइन, नारों की शब्दावली जैसी अनेक बातें तय करनी होती है और इस प्रयोजन के लिए बीस या तीस या चालीस व्यक्तियों को एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए । इनके बारे में बात करना तो बहुत आसान है परन्तु निर्णय लेना और उन्हें लागू करना बहुत कठिन है । इसीलिए, चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन दिए जाने की बात हमें जंची नहीं ।

अंत में मैं कहूंगा कि विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों से हम सभी सहमत हैं । इन उपबंधों के बारे में कोई मतभेद नहीं है । आपने हमें यह करने और वह करने के लिए कहा है । परन्तु हमने जो कुछ भी किया है उसकी आपने कोई सराहना नहीं की है । यह बुरी बात है । एक खण्ड में नहीं बल्कि एक के बाद एक खंड में हमने कई उपबंध किए हैं जिनसे आप सभी सहमत हैं क्या आप यह सुझाव दे सकते हैं कि हमें मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने संबंधी खंड, निरर्हता के उपबंध या दलों के पंजीकरण संबंधी उपबंध को हटा देना चाहिए ? नहीं, आप ऐसा सुझाव नहीं दे सकते । मेरे विचार से हम सभी को प्रसन्नतापूर्वक और एक साथ मिल कर इन सभी बातों से सहमत हो जाना चाहिए क्योंकि ये सभी कदम सही दिशा में उठाए गए हैं । हम सभी राजनीतिज्ञ हैं आप भी राजनीतिज्ञ हैं और मैं भी राजनीतिज्ञ हूं और चुनाव सुधार सहित प्रत्येक मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण राजनीति से प्रेरित भी है । परन्तु ये

बातें हमारे राष्ट्र के बहुत हित की हैं और मुझे आशा है कि आप सभी इन उपबंधों को स्वीकार करते हैं क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिनसे केवल किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का भला होगा।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय मैं संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं।

महोदय, ऐसा करके इस देश के युवाओं को इस देश के लोकतांत्रिक जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए एक बहुत साहसिक कदम उठाया गया है। अनेक व्यक्ति यह कह सकते हैं और इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इसका या उसका सुझाव दिया था और उन्हीं के दबाव से सरकार ने ये चुनाव सुधार पेश किए हैं परन्तु सच्चाई यह है कि गत 17 वर्षों के दौरान प्रत्येक समिति, प्रत्येक विचार-गोष्ठी और अधिकांश प्रतिष्ठित जनों ने यह चुनाव सुधार करने अर्थात मतदाताओं की आयु कम करने की बात कही थी। बड़े पैमाने पर राजनीतिज्ञों ने भी यह बात कही थी। वर्ष 1971 में लोक सभा की याचिका समिति ने भी इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी। केन्द्र के निर्देश पर डा० कर्ण सिंह ने इस विषय पर विचार किया था और 1972 में इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया था। कांग्रेस की युवा शाखा द्वारा अगस्त 1984 में तिरुपति में और एन० एस० यू० आई० के० सितम्बर 1984 में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था और अंत में सितम्बर 1988 में दिल्ली में एन० एस० यू० आई० की राष्ट्रीय परिषद ने आयु घटाने की मांग की थी। इसलिए, गत अनेक वर्षों से जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा मतदान की आयु कम करने की दृष्टि से भी जैसे, संविदा अधिनियम, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, आदि में, 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना गया है।

इसी तरह से भी यदि 18 साल का लड़का किसी की हत्या कर देता है तो दंड विधि के अधीन उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। जहां तक आयु का संबंध है 18 साल की लड़की भी विवाह विधि के अधीन शादी कर सकती है।

कई देशों में यथा अमरीका, इंगलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सोवियत रूस, चीन और श्रीलंका तथा बर्मा में भी मतदान की आयु 18 वर्ष ही है।

जहां तक किसी विशेष व्यवसाय में भर्ती का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सेना में एक सिपाही की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष की है, इसी तरह से नौसेना में तथा अर्द्धसैनिक संगठनों में, जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल तथा सीमा सुरक्षा बल में सब-इंस्पेक्टर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त सिपाही और सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए भी आयु सीमा 18 वर्ष की है।

इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि जहां तक चुनाव का संबंध है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए और इस के सभी वर्ग के लोग इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे ।

परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 को भी संशोधित किया जाना चाहिए । परन्तु इस विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है हालांकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करती है । धारा 19 में पंजीकरण की शर्त का उल्लेख किया गया है ।

इसमें यह शर्त निर्धारित है "इस भाग के उपर्युक्त उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी अर्हता की तारीख को मतदान की आयु 21 वर्ष से अन्यून है ।"

इसलिए संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप इस धारा 19 को भी संशोधित किया जाना चाहिए । और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि इस वर्तमान संशोधनकारी विधेयक में इस संशोधन का कोई उल्लेख नहीं है । इसका अर्थ है कि एक दूसरा विधेयक इस प्रयोजन के लिए संसद में लाया जायेगा ।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : श्रीमान दिघे जी, विधि मंत्री आपकी बात सुन नहीं रहे हैं जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं ।

श्री शरद दिघे : इस संशोधन को अभी क्यों न किया जाए ? विधि मंत्री शंकरानन्द ने शुरू में ही कहा था कि इसे बाद में किया जायेगा । परन्तु मेरा यह कहना है कि जब आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर ही रहे हैं तो इसके साथ ही आप इस धारा में संशोधन करने की बात क्यों भूल गये ? जो कुछ मैं महसूस करता हूं वह यह है कि ये संशोधन की बात अनजाने में रह गई और अब इसे भी बाद में संसद में लाया जायेगा, इसके लिए सदन द्वारा एक दूसरे विधेयक को पारित कराया जायेगा और इसमें काफी समय लगेगा ।

इसी प्रकार ऐसी चर्चा है कि इस संविधान विधेयक को आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थित कराने की आवश्यकता पड़ेगी । परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 368 में इस के लिए आश्वासन नहीं दिया गया है । इस प्रयोजन के लिए उल्लिखित कई अनुच्छेदों में इस अनुच्छेद 326 को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका हम संशोधन कर रहे हैं । केवल कल्पना का ताना-बाना फैला कर ही हम राज्यों के प्रतिनिधित्व को (ब) के अंतर्गत संसद में ला सकते हैं । लेकिन मेरे विचार में ऐसी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है और जहां तक मैं सोचता हूं, राज्यों से इसका अनुमोदन कराने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का संबंध है इसमें अनेक अच्छे सुझाव और

प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। कई विपक्षी सदस्यों ने इस उपबंध पर आपत्ति की है जिसके अनुसार निर्वाचन के लिए काम करने वाले कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन आयुक्त के अधीन कार्य करना होगा। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि इस प्रयोजन का गलत अभिप्राय नहीं समझा जाये क्योंकि कई निर्वाचन आयुक्तों ने यह शिकायत की है कि जो कर्मचारी चुनाव प्रयोजनों के लिए नियुक्त किए जाते हैं यदि वे कोई अराजकता करते हैं या अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। और जब उनके नाम राज्य सरकारों को भेज जाते हैं तो राज्य सरकारें भी इन आपत्तियों पर या शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देती। और अधिकारियों को किसी किस्म की सजा नहीं मिल पाती। ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एक के बाद एक चुनाव में अधिकारीगण कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के दोषी पाये गए हैं और इसके बावजूद उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है या उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वह अपर्याप्त है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें सीधे ही निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में लाया जाए। यहां तक कि ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी भेजे गये हैं जहां से कर्मचारियों के विरुद्ध भर्त्सना के आदेश भी दिए गए हैं।

बिहार में एक खण्ड विकास अधिकारी ने किसी उम्मीदवार के लिए वास्तव में प्रचार किया था और उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी। निर्वाचन आयुक्त ने इस मामले को राज्य के मुख्य सचिव को शिकायत की थी। परन्तु उस अधिकारी को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया था।

इसी प्रकार हरियाणा के मामले में सरकार के एक सचिव के विरुद्ध न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी जिसने निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं किया था परन्तु इस मामले में भी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इसलिए ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें यद्यपि निर्वाचन आयुक्त ने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है फिर भी राज्य सरकारों ने अपने अधिकारियों को संरक्षण दिया हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं और निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के मामले में भी निर्वाचन आयुक्त द्वारा मतदान केंद्रों पर कब्जा करने को रोकने के लिए अनेक निर्देश जारी किए गए हैं, परन्तु उनकी भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और इसीलिए मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए यह बहुत ही बढ़िया सुझाव है कि कर्मचारियों को निर्वाचन आयुक्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ताकि वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सके जो निर्वाचन ड्यूटी पर होते हैं किंतु उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

परन्तु जहां तक मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का संबंध है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए

एक बहुत ही बढ़िया उपाय किया गया है। हमने तीव उपाय किए हैं। सबसे पहले मतदान केंद्रों पर कब्जे की परिभाषा की गई है। दूसरे इसे दण्डनीय अपराध बनाया गया है। अब तक यह प्रत्यक्ष रूप से दण्डनीय नहीं था परन्तु यह केवल भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ही दण्डनीय था। तीसरे हमने इसे भ्रष्ट आचरण भी घोषित कर दिया है। इससे भी मतदान केंद्र पर कब्जा करने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही हम इलैक्ट्रोनिक मशीनों द्वारा मतदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने 1982 और 1983 में केरल और अन्य राज्यों जैसे नागालैण्ड, त्रिपुरा और बिहार के कई निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया है। परन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव रद्द को कर दिया गया क्योंकि कानून में इसका कोई उपबंध नहीं था। अब हम यह उपबंध कर रहे हैं, इसलिए मतदान के लिए इलैक्टोनिक मशीनों का उपयोग करना अब संभव हो जाएगा। यह कहा जाता है कि इसे संवेदनशील मतदान केंद्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कुछ तो विश्वास होना ही चाहिए और मेरा ख्याल है कि जहां कहीं मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं वहीं पर इलैक्ट्रोनिक मशीनों का उपयोग किया जायेगा ताकि बल प्रयोग को रोका जा सके।

अंततः मेरा यह सुझाव है कि आनुपातिक मतदान का यह सुझाव कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इससे सरकारें कमजोर हो जायेंगी तथा आपको हमेशा ही मिली-जुली सरकारें बनानी पड़ेंगी। यदि इस अनुपातिक मतदान प्रणाली को अपनाया गया तो राज्य तथा केंद्र में कमजोर सरकारें हो जायेंगी।

जहां तक धनराशि जुटाने का संबंध है मेरा यह है निवेदन कि सरकार द्वारा इस बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि चुनाव सुधार प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसका यहीं अंत नहीं हो जाता इसलिये धनराशि जुटाने के मुद्दे पर फिर से विचार किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

चौधरी खुर्शीद अहमद (फरीदाबाद) : सभापति महोदय, मैं श्री शरद दिघे का आभारी हूं कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों की सूची दी है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रोजगार में लगाये जाने योग्य हैं। इस विधेयक में भी हमने किसी भी चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष करने का उपबंध किया है। यह संशोधन स्वागत योग्य है। हरेक ने इसका स्वागत किया है। हम विपक्ष के लोग मतदान की आयु कम करने के हमेशा पक्षधर रहे हैं और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनमें से कुछ ने मतदान की आयु पहले ही 18 वर्ष कर दी है और यह प्रयोग काफी सफल रहा है। हमारी तरफ से कभी विरोध नहीं हुआ। हमेशा सत्ताधारी दल ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी है। यदि कोई कहता है कि इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए तो यह सही है। हम यह दावा ठीक ही कर रहे हैं।

यह दावा करना भ्रामक है कि युवाओं को मतदान का अधिकार देने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस देश के युवाओं को आज उपयुक्त रोजगार के अवसर चाहिएं ताकि वे अपने निराश जीवन से छुटकारा पा सकें। हमने उन्हें केवल मतदान का अधिकार दिया है। यदि संसद के लिए नहीं तो क्या कम से कम विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के लिए उम्मीदवार के रूप में योग्य होने के लिए आयु तीन वर्ष कम करना सम्भव नहीं होगा ? हमारे दल का सुझाव था कि विधान सभाओं तथा अन्य स्थानीय चुनावों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जाए।

सभी यह कह रहे हैं कि हम युवाओं को राजकीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें केवल मतदाताओं की सूची में शामिल कर रहे हैं न कि वास्तविक कार्य-चालन में। मेरे विचार में इसमें एक अपवाद रखा जा सकता था। लोक सभा के लिए उम्मीदवार होने की आयु 25 वर्ष छोड़ देते किन्तु विधानसभा के उप-चुनाव में न्यूनतम आयु निश्चित रूप से 21 या 22 वर्ष रखी जा सकती है। यदि हम एक पूरा जिला भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सौंप सकते हैं, बंगाल के 24 परगना जैसे बड़े जिले को एक 23-24 वर्ष के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को सौंप सकते हैं तो क्या हम उस बड़े जिले के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करने देंगे ? क्या हम 21 वर्ष के व्यक्ति को किसी नगरपालिका के वार्ड की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते ? इस प्रकार एक तरफ हम युवाओं को कुछ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उन्हें अवसर से वंचित कर रहे हैं और सात वर्ष की लम्बी अवधि तक ठहराव की स्थिति में रखेंगे। युवाओं को 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार देने और उन्हें 8 वर्ष बाद सभा में आने की अनुमति देने का अर्थ यह है कि हमें देश के युवाओं पर विश्वास नहीं है। हर कोई कहता है कि हमें अपने देश के युवाओं पर गर्व है। यदि यह सही है तो आपको चाहिए एक और संशोधन लाएं और उन्हें कम उम्र में ही राज्य विधान मंडलों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। जब हर किसी को 21 वर्ष की आयु पर जिम्मेदार समझा जाता है तो देश के युवाओं को राज्य विधान मंडल के सदनों में प्रवेश हेतु सक्षम क्यों नहीं समझा जाता।

इस संशोधनकारी विधेयक में कई खंड जोड़े गए हैं। कुछ नए अपराधों का उल्लेख किया गया है। यदि किसी को इनमें से किसी अपराध के अधीन दोषी ठहराया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह उपबंध स्वागत योग्य है। किन्तु इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता था और नैतिक अधमता के कुछ और अपराधों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता था।

चुनाव व्यय के संबंध में कई बातें कही गई हैं। इस ओर से हमने कहा है कि राज्य किसी भी ढंग से कुछ न कुछ चुनाव व्यय का वहन करे। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। हर नए काम में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं। किन्तु कठिनाइयों की वजह से हमें इस सुझाव को ही नहीं ठुकरा देना चाहिए जबकि पश्चिमी देशों में इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय विधान या एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए ? जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पीठ हैं तो हम बहुसदस्यीय निकाय के रूप में चुनाव आयोग बनाने पर विचार क्यों नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में बहुत शक्तियां देते हैं। अधिकतर वह सरकार की ओर देखता रहता है। चुनाव में वह पूर्णतः स्वतन्त्र होता है तथा स्वेच्छा से कार्य करता है। वह अपने ही पर्यवेक्षण में स्वयं कार्रवाई करता है। जब हम चुनाव के दौरान हरेक को चुनाव आयोग के अधीन कर देते हैं तो चुनाव आयुक्त तथा उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इसे लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों की तरह सरकार के मंत्रालयों से पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए। यदि यह केवल चुनाव करवाने के समय ही स्वतन्त्र रहता है तो पदोन्नति या अन्य लाभ की इच्छा करने वाले व्यक्ति हमेशा सरकार की ओर देखेंगे और स्वतन्त्र निकाय के बजाय सरकार में सत्ताधारी दल के एक विस्तार -- विभाग के रूप में कार्य करेंगे। यदि इस सुझाव को शामिल नहीं किया गया है तो तुरन्त किया जाए। चुनाव कर्मचारियों को चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण में रखने मात्र से स्थिति नहीं सुधर जाएगी। इन लोगों को, जो राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं और जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अन्तर्गत रखने वाली बात होगी। उन्हें केन्द्र में सत्ताधारी दल के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से रखना उचित नहीं होगा। इस प्रकार इस पहलू को अनदेखा किया गया है। चुनाव आयोग को इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है जितनी उसे चुनावों में शामिल अन्य राज्यों के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, नियन्त्रण और प्रशासन करने के लिए मिलनी चाहिए।

तत्पश्चात् महोदय मैं उन संशोधनों का स्वागत करता हूं जिनमें निर्वाचन केन्द्र पर कब्जा करने की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और जिसे निर्वाचन विधि के अन्तर्गत एक विशिष्ट अपराध माना गया है जो दूसरे अपराधी किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है। अतः यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे माननीय मंत्री श्री भगत जी ने कहा है कि हम लोग और अधिक दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कहते रहे हैं और कि हम फिर भी यह कह रहे हैं कि दूरदर्शन स्वतन्त्र नहीं है। लेकिन यह एक सचाई है कि चुनाव के समय अधिकांश झूठे वायदे इन्हीं प्रचार माध्यमों—आकाशवाणी और दूरदर्शन से किये जाते हैं। चुनावों से पहले अनेक राज्यों के साथ अनगनित वायदे किए गए थे। वर्ष 1987 में हमने सुना था कि हरियाणा को 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस समाचार को दूरदर्शन और रेडियो पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। लेकिन आज तक हमें वह धनराशि नहीं मिली है। एक वर्ष पहले इसी प्रकार का एक वायदा जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ भी किया गया था कि उन्हें 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चुनावों के पश्चात् केन्द्र सरकार को···से क्या प्रमाणपत्र मिला ((व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के लिए मंजूर की गई राशि भी इन 400 करोड़ रुपये में शामिल थी। आप कृपया तथ्यों को गलत रूप में पेश न करें।

चौधरी खुर्शीद अहमद : सतलुज यमुना सम्पर्क नहर योजना उस करार में सम्मिलित नहीं थी। इस योजना पर होने वाले व्यय को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आप इन बातों को तोड़-मरोड़ कर मत पेश कीजिए। सतलुज यमुना सम्पर्क योजना के खर्च को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। यह मंजूरी चुनावों के समय नहीं दी गई थी। यह निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया गया था··· (व्यवधान)।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वह राशि भी इन 400 करोड़ रुपयों में शामिल है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

चौधरी खुर्शीद अहमद : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा और तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

मैं कहूंगा कि सतलुज यमुना सम्पर्क योजना पर खर्च होने वाली राशि को 400 करोड़ रुपये में शामिल करना सम्पूर्ण राशि को गलत और तोड़-मरोड़ के पेश करना है। आप हरियाणा को छोड़ दीजिए। यह तो केवल 400 करोड़ रुपये की बात थी। आपने कश्मीर को 1000 करोड़ रुपये तो दे दिए पर क्या वास्तव में उन्हें यह धनराशि मिल गई है?···**जो कांग्रेस (आई) की सहयोगी है ने पिछले सप्ताह ही एक अत्यन्त शानदार प्रमाणपत्र दिया है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : नाम को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, हो सकता है कि वह सन्दर्भ से परे बोल रहे हों।

चौधरी खुर्शीद अहमद : आप उन्हें सही सन्दर्भ में उद्धृत कीजिए और इसके बाद आप जो कुछ सिद्ध करना चाहते हैं कीजिए। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है वह मैंने बता दिया है, और जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है वह हरएक ने देख लिया है। अत: महोदय, यही एक तथ्य है। इन झूठें वाक्यों को सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है और इन प्रचार माध्यमों को एक स्वतन्त्र आयोग के नियन्त्रणाधीन करके इस झूठे प्रचार को रोका जाना चाहिए। धन्यवाद महोदय।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, दोनों विचाराधीन विधेयक—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और संविधान (संशोधन) विधेयक ऐतिहासिक विधेयक हैं। जब यह सरकार श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में सत्ता में आई तो इसने पहले ही वर्ष दलबदल विधेयक पेश

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया, जो इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह विचाराधीन विधेयक भारतीयों और राज्यतंत्र में सुधार करने की दिशा में और आगे एक कदम है।

मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि हमारी निर्वाचन प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात कही है। वर्ष 1977 में देश में हुए आम चुनावों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि जो दल सत्ता में था उसे सत्ताच्युत कर दिया गया था। वर्ष 1980 में पुनः वैसी घटना दोहराई गई अर्थात जनता दल को उखाड़ फेंककर कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाया गया।

5.00 म० प०

महोदय इससे पता चलता है कि हमारे लोगों ने चुनावों में भाग लेने में प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। महोदय यह हमारी निर्वाचन प्रणाली की सुदृढ़ता को भी दर्शाता है। इस तथ्य के बावजूद अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली और चुनाव आयोग के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के कारण ही ये चुनाव सम्भव हुए हैं। केन्द्र में एक दल है और कुछ राज्यों में अन्य दल सत्ता में हैं। जब चुनाव होते हैं तो विभिन्न दल सत्ता में आते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली समय की कसौटी पर खरे उतरी है। सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली के कारण हम अपनी तुलना किसी भी लोकतांत्रिक देश से कर सकते हैं।

लेकिन इसके साथ ही साथ कोई भी प्रणाली पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं है कुछ कमियां हो सकती हैं और इस प्रणाली को पूर्णरूप से सुधारने में समय लगेगा और अब हम केवल इन कमियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यह विचाराधीन विधेयक इस दिशा में एक कदम है।

महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले कुछ विपक्ष के सदस्य यह चाहते थे कि व्यापक विधेयक लाया जाए जिसमें वे सभी बातें शामिल हों जिन्हें वे चाहते हैं। महोदय यह एक खतरनाक प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में हमें अधिक सावधानी से कार्य करना होता है।

इस विधेयक को पुरः स्थापित करते समय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि यह विधेयक केवल एक पहला कदम है और भविष्य में यदि हमें और संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो हम उस समय और संशोधन करने के बारे में सोच सकते हैं।

महोदय विपक्ष के अनेक सदस्यों ने चुनावों के कार्यसंचालन के बारे में चर्चा की है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया है कि चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किए गये अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग के अधीन तेलुगु देशम चुनाव जीतकर सत्ता में आई। श्री माधव रेड्डी यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वह इसी

निर्वाचन आयोग की बदौलत अपने राज्य में सत्ता में आए हैं। श्री वी० पी० सिंह भी इसी निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचित हुए। शायद वे इस सत्य को भूल गये हैं। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग एकदम स्वतंत्र है।

महोदय मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं कि राजनैतिक दलों के पंजीकरण का विरोध क्यों किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि पंजीकरण क्यों किया जाना चाहिए। श्री गोस्वामी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। मैं कहूंगा कि अब तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उनका दल समाजवाद में विश्वास रखता है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने यह पूछा है कि दल को यह क्यों कहना चाहिए कि वे समाजवाद में विश्वास रखते है क्योंकि यह बात तो संविधान की प्रस्तावना में पहले ही कही गई है। महोदय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जो हमारे देश के तीन आधार स्तम्भ हैं, पहले ही मौजूद हैं। सच्चाई यह है कि कुछ विपक्षी दल इन सिद्धांतों को अपनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वे वास्तव में इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि वे इन सिद्धांतों में विश्वास ही नहीं करते हैं। अतः निर्वाचन आयोग को आवेदन देते समय यह कहने में कि वे इन सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना में विश्वास करते हैं उनकी कठिनाई को मैं समझ सकता हूं।

महोदय, चुनावों के लिए धन देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि राज कोष से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पैसे से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का अनुभव इसलिए है क्योंकि मैंने पिछला चुनाव अपने निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। एक अत्यंत समृद्ध व्यक्ति ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

वह बेहद पैसा खर्च कर रहा था। मेरे विचार से उसने कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्च किए। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति है तथा इश्तहारों तथा अपने चुनाव चिह्न से वह निर्वाचन क्षेत्र को भर रहा था तथा वह प्रत्येक कार्यकर्ता को उसी प्रकार पैसा दे रहा था जैसे वह खर्च कर रहा था। महोदय मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परन्तु इन सब बातों का मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैं केरल में अब तक के सबसे अधिक बहुमत अर्थात 1,35,000 से भी अधिक वोटों से निर्वाचित हुआ, परन्तु कठिनाई यह थी कि एक उम्मीदवार के रूप में मुझे संघर्ष करना पड़ा तथा उन्होंने जितना खर्च किया उसका अंश मात्र भी मैं खर्च नहीं कर पाया फिर भी लोगों ने मुझे निर्वाचित किया। परन्तु मैं एक उम्मीदवार के रूप में बहुत दुखी हुआ क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था। यदि चुनाव का खर्च सरकार वहन करे तो चुनाव व्यय पर नियंत्रण करने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रचार करने के दिनों की संख्या को कम किया जा सकता

है तथा प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों, इश्तहारों यहां तक कि कारों तथा माइकों आदि की संख्या को सांविधिक रूप से सीमित किया जा सकता है। इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक उचित उम्मीदवार को ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

महोदय, जहां तक बहुउद्देशीय पहचान-पत्रों, के प्रश्न का संबंध है, मैं भी इसे लागू करने के पक्ष में हूं। इसका कारण है केवल मेरा केरल का अनुभव। मुझे अन्य राज्यों के बारे में अनुभव नहीं है। परन्तु मेरा यह कहना है कि केरल में जहां मार्क्सवादी सरकार सत्ता में है, सरकार चुनावों में केवल हेरफेर करती है और फर्जी मतदान कराती है। पंचायत के चुनावों में तथा सहकारी सोसाइटियों के चुनावों में यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उचित तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कम से कम केरल तथा पश्चिम बंगाल में बहुद्देशीय पहचान पत्र प्रणाली लागू की ही जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी निर्वाचन व्यय, विशेष रूप से सत्ता दल द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में काफी अधिक बोल रहे थे। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे यह कैसे भूल गए कि केरल में स्वयं उनके मित्र यही कर रहे हैं। केरल में क्या हो रहा है ?...(व्यवधान), पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? मैं केरल के बारे में जानता हूं इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में वे और कुछ नहीं कर सकते। महोदय, अलप्पी में एक जलसे का आयोजन करने के लिए, मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए। अब दल का 13 वां सम्मेलन त्रिवेन्द्रम में होने जा रहा है जिसमें 5 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च होने की सम्भावना है। इन सब बातों के होते हुए भी श्री सोमनाथ चटर्जी कांग्रेस दल पर आरोप लगा रहे हैं। वे कांग्रेस दल पर आरोप कैसे लगा सकते हैं ? क्या ऐसा है कि, केरल में उनके मित्र जो कुछ कर रहे हैं वे उससे अनभिज्ञ हैं ? उनका भाषण सुनते हुए मैं केवल यह प्रार्थना कर रहा था कि 'भगवान उन्हें माफ कर दीजिए क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि केरल में उनके मित्र क्या कर रहे हैं। यदि आप केरल तथा पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो माननीय विधि मन्त्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि—यदि वह सभी राज्यों में इस बहुउद्देशीय पहचान-पत्र को लागू नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, परन्तु इसे वह केरल तथा पश्चिम बंगाल में तो लागू कर ही दें। अन्यथा इन राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मार्क्सवादी सरकार का यह रवैया है। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय इन दो विधेयकों का जो आज की चर्चा के विषय हैं, देश के सभी लोगों ने स्वागत किया है। मैंने, विपक्ष के सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुना है तथा उससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वे भी इन विधेयकों में दिए गए प्रस्तावों का

बहुत अधिक विरोध में नहीं कर रहे हैं। केवल दो बातों के लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया है। पहले, वे यह महसूस करते हैं कि विधेयक का विषय क्षेत्र व्यापक नहीं है तथा चुनाव सुधार संबंधी बहुत से सुझावों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया है। दूसरे, वे यह महसूस करते हैं कि ये दोनों सुधार सरकार द्वारा विलम्ब से लाए गए हैं। जब मैंने पहली बार इस विधेयक को पढ़ा तो मुझे भी यही महसूस हुआ था कि विधेयक का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हो सकता था। परन्तु माननीय विधि मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी तथा श्री गाडगिल द्वारा इसके बारे में कही गई बातों को सुनने के पश्चात् मैं अब संतुष्ट हूं कि सरकार ने ठीक ही अन्य सुझावों को इसमें शामिल नहीं किया। मुझे विश्वास है कि सरकार तथा विधि मन्त्री का इस ओर ध्यान है तथा मुझे विश्वास है कि सभा में पक्ष तथा विपक्ष द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बाद में यदि आवश्यक हुआ तो सभी नए सुझावों को शामिल करके, एक दूसरा व्यापक विधेयक लाया जा सकता है।

जहां तक विलम्ब का संबंध है, मैं भी यह महसूस करता हूं कि संभवतः सभा के समक्ष इन दोनों विधेयकों को पेश करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। परन्तु इसके लिए सरकार के पास एक जायज कारण है तथा मैं माननीय विधि मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने शुरूआत की तथा अब इन दोनों विधेयकों को सभा के समक्ष पेश किया जो स्वीकृत तथा अनुमोदित होने पर हमारे लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने तथा अच्छा प्रशासन देने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है तथा सरकार द्वारा लिया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका सभी ने स्वागत किया है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह निर्णय, देश में आज के राजनीतिक वातावरण तथा विचार धारा, के अनुकूल है। हम सभी जानते हैं कि आज का युवा वर्ग सुशिक्षित, जागरूक विद्वान है तथा उसे पूरे विश्व के राजनीतिक वातावरण का ज्ञान है। भारत को एक बेहतर देश बनाने की दिशा में अपना योगदान देने के मामले में वह शांति तथा विचारों से ओत-प्रोत है। इसीलिए यह उचित है कि इस भावना की कदर करने के लिए युवाओं को निर्वाचन-प्रणाली में भागीदारी का अवसर दिया जाना चाहिए तथा अपने देश की सरकार बनाने में उन्हें भी भागीदार बनना चाहिए तथा उनके विचारों, उनकी शक्ति तथा उनके उत्साह से हमें लाभ उठाना चाहिए।

इस संदर्भ में मुझे केवल एक नम्र निवेदन करना है। इस विधेयक के अधिनियम बनने से पूर्व अभी अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। मेरा केवल यह अनुरोध है कि इन औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए ताकि हमारे ये युवा मतदाता आगामी चुनावों में भाग ले सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुझे भय है कि कहीं यह सब यूं ही व्यर्थ न चला जाए तथा यह लाभकारी सिद्ध होने की

बजाय हानिकारक न हो जाए। इस विधेयक को यथाशीघ्र अधिनियम में बदलने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

ऐसा कहा जाता है कि किसी लोकतंत्र की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली विद्यमान है।

गत 40 वर्षों में हमने देश में कई चुनाव कराये हैं। वे बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए थे, वे ईमानदारी से और निष्पक्ष हुए थे जिससे यह पता चलता है कि संसदीय शासन प्रणाली की हमारे देश में जड़ें जम रही हैं। यह तीसरी दुनियां के देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर तीसरी दुनियां का कोई अन्य देश गर्व नहीं कर सकता। परन्तु मैं यह मानता हूं कि ऐसा कह कर भी अभी हम अपनी निर्वाचन प्रक्रिया में घुस आए कतिपय घातक कदाचारों को ध्यान से देखते आ रहे हैं।

5.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, उनमें सर्वाधिक मुख्य है चुनावों में भुजबल का प्रदर्शन और धन-शक्ति का प्रयोग। मुझे खुशी है कि जो बुराईयां पैदा हो गई हैं, सरकार ने उन पर ध्यान दिया है और स्थिति से निपटने हेतु इन दो विधेयकों में पर्याप्त उपबंध किये गए हैं।

इस अवसर पर, मैं विधि मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहूंगा। यदि ये स्वीकृत और अनुमोदित कर दिए जाएं तो मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घटनाओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि हालांकि मैं स्वचालित मतदान मशीनों के उपयोग का स्वागत करता हूं—निःसंदेह वे बहुत ही सहायक होंगी—फिर भी मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये मशीनें फर्जी मतदान करने और मतदान केन्द्र पर कब्जा करने जैसे कदाचारों को रोक सकेंगी। उसको रोकने के लिए, मेरा यह सुझाव है कि सरकार को सभी मतदाताओं को परिचय-पत्र जारी करने चाहिएं चाहे यह बहुत ही महंगा क्यों न पड़े मैं जानता हूं कि इस पर बहुत सारा धन खर्च होता है, परन्तु उसके बिना मैं यह अनुभव करता हूं कि आप फर्जी मतदान को नहीं रोक सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के उन कमजोर वर्गों के लाभार्थ चल मतदान केन्द्रों का उपयोग राजतन्त्र और राज्य सरकार के लिए अनिवार्य कर

देना चाहिए जिन्हें चुनावों के समय अपना मतदान करने से रोका जाता है। यह देखा गया है कि निर्वाचन-आयोग तथा सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद इन कमजोर वर्गों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है। यदि सरकार इन चल मतदान-केन्द्रों का प्रयोग अनिवार्य कर दे और ये चल मतदान-केन्द्र उन क्षेत्रों में जा सकें जहां गरीब लोग रहते हैं, जिससे वे अपना मतदान बिना किसी झिझक के कर सकें तो यह बहुत ही उपयोगी रहेगा।

इस सम्बन्ध में तीसरा सुझाव यह है किसी स्थान पर यदि मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लिया गया है और उसके बाद जांच से पता चलता है कि किसी दल विशेष के अनुयाईयों ने मतदान केन्द्र पर कब्जा करने में भाग लिया है तो मेरा यह विनम्र सुझाव है कि उस दल के उम्मीदवार को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए। उसके बाद उसे वहां से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मतदान केन्द्र पर कब्जा स्वयं उम्मीदवार की मिलीभगत और अनुमति के नही किया जा सकता है। जब तक हम सम्बद्ध दल और उम्मीदवार को दण्डित करने की स्थिति में नहीं होंगे तो मुझे पूरा सन्देह है कि तब तक ये सम्मिलत किए गए तमाम कानून और दाण्डिक उपबन्ध इस बुराई को समाप्त कर भी सकेंगे। सच्चाई तो यह है कि दण्ड की कोई भी प्रणाली वास्तव में इसे रोक नहीं सकती। इसका वास्तविक समाधान यह है कि सभी राजनीतिक दल सरकारी तन्त्र तथा समस्त जनता पूरी तरह वचनबद्ध हो जिससे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो सकें यदि ये तीनों एक-दूसरे से सहयोग कर सकें और अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा सकें तो केवल तभी हम इस बुरी परिपाटी को समाप्त कर सकते हैं।

धन-शक्ति और चुनावों के लिए पैसा देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। चाहे हम माने या न मानें परन्तु यह सच है कि आजकल चुनावों में धन-शक्ति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत रूप से मैं इससे बहुत अप्रसन्न हूं। इस समस्या के दो पहलू हैं। एक है चुनावों के लिए पैसा जुटाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बड़े व्यापारिक घरानों से चन्दा स्वीकार करना। दूसरा पहलू है किसी अकेले उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च जोकि अन्धाधुन्ध बढ़ रहा है और चुनाव वास्तव में बहुत खर्चीले हो गए हैं। मैं चन्दा प्रणाली से कतई प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि पार्टी जो धन अन्य लोगों से लेती है दूषित होता है और उसका लम्बा सिलसिला होता है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं कि हम इस प्रणाली और परिपाटी से कैसे बच सकते हैं। इस बारे में क्या किया जा सकता है ? राजनीतिक दलों को निर्वाचन के लिए धन की जरूरत तो होती है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस समग्र प्रश्न पर गहराई से विचार किया जाए। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमें चुनावों के दौरान धन की बोरियों के शिकंजे से छुटकारा मिल सके। जहां तक चुनावी खर्चों का सम्बन्ध है, खर्चे इतने बढ़ गये हैं कि साधारण नागरिक के लिए चुनाव लड़ना असम्भव हो गया है। उसे सहायता के लिए इधर-उधर हाथ मारना पड़ता है। यदि

सहायता नहीं मिलती है तो कठिनाईयां और रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं और चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। यदि कोई उम्मीदवार उस सहायता को स्वीकार क. लेता है तो मेरे विचार से वह उम्मीदवार विशेष उस व्यक्ति को अपनी आत्मा एवं आत्म सम्मान बेच देता है जो उसे धन देता है। मैं इसके हक में नहीं हूं। कुछ ऐसा मार्ग खोजा जाना चाहिए जिससे देश के वे नागरिक भी चुनाव लड़ सकें जो धनी नहीं हैं। अन्यथा केवल बहुत अमीर चुनाव लड़ सकेंगे और कोई औसत व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह ऐसा काले धन की सहायता से करेगा जिसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मेरे विचार से यह एक ऐसा मामला है जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं कुछ बातें उन लोगों के बारे में कहना चाहूंगा जो इसे गम्भीरता से न लेकर दिल्लगी में ही चुनाव लड़ते हैं। उनमें से बहुत से तो प्रचार पाने अथवा स्वयं को निर्वाचन क्षेत्र से परिचित करवाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वास्तव में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल खड़ा करते हैं। दूसरा कारण है धन का प्रलोभन। मेरे विचार से इस सबसे सारा वातावरण प्रदूषित होता है। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं। इसे कैसे समाप्त किया जाए, आज हमें इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में मेरा एक मात्र सुझाव यह है कि जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत की राशि बढ़ाकर कम से कम 10,000/रुपए कर देनी चाहिए। और जो लोग विधान-सभा का चुनाव लड रहे हैं उनके लिए यह राशि बढ़ाकर 5,000/-रुपए कर देनी चाहिये। यह सुझाव देते हुए मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि इससे यह बुराई जड़ से समाप्त हो जाएगी। परन्तु इससे उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे जो प्रचार पाने या दिल्लगी की भावना से चुनाव मैदान में आते हैं। जमानत की राशि बढ़ाकर इस प्रकार के तत्वों को कुल मिलाकर कम किया जा सकता है। निस्सन्देह इससे यह परिपाटी पूर्णतया रोकी नहीं जा सकेगी, परन्तु इससे इनकी संख्या में निश्चय ही कमी आयेगी। महोदय, आपने घन्टी बजा दी है और मैंने जो कहना था कह दिया है। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इन दो विधेयकों का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू-शुरू में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक चुनाव सुधारों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार की सराहना करता हूं। इस सम्बन्ध में हमारे पास दो विधेयक हैं। जहां तक संविधान (संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है, मैं मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। इस वक्त समय कम है। इसीलिए मैं उस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता जिस बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है। अब सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। यह लोगों की मांग हो सकती है। परन्तु भारत सरकार ने लोगों की मांग ही पूरी की है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नये मतदाताओं को मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा ख्याल है

कि उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ के आस-पास होगी, इसलिए श्री शंकरानंद के लिए यह एक हर्ष की बात होगी। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं।...(व्यवधान)

हमें यह देखना है कि इससे किसको लाभ होगा। भविष्य अनिश्चित है। हम यह नहीं कह सकते कि किस दल को इससे लाभ पहुंचेगा। हम इस बारे में नहीं जानते। परन्तु मैं इस बात के लिए भारत सरकार की सराहना करता हूं। जहां तक लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है, मूल अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। मैंने इस विधेयक को बहुत बारीकी से पढ़ा है। परन्तु इसकी खण्डवार व्याख्या करने के लिए समय नहीं है। मैं इस विधेयक में कुछ अच्छे लक्षण भी देख रहा हूं। इसके कुछ उपबन्धों का स्वागत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए खण्ड 4 एक बहुत ही व्यापक खण्ड बन गया है। इससे निरर्हताओं पर प्रकाश पड़ता है।

परन्तु मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर बताना चाहता हूं। मैं मूल अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि दल-बदल कानून को अछूता क्यों रहने दिया गया है। आजकल यह फैशन हो गया है कि किसी दल के निशान पर चुनाव जीतो और फिर उसी दल के हितों के विरुद्ध कार्य करो और इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसलिए यदि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद मंत्री महोदय को निरर्हता की पूरी सूची को विस्तृत करने की आवश्यकता के प्रति ध्यान देना होगा और दल-बदल कानून को भी इस दायरे में लाना होगा। क्योंकि इस बारे में कई कानून बने हुए हैं। आपने सभी तरह के कानूनों को एक साथ मिला दिया है। जब आप निरर्हरता के बारे में सोचते हैं तो आप चुनाव निशान को ध्यान में रखते हैं, आप संसद में या संसद के बाहर दल की गतिविधियों के विरुद्ध काम करने को ध्यान में रखते हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड 4 में इसे काफी व्यापक बना दिया गया है। परन्तु मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि दल-बदल कानून के बारे में भी कुछ विचार किया जाना चाहिए। मैं धारा 5 का स्वागत करता हूं। समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। धारा 5 में यह बताया गया है कि सरकारी विभागों से लिए गये कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेंगे और वे लोग प्रतिनियुक्ति पर होंगे। किसी ने धनराशि का प्रश्न भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ता लेंगे। मेरा यह कहना है कि इस मामले में राज्य सरकारों से भी कुछ न कुछ परामर्श किया जाना चाहिए। यह उपबंध भी किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसकी मांग की है। श्री चटर्जी ने इस उपबंध की मांग अपने एक संशोधन के द्वारा की है। मैंने उनके संशोधन का अध्ययन किया है। मैंने भी एक संशोधन पेश किया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए। मैं अभी अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। मैं इस संशोधन को बाद में पेश करूंगा।

राजनैतिक दलों के पंजीकरण के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि भाग 4 (क) की धारा 6 के

अन्तर्गत कुछ दल पहले ही पंजीकृत किए जा चुके हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग को फिर से इन दलों का पंजीकरण नहीं करना चाहिए ।

धारा 15 के अन्तर्गत, जो मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के बारे में है, यह एक अपराध बन गया है और यह स्पष्टीकरण बहुत ही बढ़िया है । इस खंड पर दिया गया स्पष्टीकरण अत्यन्त व्यापक है । ये इस विधेयक के बहुत बढ़िया उपबंध हैं ।

जहां तक सरकार द्वारा चुनाव के लिए धन दिए जाने की बात है, मैं उससे सहमत हूं । मैं पहली बार अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रो० मधु दण्डवते से जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, सहमत नहीं हूं । मै श्री गाडगिल जी से सहमत तो हूं लेकिन उन्होंने चुनाव पर खर्च होने वाली राशि के बारे में जो अनुमान बताया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं । इस संबंध में भी एक गरीब व्यक्ति का ही पैसा खर्च होगा । मधु दण्डवते जी जहां तक नेशनल कांफ्रेंस का सम्बन्ध है, हमने केवल 20,000 रुपये से चुनाव लड़ा है । जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग चाय और खाना पेश करते हैं । हम किसी प्रकार का धन खर्च नहीं करते हैं । अब सुनने में आता है कि चुनाव पर खर्च करने के लिए लाखों रुपये और जीपों की जरूरत पड़ती है और राज्यों को चुनाव के लिए धन देना पड़ता है । लेकिन अब स्थिति यह होगी कि पैसा सरकार और निजी पार्टियों से लिया जाएगा । मैं नहीं समझता हूं कि हमारा देश इस समय इस तरह की फिजूलखर्ची करने को तैयार है । अतः मैं श्री मधु दण्डवते जी से सहमत नही हूं ।

(व्यवधान)

आप कृपया मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए । इस विधेयक में कुछ कमियां हैं । खण्ड 6 में आयोग को व्यापक अधिकार दिए गये हैं और विधेयक में कहा गया है कि "आयोग संघ अथवा निकाय से ऐसे अन्य विवरणों की मांग कर सकता है जिन्हें वह जरूरी समझे ।" मैं समझता हूं कि श्री हंसराज जी इस बात को नोट करेंगे क्योंकि हम बहुसदस्यीय आयोग चाहते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने हमें परामर्श दिया था कि एक सदस्यीय आयोग ठीक रहेगा । लेकिन मेरी राय है कि तीन-सदस्यीय आयोग होना चाहिए और इस आयोग को भी व्यापक अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जैसा कि इस आयोग को दिए गए हैं । उस आयोग से किसी भी प्रकार का विवरण मांगा जा सकता है । आपने आयोग की शक्तियों के बारे में नहीं बतलाया है ।

यहां मैं मधु जी से सहमत हूं जिन्होंने लोक सभा के कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के साथ तुलना करते हुए याद किया है । यह बात रिकार्ड में है । हाल में एक सम्मेलन में हमने कहा था कि "इसका श्रेय श्री विट्ठल भाई पटेल और लोक सभा के जनक स्वर्गीय डा० मावलंकर जी को जाता है जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी और हमारे यहां अत्यन्त प्रतिभाशाली महासचिव भी हुए है ।" लोक सभा के कर्मचारी पूर्णतया निष्पक्ष हैं । हमने उनको एक

प्रमाण-पत्र भी दिया है। अतः आयोग के कर्मचारियों को भी निष्पक्ष होना चाहिए। इन्हें भारत सरकार के अधीन कार्य नहीं करना चाहिए। इन्हें स्वतन्त्र रूप से कार्य करना चाहिए। मैं मधु जी का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

मैं मधु जी की इस बात से भी सहमत हूं कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद आदि जैसे अभिव्यक्तियों का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि आपको विधि द्वारा स्थापित रूप में भारत के संविधान का पालन करना है तथा उसी में प्रत्येक बात आ जाती है। आप उसमें 'भारत की एकता और अखण्डता' को जोड़ सकते हैं परन्तु इससे अधिक नहीं।

खण्ड 11 में मतदान करने वाली मशीन का हम स्वागत करते हैं। परन्तु इसका प्रयोग एक समान ही होना चाहिए तथा सम्पूर्ण देश में इसका समान रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि निर्वाचन आयोग किसी वर्ग मे प्रत्येक मामले के विशिष्ट हालातों के आधार पर निर्णय ले सकता है। यह निर्वाचन आयोग को दी गई एक शक्ति है। यदि आप मतदान मशीन का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग समस्त देश में किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् मैं दण्ड देने के प्रश्न पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं केवल दो या तीन मिनट ही लूंगा।

जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है, पैसे के रूप में जुर्माना किया जाना कोई दण्ड नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं कि दो वर्ष का कठोर कारावास तथा इसके पश्चात् आप कहते हैं कि 1000 रु० का जुर्माना। एक हजार रुपए की क्या कीमत है? जब उल्लंघन किया जाता है तो जेल की सजा होनी चाहिए तथा जुर्माना नहीं होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि निर्वाचन निर्देशिका को दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि जिस रूप में यह आज है इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मूल अधिनियम अर्थात् 1951 के अधिनियम में बहुत से सुधार हुए हैं. परन्तु रिटर्निंग आफिसर तथा पीठासीन अधिकारी उनकी ओर ध्यान नहीं देते। इसीलिए, संशोधन द्वारा मैंने सुझाव दिया है कि निर्देशिका में जिस विधि का उपबंध किया गया है रिटर्निंग आफिसर तथा पीठासीन अधिकारी भी उनका पालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मूल अधिनियम अर्थात् 1951 के अधिनियम को लागू कीजिए

उससे अनेक सुधार हो जाएंगे। हम कानून तैयार करते हैं, हम कानून बनाते हैं परन्तु हम उन्हें लागू नहीं करते, इसलिए जब आप वाद-विवाद का उत्तर देते हैं तो आप हमें यह आश्वासन दें कि आप न केवल मूल अधिनियम को लागू करेंगे बल्कि आप इन संशोधनों को भी निष्ठा से लागू करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधार के सम्बन्ध में आज दो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुए हैं। चुनाव सुधार की चर्चा पिछले कई वर्षों से पूरे राष्ट्र में चल रही थी, उन बातों को और उन मतदाताओं को एक कानून के रूप में परिवर्तन करने के लिए ये विधेयक बहुत ही उपयोगी साबित होंगे—ऐसा मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष जी, नौजवानों की मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग पिछले चार-पांच वर्षों से तेजी के साथ इस देश में चल रही थी। 1984 के मई के महीने में जब तिरुपति में भारतीय युवक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें एकमत से हमारे नौजवान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री थे, से यह मांग की गई थी कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। मुझे खुशी है कि आज देश के नौजवान प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने उस वायदे को, उस विश्वास को, जो उन्होंने देश के युवकों को दिया था, संविधान के 62वें संशोधन के रूप में यहां पर इस सदन प्रस्तुत किया है।

मैं इस सदन के माध्यम से उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों की ओर से उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो विश्वास दिलाया था, उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने यह कार्य किया है। इसी तरह से जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सभी प्रांतों के और सभी वर्गों के लोगों ने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग पर जोर दिया था। हमारी सरकार ने, हमारे कानून मंत्री जी ने उन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को ठीक समय पर सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी बिल के साथ-साथ जो लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1988 रखा गया है, उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव के लिए निर्धारित योग्यता है, उसकी भी कई धाराओं में परिवर्तन करके उसको इतना मजबूत बनाने का प्रयास किया है कि किसी भी तरह ऐसे लोग चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से लोकतन्त्रीय प्रणाली में आगे न आ पायें, जो कि राष्ट्र के हितों या राष्ट्र के लोगों का ध्यान नहीं रख सकते। अपने खुद के स्वार्थों में या क्षेत्रीयता या धार्मिक भावना या आर्थिक और सामाजिक जो अपराध करने की उनमें प्रवृत्ति है, वह उनके मन में बनी

रहती है । और किसी न किसी माध्यम से वे आने का प्रयास करने में लगे रहते हैं । इस लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक में ऐसे सभी लोगों पर पाबन्दी लगाने का प्रावधान है, इसके लिए मैं अपनी सरकार के कानून मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा । जो सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो साम्प्रदायिकता की आड़ में अपने निजी स्वार्थों को हल करना चाहते हैं और किसी भी तरह से समाज की कुरीतियों को संरक्षण दे कर समाज के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपने संसद में और विधान सभाओं में आने पर प्रतिबंधित किया है । इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा । यदि इस धारा को थोड़ा और अधिक विस्तृत कर दिया जाता और दल, जो क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता या धर्म की आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ हल करना चाहते हैं, वे भी किसी तरह से चुनाव लड़ने में सक्षम न रहें या उनमें पात्रता न रहे, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप भारत की लोकतंत्रीय प्रणाली में देते । अब हमें उम्मीद है कि जो आपने ये विधेयक प्रस्तुत किये और जिन के माध्यम से आप नया कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें आगे के लिए यह गुंजाइश रहेगी कि जैसे-जैसे समय के मुताबिक सुझाव आएंगे, तो कानून में उन धाराओं को हम जोड़ते जाएंगे ।

इसी तरह से हमारे कुछ साथियों ने स्टेट फन्डिंग की बात कही, चुनाव खर्चे की बात कही । चुनाव खर्चा अधिक है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन हमें वह खर्चा सरकार की ओर से मिले, उससे बेहतर यह होगा कि हम यह सोचें कि उस खर्चे पर अंकुश कैसे रखा जा सकता है और किसी गलत रास्ते से उस खर्चे की पूर्ति न हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यदि चुनाव लड़ने का खर्च शासन देने लगेगा, तो फिर सरकारी तंत्र और लोकतंत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा । जो पीपुल्स पार्टीसिपेशन इस चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने में है, लोकतंत्र के माध्यम से हम सरकार को बनाते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकारको चलाते हैं, फिर तो यह होगा कि सरकार ही चुनाव करा रही है और सरकार ही उसके लिए पैदा दे रही है । इसलिए उस अंतर को आपको रखना पड़ेगा । इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का ही है । इसलिए जनता के मताधिकार को और उसके सहयोग को, पीपुल्सपार्टी सिपेशन को हम लें चाहे वह सहयोग चुनाव में सहयोग देने के रूप में हो या प्रजातंत्र को सहयोग देने के रूप में ही और जितने ज्यादा लोग उस चुनाव प्रक्रिया में या चुनाव के प्रसार और प्रचार में जुड़ते हैं, उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र का आधार होता है । बड़ी-बड़ी पार्टियों से बड़े-बड़े लोगों से चन्दा लेने के मैं विरुद्ध हूं । यदि छोटे से छोटा जन सहयोग उसमें मिलता है, तो उसको हमें अवश्य लेना चाहिए और चुनाव खर्चे की शासन के मार्फत पूर्ति की हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए । किस तरह से उस पर अंकुश रखा जाए और किस तरह से भ्रष्ट आचरण को रोका जाए और किस तरह से फिजूलखर्ची को रोका जाए, इसके लिए एक आचारसंहिता होनी चाहिए और उस आचार-संहिता का पालन सभी राजनीतिक पार्टियां करें और जो चुनाव खर्चे की रिटर्न हम देते हैं, वह इतनी व्यवहारिक हो कि उसमें किसी चीज के छिपने या रिटर्न में कम पैसा दिखाने की आवश्यकता न हो । इस तरह का संशोधन करने की आप कृपा कीजिए ।

अभी कुछ भाइयों ने हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा किये गये वायदों की ओर ध्यान दिलाया था । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हरियाण में जो विरोध पक्ष की सरकार बनी, उसने पिछले साल भर में किस तरह से काम किया यह सब जानते हैं । उसने किस तरह से अपने भ्रष्टाचार को, अपने खोखलेपन को और जनता से किये हुए वायदों को नहीं निभाया और वहां के नेता ने, वहां के मुख्य मंत्री ने और अन्य विपक्ष के मुख्य मंत्रियों के ने किस तरह से आचरण किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । अब वे अपनी असफलता को केन्द्र सरकार के ऊपर थोपने का असफल प्रयास कर रहे हैं । ऐसा उन्हें कतई करने नहीं दिया जाए । (व्यवधान) यह उनके जवाब में है, जो उन्होंने कहा है ।

अंत में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में हमारे नौजवान नेता, राजीव जी के नेतृत्व में इस देश ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में और राजनीति को स्वच्छ और सुचारु रूप में चलाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए वे निश्चित रूप में बधाई के पात्र हैं और इन विधेयकों को लाने के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों ऐतिहासिक विधेयकों का समर्थन करता हूं । मैं इस सभा के नेता, श्री राजीव गांधी और श्री शंकरानन्द, जो इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं, को भी निर्वाचकीय सुधारों में क्रांतिकारी और मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए बधाई देता हूं । महोदय, कांग्रेस पार्टी की एक परम्परा रही है और वह यह है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व उसके बारे में वाद-विवाद और चर्चा होती है । कांग्रेस पार्टी में कार्य समिति ने चुनाव सुधारों की सिफारिश की और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे स्वीकार किया था सरकार ने विपक्षी दलों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श किया और चर्चा की थी ।

वर्ष 1971 में इस सभा की याचिका समिति ने मतदाताओं की मतदान करने की आयु कम करने की सिफारिश की थी तथा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार तत्कालीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने इस मामले पर विचार किया था । उन्होंने भी आयु घटाने की सिफारिश की थी । अतः, महोदय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने ही आयु घटाने की दिशा में पहल की थी और कांग्रेस सरकार ने ही इसे लागू भी किया, न कि बीच में कुछ वर्षों के लिए सत्ता में आई किसी अन्य सरकार ने ।

महोदय कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता, श्री राजीव गांधी को भारत की शक्ति में भारी विश्वास है । हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में युवा शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । श्रीमती इंदिरा गांधी

ने अपने बाल्यकाल में वानर सेना का गठन किया था। उन्हें बलिदान देना पड़ा उन्हें कारावास में डाला गया और उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने स्वतंत्रता से पूर्व भी देश की युवाशक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की अगुआई की थी। हमारी चुनाव प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है। बदली हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि चुनाव सुधार किए जाएं और तदनुसार जनता और देश की युवा शक्ति की नब्ज पहचान कर ये चुनाव सुधार पुरःस्थापित किए गए हैं।

मेरे विचार से विपक्ष को इन दोनों विधेयकों के प्रति कोई शिकायत नहीं है। उसने दोनों विधेयकों के उपबंधों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है। उन्होंने केवल विधेयकों में कुछ परिवर्तन किए जाने की बात कही है। इसे अब स्वीकार कर लिया गया है। सभा का सर्वसम्मत मत यह है कि दोनों विधेयकों को पारित किया जाना चाहिए।

अनेक सदस्यों ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में कहा है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324(1) के अनुसार एक संवैधानिक प्राधिकरण है। इस आयोग में प्रारम्भ से ही केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहा है और जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और निर्वाचन आयोग के पास अवशिष्ट अधिकार हैं। अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में कभी हस्तक्षेप किया हो। यह सुझाव है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कराई जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति आदि का कोई काम नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि अनियमितताएं क्या हैं और मतदान केन्द्र पर कब्जा करना क्या है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और अनियमितताओं के लिए निरर्हता के अतिरिक्त दण्ड का भी प्रावधान किया जा रहा है। न केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिन्होंने भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध किया था और जिन्हें दो वर्ष से अधिक समय के लिए दण्डित किया गया था, अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए बल्कि जिन्होंने खाद्य मिलावट अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, सती, जैसे अन्य कानूनों के अन्तर्गत अपराध किया है, उन व्यक्तियों को भी छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अतः यह विधेयक आपराधिक रिकार्ड रखने वाले व्यक्तियों को व्यवहारिक रूप से सचेत करता है कि यदि वे भारतीय नागरिक बने रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि राजनैतिक दलों के पंजीकरण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हम कई अवसरों पर इस सभा में संविधान का सहारा लेते हैं। जब हम किसी अधिनियम अथवा विधेयक के बारे में बोलते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, तो हम यह कह देते हैं कि यह संवैधानिक नहीं है। फिर हम इस विधेयक के उस उपबंधों का विरोध क्यों करें जिसमें यह कहा गया है कि अमुक संगठन अथवा निकाय संविधान के प्रति, जो कि कानून समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, और लोकतन्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखेगा, और भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाये रखेगा।

हम जानते हैं कि आज भारत के भीतर ही ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, और वे अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रहती हैं ऐसी परिस्थितियों में, उन राजनैतिक दलों को जो न तो इन प्रथकतावादी आन्दोलनों मे विश्वास रखते हैं और न ही इनका समर्थन करते हैं, आगे आना चाहिए और इस उपबन्ध को स्वीकार करना चाहिए। इस उपबन्ध को बदलते हुए समय और वर्तमान परिस्थितियों के कारण शामिल किया गया है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा धन दिये जाने के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। सरकार द्वारा धन दिए जाने से कदाचार की समस्या बिल्कुल हल नहीं होगी। इससे तो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक धन का दुरुपयोग होगा ; तथा मत प्राप्त करने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ेगा।

इसी प्रकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में मेरा विचार है कि यह प्रणाली हमारे देश के लिए अधिक अनुकूल नहीं होगी। हमारा देश एक विशाल देश है। इस संकल्पना पर अन्य कुछ दूसरे देशों में प्रयोग किया गया है। परन्तु वे देश भी अब इस प्रणाली में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। वास्तव में फ्रांस जैसे कुछ देशों ने इसे बदल भी दिया है। इन परिस्थितियों में हमारे देश में विद्यमान चुनाव-प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है और यदि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किन्ही सुधारों की आवश्यकता है तो सरकार उचित समय में इन सुधारों को पेश करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम सभा का समय एक घण्टे और बढ़ा दें ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यदि सभा सहमत है तो हमें सभा की बैठक छः बजे के पश्चात जारी रहने में कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय ने फैसला किया है कि विधेयक पर खण्डवार चर्चा कल ग्यारह बजे शुरू होगी। अतः यह बेहतर होगा कि आज हम देर तक बैठें।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा की आम राय है कि सभा की बैठक एक घण्टा और चले ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में कुछ विशिष्ट चुनाव सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है । सर्वप्रथम, मैं भारतीय मतदाताओं की राजनैतिक सूझ-बूझ और दूर दर्शिता की प्रशंसा करता हूं । वास्तव में, प्रजातन्त्र को जीवित रखने और स्थिरता प्रदान करने का श्रेय हमारे मतदाताओं को ही जाता है । इस संविधान (संशोधन) विधेयक का आशय मतदान में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना है । इस मुख्य मांग को मानने और युवाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । वास्तव में हमारे युवा उस विश्वास को बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं जो उनमें प्रकट किया गया है । वस्तुतः अब तक जितने भी आम चुनाव हुए है उनमें हमारे देश के युवाओं की एक बहुत बड़ी एवं साक्ष्य भूमिका रही है । तथापि मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस सभा में युवाओं की भावनाओं का पूरे मन से सम्मान नहीं किया गया है । 18 वर्ष से अधिक की आयु के युवकों का मताधिकार देना एक अमूल्य संशोधन और महान उपलब्धि है । परन्तु इसके साथ ही मुझे यह कहने के लिए भी बाध्य होना पड़ रहा है कि हमारे युवाओं को वह कुछ नहीं मिल रहा है जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और युवाओं के प्रति हम पूरे मन से आस्थावान नहीं हैं ।

मतदान की न्यूनतम आयु में कमी करने के सिद्धांत के आधार पर चुनावों में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अपेक्षित आयु सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए । इस समय यह आयु 25 वर्ष है और कोई भी व्यक्ति जो विधान सभा अथवा लोक सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और यदि वह राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए । ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 84 में है । मुझे इस बात का खेद है कि मतदान की आयु कम करने के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन करते समय अनुच्छेद 24 को या तो ज्यों का त्यों रखा गया है अथवा उसकी उपेक्षा की गई है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु कम करके 21 वर्ष कर दी जानी चाहिए । इस सभा में हमें यह बताया गया था ; और मैं माननीय सदस्य श्री गाडगिल के शब्दों का स्मरण कराना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि "आप विधेयक पारित करके इस देश के युवकों के लिए इस सभा के द्वार खोल दीजिए ।" मुझे खेद है कि हम उन्हें केवल मताधिकार ही प्रदान कर रहे हैं ; लेकिन युवकों के लिए इस सभा के द्वार खुले नहीं हैं । हम उन द्वारों को अभी भी अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहते हैं ।

इसी प्रकार, संसदीय कार्य मन्त्री श्री एच० के० एल० भगत ने कहा था "कि हमारी तुलना में युवक भारत की बेहतर ढंग से देखभाल करते हैं।" हम नवयुवकों की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूर्ण न्याय नहीं कर रहे हैं। अतः मैं मांग करना चाहूंगा कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य चुने जाने के लिए हमें यह न्यूनतम आयु कम करके 21 वर्ष करनी चाहिए। लोक सभा के लिए न्यूनतम आयु को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

हमने चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता के विषय में भी काफी विस्तार से चर्चा की है। जनप्रतिनिधित्व कानून के संशोधन में, चुनाव कार्य हेतु तैनात सरकारी कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण और चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के विषय में बताया गया है। इस प्रकार की प्रतिनियुक्तियां करके ही चुनाव तन्त्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर आया कोई अधिकारी फिर भी राज्य सरकार के हितों का ध्यान रखता है। वह जानता है कि वह वापिस अपने पुराने केडर अथवा पद पर जा सकता है। अतः यह भी पूरे मन से किया गया उपाय नहीं है।

जरूरत इस बात की है कि केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एक पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग होना चाहिए। चुनाव तन्त्र सम्पूर्णतः स्वतंत्र हो एवं उसे चुनाव आयोग के अधीन होना चाहिए और किसी भी तरह सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सम्पूर्ण चुनाव तंत्र सम्पूर्ण चुनाव आयोग, इसके राज्य स्तर अथवा निम्न स्तर पर इसके कर्मचारी केवल राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी नहीं होने चाहिए बल्कि चुनाव आयोग के अधीन पूर्णकालिक स्वतंत्र कर्मचारी होने चाहिए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के इन अपूर्ण तरीकों से हमारे सम्मुख आई समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। परन्तु मैं सरकार और विधि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस सदन को विश्वास में लेकर यह बताये कि क्या वे एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाना चाहते हैं या नहीं। प्रश्न इतना ही नहीं है कि एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बना लिया जाये। हम बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की मांग सिर्फ बदलाव के लिए ही नहीं कर रहे हैं बल्कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल उनकी सेवा शर्तों, उनके हटाये जाने की शर्तों तथा और भी ऐसी बहुत सी बातों से सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न भी हैं। यह जरूरी है कि संविधान और निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित अनुच्छेद 324 में भी संशोधन किया जाए ताकि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति उसी तरीके से की जा सके जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग के किसी भी सदस्य को सिवाये उस तरह से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, नहीं हटाया जा सकता। आज, यदि बहुसदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर भी दी जाती है तो निर्वाचन आयोग के किसी भी सदस्य को

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम इसे अमूल्य चुनाव सुधार नहीं कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें कुछ चालबाजियां कह सकते हैं जो खेली जा रही हैं। महोदय चुनाव आयुक्तों के बारे में एक और प्रश्न भी है कि वे सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा रहे हैं। इस बात पर समुचित प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए और यह जरूरी भी है। मुझे इस बात से बहुत ठेस पहुंची है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

क्योंकि आपने घण्टी बजा दी है इसलिए मैं अब केवल अपने कुछ सुझाव ही दूंगा और उनकी व्याख्या नहीं करूंगा।

मेरा यह कहना है कि चुनाव सुधार स्वाभाविक रूप से एक अनवरत प्रक्रिया है और यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसे एक ही बार में पूरा किया जा सकता है। मैं न केवल राजनैतिक चालों पर ही जोर दे रहा हूं बल्कि कुछ ठोस सुधारों पर भी जोर दे रहा हूं। इसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों को मताधिकार प्रदान करने के प्रश्न के सिवाय और कोई ठोस सुधार है ही नहीं।

इसमें खण्ड 6 राजनैतिक दलों के बारे में है लेकिन यह किस प्रयोजन के लिये है? पंजीकरण के क्या परिणाम होंगे? पंजीकरण न करने के क्या परिणाम हैं? मेरा यह कहना है कि यह बहुत ही निरर्थक खण्ड है जिसे यहां जोड़ा गया है और निर्वाचन आयुक्त को बहुत सी शक्तियां दे दी गई हैं। इसलिए मैं ऐसे निरर्थक खण्ड और निर्वाचन आयुक्त को बिना किसी प्रयोजन के इतनी अधिक शक्तियां प्रदान करने का पुरजोर विरोध करता हूं। इससे वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के बजाय बहुत सी पेचीदिगियां पैदा होती हैं।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि उन भारतीय नागरिकों को भी समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो विदेश में बसे हुये हैं या वहां पर काम कर रहे हैं और वे मतदान करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि विदेशों में रहने वाले या वहां काम करने वाले यह भारतीय राष्ट्र के विकास में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। हम उनसे हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का अनुरोध करते रहे हैं परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि विदेशों में रहने वाले या वहां पर

काम करने वाले भारतीयों को चुनाव में मतदान करने की सुविधायें बढ़ाने या प्रदान करने के बारे में विधि मंत्री को हमने जो सुझाव दिए हैं उन्हें सरकार ने नहीं माना है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उनमें से कुछ कनाडा में रह रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस बात को समझ सकता हूं कि देश के भीतर ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बहुत दूर काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तुलना में जो मतदान के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से लौट सकते हैं, विदेशों में कार्यरत लोगों के लिए लौटना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना कठिन हैं। इसलिए उनके लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं। हम इलैक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। हम इससे प्रसन्न हैं। परन्तु मुझे इस बात का डर है कि अब कहीं चुनाव और चुनाव में हेराफेरी मशीनों के द्वारा ही चुनाव में हेराफेरी का रूप न ले लें। इसके लिए भी अपेक्षित सावधानियां जरूरी हैं।

मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि मतदाता सूचियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हीं भाषाओं में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिएं जहां ये भाषाएं बोली जाती हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे अनेक सुझाव हैं जो चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए दिए जा सकते हैं। परन्तु माननीय विधि मंत्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय यह बताया है कि जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता जाएगा वैसे-वैसे सरकार इनमें सुधार करने के लिए और अधिक विधेयक प्रस्तुत करती रहेगी क्योंकि चुनाव सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है।

इन शब्दों के साथ मैं मतदान की आयु 18 वर्ष करने वाले इस संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत तो करता हूं परन्तु साथ ही साथ मैं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले खंड 6 का पुरजोर विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि पंजीकरण संबंधी उपबंध हटाया जाए जिससे निर्वाचन आयोग को बहुत अधिक और बेलगाम शक्तियां मिलती हैं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं जो आपने चुनाव सुधार संशोधन, दोनों विधेयकों पर समर्थन देने के लिए हमें अवसर दिया। मैं इन दोनों संशोधन विधेयकों का समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए बधाई देता हूं।

आजादी के 40 बरस बीत गए, चुनाव होते रहे लेकिन मुझे खुशी है 4 बरस के अन्दर ही हमारे नए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को इस बात का आभास हुआ कि चुनाव प्रणाली में कहीं खामी है, इसलिए उन्होंने चुनाव सुधार के लिए विधेयक प्रस्तुत कराया। निस्संदेह राजीव गांधी इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गलती को पकड़ा।

चुनाव में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की बात, नौजवानों को प्रोत्साहन देने और अधिकार देने के संकेत हैं। जब वह बालिग हो गए, चुनाव में तो काम करते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं है बल्कि वोट दिलाने का काम करते थे। मुझे खुशी है कि कांग्रेस सरकार ने महसूस किया कि उनको भी वोट देना चाहिए। उनको वोट देने का अधिकार आपने इसमें दिया है।

हमारे विधि मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यह महसूस किया है कि चुनाव में आपराधिक तत्व के लोग शामिल हो जाते हैं और उनके भय से शरीफ लोग चुनाव से भागने लगते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप इसमें यह संशोधन भी लाए हैं कि आपराधिक तत्व के लोग अब चुनाव में शामिल नहीं होंगे।

निस्संदेह आप महसूस करेंगे कि चुनाव के अवसर पर ऐसे-ऐसे अपराधी, जो जेल में बन्द हैं वह चाहे छोटा गांव पंचायत का चुनाव हो या विधान-सभा से लेकर लोक-सभा का चुनाव हो, उसमें खड़े होते हैं और चुनाव जीतते हैं और जो चौबीसों घंटे जनता के बीच में काम करने वाले हैं, वह बुरी तरह हार जाते हैं। इस पर भी सोचने की बात है कि आखिर जेल में बन्द रहने वाले व्यक्ति में कौन-सी खूबी है जिसकी वजह से वह ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत रहा है और चौबीसों घंटे जनता के बीच में रहने वाले हार जाते हैं? निस्संदेह इसमें ऐसा होता है कि उस अपराधी के भय के मारे लोग उसे वोट देते हैं? आपने कानून में संशोधन किया कि ऐसे लोगों को चुनाव में खड़े नहीं होना चाहिए तो आपके इस विचार के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने उचित विचार किया है।

यह बात भी सही है कि आजादी के 40 बरस बीत गए, लेकिन आज भी हरिजन और कमजोर तबके के लोग अपनी इच्छा के मुताबिक वोट नहीं दे पा रहे हैं, इस पर भी विचार होना है। जिस गांव में बड़े-बड़े सामन्तवादी रहते हैं, वह इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें वोट देने नहीं जाना है, आपका वोट घर बैठे ही हमको मिल गया है। वह हरिजन पोलिंग बूथ तक नहीं जाता, अपना वोट नहीं देता, यह आज 40 बरस की आजादी के बाद भी हो रहा है। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरिजन अपना वोट अपनी इच्छा के मुताबिक दे सकें। सुझाव के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप हरिजन बस्ती में वोट लेने की व्यवस्था करें ताकि वहां आतंकवादी और सामंतवादी लोग न पहुंच सकें और वह इच्छा के मुताबिक अपना वोट दे सकें।

बूथ कैप्चरिंग की बात की जाती है। पुलिस के उच्च अधिकारी और अन्य अधिकारीगण बूथ पर मौजूद रहते हैं। बूथ केप्चर हो जाता है तो न पुलिस मुंह खोलती है और न ही अधिकारी कुछ बोलते हैं। यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि हमको लिख कर दीजिए। लेकिन कौन लिखकर दे और कौन सामंतों से डंका खाये? इसलिए बूथ कैप्चर को रोकने के लिए आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बूथ कैप्चर आम चुनावों में भी हो रहे हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वोटरों को आप परिचय पत्र दें। यदि आप परिचय पत्र नहीं देते हैं तो एक ही आदमी 10-10 बार वोट देगा और वोट लेने वाला कह नहीं सकेगा कि आप वोटर नहीं हैं। वास्तव में यदि बूथ कैप्चर को रोकना चाहते हैं या गलत वोटरों का प्रवेश रोकना चाहते हैं तो आप ईमानदारी के साथ खर्चा बर्दाश्त करिए।

इलेक्ट्रानिक मशीनों की बात चलायी जा रही है। मैं जानता हूं कि आप इतने बड़े देश में स्वच्छ चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इलेक्ट्रानिक मशीनों के द्वारा चुनाव करायेंगे तो इतना खर्च बैठ जाएगा। यदि खर्चा देखते हैं तो चुनाव स्वच्छ नहीं होता है और यदि खर्चा बर्दाश्त करते हैं तो स्वच्छ चुनाव होता है। लेकिन प्रजातन्त्र में स्वच्छ चुनाव का होना नितान्त आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे यहां प्रजातंत्र कायम रहे और स्वच्छ चुनाव हो तो यह खर्चा बर्दाश्त करना ही चाहिए। सभी पार्टियां जो यह कहती हैं कि हमको चुनाव का खर्चा दीजिए इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चुनाव प्रणाली को साफ-सुथरा करने के लिए यदि इलेक्ट्रानिक मशीनों की आवश्यकता है और उससे चुनाव साफ-सुथरा हो सकता है तो निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस खर्चे को बर्दाश्त करें।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आता हूं। बलिया जिले में जनता पार्टी का चुनाव मात्र बूथ कैप्चरिंग पर निर्भर करता है। यदि बूथ कैप्चर न हो तो बलिया जिले में जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। जनता पार्टी के अध्यक्ष बूथ कैप्चरिंग के बल पर दो बार चुनाव जीतकर आये हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि यदि बूथ कैप्चरिंग न हो तो जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में नहीं आ पाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रानिक मशीनों को अवश्य लायें। यदि आप स्वच्छ चुनाव करा देंगे तो बलिया में जनता पार्टी का कोई नामो-निशान नहीं होगा। यदि आपने स्वच्छ चुनाव नहीं कराये तो भगवान जाने क्या होगा। इन सारी बातों को ध्यान मे रखते हुए हम अपने नौजवान प्रधानमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि वह स्वच्छ चुनाव कराने की अवश्य व्यवस्था करें। हम अपने नौजवान प्रधान मंत्री को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में बहुत ऊंचे विचार से यह महसूस किया है कि चुनाव प्रणाली में सुधार होना चाहिए और प्रजातन्त्र की रक्षा होनी चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, रिप्रेजेंटेशन आफ दी पिपुल अमेंडमेंट बिल जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं ; उसके साथ-साथ कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका भी मैं समर्थन और स्वागत करता हूं।

हमने मतदान के लिए 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु करने का जो निर्णय लिया है, वोट देने के इस अधिकार को देने का प्रयास 1972 से चल रहा था लेकिन अब प्रधान मंत्री जी ने इस प्रकार का

निर्णय लेकर युवाओं का मनोबल बढाया है। और युवाओं को भी राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में, विकास में भागीदार बनाया है। राष्ट्र के निर्माण में उनको भागीदार बनाया है। इसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं मल्टी परपज आइडैण्टिटी कार्ड के बारे में मंत्री महोदय ने बयान दिया है और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विद्यमान कानून के अन्तर्गत भी हम मल्टी परपज आइडैण्टिटी कार्ड बना सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में वे हाऊस को पूर्ण तौर से आश्वासन दें क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में भी विशेष तौर से यही मांग है कि मल्टी परपज आइडैण्टिटी कार्ड होने चाहिएं। इसके होने से कैप्चरिंग आफ बूथ्स में काफी कमी आयेगी इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है आपको मल्टी परपज आइडैण्टिटी कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका वजन अगर गवर्नमैण्ट पर पड़ता है तो इस वजन को भी सरकार को सहन करना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ने भी अभी आइडैण्टिटी कार्ड के द्वारा ही मतदान कराया है। भारत सरकार को भी इस प्रकार से ही मतदान कराना चाहिए। यद्यपि वहां आइडैण्टिट कार्डस खुद को ही उन्होंने प्रस्तुत किए मतदाताओं ने प्रस्तुत किए। यहां भी केन्द्र सरकार को उसके बारे में निर्णय लेकर इसका परिपालन करना चाहिए।

मैंने यह देखा है कि पार्लियामैण्ट और विधान सभा चुनाव के लिए जो 21 डेज का समय है, यह बहुत अधिक है। इसको पार्लियामैण्ट के चुनाव के लिए घटा कर 15 दिन और विधान सभा के चुनाव के लिए 11 दिन निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे चुनाव का खर्च काफी कम हो सकेगा। खड़े हुए उम्मीदवार से अगर जनता प्रभावित है, जनता को उस पर और उसकी पार्टी पर विश्वास है तो वह उतने अर्से के अन्दर प्रचार करेगा; वह यदि मतदान के लिए प्रस्तुत हो जाता है तैयार हो जाता है तो इस सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिए। अब आप रूल्स का निर्माण करें, नियमों के निर्माण के अन्दर यह परिवर्तन कराने की आवश्यकता है।

मैंने यह पाया है कि विशेष तौर से नौजवान मतदाता इंक को उसी वक्त मिटा देते हैं और मिटाकर फिर दूसरा वोट देने के लिए आ जाते हैं। यह इंक इस प्रकार के कैमीकल प्रोसेस की होनी चाहिए कि लगने के बाद किसी भी सूरत में कम से कम 3 दिन तक तो नहीं मिट सके। इस प्रकार की व्यवस्था आप को करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं और लोग उसी वक्त इंक मिटाकर दूसरी बार वोट देने के लिए आ जाते हैं तो यह स्थिति किसी भी सूरत में ठीक नहीं है इसलिए आपको ऐसी इंक बनानी चाहिए जो तीन दिन तक तो कतई नहीं मिटे।

इण्डीपेंडेंट कैण्डीडेट्स के बारे में मेरा तो यह दृष्टिकोण है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में उनको खड़े होने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा यह सुझाव काफी कड़ा है लेकिन जो आज प्रजातंत्र में विश्वास करता है वह किसी न किसी पार्टी से बिलांग करे लेकिन अगर इण्डीपेंडेंट है तो

उसका कतई एलाऊ नहीं किया जाना चाहिए। अगर एलाऊ किया जाए तो उनके लिए सख्त प्रोवीजंस होने चाहिए।

जहां तक डिपाजिट की बात है, इनके लिए असेम्बली सीट के लिए डिपाजिट फीस 5 हजार रुपए होनी चाहिए और पार्लमैन्ट सीट के लिए 10 हजार रुपए होनी चहिए। इसी प्रकार से जो प्रस्तावक और समर्थक होते हैं इनकी संख्या बढ़ाकर 21-25 कर देनी चहिए उनके लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि अगर वे खड़े हों तो जब तक वे इन सारी शर्तों को पूरा न करें उनको खड़े होने की पर्मीशन न दी जाए वरना ये हमेशा ही एक प्रकार से न्युसेन्स बने रहेंगे। मेरी राय में अगर सम्भव हो सके तो इन्डेपेन्डेन्ट्स को किसी भी सूरत में खड़े होने की पर्मीशन न दी जाये। और अगर उनको खड़े होने की पर्मीशन दी जाए तो इस प्रकार की शर्तें उन पर लगाई जानी चाहिए। और किसी इन्डेपेन्डेन्ट की डेथ होने पर चुनाव को स्थगित नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) पहले ऐसा किया था लेकिन इसमें यह प्राविजन नहीं है। इसलिए इस प्राविजन को भी करना चाहिए।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि कम्युनल आर्गेनाईजेशंस को डेफाइन किया जाना चाहिए। राजनीतिक संस्थाये धार्मिक-संस्थानों का दुरुपयोग करती हैं। उसके लिए ऐक्ट भी बना हुआ है लेकिन उसका वायलेश होता है। तो मेरा सुझाव है कि एक डिसक्वालिफिकेशन माना जाना चाहिए। इसके अलावा जो एकोनामिक आफेन्डर्स या सामाजिक अपराधी हैं उनको डिसक्वालिफाई करने के प्राविजन्स इस बिल में रखे गए हैं। मैं इन प्राविजंस को सपोर्ट करता हूं।

इन शब्दों के साथ संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक जो इस सदन के सामने प्रस्तुत किए गए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में लाए गए निर्वाचन सुधार विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीमान् बहुत समय से, विशेषकर पिछले आम चुनाव से लोग आशा करते रहे हैं कि कोई चुनाव सुधार विधेयक लाया जाएगा क्योंकि प्रधान मंत्री ने अपने सार्वजनिक भाषणों में वायदा किया था कि सरकार चुनावों में कुछ सुधार करेगी ताकि जनता में कोई असंतोष न रहने पाए। श्रीमान्, मैंने यह विधेयक पढ़ा है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह अपर्याप्त है और मैं तो कहूंगा कि यह अनिष्टकर भी है।

श्रीमान्, दिल्ली की दीवारें ऐसे रंगीन पोस्टरों से भरी हुई हैं जिनमें मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा कम करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी गई है। श्रीमान्, प्रधानमंत्री के राजनीति में आने से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों ने तथा संयुक्त संसदीय समिति ने मतदान की न्यूनतम आयु सीमा कम करने की मांग की थी। मार्च, 1972 में संयुक्त संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 326

में संशोधन किया जाए ताकि आयु कम की जा सके। दिनांक 7 मई, 1972 को श्री वाजपेयी के नेतृत्व में तत्कालीन अखिल भारतीय जन संघ दल ने मांग की थी कि मतदान के प्रयोजनार्थ आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया जाए। 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान-आयु कम करके 18 वर्ष कर दी जाए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार की मंत्रि-मंडल उप-समिति ने कई प्रस्तावों पर विचार किया जो चुनाव सुधारों के बारे में थे उसमें मतदान की आयु को कम करने का सुझाव भी शामिल था। 1981 में जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय सभा बुलाई थी और उसमें भी यही सिफारिश की गई थी। 1982 में निर्वाचन आयोग ने संयुक्त समिति की इस राय का समर्थन किया था कि मतदान की आयु कम की जाए।

श्रीमान्, 1987 में नई दिल्ली में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में भी यही बात की गई। इससे यह स्पष्ट था कि मतदान की आयु कम करने की मांग बहुत दिनों से लंबित थी। इसलिए सत्ताधारी दल को इस पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है।

मेरे विचार में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका इरादा साफ नहीं है। इस विधेयक में आशातीत सुधारों का उपबंध नहीं है। लोगों को कुछ अच्छे परिवर्तनों की आशा थी जिनसे लोकतंत्र में विश्वास पैदा हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि चुनाव किस प्रकार कराये जाते हैं, लोगों की उम्मीद टूट रही है, विशेषकर शिक्षित व्यक्ति तो मतदान करने ही नहीं आते। वे कहते हैं, 'मतदान की क्या तुक है जब हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते ?' आम भावना यही है। अतः मेरा सुझाव है, विशेषकर धन के प्रभाव को कम करने के लिए, विभिन्न विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा चुनाव का खर्च उठाने का सुझाव दिया था, और मेरे विचार में यह बहुत सही हल है, लेकिन इस मुद्दे को जानबूझकर इस विधेयक में नहीं रखा गया है।

मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की कुछ शिकायतें सामने आई हैं और जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें थीं उन्हें दण्ड नहीं दिया गया।

निर्वाचन आयोग विधि-मंत्रालय के अधीन है और आप जानते हैं कि इसके बारे में बहुत खराब पूर्वोदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल पहले निर्वाचन आयुक्त थे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक अच्छा पद दे दिया गया। इस प्रकार नया व्यक्ति भी सेवानिवृत्ति के बाद अच्छा पद पाने के लिए सरकार को अनुगृहीत कर वही काम करने का लोभ संवरण नहीं कर पाएगा। अतः स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए।

चुनाव सुधारों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी स्पष्ट रूप से

सत्ताधारी दल का पक्ष ले रहे हैं। अब लोग इससे नफरत करने लगे हैं। वे समाचार सुनना नहीं चाहते, बच्चे तक यह शर्त लगाते हैं कि दूरदर्शन पर एक दिन में कितनी बार हमारे प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। वे जानते हैं कि ऐसा ही होता है। यह बन्द होना चाहिए और इसे एक स्वतन्त्र निकाय बनाया जाना चाहिए।

श्रीमान्, और बहुत-सी बातें कहनी हैं किंतु समय कम है। मैंने जो संशोधन दिया है उसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बोलूंगा। अब मैं केवल इतना कहूंगा कि दूरदर्शन, आकाशवाणी, पुलिस विभाग और अन्य विभाग सरकार के नियन्त्रण में नहीं होने चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संविधान सशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व विधेयक का समर्थन करती हूं। आज का युवक साक्षर और जागरूक है तथा राजनीति को समझता है और उसमें परिपक्वता भी है। हमें आज इस बात की खुशी है कि हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने आजादी के बाद पहली बार 18 वर्ष की आयु चुनाव में मतदान का अधिकार देने के लिए यह विधेयक रखा है। इसके लिए मैं प्रधानमन्त्री जी को बधाई देती हूं।

इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने से कई युवा वर्गों में चेतना आई है। दूसरी बात मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की है, जो एक बहुत बुरी बात है। मैं खुद इसकी भोगी हूं। हमारे यहा बी० जे० पी० वाले बूथ कैपचर करते हैं। बी० जे० पी० वाले लोगों को वोट डालने के लिए जाने नहीं देते हैं। ये आजादी के इतने दिनों के बाद भी ऐसे कर्म करते हैं।···(व्यवधान)···बी० जे० पी० वाले करते है। मैं इसमें सहमत हूं कि···(व्यवधान)···इसकी वजह से जो सच्चे लोग हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। पहली बार इसको गम्भीर अपराध माना गया है, जिसमें पुलिस स्वयं ऐसे मामलों में सीधी कार्यवाही कर सकती है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) विधेयक में जो संशोधन किये गये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के संबंध में जो धारा है, उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। खास तौर से हमारे युवा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। इसमें दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों को और जमाखोरी, मुनाफाखोरी और तस्करी जैसे आर्थिक अपराधों को पहली बार पहले से दर्ज अपराधों की सूची में शामिल किया गया है और इन अपराधों के लिए दंडित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य माना है। इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं थोड़े से सुझाव भी रखना चाहती हूं।

साधारण और गरीब आदमी आज की हालत में चुनाव लड़ नहीं सकता क्योंकि चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि चुनाव के कार्यक्रम को थोड़े समय में पूरा किया जाए और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए अधिक से अधिक 15 दिन का समय दिया जाए। इससे चुनाव पर खर्च कम हो सकेगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि चुनाव सभाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपए से पांच हजार रुपए कर दिया जाए ताकि गड़बड़ी करने वाले तत्वों को रोका जा सके और जो लोग गड़बड़ी करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि चुनाव में खड़े होने वाले नान-सीरियस उम्मीदवारों की संख्या क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसको कम करने के लिए ऐसे लोगों से जमानत की राशि जो ली जाती है, उसको बढ़ाकर 20 हजार या 25 हजार रुपये किया जाए और जो एक-तिहाई मत प्राप्त कर सके, उसकी रकम जब्त की जाए ताकि ऐसे उम्मीदवार खड़ा होने का नाम न लें।

पहचान-पत्र जारी करने को मैं आवश्यक मानती हूं। कई जगहों पर बूथ कैप्चर कर लिए जाते हैं और बोगस मतदान भी होता है। इसलिए पहचान-पत्र देना बहुत जरूरी है इससे हम बोगस मतदान को रोक सकेंगे।

आपने एक महिला को बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि यह जो रेप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुलस (एमेंडमेंट) बिल है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर, राजीव जी को बधाई देना चाहती हूं कि वे हमारे जो नौजवान हैं, उनको वोटिंग राइट्स देने के लिए यह बिल लाए हैं और शंकरानंद जी को भी इस बिल को लाने के लिए बधाई देना चाहती हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आइडेंटिटी कार्ड का होना बहुत जरूरी है। काफी स्टेट्स में हमने बाई-इलेक्शन में और इलेक्शन में यह देखा है कि कैसे इलेक्शन होता है। हिन्दुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, उस पर हमको गर्व है लेकिन यह भी सच बात है कि काफी आदमी अपनी मनी-पावर और मसल पावर को इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, जो इस तरह का काम करती हैं और इलेक्शन के टाइम पर बूथ रिगिंग करके वोट ले जाती हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसा करती हैं। इसलिए आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत जरूरी है और मैं इसका समर्थन करती हूं।

दूसरी बात यह है कि 150 इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के लिए आपने बोला है सेंसेटिव एरियाज

के लिए। हमारी जो कांस्टीटुयन्सी है, वह एक डिस्टर्ब्ड वैल्ट है और आजादी के बाद, मैं पहली बार वहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आई हूं। वह बहुत सेंसेटिव एरिया है और वहां पर लोग कैंडीडेट को और वोटर्स को बूथ पर जाने नहीं देते हैं। इसलिए एक इलेक्ट्रोनिक मशीन वहां पर होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। वह डिस्टर्ब्ड एरिया है और हमारे क्षेत्र के लिए इसकी एडवांस बुकिंग कर लीजिए।

एक बात मैं यह बोलना चाहती हूं कि बहुत सारे लोगों ने स्टेट फन्डिंग की बात कही। हम भी उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आज तो जिसके पास मनी-पावर है और मसल पावर है, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और इलेक्शन में कान्टेस्ट कर सकता है। लेकिय हम लोग मिडिल क्लास से आता है। हम लोगों के लिए यह बात बहुत ही बुरी है। हमारे पास इतना रुपया नहीं है। हमारा इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के साथ कोई रिलेशस नहीं है। टाटा, बिरला हम लोगों को पहचानता नहीं है। लेकिन बहुत सारे आदमी हैं, पार्टीज हैं जिनको उनसे रुपया मिलता है। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से आता है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। जो बड़ा ग्रुप है, हमारे देश में जो वर्कर्स हैं उनका असर नहीं चलता है, गांव के आदमी जो होता है, उसका असर नहीं चलता है। इसलिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए स्टेट फंडिंग होना जरूरी है। नहीं तो एक-एक एम० पी० एक-एक कांस्टीच्युएंसी में 15-15, 20-20 करोड़ रुपया खर्च करता है। वह यह सारा रुपया कैसे खर्च करता है। हमारे जैसे लोग जब एम० पी० का इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो हमारे पास इतने खर्चीले इलेक्शन को लड़ने के लिए पैसा कहां है। हमको जो पार्टी खर्च करने के लिए देगी वही हम खर्च कर सकते हैं। इसलिए हम स्टेट फंडिंग के लिए बोलते हैं।

आज सुबह से इलेक्शन के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनीं। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि हमारा स्टेट के बारे में पास्ट इलेक्शन में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। सर, पास्ट इलेक्शन में 22 हजार कैंडीडेट्स नोमिनेशन पेपर्स फाईल नहीं कर सके। इसके बारे में आप सी० पी० आई० से पूछिये, सोशलिस्ट पार्टी से पूछिये। जो वेस्ट बंगाल में सी० पी० एम० की गवर्नमेंट में केबिनेट मिनिस्टर थे वे सी० पी० एम० के आदमी को कंडेम करते हैं और कहते हैं कि सी० पी० एम० वाले आदमियों को मारते हैं, वे लोगों को वोट नहीं करने देते हैं। हमारे देश में इतने छोटे लोग हैं वे कैसे वोट कर सकेंगे। पहले हमने डेमोक्रेसी को डिफाईन किया था कि—

[अनुवाद]

यह सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए होती है।

[हिन्दी]

लेकिन अभी डेमोक्रेसी है—

[अनुवाद]

यह सरकार भीड़ की, भीड़ द्वारा और भीड़ के लिए होती है।

[हिन्दी]

उसी से हम कहना चाहते हैं कि इसका हर स्टेट में ठीक से पालन होना चाहिए। अगर हम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कि हम कांग्रेस के आदमी हैं। लेकिन वहां पर सी० पी० एम० गवर्नमेंट के एक केबिनेट मिनिस्टर ने पब्लिकली चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाईज़ किया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप वेस्ट बंगाल को आइडेन्टिटीफाई कीजिए। खाली वेस्ट बंगाल को ही नहीं, हरियाणा को भी कीजिए ऐसा हम क्यों बोलते हैं ? आपको मालूम है कि पिछले बाई इलेक्शन में कैसे वोट डाला गया। डंडा और गुंडा ले करके। मैं आपको कहूंगी कि यह आदत ठीक नहीं है। मेरा आपको सुझाव है कि आप पहले उसके स्टेट में सुप्रिया का केस हुआ। उसके स्टेट में।

...**... जिसका लोग पावर में रहकर ऐसा करता है आप उसका डिसक्वालिफिकेशन कर दीजिए...

(व्यवधान)

सर, पोलिटिकल लीडर जो होने चाहिए।

[अनुवाद]

ये नेता राजनीति में आने योग्य नहीं हैं, इन पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अभी जो पोलिटिकल लीडर हैं उसके फार्म में औरत को मारता है, आदमी को जलाता है। जब तक उसकी स्टेट में, उसके फार्म में ऐसा होगा तो वह और लोगों की कैसे रक्षा करेगा। ये लोग देश के लिए क्या काम कर रहे हैं ? ये लोग देश में गंदा काम करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लोग बुरा काम करते हैं उनको आप डिसक्वालीफाई कर दीजिए। ऐसा काम अगर और कोई भी करे तो उसको भी कर दो। कोई भी आदमी कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह बात आपको सोचनी है।

सर, एक बात पालिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहती हूं। यह ठीक है। इलाहाबाद इलेक्शन में हमने देखा कि वहां गांव के किसी गरीब आदमी को पता ही नहीं था कि किस पार्टी से खड़ा हुआ है। उसके लिए बहुत बड़ा खर्च किया गया। लोगों ने वहां हमसे पूछा कि इसके लिए इनके पास इतना रुपया कहां से आया ? यह आदमी कैसे खड़ा हुआ है ? वी० पी० सिंह ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। हम वहां गये थे। हम राजा मांडा के गांव में भी गये थे, हमने वहां देखा—बी० जे० पी० का झंडा, **का गुंडा, सी० पी० एम०

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

का डंडा इस तरह इलेक्शन में लड़ा था राजा मांडा। पहले तो वह बोफोर्स-बोफोर्स करके बहुत चिल्लाता था, अभी बोफोर्स भी ठंडा हो गया और राजा मांडा भी ठंडा हो गया। ऐसा करके इलेक्शन होता है। मसल पावर, मनी पावर, बूथ रिगिंग, बूथ केपचरिंग ऐसा करके वोट लेता है। इसलिए सर आज इसको अपने देश में देखना चाहिए। यहां पर हर आदमी को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, किसी के साथ भेद-भाव नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की एक यूनीफार्म पालिसी होनी चाहिए। आज हमारे यहां पुलिस को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, हमारे यहां रक्षक-भक्षक बन रहे हैं। सुबह सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे कि गनी खान चौधरी ने पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस वर्कर्स को स्टेनगन देने के लिए कहा है, मैं कहती हूं कि वहां पर आप जाकर देखिए, सी० पी० पी० के वर्कर्स रोज हमारे वर्कर्स को मारते-पीटते हैं, इसलिए उन्होंने सेल्फडिफेंस के लिए यह बात कही है। दार्जीलिंग में सी० पी० एम० वर्कर्स को सरकार ने हथियार दे रखे हैं, अगर मेरी बात झूठ हो तो दण्डवते जी आप वहां पर जाकर देखिए, अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरे खिलाफ आप प्रिवलेज मोशन ले आइए। वहां के हालात को आप देखिए, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को टाटा-बिड़ला से पैसा मिलता है, लेकिन इसको कहां से पैसा मिलता है। आज टाटा-बिड़ला, राजोरिया, फतेहपुरिया सब इनके दोस्त बन गये हैं। कल तक जो छोटी-सी पार्टी थी छोटा-सा मकान था और फाइव स्टार की तरह इसका पार्टी आफिस बन गया है, यह रुपया कहां से आया। इसलिए इनको तो पार्टी रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति होनी चाहिए। कुछ दिन पहले इनकी पार्टी की एक कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक-एक डेलीगेट को 100 रुपया पर हैड का खाना खिलाया गया। उनको एक-एक बैग दिया गया, जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रुश, पाउडर, स्नो, साबुन और एक-एक वर्जन जैलोसिन की गोलियां दी गईं, ताकि अगर ज्यादा खाना खाया हो तो इनसे पचाया जा सके। इस तरह से यह पैसा कहां से आता है। इस तरह की पालिसी बनाई जानी चाहिए कि साधारण आदमी को मुश्किल न हो।

एक बात और कहना चाहती हूं कि आज हमारी स्टेट में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफीसर्स सीधे राजनीति में इन्वाल्व हो गए हैं। इस तरह से निष्पक्ष चुनाव की आशा कैसे की जा सकती है। इसके लिए सरकार को इंडिपेंडेंट इलेक्शन मशीनरी की स्थापना करनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट पर इस कार्य को सौंपा जाएगा तो उसमें आई० ए० एस० या आई० पी० एस० आफिसर्स के इन्वाल्व होने से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये आफिसर्स वही करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है। पिछले दिनों ही पेपर में आया है कि सी० पी० एम० की पार्टी मीटिंग में एक आई० ए० एस० आफिसर ने कहा कि ममता इलेक्शन हारेगी। क्या आई० ए० एस० आफिसर कोई भगवान है जो यह कह सकता है कि कौन आदमी हारेगा, कौन-सी पार्टी जीतेगी, कौन-सी पार्टी हारेगी। दण्डवते जी आप स्वयं जाकर हमारे स्टेट में देखिए कि वहां पर क्या हालत हो रही है। क्या

कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ऐसे बोल सकता है, लेकिन वहां पर यह बात हो रही है। वहां पर पुलिस को पोलीटिकल पावर्स दे दी गई हैं। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है। इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं—

नहीं है जिनको भरोसा खुद अपने कानों पर,

वे ही नाखुदा के सहारों की बात करते हैं।

जो लोग स्वयं कुछ नहीं करते, वे ही इस तरह की बातें करते हैं। हमारा कहना तो यह है—

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,

खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, जो आरोप आपने···के खिलाफ लगाए हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री शांताराम नायक : महोदय यह तो इतने सारे हैं···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो कह रहा था कि···

·····मेरी राय में ऐसा नहीं है कि इस सभा में···।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० वी० एन० सोमू···

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु विधान सभा के चुनावों के साथ-साथ जो 21 जनवरी को होने वाले हैं वह दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव क्यों नहीं करवा लेते ? मदुरै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थान एक वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त पड़े हैं। जब वे 234 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवा रहे हैं तो इन चुनावों के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव करवाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ? जब वहां 12 विधान सभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है तो उसके साथ इनके लिए चुनाव क्यों नहीं करवाया जाता ? सरकार की नीति इस मामले में स्पष्ट नहीं है। विधायक श्री वी० पी० चिंतन जिनकी मई, 1987 में मृत्यु हो गई थी वे विलीवक्कम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और वहां भी डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय

समय से चुनाव नहीं हुए हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे विधायकों और संसद सदस्यों की सीटें इतने लम्बे अर्से से खाली क्यों रखते आ रहे हैं ।

युवा-वर्ग जो 18 से 21 के बीच का था, उसे देश के कार्य में प्रत्यक्षतः भागीदार होने से वंचित रखा जाता था अब उन्हें भी यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है । मैं देश के लाखों युवाओं की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसके कारण विपक्षी दलों की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग मंजूर की गई । इसी प्रकार लोक सभा राज्य सभा तथा राज्य की विधानपालिका की सभा के लिए प्रत्याशी बनने की वर्तमान आयु 25 और 35 वर्ष को भी समुचित रूप से कम किया जाना चाहिए । इससे महान प्रजातान्त्रिक संस्थाओं में अनेक युवाओं को भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा ।

पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री जैल सिंह ने जनवरी, 1985 में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के समक्ष अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार चुनाव सम्बन्धी सुधार का कार्य शीघ्रता से शुरू करेगी । मैं शीघ्रता शब्द पर विशेष बल देता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कांग्रेस की शीघ्र गति है ।

श्री एन० बी० एन० सोमू : सरकार ने ये सुधार किए हैं और बड़ी तीव्र गति से चार वर्ष के बाद किए हैं । आप एक बड़े पर्वत की परियोजना बनाते हैं । परन्तु यह तो केवल राई समान है ।

भारतीय संविधान में स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग के लिए उपबंध है :

> "संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण···।"

एक वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता और भूतपूर्व सरकार में मंत्री, श्री के० संथानम ने कहा था, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :

> "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध किया गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तब तक पद से नहीं हटाया जायेगा जब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जिन कारणों को उचित माना जाता है, उसी प्रकार के कारण प्रस्तुत नहीं होंगे । मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा-शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसे हानि हो । जबकि यह काफी संतोषजनक स्थिति है परन्तु उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कि मंत्रीमंडल की सलाह मानने के लिए

बाध्य है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण नियुक्ति के अधिकार को किसी दल की सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाए। इसीलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की विपक्षी दल के प्रतिनिधियों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात की जानी चाहिए।"

श्री के० संथानम ने यह बात कई वर्ष पहले कही थी परन्तु उसका इस विधेयक में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कर देते हैं। इसके द्वारा आप इस स्वतंत्र निकाय पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ऐसे में स्वतंत्र निकाय के रूप में कैसे काम कर सकता है। चुनाव की तारीख और समय निर्धारित करने के लिए विपक्षी दलों से भी परामर्श किया जाना चाहिए। केवल सत्ताधारी दल को ही अपनी सुविधानुसार इसे निर्धारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

दूरदर्शन और रेडियो के बारे में माननीय विधि मंत्री श्री शंकरानन्द तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री भगत के साथ हुई मेरी बैठक में मैंने यह सुझाव दिया था कि कम-से-कम चुनाव के दौरान दूरदर्शन और रेडियो को स्वायत्त-शासी समिति के अधीन किया जाना चाहिए जिसमें सभी दलों के नेता सामिल होने चाहिएं। उदाहरण के रूप में 28 नवम्बर को मद्रास में कांग्रेस ने एक जुलूस निकाला था। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से जुलूस में शामिल हुए थे। उसे दूरदर्शन पर 10 मिनट से अधिक दिखाया गया जबकि 17 सितम्बर को हमारे राष्ट्रीय मोर्चे ने कांग्रेस के जुलूस से भी बड़ा जुलूस निकाला था परन्तु दूरदर्शन पर उसे केवल एक मिनट के लिए दिखाया गया और वह भी केवल प्रसारण के अभिप्राय से। इस प्रकार का पक्षपात तथा भेदभाव पूर्ण रवैया निश्चित रुप से समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को कम से कम चुनावों के समय एक स्वायत्त समिति के अधीन रखा जाना चाहिए, जिसके सदस्य सभी दल के नेता हों।

चुनावों के दौरान सत्तापक्ष द्वारा सदैव सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जाता है। अनेक शिलान्यास किए जाते हैं। तमिलनाडु में प्रचार के लिए प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को आने दीजिए लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता के रूप में आने दीजिए न कि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रियों के रूप में। सरकारी तन्त्र तथा दलीय तन्त्र को मिलाया नहीं जाना चाहिए। सत्ता पक्ष को कम से कम इस बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सरकारी तन्त्र के दुरुपयोग के बारे में स्वयं निर्वाचन आयोग ने यह महसूस किया है कि चुनावों के दौरान किसी मन्त्री द्वारा सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार के साथ मिलाने तथा सरकारी तन्त्र तथा कर्मचारियों के प्रयोग पर राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के अधीन पाबन्दी लगानी चाहिए तथा किसी भी मन्त्री से ऐसा करने की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। परन्तु चूंकि उस संहिता को विधि की मान्यता प्रदान नहीं है इसीलिए निर्वाचन आयोग इसके उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में प्रायः असमर्थ होता है। इसीलिए

आयोग ने सरकार को कहा है कि इस उपबन्ध को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके । आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सत्ता पक्ष के चुनाव हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी वाहनों, तन्त्र तथा कर्मचारियों पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए । आयोग ने कहा है कि सत्ताधारी दल द्वारा निर्वाचन-सम्बन्धी बैठकें करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एकाधिकार स्थापित नहीं किया जाना चाहिए । अन्य दलों तथा प्रत्याथियों को भी इन स्थानों का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए । यद्यपि इस बारे में संहिता तथा निर्वाचन आयोग के निदेश स्पष्ट हैं फिर भी चुनावों के दौरान इस बारे में उल्लंघन के मामले हुए हैं । राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ हुई पिछली बैठक में यह सुझाव दिया था कि संहिता के उल्लघनों को विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए । इसीलिए आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि संहिता के कुछ उपबन्धों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए परन्तु सरकार इन सिफारिशों पर पूर्ण रुप से शान्त बैठी हुई है ।

मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के बारे में दण्ड को बढ़ाया जाना चाहिए। यह लोकतन्त्र की नींव को हिला रहा है । मतदाताओं को पहचान-पत्र देना आवश्यक है पहचान-पत्र धारक निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे । राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रयोजन क्या है ? राजनीतिक दल पहले से ही निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के मामले को लेकर चुप बैठना चाहता है । यदि निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है तो राजनीतिक दल विवरण दे सकते हैं तथा अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं परन्तु यह सरकार उन्हें इसके अधीन बना रही है । यह निर्वाचन आयोग को सरकार का एक विभाग बना रही है । तब फिर राजनीतिक दलों द्वारा विवरण देने का क्या लाभ ? इसलिए मैं इस पूंजीकरण के खण्ड का घोर विरोध करता हूं । यह राजनीतिक दलों के साथ श्रमिक संघों जैसा बर्ताव कर रही है । इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक दल पहले से ही पंजीकृत हैं उन्हें पुनः पंजीकरण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए ।

मैं केवल यह कह कर अपना भाषण समाप्त करुंगा कि चुनाव सुधार केवल दिखाना मात्र हैं तथा यदि मैं इन चुनाव कानूनों के संदर्भ में मेक्सपियर के एक नाटक मच एड अबाउट नथिंग" का नाम उद्धृत करूं जिसका अर्थ है शोर-शराबे के सिवाय कुछ नहीं, तो वही उचित होगा ।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं तो सोचता ही नहीं था कि आज मुझे समय मिलेगा । मैं समयाभाव को देखते हुए दो-तीन बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

यदि हमने इस देश में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो बूथ कैप्चरिंग को बन्द करना होगा ।

आपने इस बिल में बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं परन्तु मैं उन्हें यथेष्ठ नहीं मानता। लगता है कि जिन लोगों ने इस बिल को ड्राफ्ट करने में आपकी सहायता की है उन्होंने बूथ कैप्चरिंग होते कभी नहीं देखा। यदि आपने बूथ कैप्चरिंग देखना ही है तो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आइये और देखिये कैसे बूथ कैप्चर किए जाते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए, लेकिन महोदय बूथ कैप्चरिंग करने वालों को पकड़ेगा कौन। है किसी में हिम्मत उन्हें पकड़ने की। हमारा बिहार डैडली आर्म्स से भरा हुआ है। किसी की भी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कुछ बोला जाए। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आप किसी भी तरह बूथ कैप्चरिंग बन्द नहीं करा पायें।

यदि आप हिन्दी हार्ट लैंड से बूथ कैप्चरिंग बन्द नहीं करा पाये तो इसमें संदेह नहीं कि इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मेरी बात आपको सुनने में बुरी जरूर लगेगी परन्तु सत्य है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारे यहां दिनदहाड़े लोगों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं परन्तु किसी की हिम्मत नहीं होती कि अपराधी को पकड़वा सके या उसके विरुद्ध गवाही दे सके। यदि जज से पूछा जाता है कि तुमने इस अपराधी को बेल कैसे दे दी तो जज कहता है कि सरकार ने मुझे क्या प्रोटैक्शन दिया है, यदि मैं उसे बेल न देता तो क्या मैंने अपने बच्चों को किडनैप करवाना है या जान से मरवाना है, मैं क्रीमिनल को सजा क्यों दूं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस बिल पर नये सिरे से विचार कीजिए, डिस्कस कीजिए। यह बिल सभी पार्टियों को प्रभावित करता है। कुछ समय बाद ऐसा वक्त आ जाएगा जब हिन्दी हार्ट लैंड में केवल क्रीमीनल्स ही रहेंगे और आप मुंह देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इकानौमिक्स में एक थ्यौरी है :

[अनुवाद]

बुरों की संगत अच्छों को भी खराब कर देती है।

[हिन्दी]

उसी तरह से क्रीमिनल्स आकर यहां बैठ जाएंगे और हम सब को निकाल बाहर करेंगे। इन सीटों पर फिर आपको क्रीमिनल्स ही दिखाई देंगे। मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को नजर अंदाज मत कीजिए। आपने इस बिल में वैसे तो प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति डौरी में सहायक होगा, सती प्रथा को प्रोत्साहित करेगा, उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा लेकिन इस देश में पहले ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं क्या उनके तहत आपने आज तक किसी को पकड़ा है, किसी को सजा दिलाई है। यदि आप मुझे बोलने का समय दें तो मैं आपको बिहार की स्थिति से अवगत करूं।

मेरा सुझाव है कि आप बिहार में सारे पोलिंग औफिसर्स तथा प्रेजाइडिंग औफिसर्स को बदल

दीजिए, दूसरे स्टेट के लोग बिहार में लाइये। दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा ही कीजिए। इसके अलावा बिहार में जितने सैन्सिटिव एरियाज हैं वहां आप लोकल पुलिस के स्थान पर सी० आर० पी० एफ० या बी० एस० एफ० तैनात कीजिए। लोकल पुलिस के रहते हुए वहां बहुत धांधली होती है, हरिजनों; समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जाता। यदि किसी सभ्रांत ब्राह्मण के घर में कोई ब्राह्मण काम करता है तो जमींदार ब्राह्मण उससे कहता है कि तुम वोट डालने के लिए बूथ पर मत जाना, घर पर ही रहना, तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। उसका मतलब होता है कि यदि तुमने नौकरी करनी है तो घर पर ही रहना पड़ेगा, वोट देने के लिए न जाओ। यदि तुम गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ही, दुनिया से भी निकाल दिए जाओगे। हरिजन, गिरिजन, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, सभी के साथ ऐसा ही सलूक होता है। इसलिए यह समस्या ज्यादा गम्भीर है और इस पर आपको गहराई से विचार करना होगा। आप ज्यादा नहीं तो कम से कम बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में तमाम पोलिंग औफिसर्स तथा प्रेजाइडिंग औफिसर्स को तो अवश्य ही बदल दीजिए। यहां जगन्नाथ चौधरी जी जो कुछ कह रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है। यह केवल एक कास्टीट्यूएंसी या एक बूथ की बात नहीं है मैं कहता हूं कि आप रथलैसली आइडैन्टिटी कार्डस ईश्यू कीजिए क्योंकि हमारे नौर्थ बिहार में नेपाल और बंगला देश से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि कितनी आबादी बढ़ रही है। यदि लोगों को मल्टीपरपज आइडैन्टिटी कार्डस ईश्यू कर दिए जाएंगे तो इस बुराई को बहुत हद तक रोका जा सकता है, यदि सभी जगह आप मल्टीपरपज आइडैन्टिटी कार्डस जारी करने में असमर्थ हों तो कम से कम हमारे नौर्थ बिहार या इस देश में बौर्डर एरियाज में तो जरूर ईश्यू करा दीजिए।

7.00 म० प०

मैं एक बात और कहूंगा कि आप कास्ट के नाम पर जो वोट लेते हैं वह भी ठीक नहीं है। आपने तो थोड़ा बहुत कम्युनिटी का जिक्र किया है, लेकिन यह कास्टरूपी जो अजगर है वह क्या है वह आप सब को लपेट लेगा। इसलिए जो कास्ट के नाम पर वोट मांगता है, उसको वहीं डिस्क्वालीफाई कीजिए।

अन्त में, मैं इलेक्ट्रोनिक मशीन के बारे में कहूंगा। आप इलेक्ट्रोनिक मशीन्स जरूर लगाइए, लेकिन इलेक्ट्रोनिक मशीन्स सही ढंग से काम करें, इसको भी एन्श्योर कीजिए, कितने लोगों ने वोट दिया, किस को वोट मिला, किस को वोट नहीं मिला। यह सब काम मशीन सही ढंग से करे, तभी इलेक्ट्रोनिक मशीन लगाने का फायदा है। नहीं तो हम यहां देखते हैं, कितनी दफा मशीन्स फेल होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि मशीन तो जरूर लें, लेकिन वे सही ढंग से काम करें। देहातों में बिजली नहीं होती हैं। बैट्री से भी काम नहीं चलता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए। जो लोग कहते हैं मनी पावर इलैक्शन में काम नहीं करता है, मैं उनसे फिर कहता हूं कि आप हिन्दी हार्ट लैंड में जाईए इलेक्शन के एक दिन पहले आकर वह कहेगा कि आप वोट चाहे किसी को

दो, लेकिन यह बीस हजार रुपया है यह तुम्हारे गांव में जो स्कूल है उसकी मरम्मत इत्यादि के लिए है और मैं तो तुम्हारा जाति भाई हूं। ये रुपए रख लो। वोट भले ही तुम किसी को भी दो। उसका सर शर्म से झुक जाता है। जब रात होती है तो वह यह सोचता है कि यह आदमी कितना अच्छा है जो हमारे स्कूल के लिए इतने रुपए दे रहा है और अपनी जाति का भी है। रुपए कोई मेरे लिए तो नहीं दे रहा है वह तो स्कूल के लिए दे रहा है। इस प्रकार की बात सोचता है और फिर अपने गांव के सभी आदमियों से कहता है कि भाई वोट इसी को दो। इसलिए मैं कहता हूं कि मनी पॉवर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस पर एक डिटैल्ड डिस्कशन होना चाहिए। जब तक आप टैररिज्म को खत्म नहीं करते हैं हिन्दी हार्ट लैंड से तब तक इस देश में सही इलैक्शन नहीं हो सकेगा। यदि यह टैररिज्म खत्म नहीं होगा, तो इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर बहुत ही अन्धकारमय होगा।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 दिसम्बर, 1988/24 अग्रहायण, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : प्रिंटवैल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-92